

वार्षिक प्रतिवेदन

2019-20



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

वार्षिक प्रतिवेदन

2019–20



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

विषय सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	01
1.1	राज्य बोर्ड के प्रमुख कार्य	02
1.2	क्षेत्रीय कार्यालयों के दायित्व	02
1.3	विशिष्ट उपलब्धियां	03
2.	राज्य बोर्ड का गठन	13
3.	बोर्ड की बैठकें	14
4.	जल एवं वायु गुणवत्ता के लिये प्रबोधन तंत्र	15
4.1	जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम	15
4.2	प्राकृतिक जल स्रोतों की निगरानी	17
4.3	विश्व पर्यावरणीय प्रबोधन पद्धति (जेम्स)	17
4.4	भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन पद्धति(मीनार्स)	17
4.5	नदियों के जल की गुणवत्ता	26
4.6	बेसिन के अनुसार प्रमुख नदियों की जल गुणवत्ता	38
4.7	मूर्ति विसर्जन	58
4.8	वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम	60
4.9	प्रदेश के प्रमुख शहरों की परिवेशीय वायु की स्थिति	67
4.10	वाहन जनित प्रदूषण का सर्वेक्षण	82
4.11	ध्वनि प्रदूषण सर्वेक्षण	85
5.	पर्यावरणीय समस्याएं और इनके नियंत्रण हेतु किये जा रहे उपायों की वर्तमान स्थिति	88
5.1	उद्योगों, संस्थानों एवं खदानों में स्थापित जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का विवरण	88
5.2	उद्योगों, संस्थानों एवं खदानों में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का विवरण	89
5.3	उद्योगों की स्थापना सम्मति एवं संचालन हेतु जारी सम्मति	89
5.4	उद्योगों का सम्मति नवीनीकरण	90
5.5	पर्यावरण प्रभाव अध्ययन	90
5.6	वृक्षारोपण	91
5.7	पर्यावरण विवरण	91
5.8	जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में उन्नयन	91
5.9	वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में उन्नयन	91

	5.10	17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था	91
	5.11	परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन	91
	5.12	जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन	93
	5.13	बैटरी प्रबंधन एवं हथालन नियम	95
	5.14	ई—अपशिष्ट प्रबंधन नियम	96
	5.15	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	97
	5.16	घरेलू दूषित जल (सीवेज) प्रबंधन	100
	5.17	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन	100
	5.18	फ्लाई ऐश प्रबंधन	102
	5.19	खदानों में पर्यावरण प्रबंधन	106
6.		पर्यावरणीय अनुसंधान	108
7.		पर्यावरणीय प्रशिक्षण	117
8.		पर्यावरणीय जागरुकता एवं जन—भागीदारी	124
9.		पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई न्यायालयीन कार्यवाही	133
10.		बोर्ड के वित्त एवं लेखे	147
11.		राज्य बोर्ड द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य	148
	11.1	जल उपकर अधिनियम 1977	148
	11.2	बोर्ड में सूचना प्रौद्योगिकी : विकास एवं क्रियान्वयन	148
		परिशिष्ट	151
	1	राज्य बोर्ड के सदस्यों की सूची	151
	2	विभागीय संरचना	152
	3	वर्ष 2019–20 में पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले उद्योगों, संस्थानों, खदानों की सूची	153
	4	वर्ष 2019–20 में 50 हजार संख्या से अधिक वृक्षों का रोपण कराने वाले उद्योगों/संस्थानों/खदानों की सूची	156
	5	वर्ष 2019–20 में दूषित जल उपचार संयंत्र में सुधार/उन्नयन/निर्माण करने वाले वृहद, मध्यम, लघु उद्योगों/संस्थानों/खदानों की सूची	157
	6	वर्ष 2019–20 में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में सुधार/उन्नयन/निर्माण करने वाले वृहद, मध्यम, लघु उद्योगों/संस्थानों/खदानों की सूची	166
	7	वृहद एवं मध्यम श्रेणी के 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था	184

1. प्रस्तावना

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वर्ष 2019–2020 का वार्षिक प्रतिवेदन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35(2) के परिपालन में राज्य शासन को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक संगठन है। राज्य में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिये सर्वप्रथम सितम्बर 1974 में बोर्ड गठित किया गया था। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कुछ अन्य अधिनियम लागू किये जाने से बोर्ड का कार्यक्षेत्र और अधिक व्यापक हो गया। वर्तमान में बोर्ड निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के दायित्व का निर्वहन कर रहा है:—

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 (जून 2017 तक)
3. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत,
 - 4.1 परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016
 - 4.2 परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 2000
 - 4.3 जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016.
 - 4.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
 - 4.5 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
 - 4.6 बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001
 - 4.7 ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
 - 4.8 फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन 1999 यथा संशोधित 2003, 2009 एवं 2016
 - 4.9 केमिकल एक्सीडेंट (इमरजेन्सी प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस एवं रिस्पांस) नियम, 1996
 - 4.10 ध्वनि प्रदूषण (रेग्यूलेशन एवं कन्ट्रोल) नियम, 2000
 - 4.11 अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016
5. मध्यप्रदेश जैव अनाशय अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004
 - 5.1 मध्यप्रदेश जैव अनाशय अपशिष्ट (नियंत्रण) नियम, 2006

बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य में जल स्त्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखना व उसको स्वच्छ बनाये रखना है। अधिनियमों एवं नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु नीति निर्धारण, सामान्य प्रशासन तथा अन्य एजेन्सियों से सामंजस्य बनाये रखते हुए पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित विषयों पर जन-चेतना लाना आदि कार्य भी बोर्ड द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।

पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में सतत अनुसंधान हेतु बोर्ड मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित राज्य स्तरीय केन्द्रीय प्रयोगशाला है, इसके साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में भी प्रयोगशालाएं पर्यावरणीय प्रदूषकों के विश्लेषण हेतु कार्यरत हैं।

1.1 राज्य बोर्ड के प्रमुख कार्य

- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसके निष्पादन को सुनिश्चित करना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, उनका संचालन करना और उसमें भाग लेना।
- मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया के लिए संकर्म एवं संयंत्रों का निरीक्षण करना।
- वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए ऐसे अन्तरालों पर जैसा आवश्यक समझें, ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण करना।
- बहिःस्त्रावों के निस्सारण के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहे जल की गुणवत्ता के लिए बहिःस्त्राव मानक अधिकथित करना, उनमें उपान्तरण करना या उन्हें बातिल करना।
- केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करके तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा वायु की गुणवत्ता के लिए अधिकथित मानकों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक संयंत्रों और मोटर गाड़ियों से वातावरण में वायु प्रदूषणकारी के उत्सर्जन अथवा अन्य किसी स्त्रोत से, जो जहाज अथवा वायुयान न हो, वातावरण में वायु प्रदूषकों के निस्सारण के लिए मानक अधिकथित करना।
- मल एवं व्यावसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया की मितव्ययी और विश्वसनीय पद्धतियाँ निकालना।
- कृषि में मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रावों के उपयोग की पद्धतियाँ विकसित करना।
- भूमि पर मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रावों के व्ययन की दक्ष पद्धतियाँ विकसित करना।
- सरिताओं या कुओं में अपशिष्ट के निस्सारण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के आदेश करना, उसमें उपान्तरण करना या उसे वापस लेना।
- राज्य सरकार को किसी ऐसे उद्योग के परिसर अथवा अवस्थान के बारे में सलाह देना जिसके चलाये जाने से वायु प्रदूषण अथवा सरिता या कुएँ का प्रदूषण संभाव्य है।
- सरिता या कुएँ से जल के नमूनों का अथवा मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव के नमूनों का विश्लेषण कराने के लिए प्रयोगशालाएँ स्थापित करना एवं ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएँ या उसे समय—समय पर सौंपे जायें।

1.2 क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख दायित्व

- उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं के प्रदूषण/प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संबंधी निरीक्षण।
- क्षेत्र में स्थित उद्योगों के निस्त्राव एवं उत्सर्जन की (मॉनिटरिंग)।
- क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग, ध्वनि स्तर, वाहन उत्सर्जन मापन कार्य।
- उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्तता बावत् जाँच कार्य।

- प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, तालाबों, नालों आदि की मॉनिटरिंग।
- पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत मॉनिटरिंग।
- लघु श्रेणी के उद्योगों एवं नगर पालिका परिषदों को सम्मति जारी करना, सम्मति का नवीनीकरण करना।
- वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सम्मति/सम्मति नवीनीकरण से संबंधित प्रतिवेदन अनुशंसा सहित मुख्यालय को प्रस्तुत करना। प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कार्यवाही करना।
- पर्यावरणीय नियमों के प्रति जन-जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- जिला प्रशासन के साथ पर्यावरणीय मसलों पर समन्वय।

1.3 विशिष्ट उपलब्धियां—

पर्यावरण निगरानी केन्द्र (इनवायरोमेन्ट सर्वलेंस सेन्टर – ESC)

प्रदूषणकारी उद्योगों की सतत रूप से निगरानी हेतु जनवरी 2016 से पर्यावरण निगरानी केन्द्र स्थापित होकर कार्यरत है, फलस्वरूप प्रदूषण की स्थिति निर्मित होने के पूर्व ही उसे नियंत्रण कराने एवं उद्योगों को प्रदत्त निर्धारित प्रदूषण के मापदण्डों को पालन कराने में सहायता प्राप्त होती है। उद्योगों, संस्थानों आदि में स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के सुचारू संचालन एवं आवश्यकतानुसार सुधार संबंधित कार्य पर भी निगरानी रखी जाती है।




पर्यावरण निगरानी केन्द्र की प्रमुख गतिविधियाँ

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित 17 प्रकार के अति प्रदूषणकारी उद्योगों को चिन्हित कर सभी उद्योगों का सतत निगरानी कार्य जारी है। प्रदूषण की दृष्टि से लाल एवं नारंगी श्रेणी में चिन्हित अपेक्षा से अधिक प्रदूषण भार वाले उद्योग भी सतत निगरानी के दायरे में हैं। इसके अन्तर्गत उद्योगों द्वारा सतत स्त्रोत उत्सर्जन मापन उपकरण (CEMS), सतत दूषित जल गुणवत्ता मापन उपकरण (CEQMS), सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन उपकरण (CAAQMS), आई.पी.पी.जेड कैमरा आदि व्यवस्थाएँ स्थापित की हैं, जिनके माध्यम

से अविरत परिणाम ESC को प्राप्त होते हैं। जिससे उद्योगों की प्रदूषण की स्थिति की निगरानी लगातार संभव हो पाती है।

राज्य में स्थित 17 प्रकार के उद्योगों का वर्गीकरण




कुल उद्योग – 96


उद्योगों के अतिरिक्त कॉमन बायोमेडीकल वेस्ट, नगरीय अपशिष्ट, औद्योगिक खतरनाक अपशिष्ट, औद्योगिक निस्त्राव आदि उपचारित करने वाली फेसिलिटीज से होने वाले प्रदूषण की भी निगरानी इस केन्द्र द्वारा की जाती है।

प्रदेश में वर्तमान में 96 अति प्रदूषणकारी उद्योगों में से 92 उद्योगों द्वारा सतत निगरानी उपकरण स्थापित कर संचालित किए गये हैं। इनके अतिरिक्त 84 अन्य प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा भी सतत निगरानी उपकरण स्थापित किये गये हैं। कुल 255 स्त्रोत मॉनिटरिंग उपकरण, 100 सतत परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग उपकरण, 64 सतत दूषित निस्त्राव मापक उपकरण 148 आई.पी. कैमरे उद्योगों द्वारा स्थापित किये जा चुके हैं।

राज्य में उद्योगों के प्रदूषण की सतत निगरानी हेतु उपकरण व्यवस्था




समस्त उद्योग आधारित स्थिति



17 प्रकार के उद्योग आधारित स्थिति

प्रदेश में बोर्ड के द्वारा दस स्थानों, पीथमपुर, मंडीदीप, सिंगरौली, देवास, उज्जैन, इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, एवं कटनी में परिवेशीय वायु की सतत निगरानी हेतु उपकरण स्थापित किये गए हैं। जिसके माध्यम से परिवेशीय वायु गुणवत्ता परिणाम प्राप्त होते हैं जिसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल से भी जोड़ा गया है जिससे प्रदेश के साथ ही इसे URL के माध्यम से व्यापक रूप से देखा जा सकें। सतत परिवेशीय वायु मापन उपकरणों (CAAQMS) द्वारा निर्धारित प्रदूषकों का मापन कार्य किया जाता है। प्रदेश में सतत वायु प्रदूषण मापन यंत्रों की स्थापना की जानकारी मानचित्र में दर्शित है।



■ बोर्ड द्वारा स्थापित ■ उद्योगों द्वारा स्थापित ■ प्रस्तावित स्थापना

जन जागरूकता हेतु वर्तमान में व्हाट्सएप के माध्यम से परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी प्रदेश के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों, डॉक्टर्स, अशासकीय संस्थानों, मीडिया आदि को प्रतिदिन प्रेषित की जाती है जिससे इसके प्रचार-प्रसार होता रहे एवं आमजन लाभान्वित हो सकें।

ई.एस.सी. शाखा के द्वारा सेन्ट्रल सर्वर सॉफ्टवेअर तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से सभी उद्योगों के डाटा को यूनिफार्म करने के लिए एक ही पद्धति से सेन्ट्रल प्लेटफार्म पर लाने की व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था से सभी उद्योगों के रियल टाइम डाटा ऐनालिसिस के साथ ही एक्सीडेन्स रिपोर्ट, केलिब्रेशन रिपोर्ट और डाटा उपलब्धता व प्रदेश के उद्योगों का रियल टाइम में ऐनालिसिस किया जा सकता है।

सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से बोर्ड के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों, यूनिट हेड, अन्य अधिकारियों और समस्त संबंधित स्टाफ को उनके क्षेत्र के उद्योगों की निगरानी करने के लिये सुविधाजनक स्रोत उपलब्ध है।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों एवं मुख्यालय के शाखा प्रमुख अधिकारियों हेतु एक राज्य स्तरीय कार्यशाला भोपाल में दिनांक 15.11.2019. को आयोजित की गई। कार्यशाला के माध्यम से वर्तमान की नई तकनीकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जानकारी के साथ ही सेन्ट्रल सर्वर सॉफ्टवेयर के बारे में सभी को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।




State level Workshop for MPPCB officials on CSSApplication

उद्योगों में तकनीकी जागरूकता बढ़ाने हेतु दिनांक 11.12.2019 को एक राज्य स्तरीय कार्यशाला “Post Implementation of Real-Time Monitoring Programme in Madhya pradesh” आयोजित की गई। कार्यशाला में संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तकनीकी जानकारी हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा अन्य तकनीकी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था जिससे उद्योग प्रतिनिधियों को अधिक तकनीकी लाभ मिला एवं स्थापित उपकरणों के बेहतर संचालन में उपयोगी सिद्ध हुआ।



Workshop for Industries on Post Implementation of RTM in M.P.

पर्यावरण निगरानी केन्द्र द्वारा आम जनों को पर्यावरण की जानकारी एवं परिवेशीय वायु की गुणवत्ता की जानकारी सतत प्राप्त होती रहे इस हेतु उपलब्ध एप ‘EnvAlert’ को उन्नत किया गया है। इस एप के माध्यम से जनसामान्य विभिन्न स्थानों के साथ उद्योगों में स्थापित CAAQMS के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरण से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत हेतु आम जन इस पर्यावरण एप का उपयोग कर सकता है।



प्रदेश में Air Quality Index का वार्षिक प्रतिशत

आगामी योजनान्तर्गत अन्य शहरों में भी CAAQMS स्थापित किया जाना प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त प्रदेश के बड़े शहरों में सतत ध्वनि प्रदूषण मापक एवं चिन्हित महत्वपूर्ण जल स्त्रोतों की सतत निगरानी हेतु उपकरण लगाने की योजना है। ESC की समस्त गतिविधियाँ वेबसाइट www.erc.mp.gov.in/esc.aspx पर उपलब्ध हैं।

पर्यावरण के प्रति जनचेतना हेतु प्रदेश स्तर पर एल.ई.डी. डिस्प्ले पेनल्स लगाए गए हैं। इन पेनल्स पर आमजनों हेतु शहरों की परिवेशीय वायु की गुणवत्ता की अद्यतन जानकारी लगातार प्रेषित करने के साथ ही जन-जागृती संबंधी जानकारी भी डिस्प्ले कराई जाती है। उक्त कार्य हेतु यूटीलिटी एप्लीकेशन बनाने का कार्य एवं सर्वर का संचालन पर्यावरण निगरानी केन्द्र द्वारा ही पहल कर किया गया है।

Air Quality Index (AQI) at CAAQMS Locations (Year 2019-20)

Sr. No.	CITY » Month	Bhopal	Damoh	Dewas	Gwalior City Center	Gwalior Power Plant	Indore	Jabalpur	Katni	Malhar	Mandsaur	Pithampur	Ratlam	Sagar	Satna	Singrauli	Ujjain	
01	Apr-19 DAP			125 30					56 4	168 30	130 30			107 12	238 27	130 24		
02	May-19 DAP			128 31					74 17	176 31	142 29			111 27	241 24	128 24		
03	Jun-19 DAP			108 21					68 29	136 22	107 30			200 19	183 19	110 26		
04	Jul-19 DAP			68 25					53 21	75 22	49 11			53 8	- -	69 22		
05	Aug-19 DAP			49 18					38 43	48 47	43 51			52 23	53 1	47 19		
06	Sep-19 DAP			47 10					20 11	22 15	11 9			52 13	62 2	54 9		
07	Oct-19 DAP	131 9		101 22					84 10	141 8	204 9	71 20	114 17	105 14				
08	Nov-19 DAP	195 20	149 15	119 29					153 25	213 28	281 23	57 30	222 30	124 28	161 4	96 5	164 29	
09	Dec-19 DAP	201 25	169 17	134 31	370 1				159 26	258 27	281 27	87 26	144 21	172 27	133 21	71 11	144 24	313 15
10	Jan-20 DAP	155 27	107 26	109 29	234 22	211 1	133 29	167 30	202 31	53 31	114 31	134 31	127 31	75 31	155 30	241 28	141 21	
11	Feb-20 DAP	129 26	102 21	105 26	168 25	230 25	128 25	150 26	164 26	63 26	122 26	117 26	128 25	79 25	212 23	206 18	119 26	
12	Mar-20 DAP	106 27	77 26	110 30	92 31	108 31	110 29	93 31	96 31	59 31	72 31	109 31	104 31	58 18	73 28	132 31	101 31	

Good

Satisfactory

Moderate

Poor

Very Poor

DAP = Data Availability Period in Days.

Source : EnvAlert App, ESC, MPPCB.

आपात अनुक्रिया केन्द्र (इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर)

रासायनिक दुर्घटनाओं एवं परिस्थितियों में उद्योगों, शासकीय संस्थाओं एवं अन्य एजेंसियों को तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर की स्थापना भारत शासन द्वारा इक्विटी पार्टीसिपेशन के आधार पर की गई है, इसका संचालन प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 1994 से किया जा रहा है। इस केन्द्र को मध्यप्रदेश शासन ने रसायनों से संबंधित जानकारी एवं रासायनिक आपदाओं के समय मार्गदर्शन देने हेतु नोडल एजेन्सी घोषित किया है। इस केन्द्र द्वारा राज्य आपदा समूह के साथ समन्वय किया जाता है। इस केन्द्र द्वारा शासकीय, अर्द्ध-शासकीय संस्थाओं के अतिरिक्त औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सामान्य नागरिक जनों को भी तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है। वर्तमान में कुल 376 उद्योगों द्वारा सदस्यता प्राप्त की है।

पर्यावरण पुरस्कार

प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योगों व संस्थानों को पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

वर्ष 2017–18 का पर्यावरण पुरस्कार समान समारोह दिनांक 24 सितम्बर, 2019 को मिंटोहॉल, पुरानी विधानसभा, भोपाल में आयोजित किया गया था जिसमें तात्कालीन पर्यावरण मंत्री जी द्वारा निम्न उद्योगों/संस्थानों को पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किये गये—

श्रेणी	पुरस्कृत उद्योग / संस्थाये
अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग	मेसर्स ट्राइडेंट ग्रुप, बुधनी जिला रायसेन (म.प्र.)
सामान्य उद्योग	मेसर्स रेडिसन ब्लू होटल, इंदौर (म.प्र.)
लघु उद्योग	मेसर्स मूद़डा स्टील री-रोलिंग मिल, इंदौर (म.प्र.)
उत्खनन्त खदानें	मेसर्स फॉरचून लाइम स्टोन माइन, छतरपुर (म.प्र.)
नगर पालिक निगम	नगर पालिक निगम, जबलपुर (म.प्र.)
नगर पालिका परिषद्	नगर पालिका परिषद्, नागदा (म.प्र.)





24 सितम्बर 2019 को उद्योगों व संस्थानों को पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पर्यावरण पुरस्कार सम्मान समारोह के इस अवसर पर प्रमुख सचिव (पर्यावरण), राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रदेश में कार्यरत औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधि एवं जन-सामान्य नागरिक इत्यादि उपस्थित रहे।

नर्मदा नदी प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये गये प्रयास—

नर्मदा नदी को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त रखने हेतु बोर्ड द्वारा सार्थक कार्यवाही की गई है। नर्मदा नदी के कैचमेंट में स्थापित 11 मुख्य जल प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा सक्षम दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है तथा इनमें सभी उद्योगों में 'शून्य निस्त्राव' की स्थिति है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत होशंगाबाद में कार्यरत मेसर्स सिक्यूरिटी पेपर मिल, जिसका पूर्व में 16 हजार कि.ली./उपचरित जल नर्मदा नदी में निस्सारित होता था, उसकी मात्रा लगभग 2500 कि.ली./दिन हो गई है तथा इस उपचारित निस्त्राव को रिसायकिलंग/वृक्षारोपण में उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी की सहायक नदी गौर व परियट के किनारे स्थापित डेयरी उद्योगों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की गई है।

अमरकंटक से अलीराजपुर के बीच नर्मदा नदी जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग 50 बिन्दुओं पर की जाकर निगरानी रखी जा रही है। वर्ष 2020 में कराई गयी जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग के परिणामों के अनुसार नदी जल गुणवत्ता भारतीय मानक—2296 के अनुसार 'ए' तथा 'बी' श्रेणी में है। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी का जलगुणवत्ता मापन हेतु ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम कार्यरत है एवं नदी जल गुणवत्ता को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

नर्मदा नदी के कैचमेंट क्षेत्र में आने वाले शहरों में 286 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन किया गया तथा ए.क्यू.आई. को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। इन शहरों में 3969 ध्वनि प्रदूषण तथा 3734 वाहनों का प्रदूषण मापन का कार्य किया गया है।

मूर्ति विसर्जन के लिये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों का पालन हेतु नगरीय निकायों के माध्यम से नर्मदा नदी के तटों पर पृथक मूर्ति विसर्जन कुण्डों की स्थापना कराई गई।

जन—जागरूकता कार्यक्रम—

बोर्ड के 6 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से अमरकंटक, डिण्डोरी, मण्डला, जबलपुर, बरमानघाट, होशंगाबाद, नेमावर, औंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, धरमपुरी, अलीराजपुर,आदि प्रमुख स्थानों एवं स्नान घाटों पर जन—जागरूकता अभियान के अंतर्गत 174060 नग पेम्पलेट तथा 5040 नग जूट बैग का वितरण, 45 स्थानों पर वॉलपेटिंग का कार्य किया गया। रैली, नुक़ड़ नाटक, पम्पलेट वितरण, घाटों की सफाई,सेमीनार, वर्कशॉप, परिचर्चा का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। मार्च 2020 तक बोर्ड द्वारा प्रदूषण के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से कुल 91 कार्यक्रम आयोजित किये गये,जिसमें संगोष्ठियां व रैलियां शामिल है। इसमें स्थानीय नागरिकों, सामाजिक—धार्मिक संस्थाओं, शासकीय—अशासकीय संस्थाओं, व्यवसायी वर्ग आदि सभी को इस नर्मदा नदी प्रदूषण शमन अभियान से जोड़ा गया।



प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, नगरीय निकाय के अधिकारियों, औद्योगिक संस्थानों, साधु संतो तथा आम जनता के साथ बैठकें आयोजित कर जन—जागरूकता कार्यक्रम व्यापक स्तर पर कराया गया।

जल प्रदूषण नियंत्रण—

- प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों/सहायक नदियों, तालाबों एवं भू—जल स्त्रोतों से 6965 नमूने एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया गया, ताकि नदियों की गुणवत्ता पर निगरानी रखते हुए भविष्य में प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएँ तैयार की जा सकें।
- प्रदेश में 22 प्रदूषित नदी क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्ययोजना तैयार की गई हैं जो मार्च, 2021 तक क्रियान्वित की जाना है।
- नर्मदा नदी की जल गुणवत्ता का मापन तथा प्रदूषण के स्त्रोतों पर निगरानी हेतु पूर्व में निर्धारित 31 मापन बिन्दुओं को बढ़ाकर 50 किया गया है।
- जन—सामान्य के अवलोकन हेतु जल गुणवत्ता की जानकारी बोर्ड की वेब—साइट पर प्रदर्शित की जा रही है।
- प्राकृतिक जल स्त्रोत गुणवत्ता सूचकांक प्रति माह वेब साइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है, ताकि जन—सामान्य प्राकृतिक जल स्त्रोतों की गुणवत्ता से भिज्ञ हो सके।
- विभाग की तकनीकी एवं वैज्ञानिकी क्षमता के सुदृढ़ीकरण हेतु आधुनिक तकनीकी के विषय ज्ञान एवं इसके माध्यम से प्रभावी कार्य संपादन हेतु तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

- औद्योगिक प्रदूषण की सतत निगरानी, प्रभावी नियंत्रण तथा जन-सामान्य को जानकारी उपलब्ध हो, इसलिये बोर्ड की वेब-साईट पर जानकारी प्रदर्शित की जा रही है।
- विभाग के अंतर्गत कार्यरत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला की गुणवत्ता में उन्नयन तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण हेतु (एन.ए.बी.एल.) (डी.एस.टी., भारत सरकार) से आई.एस.ओ./आई.ई.सी.17025:2017 (अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली) के अंतर्गत जल और दूषित जल एवं परिवेशीय वायु पैरामीटर्स के लिए ऐक्रिडिटेशन का नवीनीकरण एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आंकलन श्रृंखला 18001:2007 के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराया गया।
- विभाग के अंतर्गत कार्यरत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला, भोपाल में माईक्रो-बॉयोलाजी लैब की स्थापना कराई गई।
- प्रदेश के अत्यधिक प्रदूषणकारी श्रेणी के समस्त उद्योगों में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर से बाहर शून्य निस्त्राव की स्थिति सुनिश्चित की गई है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण—

- वायु प्रदूषणकारी ठोस ईधन उपयोग करने वाले उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर की स्थापना कराई गई। स्टील मेल्टिंग शॉप में इंडक्शन फर्नेस से होने वाले वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उद्योगों में सेकेण्ड्री फ्यूम एक्सटेक्शन सिस्टम की स्थापना कराई गई।
- प्रदेश में सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन हेतु बोर्ड द्वारा 05 शहरों कमशः ग्वालियर, भोपाल, कटनी, जबलपुर एवं इन्दौर में उपकरण स्थापित कराये गये, इसके अतिरिक्त उद्योगों से सीएसआर के तहत दमोह, सतना, मैहर, सागर, इन्दौर, अनूपपुर एवं रतलाम में स्थापित कराए गये।
- जन-सामान्य को परिवेशीय वायु गुणवत्ता की ए.क्यू.आई. उपलब्ध कराने हेतु मोबाईल ऐप “एनवार्नमेंट अलर्ट” लांच किया गया है, इसमें नागरिक आसपास के प्रदूषण की समस्या फोटो सहित भी दर्ज करा सकते हैं।
- औद्योगिक प्रदूषण की सतत निगरानी हेतु पर्यावरण निगरानी केन्द्र में सेन्ट्रल सर्वर एप्लीकेशन (सी.एस.ए.) प्रारंभ की गई है, जिससे बोर्ड की वेब-साईट पर प्रदेश के अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की जानकारी जन-सामान्य को उपलब्ध रहे। परिवेशीय वायु गुणवत्ता की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख शहरों में डिस्प्ले बोर्ड की स्थापना भी कराई गई हैं।
- बोर्ड द्वारा 17601 वाहनों का उत्सर्जन मापन कर आंकड़े क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये, ताकि परिवहन विभाग वाहनों की फिटनेस पर निगरानी रख सके।
- शहरों के विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु, ध्वनि मापन के 16193 नमूने एकत्रित कर परिणाम संबंधित जिला अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन—

- ताप विद्युत गृहों से उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश की समस्या के निराकरण एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु पर्यावरण विभाग, म.प्र.शासन एवं म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मेसर्स विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत गृह परिसर, विन्ध्य नगर, सिंगरौली के ऑडिटोरियम में दिनांक 14/09/2019 को “फ्लाई ऐश का पर्यावरणीय प्रबंधन: उपयोग एवं भावी संभावनाएँ” विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कराया गया। इसके साथ ही ग्रीनएश फाउण्डेशन द्वारा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सी.एस.आई.आर., एम्प्री

से सहभागिता कर दिनांक 13/02/2020 से 15/02/2020 तक भोपाल में “ग्रीन एशकान व ग्रीन बिल्डकान 2020” विषयक तीन दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

- उद्योगों से उत्पन्न होने वाले हजार्ड्स वेस्ट डिस्पोजल की जी.पी.एस. आधारित ट्रैकिंग हेतु सॉफ्टवेयर तैयार कर लागू किया गया है।
- प्रदेश के रतलाम औद्योगिक क्षेत्र में चिन्हित 04 अवैधानिक डम्प साईट्स में से 01 साईट का लगभग 789 टन अपशिष्ट का सुरक्षित डिस्पोजल पीथमपुर स्थित कॉमन फेसिलिटी में कराया गया।
- हजार्ड्स वेस्ट के प्रभावी प्रबंधन हेतु प्रदेश का इंटीग्रेटेड एक्शन प्लॉन तैयार किया गया है।
- प्रदेश का 40,022 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा को—प्रोसेसिंग हेतु सीमेंट उद्योगों को भेजा गया।
- प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु नगरीय निकायों के समन्वय से 1302 जन—जागृति कार्यक्रम, 15540 औचक निरीक्षण/छापामार/कैरीबैग जप्ति की कार्यवाही करते हुए 72.12 मीट्रिक टन कैरी बैग जप्त किये गये तथा रु 52.36 लाख का जुर्माना किया गया।
- सिंगल यूज प्लास्टिक को वर्ष 2022 तक फेस आउट करने के परिप्रेक्ष्य में म.प्र.शासन द्वारा सभी शासकीय कार्यालयों में आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान दिनांक 04 जून 2019 से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने एवं इसके विकल्पों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्ययोजना लागू की गई है।
- प्लास्टिक अपशिष्ट रजिस्ट्रेशन तथा ई—वेस्ट प्राधिकार के आवेदन पत्रों के निराकरण हेतु ऑनलाईन व्यवस्था प्रारंभ की गई।

● ● ●

2. राज्य बोर्ड का गठन

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-4 (2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार किया जाता है। संचालक मंडल में 17 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है।

आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर 17 सदस्यीय संचालक मंडल में अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा मनोनीत राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य, स्थानीय निकायों के पांच प्रतिनिधि, कृषि, मछली पालन एवं उद्योग की श्रेणी से तीन अशासकीय सदस्य तथा राज्य शासन के स्वामित्व/नियंत्रण द्वारा संचालित किये जाने वाले निगमों या कम्पनियों के दो प्रतिनिधि शामिल किये जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों की सूची **परिशिष्ट-1** में तथा संगठनात्मक संरचना एवं कार्यालयों का विवरण **परिशिष्ट-2** में प्रस्तुत है।

3. बोर्ड की बैठकें

क्रमांक	बैठक की संख्या	तिथि	स्थान	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1	150 वीं	25 / 5 / 2019	भोपाल	08
2	151 वीं	22 / 7 / 2019	भोपाल	06
3	152 वीं	01 / 11 / 2019	भोपाल	09
4	153 वीं	04 / 01 / 2020	भोपाल	09
5.	154 वीं	09 / 03 / 2020	भोपाल	09

बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षिप्त विवरण :-

- मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल से क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कटनी के कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव अनुमोदन किया गया।
- मा. एनजीटी द्वारा पारित आदेश अनुसार पॉल्यूटर पे योजना अन्तर्गत पर्यावरण लेवी निर्धारण एवं प्राप्त राशि के उपयोग की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- खतरनाक अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुसार स्वयं के संरक्षण से उत्पन्न खतरनाक अपशिष्टों के परिवहन हेतु प्राधिकार शुल्क के निर्धारण प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
- मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कराये जाने वाले सिविल निर्माण कार्य प्रांकलनों की तकनीकी स्वीकृति के अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
- पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आजीवन उत्कृष्ट कार्य करने वाले संगठनों को “लाईफ टाईम अचीवमेन्ट अवार्ड” प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- पुराने वाहन कण्डम करने एवं नये वाहन क्य की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- बोर्ड के सेवा भर्ती विनियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम निर्देशन हेतु नियम बनाये जाने की सहमति प्रदान की गई।
- बोर्ड के सेवा भर्ती विनियम 1996 में संशोधन प्रस्ताव की सहमति दी गई।
- मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल से क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छिन्दवाड़ा कार्यालय भवन निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश अनुसार बोर्ड में विभिन्न पदों पर भर्ती संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2020–2021 के बजट अनुमान पर स्वीकृति प्रदान की गई।

• • •

4. जल एवं वायु गुणवत्ता के लिए प्रबोधन तंत्र

4.1 जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम—


नदियां प्रदेश में सतही जल का प्रमुख स्रोत हैं तथा प्रदेश सिंचाई, पीने के पानी एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए नदियों के जल पर निर्भर है। भूमि के अतिरिक्त जल का निकास, घरेलू एवं औद्योगिक दूषित जल का प्राकृतिक प्रवाह नदियों की ओर होने के कारण जल प्रदूषण की संभावना होती है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्य उददेश्य प्रदेश की जल गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखना एवं उसकी गुणवत्ता को बनाये रखना है।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा प्रदेश की प्रमुख नदियों, झीलों/तालाबों एवं भू-जल की मॉनिटरिंग का कार्य मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभिन्न प्रयोगशालाओं के माध्यम से सम्पन्न कराया जाता है। पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में सतत अनुसंधान हेतु बोर्ड मुख्यालय, भोपाल में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित राज्य स्तरीय केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय प्रयोगशालायें कार्यरत हैं। जल स्रोतों की निगरानी हेतु बोर्ड द्वारा वार्षिक मॉनिटरिंग पैकेज तैयार कर क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मॉनिटरिंग व विश्लेषण कार्य सम्पन्न कराया जाता है।

मध्यप्रदेश में प्रमुख रूप से निम्नलिखित पाँच रिवर बेसिन आते हैं—

क्रमांक	बेसिन का नाम	प्रमुख नदियों के नाम
1	गंगा बेसिन	टोन्स, सोन, चम्बल, सिन्ध, जामुनी, बेतवा, धसान तथा केन
2	नर्मदा बेसिन	नर्मदा, बंजर, तवा, कोलार, हिरन, सुखता तथा गोई
3	गोदावरी बेसिन	कन्हान, पेंच तथा बेनगंगा नदी
4	ताप्ती बेसिन	ताप्ती नदी
5	माही बेसिन	माही एवं अनास नदी

प्रदेश की प्रमुख नदियों के प्रवाह क्षेत्र (रिवर बेसिन) तथा नदियों को नक्शा क्रमांक -1 में दर्शाया गया है।



4.2 प्राकृतिक जल स्त्रोतों की निगरानी –

प्राकृतिक जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता जांच हेतु प्रदेश की प्रमुख नदियों, उसकी सहायक नदियों, झीलों, बॉधों, तालाबों, नालों एवं भू-जल स्त्रोतों से जल नमूने एकत्रित कर नमूने विश्लेषित किये जाते हैं।

वर्ष 2019–20 में जल गुणवत्ता मापन के अंतर्गत 88 प्रमुख नदियों/सहायक नदियों, 98 झीलों/बॉधों/तालाबों, 124 नालों एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट स्थल के भू-जल स्त्रोतों को मिलाकर कुल 494 स्थल के भू-जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग को कार्यक्रम में सम्मिलित किया है।



बोर्ड द्वारा जल गुणवत्ता सूचकांक (Water Quality Index)

को बोर्ड की वेबसाइट (www.mppcb.nic.in) पर जन सामान्य हेतु प्रदर्शित किया जाता है तथा इसे प्रतिमाह अपडेट किया जाता है।

केन्द्र प्रवर्तित योजनायें –


केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत प्राकृतिक जल स्त्रोतों के जल गुणवत्ता आंकलन हेतु योजनायें प्रायोजित की जाती हैं। यह परियोजना जल निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने, जल गुणवत्ता संबंधित आंकड़ों की विश्वसनीयता, विस्तार तथा प्रदूषणकारी पदार्थों का जल गुणवत्ता पर प्रभाव के अध्ययन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से राज्य में वर्ष 1976 से निरन्तर जारी है। परियोजना का विवरण निम्नानुसार है—

4.3 विश्व पर्यावरणीय प्रबोधन पद्धति (जेम्स)–


विश्व पर्यावरण प्रबोधन पद्धति परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 सेम्पलिंग स्थलों से वर्ष 2019–20 में कुल 50 नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया। परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऑन लाइन प्रेषित किये गये।

4.4 भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन पद्धति (मीनार्स)–

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर निगरानी रखने के उद्देश्य से मीनार्स परियोजना प्रारम्भ की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय प्रबोधन पद्धति परियोजना के अंतर्गत राज्य के 237 सेम्पलिंग बिन्दुओं से जल नमूने एकत्रित कर वर्ष 2019–2020 के दौरान कुल 2168 नमूने विश्लेषित किये गये। परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऑन लाइन प्रेषित किये गये, साथ ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सॉफ्टवेयर/केलकूलेटर का उपयोग करते हुए, यह सुनिश्चित किया जाता है, कि जल गुणवत्ता संतोषजनक है अथवा असंतोषजनक। सामान्य जनता को जल गुणवत्ता से अवगत कराने हेतु प्रतिमाह जल गुणवत्ता सूचकांक (WQI) की जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है तथा डाटा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं।



केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयवार प्राकृतिक जल स्रोतों के 242 सम्पर्लिंग बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार है :—



वर्ष 2019– 20 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सह-प्रायोजित कार्यक्रम के कुल 242 स्थलों की जिलावार सूची

जिला	क्र.	कोड क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल
भोपाल	1.	1373	बड़ा तालाब, जल प्रदाय केन्द्र, कमला पार्क, भोपाल
	2.	2137	बड़ा तालाब, जल प्रदाय केन्द्र, याट कलब, भोपाल
	3.	2138	बड़ा तालाब, जल प्रदाय केन्द्र, करबला, भोपाल
	4.	2139	बड़ा तालाब, जल प्रदाय केन्द्र, बैरागढ़, भोपाल
	5.	1374	छोटा तालाब, कालीघाट, स्पिल आउटलेट, भोपाल
	6.	2136	शाहपुरा लेक, स्पिल आउटलेट के पास, भोपाल
	7.	2140	केरवा डेम, जल प्रदाय केन्द्र, भोपाल
	8.	2153	नलकूप इब्राहिम गंज, बस स्टेण्ड के पास, भोपाल
	9.	1616	नल-कूप गोविन्दपुरा क्षेत्र, भोपाल
	10.	3333	नल-कूप बांसखेड़ी, पर्यावरण परिसर के पास, भोपाल
	11.	4625	नल-कूप जिला अस्पताल, भोपाल
विदिशा	12.	1614	बेतवा नदी, जल प्रदाय केन्द्र के पास, विदिशा
	13.	2124	बेतवा नदी, चरणतीर्थ घाट, विदिशा
	14.	2125	बेतवा नदी, डाउन स्ट्रीम बेस नदी मिलने के बाद, विदिशा
	15.	4628	हेण्ड पम्प डिस्ट्रिक हॉस्पिटल, विदिशा

रायसेन	16.	2119	बेतवा नदी, नयापुरा डाउन स्ट्रीम, औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप
	17.	2120	कलियासोत नदी, मण्डीदीप रोड ब्रिज के पास, मण्डीदीप
	18.	2121	बेतवा नदी, रोड ब्रिज के पास, भोजपुर
	19.	2122	बेतवा नदी, जल प्रदाय केन्द्र के पास, रायसेन
	20.	1617	नल-कूप औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप
	21.	4629	नल-कूप डिस्ट्रिक हॉस्पिटल रायसेन
होशंगाबाद	22.	4627	नल-कूप डिस्ट्रिक हॉस्पिटल होशंगाबाद
	23.	4587	नर्मदा नदी, रोड ब्रिज के पास सांडिया
	24.	44	नर्मदा नदी, 50 मी. डाउन स्ट्रीम, सेठानीघाट, होशंगाबाद
	25.	1235	नर्मदा नदी, 100 मी. डाउन स्ट्रीम एस.पी.एम. नाला मिलने के बाद, होशंगाबाद
	26.	1234	नर्मदा नदी, अप स्ट्रीम शाहगंज गेस्ट हाउस के पास
	27.	2123	नर्मदा नदी, कोरी घाट, होशंगाबाद
बैतूल	28.	1466	ताप्ती नदी, अमरावती रोड, ग्राम-खेड़ी
	29.	2127	देनवा नदी, सारणी रोड ब्रिज, सारणी
	30.	3334	नल कूल बस स्टेण्ड के पास, बैतूल
	31.	4630	नल कूल डिस्ट्रिक हॉस्पिटल बैतूल
सीहोर	32.	2141	जमुनिया तालाब, जल प्रदाय केन्द्र, सीहोर
	33.	1613	कोलार डेम, वॉटर सप्लाई इनटेक वेल, सीहोर
	34.	4588	नर्मदा नदी, एट अपस्ट्रीम ऑफ जैत विलेज
	35.	4589	नर्मदा नदी, एट डाउन स्ट्रीम ऑफ जैत विलेज
	36.	4590	नर्मदा नदी, तबा नदी मिलने से पहले, बांद्राभान
	37.	4591	नर्मदा नदी तबा नदी मिलने के बाद, रामनगर
	38.	4592	नर्मदा नदी, बुदनीघाट, बुदनी
	39.	4593	नर्मदा नदी, एट डाउन स्ट्रीम ऑफ टेक्सटार्टल यूनिट विलेज, होलीपुर
	40.	4626	हेण्ड पम्प डिस्ट्रिक हॉस्पिटल, सीहोर
	41.	2132	बिलावली तालाब, इंदौर
इंदौर	42.	2133	सिरपुर तालाब, इंदौर
	43.	2131	यशवंत सागर, इंदौर
	44.	3302	पिपलिया पाला तालाब, इंदौर
	45.	1367	खान नदी, कवीटखेड़ी, इंदौर
	46.	2110	खान नदी, शककर खेड़ी, इंदौर
	47.	2111	खान नदी, सनवर इंदौर
	48.	3296	चौरल नदी, चौरल डेम, इंदौर
	49.	3308	चम्बल नदी, जनापावा उद्गम स्थल, इंदौर
	50.	2150	ट्रेविंग ग्राउण्ड देव गुराड़िया रोड, इंदौर

	51.	2151	ट्रेचिंग ग्राउण्ड मे. ऋषभ मसाला उद्योग परिसर के पास
	52.	2152	ट्रेचिंग ग्राउण्ड मे. लखानी फुटवेयर परिसर
	53.	3340	नलकूप ट्रेचिंग ग्राउण्ड के पास, रिंग रोड
	54.	3339	नलकूप मांगलिया औद्योगिक क्षेत्र के पास
बड़वानी	55.	1239	नर्मदा नदी, बड़वानी
	56.	4502	नर्मदा नदी, सीमलदा अप स्ट्रीम ऑफ बड़वानी
	57.	4603	नर्मदा नदी, कोटेश्वर
बुरहानपुर	58.	9	ताप्ती नदी, नेपानगर नवाथा पम्पिंग स्टेशन
	59.	2115	ताप्ती नदी, नेपानगर, 100 मी. डाउन स्ट्रीम
	60.	10	ताप्ती नदी, पीपलघाट, बुरहानपुर
	61.	1250	ताप्ती नदी, हथनूर
	62.	1897	नलकूप जैनावाद ताप्ती नदी के पास, पम्पिंग स्टेशन,
खण्डवा	63.	1236	छोटा तबा नदी, हरमूद
	64.	2134	नागचून तालाब, खण्डवा
	65.	1430	नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर, खण्डवा
	66.	2113	नर्मदा नदी, पुनासा डेम के पास
	67.	4596	नर्मदा नदी, हनुमंततिया, खण्डवा
	68.	4597	नर्मदा नदी, अप स्ट्रीम ओंकारेश्वर डेम, खण्डवा
खरगोन	69.	45	नर्मदा नदी, मण्डलेश्वर
	70.	1431	नर्मदा नदी, महेश्वर
	71.	2112	नर्मदा नदी, मोरटक्का ब्रिज, बड़वाह
	72.	2114	कुन्दा नदी, खरगोन
	73.	52	हमीद खान ट्यूबवेल, अमरावती रोड, बुरहानपुर
	74.	4619	डेजला डेवाडा, खरगोन
	75.	4598	नर्मदा नदी एट धारेश्वर
	76.	4599	नर्मदा नदी, नियर वॉटर सप्लाई, इनटेक जालौद
धार	77.	4600	नर्मदा नदी, एट सहस्रधारा (जलकोठी)
	78.	1233	माही नदी, बदनावर
	79.	3849	सीतापट तालाब, धार
	80.	3848	अनस नदी, रोड ब्रिज के पास
	81.	3847	नर्मदा नदी धरमपुरी
	82.	3850	बागदून तालाब, पीथमपुर
	83.	3341	नलकूप सेक्टर 3, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर
	84.	3342	नलकूप सेक्टर 2, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर
	85.	4601	नर्मदा नदी, एट खलघाट

अलीराजपुर	86.	4605	नर्मदा नदी, ककराना, इन्टरस्टेट बाउन्ड्री, अलीराजपुर
	87.	4621	ननपुर फैटा डेम, अलीराजपुर
झाबुआ	88.	4620	अजब बोराली डेम पेटलावाद, झाबुआ
उज्जैन	89.	1365	चम्बल नदी, अपस्ट्रीम, नागदा
	90.	1366	चम्बल नदी 1 कि.मी. डाउन स्ट्रीम, नागदा
	91.	1418	चम्बल नदी, गांधीसागर
	92.	3309	चम्बल नदी, ताल
	93.	3310	चम्बल नदी, बड़नगर
	94.	1369	क्षिप्रा नदी, रामधाट, उज्जैन
	95.	1370	क्षिप्रा नदी, 1 कि.मी. डाउन स्ट्रीम, त्रिवेणी संगम, उज्जैन
	96.	1468	क्षिप्रा नदी, सिद्धवट, उज्जैन
	97.	3315	क्षिप्रा नदी, गौधाट, उज्जैन
	98.	3316	क्षिप्रा नदी, महिदपुर, उज्जैन
	99.	2106	नर्मदा नदी, नेमावर
	100.	3298	पौण्ड वॉटर लखौड़ा, उज्जैन
	101.	2104	मलेनी नदी, जावरा
	102.	3318	माही नदी, रानीसिंग
	103.	2145	नलकूप, ग्राम मेंहता वास
	104.	2146	नलकूप भगतपुरी, नागदा
	105.	4611	गंभीर नदी, डेम के पास, उज्जैन
मंदसौर	106.	2102	शिवना नदी, रामधाट, मंदसौर
	107.	4610	चम्बल नदी, 100 मी. डाउन स्ट्रीम ऑफ गांधी नगर डेम, मंदसौर
शाजापुर	108.	2105	चिलार नदी, शाजापुर
	109.	3319	नेवज नदी, शुजालपुर
रतलाम	110.	2103	जमर नदी, धौलावाद, रतलाम
	111.	2148	नलकूप दोसीगांव, रतलाम
	112.	4608	माही नदी, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस राजापुर माताजी शिवगढ़, रतलाम
नीमच	113.	4612	सीताराम जाजू सागर डेम / पौण्ड वॉटर एट हरखिया खाल, नीमच
देवास	114.	3297	मीठा तालाब, देवास
	115.	3317	क्षिप्रा नदी, जल प्रदाय केन्द्र, देवास
	116.	2147	नलकूप परताल नगर, देवास
	117.	3332	नलकूप औद्योगिक क्षेत्र, देवास
	118.	4594	नर्मदा नदी, विफोर कान्फलूएन्स ऑफ रिवर जामनेर विलेज, नेमावर
	119.	4595	नर्मदा नदी, 500 मी. डाउन स्ट्रीम नियर जैन मंदिर विलेज, नेमावर
	120.	2149	नलकूप कलवर्ट के पास, ए.बी. रोड, मक्सी

ग्वालियर	121.	3338	हैण्ड पम्प, जीनावली रायरु, ग्वालियर
	122.	1608	सिन्ध नदी, नियर रोड ब्रिज, डबरा, ग्वालियर
भिण्ड	123.	1607	गोहद डेम बेसली नदी, गोहद के पीछे
	124.	1609	चम्बल नदी, धौलपुर रोड ब्रिज के पास, मुरैना
	125.	1619	भू—जल, पश्चिम इण्डस्ट्रियल एरिया, मालनपुर
	126.	1618	भू—जल, पूर्व इण्डस्ट्रियल एरिया, मालनपुर,
	127.	4607	चम्बल नदी, इटावा रोड ब्रिज, भिण्ड
मुरैना	128.	1433	संख नदी, तिघरा रिजवायर नरोजाबाद रोड ब्रिज, मुरैना
गुना	129.	1432	पार्वती नदी, ग्राम—धरनावदा के पास
	130.	2109	पार्वती नदी, नीमखेड़ी, गुना
	131.	3306	चौपन नदी, अपस्ट्रीम, एन.एफ.एल. नाला में मिलने से पहले, विजयपुर
	132.	3307	चौपन नदी, 100 मी. डाउन स्ट्रीम एन.एफ.एल. नाला मिलने के बाद, विजयपुर
राजगढ़	133.	1615	पार्वती नदी, इनटेक वेल प्वाइंट के पास, पीलूखेड़ी
	134.	2126	पार्वती नदी 100 मी. डाउन स्ट्रीम विन्ध्याचल नाला मिलने के बाद, पीलूखेड़ी
	135.	2142	कालीसिन्ध नदी, सारंगपुर
	136.	2154	नल कूप प्राथमिक स्कूल के पास, पीलूखेड़ी
	137.	3320	नेवज नदी, अप स्ट्रीम जल प्रदाय केन्द्र के पास, राजगढ़
शिवपुरी	138.	2130	माधव लेक, शिवपुरी
जबलपुर	139.	2099	नर्मदा नदी, लालपुर, जबलपुर
	140.	3323	नर्मदा नदी, तिलवाराधाट, जबलपुर
	141.	3324	नर्मदा नदी, पंचवटी घाट, बावनगंगा नदी में मिलने से पूर्व, जबलपुर
	142.	3325	नर्मदा नदी, सरस्वती घाट, बावन गंगा नदी में मिलने बाद, जबलपुर
	143.	2100	गौर नदी, भोगद्वार, वॉटर सप्लाई इनटेक, जबलपुर
	144.	2128	खण्डारी रिजर्व वायर के पास जल प्रदाय केन्द्र, जबलपुर
	145.	2129	परियट टैक, जल प्रदाय केन्द्र के पास, जबलपुर
	146.	3828	हिरन नदी, एन.एच.-7 रोड ब्रिज सिहोरा के पास, जबलपुर
	147.	3300	रानी तालाब, जबलपुर
	148.	3830	गोकलपुर तालाब, जबलपुर
	149.	3299	हनुमानताल, जबलपुर
	150.	2143	नलकूप कथौड़ा, जबलपुर
	151.	3335	नल कूप औद्योगिक क्षेत्र, रिछाई, जबलपुर
	152.	3827	भू—जल ग्राम— इमलिया, जबलपुर
	153.	2144	नलकूप मंडी— ग्राम, जबलपुर
	154.	4581	नर्मदा नदी, नियर रोड ब्रिज(डाउन स्ट्रीम बरगी डेम) जबलपुर

	155.	4582	नर्मदा नदी, जमतरा, नियर रेल्वे ब्रिज
	156.	4613	हिरन नदी, परियट नदी मिलने के बाद रोड ब्रिज
	157.	4614	सप्तल, जबलपुर
	158.	4615	गंगा सागर, जबलपुर
सिवनी	159.	3330	बैनगंगा नदी, जल प्रदाय केन्द्र के पास, सिवनी छपारा
	160.	3331	बैनगंगा नदी, मोती एवं चमरिया नाला मिलने के बाद, छपारा रोड ब्रिज के पास, सिवनी
	161.	3831	डल सागर, तालाब सिवनी
	162.	3337	नलकूप औद्योगिक क्षेत्र, वारापत्थर सिवनी
	163.	3826	भू—जल बस स्टेप्ड के पास, सिवनी
बालाघाट	164.	1213	बैनगंगा नदी, 100 मी. डाउन स्ट्रीम, जगपुरघाट, बालाघाट
	165.	3301	मोती तालाब, बालाघाट
	166.	3305	बंजर नदी जल प्रदाय केन्द्र, मलांजखण्ड, बालाघाट
	167.	3823	भू—जल बस स्टेप्ड के पास, बालाघाट
	168.	3824	भू—जल ग्राम— भीमजोरी, मलांजखण्ड, बालाघाट
	169.	4616	बंजर रिवर नियर रोड ब्रिज, ग्राम— खरराधर, मलांजखण्ड जिला—बालाघाट
	170.	4617	वेनगंगा रिवर नियर रोड ग्राम—बुदना, मलांजखण्ड जिला— बालाघाट
नरसिंहपुर	171.	1240	नर्मदा नदी, बरमानघाट, नरसिंहपुर
	172.	3829	हिरन नदी, एन.एच.—12 रोड ब्रिज, ग्राम—बिकमपुर, जिला— नरसिंहपुर
	173.	3822	भू—जल बस स्टेप्ड के पास, नरसिंहपुर
	174.	4583	नर्मदा नियर रोड ब्रिज, झांसीघाट
	175.	4584	नर्मदा एन.एच. 44 नियर रोड ब्रिज एट बरमान
	176.	4585	बरमानघाट 100 मी. डाउन स्ट्रीम ऑफ मेनघाट
	177.	4586	नर्मदा नदी, एस.नं. 44 नियर रोड ब्रिज नियर झिकोली, नरसिंहपुर
मण्डला	178.	3322	नर्मदा नदी, शमशानघाट के पास, मण्डला
	179.	1241	नर्मदा नदी, रोड ब्रिज के पास, मण्डला
	180.	3825	भू—जल बस स्टेप्ड के पास, मण्डला
	181.	4580	नर्मदा नदी, नियर भैरव मंदिर एट सहस्रधारा, मण्डला
	182.	4618	ग्राउण्ड वॉटर एट इण्डस्ट्रियल एरिया, मनेरी, जिला— मण्डला
छिंदवाड़ा	183.	1214	पेंच नदी, सिगौरी रोड ब्रिज के पास, छिंदवाड़ा
	184.	3312	कन्हान नदी, बोरगाव में मिलने के बाद, छिंदवाड़ा
	185.	3336	नलकूप औद्योगिक क्षेत्र, छिंदवाड़ा
	186.	3845	कन्हर गांव स्टाप डेम, जल प्रदाय केन्द्र, छिंदवाड़ा
सतना	187.	1372	मंदाकिनी नदी, रामघाट चित्रकूट, सतना
	188.	1144	टोन्स नदी, माधवगढ़, बरगीघाट
	189.	3328	टोन्स नदी, माधवगढ़, पी.एच.ई.डी. जल प्रदाय केन्द्र के पास, सतना

कटनी	190.	2101	कटनी नदी, नगर निगम, जल प्रदाय केन्द्र के पास, कटनी
	191.	3326	सिमरार नदी, ए.सी.सी. जल प्रदाय केन्द्र के पास, कटनी
	192.	4623	महानदी नदी, नियर रोड ब्रिज, बरही रोड, कटनी
	193.	4624	कटनी नदी, डाउन स्ट्रीम नियर मोहनघाट, कटनी
रीवा	194.	2116	बीहर नदी, डाउन स्ट्रीम फारेस्ट ऑफिस के पास, रीवा
	195.	2117	बिछिया नदी, रीवा
	196.	3343	नल कूप औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, चुरहट
	197.	2135	गोविन्दगढ़ लेक, गोविन्दगढ़, रीवा
	198.	3303	रानी तालाब, रीवा
	199.	3313	करियारी नदी, अप स्ट्रीम, रीवा
	200.	3314	करियारी नदी, डाउन स्ट्रीम, रीवा
	201.	1143	टोन्स नदी, चकघाट
	202.	3853	टोन्स नदी, बसीमन मामा मंदिर, पुरवा फाल के पास, सिमरिया, रीवा
	203.	4609	टोन्स नदी, एम पी-यूपी बार्डर विफोर कान्फलूएन्स ऑफ रिवर बेलन
सीधी	204.	3329	सोन नदी, चुरहट, जिला-सीधी
	205.	3851	सोन नदी, भंवरसेन, रोड ब्रिज बनस नदी मिलने के बाद, सीधी
	206.	3852	बनसागर केनाल, बघवार टोल प्लाजा के पास, सीधी
	207.	3854	नलकूप वॉटर, एम.पी.एच. सिटी, सीधी
	208.	4604	सोन नदी ग्राम-खैरपुर रोड ब्रिज के पास एम पी-यूपी बार्डर सीधी
टीकमगढ़	209.	3311	जामुनी नदी, बारीघाट, अपस्ट्रीम जल प्रदाय केन्द्र, टीकमगढ़
	210.	3832	बेतवा नदी, अपस्ट्रीम रोड ब्रिज के पास, ओरछा, टीकमगढ़
छतरपुर	211.	4606	केन नदी, रोड ब्रिज एट पन्ना, छतरपुर
	212.	4622	कोपटल लेक एट वॉटर सप्लाई इनटेक प्वाइंट, छतरपुर
सागर	213.	3833	राजघाट बांध वॉटर सप्लाई जल प्रदाय केन्द्र, सागर
	214.	2107	बेतवा नदी, अप स्ट्रीम- महुटाघाट, आगासोद बीना
	215.	2108	बेतवा नदी, जे.पी. थर्मल पॉवर, बीना
अनूपपुर	216.	1142	सोन नदी, चवाई, ए.टी.पी.एस. पम्पिंग स्टेशन के पास, अनूपपुर
	217.	1610	सोन नदी, अमरकंटक उदगम स्थल अनूपपुर
	218.	1242	नर्मदा नदी अमरकंटक उदगम स्थल अनूपपुर
	219.	2118	नर्मदा नदी, अमरकंटक कपिलधारा के पास, अनूपपुर
	220.	3345	नलकूप औद्योगिक क्षेत्र, अनूपपुर
	221.	4578	नर्मदा नदी, पुष्कर डेम अमरकंटक जिला-अनूपपुर
शहडोल	222.	1371	सोन नदी, अमलाई ओ.पी.एम. पम्पिंग स्टेशन के पास, शहडोल
	223.	3327	सोन नदी, भटूराघाट 200 मी. डाउन स्ट्रीम ओ.पी.एम. शहडोल
	224.	1612	सोन नदी, बाणसागर रीवा रोड ब्रिज के पास, शहडोल
	225.	3846	सोन नदी जरवाही के पास रोड ब्रिज, शहडोल
	226.	3344	नलकूप वॉटर सेम्पल औद्योगिक क्षेत्र, नरसरहा

उमरिया	227.	1611	जोहिला नदी, नोरौजाबाद पाली रोड के पास, ब्रिज, उमरिया
डिण्डौरी	228.	3321	नर्मदा नदी, डिण्डौरी अप स्ट्रीम इनटेक प्वाइंट, डिण्डौरी
	229.	4574	नर्मदा नदी, चन्दनघाट नियर रोड ब्रिज जिला— डिण्डौरी
	230.	4579	नर्मदा नदी, डिण्डौरी डाउन स्ट्रीम ऑफ्टर मिक्सिंग टू सिटी डोमोस्टिक नियर जोगातीकरिया घाट
सिंगरौली	231.	3835	गोपद नदी, निगारी सराई
	232.	3834	सोन नदी, चितरंगी रोड ब्रिज के पास, चितवाल
	233.	3836	कंचन डेम, इमलिया नार्थ कोल माइन्स के पास, ग्राम—मझोली
	234.	3304	रिहन्द रिजर्वायर, सिंगरौली
	235.	3837	भू—जल प्रायमरी स्कूल के पास, धोबीघाट, सिंगरौली
	236.	3838	भू—जल एन.सी.एल. झिंगुरथा, क्यू.एस.एच.एफ.—176 प्रोजेक्ट सिंगरौली
	237.	3840	भू—जल सब्जी मण्डी के पास, एन.सी.एल. जयन्त, सिंगरौली
	238.	3841	भू—जल सर्वेश्वर राजा कालोनी, जयन्त, सिंगरौली
	239.	3842	भू—जल सब स्टेशन सेक्टर—बी के पास, दूधिचुआ, एन.सी.एल. प्रोजेक्ट, सिंगरौली
	240.	3843	भू—जल विवेकानन्द प्रतिमा के पास, निगाही, सिंगरौली
	241.	3844	भू—जल कामर्शियल आटो मोबाइल, भारत पेट्रोल पम्प के पास, विद्या नगर, सिंगरौली
	242.	3839	भू—जल शिव मंदिर के पास, अमलोरी एन.सी.एल. प्रोजेक्ट, सिंगरौली

पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच —

राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 673 / 2018 में पारित आदेश 19.09. 18, 20.12.18 एवं 08.04.19 अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश की 22 नदियों के प्रदूषित क्षेत्र घोषित किये गये हैं। जिसमें प्रथम एवं द्वितीय प्राथमिकता की नदियाँ (चम्बल, खान, क्षिप्रा एवं बेतवा) के एक्शन प्लान राज्य स्तर पर गठित रिवर रिजर्वेजरवेशन कमेटी (आर.आर.सी.) से अनुमोदित एक्शन प्लान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को भेजे गये। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टास्क टीम द्वारा उक्त एक्शन को अनुमोदित किया गया है। एक्शन प्लान पर कार्यवाही की जा रही है। एक्शन प्लान की मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाकर मॉनिटरिंग की जा रही है। त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन की जानकारी बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिह्नित 22 नदियां एवं उनके प्रदूषित क्षेत्र		
क्र.	नदियां	प्रदूषित क्षेत्र
1	चंबल नदी	चंबल नदी, 1 मीटर डाउनस्ट्रीम, जूना नागदा
		चंबल नदी, ताल रोड
2	खान नदी	खान नदी, कवीटखेड़ी इंदौर
		खान नदी, शक्कर खेड़ी, इंदौर
3	क्षिप्रा नदी	क्षिप्रा नदी, सिद्धवट घाट, उज्जैन
		क्षिप्रा नदी, 1 कि.मी. डाउन स्ट्रीम त्रिवेणी संगम, उज्जैन

4	बेतवा	बेतवा नदी, डाउन स्ट्रीम मण्डीदीप नयापुरा, रायसेन बेतवा नदी, चरणतीर्थ घाट के पास, विदिशा
5	सोन	सोन नदी, भटूराघाट 200 मी. डाउनस्ट्रीम, नाला मिलने के बाद अमलाई, अनूपपुर
6	ताप्ती	ताप्ती नदी, 100 मी. डाउन स्ट्रीम पंडार नाला मिलने के बाद, नेपानगर ताप्ती नदी, पीपलघाट, बुरहानपुर
7	गोहद	गोहद डेम, बेसली नदी
8	चामला	चामला नदी, बड़नगर
9	चौपन नदी	चौपन नदी, विजयपुर
10	कोलार	सूरजनगर से शिंडीपूरम्
11	कलियासोत	कलियासोत नदी, मण्डीदीप, रायसेन
12	कन्हान	जिला छिंदवाड़ा में
13	बिछिया	बिछिया नदी, रीवा
14	कटनी नदी	कटनी नदी, कटनी
15	कुन्दा	कलियासोत, खरगोन
16	मलेनी	जावरा
17	मंदाकिनी	मंदाकिनी नदी, रामघाट चित्रकूट
18	नेवज	शुजालपुर
19	पार्वती नदी	पार्वती नदी, 100 मी. डाउन स्ट्रीम विन्ध्याचल नाला मिलने के बाद पीलूखेड़ी, राजगढ़
20	सिमरार	कटनी पर
21	टोन्स	टोन्स नदी, चाकघाट, रीवा
22	वैनगंगा नदी	छपारा रोड ब्रिज के पास मोती और चमरिया नाला मिलने से पहले, सिवनी

4.5 नदियों के जल की गुणवत्ता—

प्राकृतिक जल स्त्रोतों से वर्ष 2019–20 में कुल 6965 जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया। इसमें कुल 2318 नमूने नदियों, 715 नमूने तालाबों, 983 नमूने नालों 2659 नमूने भू-जल स्त्रोतों से तथा 281 अन्य हैं।

प्रदेश की प्रमुख नदियों के जल के विश्लेषण परिणामों के आधार पर जल गुणवत्ता का वर्गीकरण सतही जल के लिये निर्धारित मानक आई.एस. 2296–1992 तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानक अनुसार किया गया, जो इस प्रकार है—

नदियों की जल गुणवत्ता का वर्गीकरण भारतीय मानक 2296–1992 अनुसार				
क्र.	नाम	क्र	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1	अनास नदी	1.	अनास नदी, रोड ब्रिज, झाबुआ +	ए
2	अजनाल नदी (हरदा)	2.	अजनाल नदी, अपस्ट्रीम, हरदा	बी
		3.	अजनाल नदी, डाउन स्ट्रीम खंडवा रोड ब्रिज, हरदा	बी

3	अंगरेड नदी	4.	अंगरेड नदी, सागौर, पीथमपुर	सी
4	असन नदी	5.	रोड ब्रिज के पास, नौराबाद, मुरैना	ए
5	बेतवा नदी	6.	बेतवा नदी, अपस्ट्रीम मण्डीदीप, रायसेन	बी
		7.	बेतवा नदी, डाउन स्ट्रीम मण्डीदीप नयापुरा, रायसेन +	बी
		8.	बेतवा नदी, सतलापुर ग्रोथ सेन्टर के पास, रायसेन	बी
		9.	बेतवा नदी, रोड ब्रिज के पास भोजपुर, रायसेन	बी
		10.	बेतवा नदी, जल प्रदाय केन्द्र, रायसेन +	बी
		11.	बेतवा नदी, रोड ब्रिज के पास पगनेश्वर, रायसेन	ए
		12.	बेतवा नदी, अपस्ट्रीम रेल्वे रोड ब्रिज, विदिशा	बी
		13.	बेतवा नदी, जल प्रदाय केन्द्र, विदिशा +	सी
		14.	बेतवा नदी, चरणतीर्थ घाट के पास, विदिशा +	सी
		15.	बेतवा नदी, बेस नदी मिलने के बाद, विदिशा +	बी
		16.	बेतवा नदी, मेहता घाट, आगासौद, बीना +	ए
		17.	बेतवा नदी, अपस्ट्रीम, जे.पी थर्मल पावर जल प्रदाय केन्द्र, बीना+	ए
		18.	बेतवा नदी, राजगढ डेम, जल प्रदाय केन्द्र के पास	ए
		19.	बेतवा नदी, रोड ब्रिज के पास ओरछा, ठीकमगढ +	ए
6	बेस नदी	20.	बेस नदी, बेतवा नदी में मिलने के पहले रोड ब्रिज, विदिशा	सी
7	बेबस नदी	21.	बेबस नदी, अपस्ट्रीम सागर रोड ब्रिज, के पास	ए
8	बिछिया नदी	22.	बिछिया नदी, गोविन्दगढ रोड, रीवा +	ए
		23.	बिछिया नदी, लक्ष्मण ब्रिज रोड, रीवा +	बी
		24.	बिछिया नदी, रोड ब्रिज के पास, रीवा	बी
9	बेसली नदी	25.	बेसली नदी, गोहद डेम, भिण्ड +	बी
10	बंजर नदी	26.	बंजर नदी, जल प्रदाय केन्द्र, के पास, मलाजखण्ड +	ए
		27.	बंजर नदी, शमशानघाट नर्मदा नदी में मिलने के पहले, मण्डला	ए
		28.	बंजर नदी, खर्राधार गांव के पास इन्टर स्टेट बाउन्डी, बालाघाट	ए
11	बीहर नदी	29.	बीहर नदी, फारेस्ट आफिस के पास, रीवा +	ए
		30.	बीहर नदी, बाबाघाट, रीवा	ए
		31.	बीहर नदी, कुटुलिया जल प्रदाय केन्द्र के पास, रीवा	ए
12	बावनगंगा	32.	बावनगंगा नदी, नर्मदा नदी मिलने के पहले, भेड़ाघाट	बी
13	बोरार नदी	33.	बोरार नदी बड़वानी के पास, इंदौर	ए
14	चकरार नदी	34.	चकरार नदी, चंदन घाट के पास, डिण्डौरी	ए

15	चिलार नदी	35.	चिलार नदी, सनकखेडा, शाजापुर	बी
16	चौपन नदी	36.	चौपन नदी, अपस्ट्रीम एन.एफ.एल.नाला मिलने के पहले, विजयपुर+	ए
		37.	100 मीटर डाउनस्ट्रीम एन.एफ.एल. नाला मिलने के पहले, विजयपुर+	ए
17	चंबल नदी	38.	चंबल नदी, जनापावा उद्गम स्थल, इन्दौर +	ए
		39.	चंबल नदी, घाटाबिल्लौद, धार.	ए
		40.	चंबल नदी, तमालपुर, इन्दौर.	बी
		41.	चंबल नदी, पिपलोदा डेम, उज्जैन	बी
		42.	चंबल नदी, अपस्ट्रीम जलप्रदाय केन्द्र, इन्सपेक्शन बंगला बिरलाग्राम+	बी
		43.	चंबल नदी, 1 किलो मीटर डाउनस्ट्रीम, जूना नागदा.	डी
		44.	चंबल नदी, 3 कि.मी. डाउन स्ट्रीम के गीदधर, उज्जैन	ई
		45.	चंबल नदी, 9 कि.मी. डाउन स्ट्रीम इटलावदा, उज्जैन	ई
		46.	चंबल नदी, 16 कि.मी. डाउन स्ट्रीम राजगढ़, उज्जैन	ई
		47.	चंबल नदी, ताल रोड ब्रिज के पास, उज्जैन +	बी
		48.	चंबल नदी, 61 कि.मी.डाउन स्ट्रीम ग्राम— अटलबाडा, उज्जैन	ए
		49.	चंबल नदी, 161 कि.मी.डाउन स्ट्रीम ग्राम— रामपुर, उज्जैन	अप्राप्त
		50.	चंबल नदी, गांधी सागर डेम, नीमच +	ए
		51.	चंबल नदी, 100 मी. डाउन स्ट्रीम गांधी सागर, नीमच अन्तर्राज्यीय सीमा	बी
		52.	चंबल नदी, धौलपुर रोड ब्रिज के पास, मुरैना +	ए
		53.	चंबल नदी, उसेठ घाट के पास, पोरसा मुरैना	ए
		54.	चंबल नदी, पाली रोड ब्रिज के पास, श्योपुर	ए
		55.	चंबल नदी, रोड ब्रिज के पास, फूफ जिला—भिण्ड	ए
18	छोटा तवा नदी	56.	छोटा तवा, नर्मदा नदी में मिलने के पहले हरसूद, खण्डवा +	ए
19	छोटी काली. सिन्ध	57.	छोटी कालीसिन्ध, ए.बी. रोड गांव बिलावली, देवास	बी
		58.	छोटी कालीसिन्ध, मेंडकी डकार, देवास	बी
20	चौरल नदी	59.	चौरल नदी, चौरल ग्राम इन्दौर +	ए
21	चामला नदी	60.	चामला नदी, जल प्रदाय केन्द्र, बड़नगर, उज्जैन +	ए
22	देनवा नदी	61.	देनवा नदी, रोड ब्रिज के पास, पंचमढ़ी, होशंगाबाद	बी
		62.	देनवा नदी, सारणी रोड ब्रिज के पास, बैतूल +	बी

23	धसान नदी	63.	धसान नदी, अप स्ट्रीम रेल्वे रोड ब्रिज, किशनपुरा, सागर	बी
		64.	धसान नदी, डाउन स्ट्रीम, किशनपुरा, सागर	ए
		65.	धसान नदी, अप स्ट्रीम जल प्रदाय केन्द्र, छतरपुर	ए
		66.	धसान नदी, अप स्ट्रीम, सैलाव नाला मिलने के बाद, नौगांव, छतरपुर	ए
24	देब नदी	67.	देब नदी बड़बानी के पास, इंदौर	बी
25	गौर नदी	68.	गौर नदी, भोगद्वार जल प्रदाय केन्द्र, जबलपुर +	ए
		69.	गौर नदी, मंडला रोड ब्रिज, जबलपुर +	सी
26	गंभीर नदी	70.	गंभीर नदी, कलारिया मऊ, इंदौर	बी
		71.	गंभीर नदी, डेम के पास, उज्जैन	ए
27	गोई नदी	72.	गोई नदी, सेंधवा, बड़वानी +	बी
28	गुनौर नदी	73.	गुनौर नदी, नहारिया माइन्स वॉटर मिलने के बाद, छिंदवाड़ा	ए
29	गोपद नदी	74.	गोपद नदी, बरई, सीधी	ए
		75.	गोपद नदी, निगारी सिंगरौली, नदी पर डेम +	ए
30	हिरन नदी	76.	हिरन नदी, अप स्ट्रीम परियट नदी में मिलने से पहले, इन्द्राना	ए
		77.	हिरन नदी, डाउन स्ट्रीम परियट नदी गनियारी गांव में मिलने के बाद	बी
		78.	हिरन नदी, सिहोरा जबलपुर रोड ब्रिज के पास, जबलपुर	ए
		79.	हिरन नदी, कटंगी रोड ब्रिज के पास, जबलपुर	ए
		80.	हिरन नदी, पाटन रोड ब्रिज के पास, जबलपुर	ए
		81.	हिरन नदी, एन.एच.-12 बिक्रमपुर गांव रोड ब्रिज के पास, नरसिंहपुर +	ए
		82.	हिरन नदी, एन.एच.-7 सिहोरा रोड ब्रिज के पास, जबलपुर +	ए
31	हथनी नदी	83.	हथनी नदी, जल प्रदाय केन्द्र के पास, ककराना, अलीराजपुर, धार	बी
32	जामर नदी	84.	जमर नदी, धौलाबड़ डेम, रतलाम +	ए
33	जोहिला नदी	85.	जोहिला नदी, नौरोजाबाद रोड ब्रिज के पास, उमरिया +	ए
34	जमुनी नदी	86.	जमुनी नदी, अपस्ट्रीम जल प्रदाय केन्द्र, बरईया घाट, टीकमगढ़ +	ए
35	कटनी नदी	87.	कटनी नदी, अप स्ट्रीम नगर निगम, जल प्रदाय केन्द्र के पास, कटनी +	बी
		88.	कटनी नदी, डाउन स्ट्रीम मेन घाट रोड ब्रिज, कटनी	बी
36	करियारी नदी	89.	करियारी नदी, अपस्ट्रीम दूषित जल मिलने से पहले, रीवा +	ए
		90.	करियारी नदी, डाउन स्ट्रीम, मे. जे.पी. सीमेन्ट, रीवा +	ए

37	कन्हान नदी	91.	कन्हान नदी, बोरगांव सेन्टर नाला मिलने के पहले, छिंदवाड़ा +	बी
		92.	कन्हान नदी, बोरगांव ग्रोथ सेन्टर नाला मिलने के बाद, छिंदवाड़ा	बी
		93.	कन्हान नदी, नन्दन कोल वॉशरीज, इन्फ्लूएन्ट नाला मिलने के बाद, दमुआ	ए
		94.	कन्हान नदी, मन्दिर के पास मेन घाट, खप्पादिवार सोसर	बी
38	कुरैल नदी	95.	कुरैल नदी, रेल्वे ब्रिज के पास, बंग रोड, रतलाम	बी
39	केन नदी	96.	केन नदी, रेल्वे ब्रिज के पास, पन्ना	ए
40	कोपरा नदी	97.	कोपरा नदी, जल प्रदाय केन्द्र, के पास, खाजाखेड़ी, दमोह	ए
41	कलिया सोत	98.	कलियासोत नदी, रोड ब्रिज के पास, मण्डीदीप, रायसेन +	बी
42	काली सिन्ध	99.	कालीसिन्ध नदी सारंगपुर रोड ब्रिज के पास, राजगढ़ +	ए
43	कुन्दा नदी	100.	कुन्दा नदी, खरगोन +	बी
44	केवई नदी	101.	केवई नदी, नगर पालिका कोतमा जल प्रदाय केन्द्र के पास, अनूपपुर	ए
45	कचान नदी	102.	कचान नदी, बैढ़न रोड ब्रिज के पास, सिंगरौली	ए
46	वर्धानी नदी	103.	वर्धानी नदी, रेल्वे ब्रिज के पास, मुरैना	ए
47	खान नदी	104.	लीम्बोड़ी टेन्क नीयर लीम्बोड़ी, इंदौर	ए
		105.	खान नदी, डाउन स्ट्रीम लीम्बोड़ी, शीव धाम, इंदौर	ई
		106.	खान नदी, कमला नेहरू पार्क, इंदौर	ई
		107.	खान नदी, नॉर्थ तोडा, इंदौर	ई
		108.	खान नदी, अहिल्या आश्रम, इंदौर	ई
		109.	खान नदी, भागीरथपुरा, इंदौर	ई
		110.	खान नदी, खाटीपुरा, इंदौर	ई
		111.	खान नदी, कवीटखेड़ी इंदौर +	ई
		112.	खान नदी, शक्कर खेड़ी, इंदौर +	ई
		113.	खान नदी, धानखेड़ी, इंदौर	ई
		114.	खान नदी, दरजीकराड़ीया, सनवर, इंदौर	ई
		115.	खान नदी, सनवर +	ई
		116.	खान नदी, भदोदीयाखान, सनवर, इंदौर	ई
		117.	खान नदी, पिपलिया राधव स्टाप डेम	डी
		118.	खान नदी, रामवासा	सी
48	खुज नदी	119.	खुज नदी धार के पास, इंदौर	बी

49	क्षिप्रा नदी	120.	क्षिप्रा नदी, जल प्रदाय केन्द्र, ए. बी. रोड, देवास +	बी
		121.	क्षिप्रा नदी, हवनखेड़ी नगदमान नाला, देवास	सी
		122.	क्षिप्रा नदी, मराठी गांव मेंडकी व देवास नाला मिलने पर, देवास	डी
		123.	क्षिप्रा नदी, स्टाप डेम, तुमनी ग्राम, ए. बी. रोड, देवास	ए
		124.	क्षिप्रा नदी, गौघाट उज्जैन,	डी
		125.	क्षिप्रा नदी, सिद्धवट घाट, उज्जैन +	डी
		126.	क्षिप्रा नदी, रामघाट, उज्जैन +	डी
		127.	क्षिप्रा नदी, 1 कि.मी. डाउन स्ट्रीम त्रिवेणी संगम, उज्जैन	डी
		128.	क्षिप्रा नदी, मंगलनाथ, उज्जैन	डी
		129.	क्षिप्रा नदी, जावरा रोड ब्रिज महीदपुर, उज्जैन +	डी
50	मंदाकिनी नदी	130.	मंदाकिनी नदी, उदगम स्थल सति अनसुईया, चित्रकृष्ण	ए
		131.	मंदाकिनी नदी, रामघाट चित्रकृष्ण +	सी
		132.	मंदाकिनी नदी, स्फटिक शिला	बी
		133.	मंदाकिनी नदी, आरोग्य धाम	बी
		134.	मंदाकिनी नदी, जानकी कुन्ड	बी
		135.	मंदाकिनी नदी, प्रमोद वैन	बी
		136.	मंदाकिनी नदी, राधव प्रयाग घाट	बी
		137.	मंदाकिनी नदी, गोंयका घाट	बी
		138.	मंदाकिनी नदी, जानकी घाट	बी
51	मालेनी नदी	139.	मालेनी नदी, जावरा डेम, रत्लाम +	बी
52	माही नदी	140.	माही नदी, रानीसिंह गाँव, रत्लाम	बी
		141.	माही नदी, बदनावर धार +	ए
		142.	माही नदी, फारेस्ट गेस्ट हाउस राजापुर, रत्लाम	ए
53	महानदी	143.	महानदी बरही रोड ब्रिज के पास, कटनी	बी
54	मुरना नदी	144.	मुरना नदी, रेडियो स्टेशन के पहले, शहडोल	बी
55	मैयर नदी	145.	मैयर नदी, रोड ब्रिज तुसाखण्ड, सिंगरौली	ए
56	माचना नदी	146.	माचना नदी, अप स्ट्रीम बैतूल	सी
		147.	माचना नदी अमरावती रोड ब्रिज के पास, बैतूल	सी
57	महेश्वरी नदी	148.	महेश्वरी नदी महेश्वर के पास इंदौर	बी
58	मान नदी	149.	मान नदी मानपुर के पास, इंदौर	बी

59	नर्मदा नदी	150.	नर्मदा नदी, अमरकंटक उदगम स्थल अनूपपुर (रामघाट) +	ए
		151.	नर्मदा नदी, पुष्पकर डेम, अमरकंटक, अनूपपुर	ए
		152.	नर्मदा नदी, कपिलधारा अमरकंटक, अनूपपुर +	ए
		153.	नर्मदा नदी, चंदन घाट रोड ब्रिज के पास	ए
		154.	नर्मदा नदी, अप स्ट्रीम इनटेक वेल प्वाइंट के पास, डिण्डौरी	ए
		155.	नर्मदा नदी, डाऊन स्ट्रीम वॉटर सप्लाई रोड ब्रिज के पास, डिण्डौरी +	ए
		156.	नर्मदा नदी, शमशानघाट के पास, मण्डला +	ए
		157.	नर्मदा नदी, रोड ब्रिज के पास, रफ्ता घाट, मण्डला +	ए
		158.	नर्मदा नदी भैरब मंदिर के पास, सहस्रधारा, मण्डला	ए
		159.	नर्मदा नदी रोड ब्रिज (डाऊन स्ट्रीम बरगी डेम,) जबलपुर	ए
		160.	नर्मदा नदी, जमतरा, रेल्वे ब्रिज के पास, जबलपुर	ए
		161.	नर्मदा नदी, लालपुर वॉटर सप्लाई इनटेक प्वाइंट के पास, जबलपुर +	ए
		162.	नर्मदा नदी, तिलवाराघाट, जबलपुर +	ए
		163.	नर्मदा नदी, पंचवटी घाट, अपस्ट्रीम बेनगंगा नदी मिलने के पहले, जबलपुर +	ए
		164.	नर्मदा नदी, सरस्वती घाट,डाऊन स्ट्रीम बेनगंगा नदी मिलने के बाद,जबलपुर+	ए
		165.	नर्मदा नदी, रोड ब्रिज के पास, झांसीघाट, जबलपुर	ए
		166.	नर्मदा नदी, एन.एच. 44 रोड ब्रिज के पास, बरमानघाट, नरसिंहपुर	ए
		167.	नर्मदा नदी, बरमानघाट 100 मी. डाऊन स्ट्रीम मेन घाट, नरसिंहपुर +	ए
		168.	नर्मदा नदी, एन.एच. 44 रोड ब्रिज झिकोली ग्राम के पास, नरसिंहपुर	ए
		169.	नर्मदा नदी, साड़िया घाट जल प्रदाय केन्द्र, पिपरिया	बी
		170.	नर्मदा नदी, अप स्ट्रीम ऑफ जैत ग्राम	बी
		171.	नर्मदा नदी, डाऊन स्ट्रीम ऑफ जैत ग्राम	बी
		172.	नर्मदा नदी, शाहगंज गेस्ट हाउस अप स्ट्रीम, होशंगाबाद +	बी
		173.	नर्मदा नदी अपस्ट्रीम तवा नदी मिलने से पूर्व जहाँपुर, बांद्राभान	बी
		174.	नर्मदा नदी डाऊन स्ट्रीम तबा नदी मिलने के पश्चात् रामनगर, बांद्राभान	बी

	175.	नर्मदा नदी बुदनी घाट, बुदनी	बी
	176.	नर्मदा नदी, कोरीघाट, होशंगाबाद +	बी
	177.	नर्मदा नदी, 50 मीटर सेठानीघाट, होशंगाबाद +	बी
	178.	नर्मदा नदी, 100 मी. डाउनस्ट्रीम एस.पी.एम. नाला मिलने के बाद, होशंगाबाद+	बी
	179.	नर्मदा नदी डाऊन स्ट्रीम ऑफ टेक्स्टाईल यूनिट होलीपुरा ग्राम—बुदनी, सीहोर	बी
	180.	नर्मदा नदी जामर नदी से मिलने से पहले, नेमावर	ए
	181.	नर्मदा नदी, नेमावर जल प्रदाय केन्द्र उज्जैन +	ए
	182.	नर्मदा नदी, 500 डाऊन स्ट्रीम, जैन मंदिर, नेमावर	ए
	183.	नर्मदा नदी, हनुवंतिया (इंदिरा सागर रिजर्वॉयर) जिला—खण्डवा	ए
	184.	नर्मदा नदी, नर्मदा—क्षिप्रा संगम, उज्जैन, इंदौर	ए
	185.	नर्मदा नदी, पुनासा डेम के पास इंदौर, खण्डवा +	ए
	186.	नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर अप स्ट्रीम, खण्डवा +	ए
	187.	नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर डाऊन स्ट्रीम, खण्डवा +	ए
	188.	नर्मदा नदी, मोरटक्का ब्रिज के पास, बड़वाह, खरगोन +	ए
	189.	नर्मदा नदी, धारेश्वर, खरगोन	ए
	190.	नर्मदा नदी, अप स्ट्रीम जलौद पम्पिंग स्टेशन, मण्डलेश्वर, खरगोन +	ए
	191.	नर्मदा नदी, मण्डलेश्वर, डाऊन स्ट्रीम, खरगोन +	ए
	192.	नर्मदा नदी, महेश्वर, खरगोन +	ए
	193.	नर्मदा नदी, सहस्रधारा (जालकोटी)	ए
	194.	नर्मदा नदी, खलघाट, खरगोन +	ए
	195.	नर्मदा नदी, धरमपुरी (घरेलू दूषित जल मिलने के पहले), धार +	ए
	196.	नर्मदा नदी, धरमपुरी (घरेलू दूषित जल मिलने के बाद), धार +	ए
	197.	नर्मदा नदी, सिमलदा अपस्ट्रीम, बड़वानी, धार	ए
	198.	नर्मदा नदी, राजघाट बड़वानी +	ए
	199.	नर्मदा नदी, कोटेश्वरधाट, धार	ए
	200.	नर्मदा नदी, ककराना अंतर्राज्यीय सीमा अलीराजपुर	ए

60	निवज नदी	201.	निवज नदी, जल प्रदाय केन्द्र के पास, शुजालपुर +	बी
		202.	निवज नदी, जल प्रदाय केन्द्र के पास, 100 मीटर अपस्ट्रीम शुजालपुर	ए
		203.	निवज नदी, जल प्रदाय केन्द्र के पास, 100 मीटर डाउनस्ट्रीम शुजालपुर	बी
		204.	निवज नदी, डाउन स्ट्रीम सर्किट हाउस के पास, राजगढ़	ए
		205.	निवज नदी, अप स्ट्रीम जल प्रदाय केन्द्र, राजगढ़ +	ए
61	नेवार नदी	206.	नेवार नदी, रोड ब्रिज पीरबाबा के पास, कटनी	बी
62	पार्वती नदी	207.	पार्वती नदी, जल प्रदाय केन्द्र, के पास, सीहोर	ए
		208.	पार्वती नदी, अपस्ट्रीम जल प्रदाय केन्द्र के पास, पीलूखेड़ी, राजगढ़ +	बी
		209.	100 मी. डाउन स्ट्रीम विन्ध्याचल नाला मिलने के बाद पीलूखेड़ी, राजगढ़ +	बी
		210.	पार्वती नदी, नीमखेड़ी, गुना +	बी
		211.	पार्वती नदी, म.प्र. और राजस्थान रोड ब्रिज धरनावदा +	बी
63	पेंच	212.	पेंच नदी, संगोरी रोड ब्रिज के पास, छिंदवाड़ा +	ए
		213.	पेंच नदी, कारीकट गांव चौरई के पास, छिंदवाड़ा	ए
		214.	पेंच नदी रोड ब्रिज के पास, हल्लार्खुद	ए
64	परियट नदी	215.	परियट नदी, गनियारी गांव, हिरन नदी में मिलने से पहले, जबलपुर	सी
		216.	परियट नदी, इमलिया रोड ब्रिज के पास, जबलपुर	सी
		217.	परियट नदी, मातामार गांव के पास, खमरिया नाला मिलने के बाद	बी
65	रेहन्द नदी	218.	रेहन्द नदी, रोड ब्रिज के पास, सिंगरौली	ए
		219.	रेहन्ट डेम, बिलयारी के पास, सिंगरौली	ए
66	सटक नदी	220.	सटक नदी, खरगोन के पास इंदौर	ए
67	सिमरार नदी	221.	सिमरार नदी, अप स्ट्रीम ए.सी.सी. जल प्रदाय केन्द्र, कटनी +	बी
		222.	सिमरार नदी, डाउन स्ट्रीम सरस्वती स्कूल के पीछे, कटनी	बी
68	सर्फा नदी	223.	सर्फा नदी, रोड ब्रिज के पास, शहडोल	ए
69	सिन्ध नदी	224.	सिन्ध नदी, रोड ब्रिज के पास, डबरा, ग्वालियर +	ए
		225.	सिन्ध नदी, जल प्रदाय केन्द्र, के पास, गांव-पगारा, गुना	ए

70	सोनार नदी	226.	सोनार नदी, जल प्रदाय केन्द्र, गढ़ाकोटा, सागर	ए
		227.	सोनार नदी, रोड ब्रिज के पास, पॉथ रेहली, सागर	ए
71	सतना नदी	228.	सतना नदी पुराने ब्रिज के पास, सतना	बी
72	सुखद नदी	229.	सुखद नदी, अलीराजपुर	बी
73	सीवन नदी	230.	सीवन नदी, अप स्ट्रीम रोड ब्रिज के पास, सीहोर	ए
		231.	सीवन नदी, डाउन स्ट्रीम रोड ब्रिज के पास, सीहोर	ए
74	सरस्वती नदी	232.	सरस्वती नदी, मन्डी ब्रिज, इंदोर	ई
		233.	सरस्वती नदी, बीजरपुर, इंदोर	ई
		234.	सरस्वती नदी, राजीव गांधी चौक, इंदोर	डी
		235.	सरस्वती नदी, बद्रीबाग, इंदोर	डी
		236.	सरस्वती नदी, करबला ब्रिज	डी
		237.	सरस्वती नदी, चंद्रभागा, जुनी इंदोर	डी
75	सिलगी नदी	238.	सिलगी नदी, कोटरी गांव के पास डिण्डोरी	ए
76	सीप नदी	239.	सीप नदी, अप स्ट्रीम श्योरपुर, ग्वालियर	ए
		240.	सीप नदी, 100 मी. डाउन स्ट्रीम दूषित नाला मिलने पर, श्योरपुर	ए
77	सोन नदी	241.	सोन नदी, उद्गम स्थल अमरकंटक, अनूपपुर +	ए
		242.	सोन नदी, डाउन स्ट्रीम, ओ.पी.एम अमलाई, अनूपपुर +	ए
		243.	भटूराघाट 200 मी. डाउन स्ट्रीम, नाला मिलने के बाद, ओ.पी.एम. अमलाई +	ए
		244.	सोन नदी, जरवाही रोड ब्रिज के पास, शहडोल +	ए
		245.	सोन नदी, दियापीपर रोड ब्रिज के पास, शहडोल	ए
		246.	सोन नदी, देवलेड बनसागर डेम के पास, शहडोल +	ए
		247.	सोन नदी, अप स्ट्रीम एम.पी.ई.बी. पम्पिंग स्टेशन, चचाई +	ए
		248.	सोन नदी, चितवाल गांव के पास, रोड ब्रिज, सिंगरौली +	ए
		249.	सोन नदी, भंवरसेन, रोड ब्रिज बनस नदी मिलने के बाद, सीधी	ए
		250.	सोन नदी, जोहदा, घड़ीयाल बीदीग सेन्टर, सीधी	ए
		251.	सोन नदी, बनसांगर केनाल, बंगवार गांव, टोल प्लाजा, सीधी +	ए
		252.	सोन नदी, चुरहट जिला— सीधी +	ए
		253.	सोन नदी, कारीपुर गांव, अन्तर्राज्यीय सीमा	ए
78	शक्कर नदी	254.	शक्कर नदी, करेली रोड ब्रिज के पास, गाड़रवारा	ए

79	शेर नदी	255.	शेर नदी, रोड ब्रिज के पास, नरसिंहपुर	ए
80	शिवना नदी	256.	शिवना नदी, पशुपतिनाथ मंदिर के पास, मंदसौर	डी
		257.	शिवना नदी, जल प्रदाय केन्द्र, के पास, रामघाट, मंदसौर +	ए
81	शंख नदी	258.	शंख नदी, तिघरा रिजवायर, नूराबाद, मुरैना +	ए
82	टोन्स नदी /तमस	259.	टोन्स नदी, पी.एच.ई.बी. पम्पिंग स्टेशन के पास, माधवगढ़, +	बी
		260.	टोन्स नदी, बरधिया घाट के पास, माधवगढ़, सतना +	बी
		261.	टोन्स नदी, पटेरा रोड, रीवा	ए
		262.	टोन्स नदी, चिला थन्डर जिला रीवा	ए
		263.	टोन्स नदी, जावा, तहसील, थन्डर, जिला रीवा	ए
		264.	टोन्स नदी, चाकघाट पी.एच.ई.बी. पम्पिंग स्टेशन रीवा +	ए
		265.	टोन्स नदी, चाकघाट नाला मिलने से पहले, रीवा	ए
		266.	टोन्स नदी, चाकघाट नाला मिलने के बाद, रीवा	ए
		267.	टोन्स नदी, एम.पी.—यू.पी. सीमा पर अन्तर्राज्यीय सीमा	ए
83	ताप्ती नदी	268.	ताप्ती नदी, खेडा अमरावती रोड ब्रिज, के पास, बैतूल +	बी
		269.	ताप्ती नदी, 100 मी.डाउन स्ट्रीम पंढार नाला मिलने के बाद, नेपानगर +	बी
		270.	ताप्ती नदी, नवाथा पम्पिंग स्टेशन के पास, नेपानगर +	ए
		271.	ताप्ती नदी, हथनूर, बुरहानपुर. +	बी
		272.	ताप्ती नदी, पीपलघाट, बुरहानपुर. +	बी
84	तामिया नदी	273.	तामिया नदी, सारनी रोड ब्रिज के पास, दामुआ	ए
85	टिमरन नदी	274.	टिमरन नदी, हरदा	बी
86	उमरार नदी	275.	उमरार नदी, अप स्ट्रीम नगर पालिका पम्पिंग स्टेशन के पास, उमरिया.	बी
		276.	उमरार नदी, डाउन स्ट्रीम शहर में नाला मिलने से पहले, उमरिया	बी
87	उदी भगनि	277.	उदी भगनि नदी, निसारपुर के पास इंदौर	ए

88	वैनगंगा नदी	278.	वैनगंगा नदी, छपारा, जल प्रदाय केन्द्र, के पास, सिवनी. +	ए
		279.	वैनगंगा नदी, छपारा रोड ब्रिज, मोती और चमरिया नाला मिलने से पहले, सिवनी +	ए
		280.	वैनगंगा नदी, लखनवाड़ा नहाने वाले घाट के पास, सिवनी	ए
		281.	वैनगंगा नदी, केवलारी सिंचाई पम्पिंग स्टेशन के पास	ए
		282.	वैनगंगा नदी, 100 मी. डाउन स्ट्रीम, जगपुर घाट, बालाघाट +	ए
		283.	वैनगंगा नदी, बुदना इन्टर स्टेट बाउन्डी, बालाघाट	ए

नोट :- राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत सेमिलिंग बिन्दु

4.6 बेसिन अनुसार प्रमुख नदियों की आई.एस. 2296—1992 के आधार पर जल गुणवत्ता—

नर्मदा बेसिन—

नर्मदा नदी :— नर्मदा बेसिन की प्रमुख नदी नर्मदा है, जो अनूपपुर जिले के अमरकटंक शहर से उद्गम होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई जिला धार के बड़वानी नगर से गुजरात राज्य में प्रवाहित होते हुए खम्बात की खाड़ी में मिल जाती है। नदी की कुल 1312 कि.मी. की लम्बाई में से 1077 कि.मी. मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। नर्मदा बेसिन के अंतर्गत नर्मदा, बंजर, हिरन, कोलार, सुक्ता, तवा, शेर, एवं गोई इत्यादि नदियाँ हैं। नर्मदा नदी के प्रमुख डेम बरगी, जबलपुर एवं इंदिरा सागर हैं।


म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नर्मदा नदी अनूपपुर, डिण्डौरी, मण्डला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, नेमावर, बड़वाह, मण्डलेश्वर, औंकारेश्वर, बड़वानी, धार, एवं अलीराजपुर शहरों से वर्ष 2019–20 में 51 बिन्दुओं से जल नमूने एकत्रित कर जल गुणवत्ता की जाँच की गई :—

क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1.	नर्मदा नदी, अमरकटंक उद्गम स्थल अनूपपुर (रामघाट) +	ए
2.	नर्मदा नदी, पुष्पकर डेम, अमरकटंक, अनूपपुर	ए
3.	नर्मदा नदी, कपिलधारा अमरकटंक, अनूपपुर +	ए
4.	नर्मदा नदी, चंदन घाट रोड ब्रिज के पास	ए
5.	नर्मदा नदी, अप स्ट्रीम इनटेक वेल प्वाइंट के पास, डिण्डौरी	ए
6.	नर्मदा नदी, डाऊन स्ट्रीम वॉटर सप्लाई रोड ब्रिज के पास, डिण्डौरी +	ए
7.	नर्मदा नदी, शमशानघाट के पास, मण्डला +	ए
8.	नर्मदा नदी, रोड ब्रिज के पास, रफता घाट, मण्डला +	ए
9.	नर्मदा नदी भैरब मंदिर के पास, सहस्रधारा, मण्डला	ए
10.	नर्मदा नदी रोड ब्रिज (डाऊन स्ट्रीम बरगी डेम,) जबलपुर	ए
11.	नर्मदा नदी, जमतरा, रेल्वे ब्रिज के पास, जबलपुर	ए
12.	नर्मदा नदी, लालपुर वॉटर सप्लाई इनटेक प्वाइंट के पास, जबलपुर +	ए
13.	नर्मदा नदी, तिलवाराघाट, जबलपुर +	ए

14.	नर्मदा नदी, पंचवटी घाट, अपस्ट्रीम बेनगंगा नदी मिलने के पहले, जबलपुर +	ए
15.	नर्मदा नदी, सरस्वती घाट, डाउन स्ट्रीम बेनगंगा नदी मिलने के बाद, जबलपुर +	ए
16.	नर्मदा नदी रोड ब्रिज के पास, झांसीघाट, जबलपुर	ए
17.	नर्मदा नदी एन.एच. 44 रोड ब्रिज के पास, बरमानघाट, नरसिंहपुर	ए
18.	नर्मदा नदी, बरमानघाट 100 मी. डाउन स्ट्रीम मेन घाट, नरसिंहपुर +	ए
19.	नर्मदा नदी, नर्मदा नदी एन.एच. 44 रोड ब्रिज ग्राम, शिकोली नरसिंहपुर	ए
20.	नर्मदा नदी, साड़िया घाट जल प्रदाय केन्द्र, पिपरिया	बी
21.	नर्मदा नदी अप स्ट्रीम ऑफ जैत ग्राम	बी
22.	नर्मदा नदी डाउन स्ट्रीम ऑफ जैत ग्राम	बी
23.	नर्मदा नदी, शाहगंज गेस्ट हाउस अप स्ट्रीम, होशंगाबाद +	बी
24.	नर्मदा नदी अपस्ट्रीम तवा नदी मिलने से पूर्व जहाँपुर, बांद्राभान	बी
25.	नर्मदा नदी डाउन स्ट्रीम तबा नदी मिलने के पश्चात् रामनगर, बांद्राभान	बी
26.	नर्मदा नदी बुदनी घाट, बुदनी	बी
27.	नर्मदा नदी, कोरीघाट, होशंगाबाद +	बी
28.	नर्मदा नदी, 50 मी. सेठानीघाट, होशंगाबाद +	बी
29.	नर्मदा नदी, 100 मी. डाउनस्ट्रीम एस.पी.एम. नाला मिलने के बाद, होशंगाबाद +	बी
30.	नर्मदा नदी डाउन स्ट्रीम ऑफ टेक्सटाईल यूनिट होलीपुरा, बुदनी, सीहोर	बी
31.	नर्मदा नदी जामर नदी से मिलने से पहले, नेमावर	ए
32.	नर्मदा नदी, नेमावर जल प्रदाय केन्द्र उज्जैन +	ए
33.	नर्मदा नदी 500 डाउन स्ट्रीम, जैन मंदिर, नेमावर	ए
34.	हनुवंतिया (इंदिरा सागर रिजर्ववॉयर) जिला—खण्डवा	ए

35.	नर्मदा नदी, नर्मदा—क्षिप्रा संगम, उज्जैन	ए
36.	नर्मदा नदी, पुनासा डेम के पास इंदौर, खण्डवा +	ए
37.	नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर अप स्ट्रीम, खण्डवा +	ए
38.	नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर डाउन स्ट्रीम, खण्डवा +	ए
39.	नर्मदा नदी, मोरटक्का ब्रिज के पास, बड़वाह, खरगोन +	ए
40.	नर्मदा नदी, धारेश्वर, खरगोन	ए
41.	अप स्ट्रीम जलौद पम्पिंग स्टेशन, मण्डलेश्वर, खरगोन +	ए
42.	मण्डलेश्वर, डाउन स्ट्रीम, खरगोन +	ए
43.	महेश्वर, खरगोन +	ए
44.	नर्मदा नदी, सहस्रधारा (जालकोटी)	ए
45.	नर्मदा नदी, खलघाट, खरगोन +	ए
46.	धरमपुरी (घरेलू दूषित जल मिलने के पहले), धार +	ए
47.	धरमपुरी (घरेलू दूषित जल मिलने के बाद) , धार+	ए
48.	नर्मदा नदी, सिमलदा अपस्ट्रीम, बड़वानी, धार	ए
49.	नर्मदा नदी, राजघाट बड़वानी +	ए
50.	नर्मदा नदी, कोटेश्वर घाट, धार	ए
51.	नर्मदा नदी, ककराना अंतर्राज्यीय सीमा, अलीराजपुर	ए

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई मॉनिटरिंग के आधार पर नर्मदा नदी की जल गुणवत्ता “ए” व “बी” श्रेणी की पाई गई जो नक्शा क्रमांक-2 पर दर्शित है।



गंगा बेसिन—


गंगा बेसिन में प्रदेश की बेतवा, चंबल, सोन, टोन्स, इत्यादि नदियाँ आती हैं।

बेतवा नदी :— गंगा बेसिन के अंतर्गत यमुना सब बेसिन में आने वाली बेतवा नदी का उद्गम कुमरा (झिरी) गांव, जिला, रायसेन में है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर लगभग 590 कि.मी. उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तरप्रदेश के हमीरपुर शहर में यमुना नदी में मिलती है। बेतवा नदी की मुख्य सहायक नदियाँ बीना, धसान, केन एवं यामिनी तथा प्रमुख डेम—राजगढ़ हैं।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बेतवा नदी की जल गुणवत्ता जांचने हेतु प्रदेश के रायसेन, विदिशा, बीना तथा टीकमगढ़ जिलों में निम्नलिखित कुल 14 स्थलों से नदी के जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया जाता है:—

क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1	बेतवा नदी, अपस्ट्रीम मण्डीदीप रायसेन	बी
2	बेतवा नदी, डाउन स्ट्रीम मण्डीदीप नयापुरा, रायसेन +	बी
3	बेतवा नदी, सतलापुर ग्रोथ सेन्टर के पास, रायसेन	बी
4	बेतवा नदी, रोड ब्रिज के पास भोजपुर, रायसेन	बी
5	बेतवा नदी, जल प्रदाय केन्द्र, रायसेन +	बी
6	बेतवा नदी, रोड ब्रिज के पास पगानेश्वर, रायसेन	ए
7	बेतवा नदी, अपस्ट्रीम रेल्वे रोड ब्रिज, विदिशा	बी
8	बेतवा नदी, जल प्रदाय केन्द्र, विदिशा +	सी
9	बेतवा नदी, चरणतीर्थ घाट के पास, विदिशा +	सी
10	बेतवा नदी, बेस नदी मिलने के बाद, विदिशा +	बी
11	बेतवा नदी, मेहता घाट, आगासौद, बीना +	ए
12	बेतवा नदी, अपस्ट्रीम, जे.पी थर्मल पावर जल प्रदाय केन्द्र, बीना +	ए
13	बेतवा नदी, राजगढ़ डेम, जल प्रदाय केन्द्र के पास	ए
14	बेतवा नदी, रोड ब्रिज के पास ओरछा, टीकमगढ़ +	ए

बेतवा नदी की जल गुणवत्ता “ए”, “बी” एवं “सी” श्रेणी की पाई गई है। जो नक्शा क्रमांक—3 पर दर्शित हैं।




चम्बल नदी—

यह गंगा बेसिन के अंतर्गत एक मुख्य नदी है जो ग्राम जनापावा, मऊ शहर के उत्तर से उद्गम होकर प्रदेश के उज्जैन, रतलाम, मंदसौर शहरों से बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। पुनः मध्यप्रदेश के मुरैना एवं भिण्ड जिलों से बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिलती है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 346 कि.मी. है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ क्षिप्रा, कालीसिन्ध, छोटी कालीसिन्ध शिवना, सीप, पार्वती, अनास नदी, चामला एवं गंभीर हैं। इस नदी पर निर्मित प्रमुख डेम गांधीसागर हैं।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चम्बल नदी के जल की गुणवत्ता जांचने हेतु प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, मुरैना एवं भिण्ड जिलों से निम्नलिखित कुल 18 स्थलों से नदी के जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया जाता है।

क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1.	चम्बल नदी, जनापावा उद्गम स्थल, इन्दौर +	ए
2.	चम्बल नदी, घाटाबिल्लौद, धार	ए
3.	चम्बल नदी, तमालपुर, इन्दौर	बी
4.	चम्बल नदी, पिपलोदा डेम, उज्जैन	बी
5.	चम्बल नदी, अपस्ट्रीम जलप्रदाय केन्द्र, इन्सपेक्शन बंगला बिरलाग्राम +	बी
6.	चम्बल नदी, 1 किलो मीटर डाउनस्ट्रीम, जूना नागदा.	डी
7.	चम्बल नदी, 3 कि.मी. डाउन स्ट्रीम, गीदघर, उज्जैन	ई
8.	चम्बल नदी, 9 कि.मी. डाउन स्ट्रीम इटलावदा, उज्जैन	ई
9.	चम्बल नदी, 16 कि.मी. डाउन स्ट्रीम राजगढ़, उज्जैन	ई
10.	चम्बल नदी, ताल रोड ब्रिज के पास, उज्जैन +	बी
11.	चम्बल नदी, 61 कि.मी. डाउन स्ट्रीम ग्राम— अटलबाड़ा, उज्जैन	ए
12.	चम्बल नदी, 161 कि.मी. डाउन स्ट्रीम ग्राम— रामपुर, उज्जैन	ए
13.	चम्बल नदी, गांधी सागर डेम, नीमच +	ए
14.	चम्बल नदी, 100 मी. डाउन स्ट्रीम गांधी सागर, नीमच अन्तराज्यीय सीमा	बी
15.	चम्बल नदी, धौलपुर रोड ब्रिज के पास, मुरैना +	ए
16.	चम्बल नदी, उसेठ घाट के पास, पोरसा मुरैना	ए
17.	चम्बल नदी, पाली रोड ब्रिज के पास, श्योपुर	ए
18.	चम्बल नदी, रोड ब्रिज के पास, फूफ जिला—भिण्ड	ए

चम्बल नदी की जल गुणवत्ता “ए” “बी” “सी” “डी” एवं “ई” श्रेणी की पाई गई है। नागदा औद्योगिक क्षेत्र के पास जल की गुणवत्ता “ई” श्रेणी की पाई गई है चम्बल नदी के जल की गुणवत्ता को नक्शा क्रमांक-4 में दर्शाया गया है।



सोन नदी—


गंगा बेसिन के अंतर्गत सोन सब बेसिन का कुल क्षेत्रफल 28,880 वर्ग किलो मीटर है। सोन नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश के उत्तर- पश्चिम की ओर से प्रवाहित होती है। यह नदी शहडोल, चचाई, सिंगरौली तथा सीधी क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए मध्यप्रदेश की अन्तर्राज्यीय सीमा पर स्थित कारीपुर गांव से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर बिहार राज्य के पटना शहर के पश्चिम में गंगा नदी में सीधे मिलती है। सोन नदी की कुल लम्बाई 784 कि.मी. है। मध्य प्रदेश में यह 470 कि.मी. बहती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में जोहिला, गोपद, कन्हान, बनस एवं रेहन्द इत्यादि हैं तथा प्रमुख डेम बाणसागर हैं।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनूपपुर, शहडोल, सिंगरौली एवं सीधी शहरों से वर्ष 2019–20 में सोन नदी के निम्नलिखित कुल 13 स्थलों से जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया गया हैं।

क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1	सोन नदी, उदगम स्थल अमरकंटक, अनूपपुर +	ए
2	सोन नदी, डाउन स्ट्रीम, ओ.पी.एम अमलाई, अनूपपुर +	ए
3	सोन नदी, भटूराधाट 200 मी. डाउन स्ट्रीम, नाला मिलने के बाद, अमलाई +	ए
4	सोन नदी, जरवाही रोड ब्रिज के पास, शहडोल +	ए
5	सोन नदी, दियापीपर रोड ब्रिज के पास, शहडोल	ए
6	सोन नदी, देवलेड बनसागर डेम के पास, शहडोल +	ए
7	सोन नदी, अप स्ट्रीम एम.पी.ई.बी. पम्पिंग स्टेशन, चचाई +	ए
8	सोन नदी, चितवाल गांव के पास, रोड ब्रिज, सिंगरौली +	ए
9	सोन नदी, भंवरसेन, रोड ब्रिज बनस नदी मिलने के बाद, सीधी	ए
10	सोन नदी, जोहदा, घड़ीयाल ब्रीडिंग सेन्टर, सीधी	ए
11	सोन नदी, बनसांगर केनाल, बंगवार गांव, टोल प्लाजा, सीधी +	ए
12	सोन नदी, चुरहट जिला- सीधी +	ए
13	सोन नदी, कारीपुर गांव, अन्तर्राज्यीय सीमा	ए

सोन नदी की जल गुणवत्ता “ए” श्रेणी की पाई गई है तथा अन्तर्राज्यीय सीमा (उत्तर प्रदेश) पर भी जल गुणवत्ता “ए” श्रेणी की है जो नक्शा क्रमांक —5 अनुसार है।

Water Quality of River Sone (2019-20)




टोन्स/तमस नदी—

गंगा बेसिन के अंतर्गत टोन्स नदी मध्यप्रदेश के सतना जिले के कैमोर में स्थित मैहर के समीप तमशाकुण्ड जलाशय से निकलकर उत्तर-पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह नदी इलाहाबाद के समीप उत्तर प्रदेश में सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। यह नदी 246 किलोमीटर मध्यप्रदेश में तथा 67 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है। इस नदी पर मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मध्य 07 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा स्थित है।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सतना तथा रीवा जिलों से टोन्स नदी के निम्नलिखित कुल 09 स्थलों से जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया हैं—

क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1	टोन्स नदी, पी.एच.ई.बी. पम्पिंग स्टेशन के पास, माधवगढ़, +	बी
2	टोन्स नदी, बरधिया घाट के पास, माधवगढ़, सतना +	बी
3	टोन्स नदी, पटेरा रोड, रीवा	ए
4	टोन्स नदी, चिला थन्डर जिला रीवा	ए
5	टोन्स नदी, जावा, तहसील, थन्डर, जिला रीवा	ए
6	टोन्स नदी, चाकघाट पी.एच.ई.बी. पम्पिंग स्टेशन रीवा +	ए
7	टोन्स नदी, चाकघाट नाला मिलने से पहले, रीवा	ए
8	टोन्स नदी, चाकघाट नाला मिलने के बाद, रीवा	ए
9	टोन्स नदी, एम.पी.-यू.पी. सीमा पर अन्तर्राज्यीय सीमा	ए

टोन्स नदी की जल गुणवत्ता कुछ बिन्दुओं पर “ए” तथा कुछ बिन्दुओं पर “बी” श्रेणी की पाई गई है। मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश अन्तर्राज्यीय सीमा पर नदी के जल की गुणवत्ता “ए” श्रेणी की है एवम जल के गुणवत्ता श्रेणी को नक्शा क्रमांक –6 में दर्शाया गया है।



यमुना बेसिन

केन नदी— केन नदी कैमूर पहाड़ी जिला सागर के दक्षिण से निकलकर मध्यप्रदेश के दमोह, पन्ना इत्यादि क्षेत्रों से होती हुई बाँदा, उत्तरप्रदेश में चिल्ला नामक स्थान पर यमुना में मिलती है। इसकी सहायक नदियां सोनार, वीरमा, बाना, पाटर इत्यादि हैं।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2019–20 में केन नदी के निम्नलिखित 01 स्थल से जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया गया है। नदी के जल की गुणवत्ता “ए” श्रेणी की है

क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1.	केन नदी, रेल्वे ब्रिज के पास, पन्ना	ए


धसान नदी—

धसान नदी मध्यप्रदेश में बहने वाली बेतवा नदी की सहायक नदी हैं। यह नदी रायसेन जिले से निकल कर सागर जिले में सिहौरा, धामौनी और मैहर टीकमगढ़ के दतना तथा छतरपुर की 70 किलोमीटर की सीमा बनाती हुई हमीरपुर और जालौन के पास बेतवा नदी में मिलती हैं।


मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2019–20 में धसान नदी के निम्नलिखित 04 स्थलों से जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया गया है। नदी के जल की गुणवत्ता “बी” तथा “ए” श्रेणी की है।

क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी 19–20
1	धसान नदी, अप स्ट्रीम रेल्वे रोड ब्रिज, किशनपुरा, सागर	बी
2	धसान नदी, डाउन स्ट्रीम, किशनपुरा, सागर	ए
3	धसान नदी, अप स्ट्रीम जल प्रदाय केन्द्र, छतरपुर	ए
4	धसान नदी, अप स्ट्रीम, सैलाव नाला मिलने के बाद, नौगांव, छतरपुर	ए

केन एवं धसान नदी की जल गुणवत्ता श्रेणी को नक्शा क्रमांक –7 में दर्शाया गया है।



Madhya Pradesh Pollution Control Board
Paryavaran Peeti, E.S. Area Colony, Bhopal
KATNI
Source: MPPCB



गोदावरी बेसिन—

गोदावरी बेसिन मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। बेसिन के कुल भाग का मात्र 10 प्रतिशत मध्यप्रदेश में स्थित है। इस बेसिन के अंतर्गत प्रदेश की कन्हान, पेंच तथा बैनगंगा नदी जिला छिंदवाड़ा, सिवनी तथा बालाघाट में आती है।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपरोक्त तीनों नदियों के जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया जाता है।

कन्हान नदी—

वर्ष 2019–20 में कन्हान नदी के निम्नलिखित 04 स्थलों से जल नमूना एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया गया है :—

क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1	कन्हान नदी, बोरगांव सेन्टर नाला मिलने के पहले, छिंदवाड़ा +	बी
2	कन्हान नदी, बोरगांव ग्रोथ सेन्टर नाला मिलने के बाद, छिंदवाड़ा	बी
3	कन्हान नदी, नन्दन कोल वॉशरीज, इफलूएन्ट नाला मिलने के बाद, दमुआ	ए
4	कन्हान नदी मन्दिर के पास मेन घाट खप्पादिवार सौसर	बी

पेंच नदी—

वर्ष 2019–20 में पेंच नदी के निम्नलिखित 03 स्थलों से जल नमूना एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया गया है :—


क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1	पेंच नदी, संगोरी रोड ब्रिज के पास, छिंदवाड़ा +	ए
2	पेंच नदी, कारीकट गांव चौरई के पास, छिंदवाड़ा	ए
3	पेंच नदी रोड ब्रिज के पास, हल्लार्खुद	ए

वैनगंगा नदी —

वर्ष 2019–20 में वैनगंगा नदी के निम्नलिखित 06 स्थलों से जल नमूना एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया गया है :—

क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1	वैनगंगा नदी, छपारा, जल प्रदाय केन्द्र, के पास, सिवनी. +	ए
2	वैनगंगा नदी, छपारा रोड ब्रिज के पास मोती और चमरिया नाला मिलने से पहले, सिवनी +	ए
3	वैनगंगा नदी, लखनवाड़ा नहाने वाले घाट के पास, सिवनी	ए
4	वैनगंगा नदी, केवलारी सिंचाई पम्पिंग स्टेशन के पास	ए
5	वैनगंगा नदी, 100 मी. डाउन स्ट्रीम, जगपुर घाट, बालाघाट +	ए
6	वैनगंगा नदी, बुदना इन्टर स्टेट बाउन्डी, बालाघाट	ए

कन्हान नदी के जल की गुणवत्ता “ए” एवं “बी” तथा पेंच तथा बैनगंगा नदी के जल की गुणवत्ता “ए” श्रेणी की है। नदियों की जल गुणवत्ता श्रेणी को नक्शा क्रमांक –8 में दर्शाया गया है।



ताप्ती बेसिन –

ताप्ती बेसिन के अंतर्गत मुख्य नदी ताप्ती हैं। इसकी मुख्य सहायक नदियां अरुणावती, गोमती, पूर्णा, गिरना आदि हैं। ताप्ती नदी के तट पर मध्यप्रदेश के मुलताई, नेपानगर, बैतूल एवं बुरहानपुर शहर स्थित हैं तथा प्रमुख डेम हथनूर एवं उकई (महाराष्ट्र) हैं।

ताप्ती नदी –


ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुलताई शहर में होता है। यह नदी मुलताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं गुजरात में सूरत के मैदान को पार करते हुए अरब सागर में समाहित होती है। यह नदी भी नर्मदा एवं माही नदी की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। मध्यप्रदेश में यह कुल 332 किलोमीटर बहती है।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मुलताई, नेपानगर एवं बुरहानपुर शहरों से वर्ष 2019–20 में ताप्ती नदी के निम्नलिखित 05 स्थलों से जल नमूना एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया गया हैः—

क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1	ताप्ती नदी, खेडा अमरावती रोड ब्रिज, के पास, बैतूल +	बी
2	ताप्ती नदी, 100 मी.डाउन स्ट्रीम पंढार नाला मिलने के बाद, नेपानगर +	बी
3	ताप्ती नदी, नवाथा पम्पिंग स्टेशन के पास, नेपानगर +	ए
4	ताप्ती नदी, हथनूर, बुरहानपुर. +	बी
5	ताप्ती नदी, पीपलघाट, बुरहानपुर. +	बी

वर्ष 2019–20 में ताप्ती नदी की जल गुणवत्ता “ए” तथा “बी” श्रेणी की पाई गई है एवम् जल गुणवत्ता को नक्शा क्रमांक –9 में दर्शाया गया है।

Water Quality of River Tapti (2019-20)



माही बेसिन –

माही बेसिन की प्रमुख नदी माही है। मध्य प्रदेश में इसकी मुख्य सहायक नदी अनास हैं।

माही नदी—

माही नदी पश्चिमी भारत की एक मुख्य नदी है। इसका उद्गम मध्यप्रदेश के धार जिले के समीप मिन्डा ग्राम की विध्याचल पर्वत से हुआ है। यह धार, झाबुआ तथा रतलाम जिले के राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। इसकी कुल लम्बाई 472 कि.मी. है। माही नदी पर बजाज सागर एवं कडाणा बांध राजस्थान राज्य में बनाये गये हैं। यह खम्बात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में मिलती है।


मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा धार एवं रतलाम शहरों से वर्ष 2019–20 में माही नदी के निम्नलिखित 03 स्थलों से जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया गया है :-

क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1	माही नदी, बदनावर धार +	ए
2	माही नदी, रानीसिंह गाँव, रतलाम	बी
3	माही नदी, फारेस्ट गेस्ट हाउस राजापुर, रतलाम	ए

माही नदी की जल गुणवत्ता “ए” तथा “बी” श्रेणी की पाई गई है। माही बेसिन नक्शा क्रमांक –10 में दर्शाया गया है।

भारतीय मानक आई.एस.2296–1992 के आधार पर सतही जल गुणवत्ता का विवरण

श्रेणी	उपयोग
ए	पेयजल स्त्रोत रोगाणुरहित गैर-पारम्परिक उपचार के बिना।
बी	बाह्य स्नान योग्य (आउट डोर बाथिंग)।
सी	पेयजल रोगाणुरहित पारम्परिक उपचार के साथ।
डी	वन्य जीवन एवं मत्स पालन हेतु।
ई	सिंचाई, औद्योगिक प्रशीतलन या नियंत्रित दूषित अपवहन।



4.7 मूर्ति विसर्जन—

प्राकृतिक जल स्रोतों में धार्मिक कार्यक्रमों/उत्सव के समय प्लास्टर आफ पेरिस, प्लास्टिक, सीमेंट, रसायनयुक्त रंगों/आयल रंगों, कले इत्यादि से निर्मित प्रतिमाओं के विसर्जन करने से जलीय वनस्पतियों, जीव-जन्तुओं के अलावा मनुष्यों की सेहत पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना होती हैं। अतः मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार वर्ष 2005 से निरन्तर मूर्ति विसर्जन के समय मॉनिटरिंग व जन-जागरूकता इत्यादि संबंधी कार्य निम्नानुसार संपादित किये जा रहे हैं :—

1. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्थानीय निकायों/प्राधिकारियों के साथ बैठक कर मूर्ति विसर्जन के दिशा-निर्देशन के पालनार्थ एक समन्वय समिति गठित कर विसर्जन स्थल चिन्हित करने, पूजन सामग्री (पुष्प, वस्त्र, सजावट की सामग्री) को अलग कर अपवहन की व्यवस्था तथा मूर्ति विसर्जन के 48 घंटे के अन्दर बची हुई सामग्री के अपवहन आदि के कार्य सुनिश्चित किये।
2. प्रदेश स्तर पर कार्यशालायें आयोजित कर प्लास्टर आफ पेरिस के स्थान पर मिट्टी की छोटे आकार की प्रतिमाएँ बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया।



3. जन-जागृति हेतु पम्पलेट एवं पोस्टर से प्रचार-प्रसार किया गया। प्रदेश व्यापी दैनिक समाचार पत्रों में अपील प्रकाशित कर आम जनता से मिट्टी/कागज/सुपारी आदि से बनी प्रतिमाओं का उपयोग करने तथा प्रतिमाओं में कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल न करने की अपील की गई।



4. स्थानीय प्रशासन के सहयोग से प्राकृतिक जल स्रोत की मुख्य धारा के स्थान पर अस्थाई “प्रतिमा विसर्जन कुण्डों” का निर्माण कर कुण्डों में मूर्ति विसर्जन हेतु जनता को प्रेरित किया गया।



अस्थाई विसर्जन कुण्ड



प्रतिमा विसर्जन स्थल

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल निकाय के आकार को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त संख्या में सेम्पलिंग स्थल निर्धारित कर, विसर्जन स्थल का तीन चरणों में अर्थात् विसर्जन पूर्व, विसर्जन के दौरान एवं विसर्जन के पश्चात् जल गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए भौतिक-रासायनिक पैरामीटरों जैसे पी.एच., घुलित आक्सीजन, जैव-आक्सीजन मांग, विशिष्ट चालकता, गंदलापन, कुल घुलित ठोस और धातु जैसे क्रोमियम, लैड, जिंक एवं कॉपर का विश्लेषण किया गया।



वर्ष 2019 में बोर्ड के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा गणेश/दुर्गाजी उत्सव पश्चात् प्रतिमा विसर्जन के दौरान विसर्जन स्थलों/अस्थाई कुण्ड के जल नमूना एकत्रित कर जल गुणवत्ता का आंकलन किया गया।

औद्योगिक दूषित जल की निगरानी—

उद्योग द्वारा उत्पादन प्रक्रिया एवं घरेलू कार्यों में जल का उपयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न जल दूषित होता है। दूषित जल के उपचार/शोधन हेतु बोर्ड द्वारा उद्योगों को निर्देश दिये जाते हैं। दूषित जल उपचार संयंत्रों में उपचारित जल की गुणवत्ता बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। उद्योगों से निस्सारित दूषित जल के नमूने बोर्ड अपनी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से एकत्रित कराकर उनकी गुणवत्ता का नियमित आंकलन करता है। वर्ष 2019–20 में विभिन्न उद्योगों से कुल 1959 दूषित जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये।

4.8 वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम—

1. केन्द्र प्रवर्तित योजनाये—

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शहरीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन हेतु प्रायोजित योजना का विवरण निम्नानुसार है :—

राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम (एन.ए.एम.पी.)—

इस योजना के अंतर्गत राज्य के 15 प्रमुख शहरों में 40 स्थानों पर क्षेत्रवार आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में सप्ताह में दो बार 24 घण्टे परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत शहरवार परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग स्टेशनों की संख्या निम्नानुसार है :—




मध्यप्रदेश के मुख्य शहरों की वायु गुणवत्ता का विवरण—

परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग के विश्लेषित प्रचालक— सल्फर डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइडस, रेस्पायरेबल सर्पेंडेड पार्टीकुलेट मेटर (पी.एम._{10}), $\text{पी.एम.}_{2.5}$, ओजोन, अमोनिया, लैड, निकल, आर्सेनिक, एवं कार्बन मोनोऑक्साइड के वार्षिक औसत परिणामों के आधार पर शहरवार वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की गणना की गई।

राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक, अधिसूचना, 18 नवम्बर, 2009 में उल्लेखित पैरामीटर सल्फर डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइडस, रेस्पायरेबल सर्पेंडेड पार्टीकुलेट मेटर (पी.एम._{10}) $\text{पी.एम.}_{2.5}$, ओजोन, अमोनिया, लैड, निकल, आर्सेनिक, कॉर्बन मोनोऑक्साइड, बैंजो-ए-पायरिन एवं बैंजीन पैरामीटर का परीक्षण किया गया है। वर्ष 2019–20 के दौरान एकत्रित एवं विश्लेषित उपरोक्त पैरामीटर की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष 2019–20 में राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत विश्लेषित किये गये प्रचालकों की संख्या




प्रतिदिन परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग परिणाम क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं से प्राप्त कर जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) निम्न अनुसार कलर कोड के साथ बोर्ड की बेवसाईट पर प्रदर्शित की जाती है।

वायु गुणवत्ता सूचकांक	श्रेणी	रंग कोड
401.500	अति प्रदूषित	भूरे रंग
301.400	बहुत खराब	लाल रंग
201.300	खराब	लाल-खेली रंग
101.200	मध्यम	गोला-खेली रंग
51.100	संतोषजनक	लाल-खेली-लाल रंग
0.50	अच्छा	लाल-खेली-लाल-खेली रंग

नॉन अटेनमेन्ट शहर— केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों पर प्रदेश के नॉन अटेनमेन्ट शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, ग्वालियर एवं सागर में जिला संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर परिवेशीय वायु गुणवत्ता सामान्य करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। वायु प्रदूषण के स्त्रोतों को ज्ञात करने हेतु भोपाल शहर की सोर्सअपर्समेन्ट अध्यन हेतु Automotive research Association of India, Pune (ARAI) तथा ग्वालियर शहर की सोर्सअपर्समेन्ट अध्यन हेतु IIT – Kanpur को आदेश दिये गये हैं।

प्रदेश की सभी 06 नॉन अटेनमेन्ट सिटी में जन-जागृति कार्यक्रम आयोजित किये गये।

मध्यप्रदेश में स्थित समस्त 40 परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों को नक्शा क्रमांक-11 में दर्शाया है।



राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत शहरवार परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग स्टेशन			
शहर क्र.	शहर	स्टेशन क्र.	स्थल
1	उज्जैन	1	क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्र.नि.बो., उज्जैन
		2	जिला औद्योगिक कार्यालय, उज्जैन
		3	महाकाल मंदिर, उज्जैन
		4	नगर निगम कार्यालय, उज्जैन
2	नागदा	5	केमिकल डिवीजन, लेबर क्लब, नागदा
		6	ग्रेसिम गेस्ट हाउस, नागदा
		7	ग्रेसिम कल्याण केन्द्र, नागदा
3	देवास	8	क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्र.नि.बो. देवास
		9	गजरा गेयर लि., देवास
		10	ई.आई.डी. लि., देवास
4	भोपाल	11	मृगनयनी, हमीदिया रोड, भोपाल
		12	गोविंदपुरा, औद्योगिक क्षेत्र, भोपाल
		13	पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल
		14	कोलार थाना, कोलार रोड, भोपाल
		15	सिविल हॉस्पिटल, बैरागढ़
		16	यूनिवर्सिटी, होशंगाबाद रोड, भोपाल
5	मंडीदीप	17	ए.के.व्ही.एन.मंडीदीप, औद्योगिक क्षेत्र, मंडीदीप
6	इन्दौर	18	सांवेर रोड, इन्दौर
		19	कोठारी मार्केट, एम. जी. रोड, इन्दौर
		20	विजय नगर, इन्दौर
7	पीथमपुर	21	विकास भवन, सेक्टर-2, पीथमपुर
		22	आर.सी.सी. सेक्टर-3, पीथमपुर
8	ग्वालियर	23	महाराज वाडा, ग्वालियर
		24	पद्मा स्कूल कम्पू, ग्वालियर
		25	दीनदयाल नगर, ग्वालियर
9	जबलपुर	26	विजय नगर, जबलपुर
		27	उदयपुर ब्रेवरिज रीछाई, औद्योगिक क्षेत्र, जबलपुर
10	छिंदवाड़ा	28	मुल्लाजी पेट्रोल पम्प के सामने, परासिया रोड, छिंदवाड़ा
		29	जबलपुर दुर्घ संघ, छिंदवाड़ा
11	सागर	30	दीनदयाल नगर, हाउसिंग बोर्ड, सागर
		31	न्यू कालोनी तिली रोड, सागर

12	सतना	32	क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्र.नि.बो., मैहर बाईपास, सतना
		33	वैष्णों फ्लोर मिल, सतना
13	सिंगरौली	34	एन.टी.पी.सी., विध्यनगर
		35	जयंत टाउनशिप, सिंगरौली
		36	बैठन औद्योगिक क्षेत्र
14	शहडोल	37	न्यू बिल्डिंग क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्र.नि.बो., शहडोल
		38	ट्रेफिक पुलिस ऑफिस, शहडोल
15	कटनी	39	केलडरी वर्क इण्डिया रिफायनरी, कटनी
		40	एच.आई.जी. – 4 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कटनी

वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रयास एवं सुझाव—

परिवेशीय वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से समय—समय पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जन—जागृति कार्यक्रम आयोजित कर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए निम्नानुसार सुझाव दिए जाते हैं :—

1. डीजल चलित वाहनों की संख्या में कमी लाई जाये।
2. पुराने वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई जाये।
3. घरेलू कचरे को जलाये जाने पर रोक लगाने की आवश्यकता है।
4. भवन निर्माण स्थानों पर स्कीन (टीन / प्लास्टिक के पर्द) की व्यवस्था हो।
5. किसानों को नरवाई नहीं जलाने की समझाइश दी जाये।
6. सड़कों के किनारे लॉन (घास) एवं पेड़ पौधों या पेंगिंग ब्लॉक लगाने जैसी व्यवस्था से भी धूल कणों पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

2. उद्योगों की चिमनियों के उत्सर्जन की निगरानी—

उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक मात्रा में हानिकारक गैसों एवं धूल के कण का उत्सर्जन सम्भावित होता है, जो चिमनियों से या सीधे ही वायु मण्डल में उत्सर्जित होते हैं। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उद्योगों द्वारा ई.एस.पी. एवं बैग फिल्टर आदि वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना की जाती है। उद्योगों से उत्पादन गतिविधियों के फलस्वरूप सम्भावित वायु प्रदूषण पर सतत निगरानी रखने हेतु म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से उद्योगों की चिमनियों से होने वाली वायु उत्सर्जन की निगरानी हेतु वायु मॉनिटरिंग करता है। वर्ष 2019–20 में चिमनियों के कुल 381 नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये।


3. परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन कार्यक्रम—

औद्योगिक / नगरीय ठोस अपशिष्ट अपवहन स्थलों / शहरों के आस—पास के वातावरण में वायु प्रदूषण की सम्भावना रहती है। अतः वर्ष 2019–20 में प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों / नगरीय ठोस अपशिष्ट अपवहन स्थलों एवं 52 जिलों में परिवेशीय वायु मापन कार्य में कुल 7872 नमूने



एकत्रित कर विश्लेषित किये गये। जिलेवार परिवेशीय वायु मापन में प्रचालक –सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साइड्स, रेस्पायरेबल संस्पेंडेड पार्टीकुलेट मेटर (पी.एम.₁₀) एवं पी.एम._{2.5} का मापन कर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की गणना कर जिलेवार परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी बोर्ड कि वेबसाइट पर प्रतिमाह अपलोड की गई है।


वर्ष 2019–20 में मध्यप्रदेश के 52 जिलों पर की गई परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) नक्शा क्रमांक–27 में दर्शाया गया है।



4.9 प्रदेश के प्रमुख शहरों की परिवेशीय वायु की स्थिति—


भोपाल शहर—

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहप्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत भोपाल शहर के 06 स्थानों पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर वायु मापन कार्य नियमित रूप से किया जाता है। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार भोपाल शहर के समस्त 06 परिवेशीय वायु मापन केन्द्र का सूचकांक मध्यम श्रेणी में है, जिसे नक्शा क्र. 12 में दर्शाया गया है।




इंदौर शहर –

इंदौर शहर में कुल 03 स्थानों (कोठारी मार्केट, वाणिज्यिक क्षेत्र, सांवेर रोड, औद्योगिक क्षेत्र तथा विजयनगर, रहवासी क्षेत्र) पर नियमित रूप से राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों को संचालित किये जा रहे हैं। वर्ष 2019–20 के विश्लेषित प्रचालकों के परिणाम सामान्यतः निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप पाये गये हैं। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार इंदौर शहर के समस्त 03 परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक की श्रेणी में है, जिसे नक्शा क्र.13 में दर्शाया गया है।




उज्जैन शहर—

उज्जैन शहर के 04 राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर परिवेशीय वायु मापन कार्य किया जाता है। वर्ष 2019–20 में विश्लेषित प्रचालकों के परिणाम सामान्यतः निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप पाये गये हैं। औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार उज्जैन शहर के सभी 04 परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक श्रेणी का है, जिसे नक्शा क्र. 14 में दर्शाया गया है।




नागदा शहर—

वर्ष 2019–20 में उज्जैन जिले के नागदा औद्योगिक क्षेत्र में 03 स्थानों पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। परिवेशीय वायु मापन के समस्त विश्लेषित प्रचालकों का औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं। औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार नागदा औद्योगिक क्षेत्र के 02 परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों का सूचकांक अच्छा श्रेणी का है, जबकि ग्रेसिम कल्याण केन्द्र, नागदा का सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में है, जिसे नक्शा क्र. 15 में दर्शाया गया है।




देवास शहर—

देवास शहर के 03 स्थानों पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर वायु गुणवत्ता का आंकलन किया किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में विश्लेषित प्रचालकों के औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप पाये गये हैं। औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार देवास शहर के 02 परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक श्रेणी का है। क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्र.नि.बो., देवास परिवेशीय वायु मापन केन्द्र का सूचकांक मध्यम श्रेणी में है, जिसे नक्शा क्र. 16 में दर्शाया गया है।




ग्वालियर शहर—

ग्वालियर शहर के 03 स्थानों महाराजवाड़ा, दीनदयाल नगर तथा पदमा स्कूल कम्पू में राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्र स्थापित है। 04 अतिरिक्त स्थानों पर परिवेशीय वायु मापन स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त की गई। शीघ्र ही इन स्थानों पर वायु मापन का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार ग्वालियर शहर के तीनों परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों, का सूचकांक मध्यम श्रेणी है, जिसे नक्शा क्र. 17 में दर्शाया गया है।




सतना शहर—

सतना शहर में संचालित 02 स्थानों (क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवासीय क्षेत्र तथा वैष्णव फ्लोर मिल, औद्योगिक क्षेत्र) पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्र पर वायु मापन किया गया। विश्लेषित प्रचालकों के औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं। औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक दोनों परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों का सूचकांक मध्यम श्रेणी है, जिसे नक्शा क्र. 18 में दर्शाया गया है।




जबलपुर शहर—

जबलपुर शहर के 02 स्थानों पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्र स्थापित है। वर्ष 2019–20 में विश्लेषित प्रचालकों के वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं। औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना अनुसार जबलपुर शहर दोनों परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक है, जिसे नक्शा क्र. 19 में दर्शाया गया है।




छिंदवाड़ा शहर—

छिंदवाड़ा शहर के 02 स्थानों जबलपुर दुग्ध संघ तथा मुल्लाजी पेट्रोल पम्प पर परिवेशीय वायु मापन किया जाता है। वर्ष 2019–20 में विश्लेषित प्रचालकों का वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं। जबलपुर दुग्ध संघ तथा मुल्लाजी पेट्रोल पम्प स्थित वायु मॉनिटरिंग स्टेशनों के औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना अनुसार दोनों स्थानों पर सूचकांक संतोषजनक है, जिसे नक्शा क्र. 20 में दर्शाया गया है।




कटनी शहर-

कटनी शहर के 02 स्थानों ए.सी.ई. रिफेक्ट्रीज तथा हाउसिंग बोर्ड कालोनी, कटनी में संचालित राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर परिवेशीय वायु मापन किया गया। विश्लेषित प्रचालकों के वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं। औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना अनुसार ए.सी.ई. रिफेक्ट्रीज कटनी केन्द्र का सूचकांक संतोषजनक तथा हाउसिंग बोर्ड कालोनी, कटनी परिवेशीय वायु मापन केन्द्र का सूचकांक मध्यम श्रेणी है, जिसे नक्शा क्र. 21 में दर्शाया गया है।




सागर शहर—

सागर शहर में 02 स्थानों दीनदयाल नगर, हाउसिंग बोर्ड, सागर तथा न्यू कालोनी तिली रोड, सागर पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्र संचालित है। विश्लेषित प्रचालकों के औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं। औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता की गणना अनुसार सागर शहर के दोनों राष्ट्रीय परिवेशीय मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक है, जिसे नक्शा क्र. 22 में दर्शाया गया है।




सिंगरौली शहर –

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंगरौली में 03 स्थानों पर परिवेशीय वायु मापन किया गया। विश्लेषित प्रचालकों के वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं। औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता की गणना अनुसार तीनों परिवेशीय वायु मापन स्टेशनों का सूचकांक मध्यम श्रेणी में है, जिसे नक्शा क्र. 23 में दर्शाया गया है।




शहडोल क्षेत्र-

शहडोल क्षेत्र में स्थित 02 राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर वायु गुणवत्ता का अंकलन किया गया। वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं। औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना अनुसार न्यू एम.पी.पी.सी.बी. ऑफिस तथा ट्रेफिक ऑफिस शहडोल दोनों का सूचकांक संतोषजनक श्रेणी है, जिसे नक्शा क्र. 24 में दर्शाया गया है।




पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र—

धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 02 राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर वायु गुणवत्ता का आंकलन किया गया। वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं। औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना अनुसार पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के दोनों परिवेशीय मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक है, जिसे नक्शा क्र. 25 में दर्शाया गया है।



मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र-

रायसेन जिले के मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र के 01 स्थान पर परिवेशीय वायु मापन किया गया। विश्लेषित प्रचालकों के औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं। औसत वायु गुणवत्ता की गणना अनुसार मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र परिवेशीय मापन केन्द्र का सूचकांक मध्यम श्रेणी का है, जिसे नक्शा क्र. 26 में दर्शाया गया है।




4.10 वाहन जनित प्रदूषण का सर्वेक्षण—

वाहन जनित प्रदूषण के नियंत्रण हेतु किये जा रहे कार्यों का विवरण—


मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को प्रति वर्ष वाहनों के उत्सर्जन की जाँच हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। वाहनों के उत्सर्जन की जाँच हेतु निर्धारित लक्ष्य 15600 वाहनों का था, जिसके विरुद्ध भोपाल, उज्जैन, इन्दौर, देवास, ग्वालियर, सागर, गुना, जबलपुर, सिंगरौली, सतना, छिंदवाड़ा, शहडोल, रीवा एवं कटनी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा कुल **17601** वाहनों के उत्सर्जन की जाँच की गई।





जॉच किये गये कुल वाहनों में से 398 वाहन अर्थात् 2.26 प्रतिशत निर्धारित मानकों से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये। निर्धारित मानकों से अधिक उत्सर्जन करने वाले वाहनों की जानकारी संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग को प्रेषित की गई।

क्षेत्रीय कार्यालयवार मानक से अधिक उत्सर्जन करते वाहनों का प्रतिशत



सर्वेक्षण के निष्कर्ष एवं की गई सिफारिशें—

उपरोक्त नगरों में चलने वाले अधिकांश डीजल चलित टैम्पो, मिनी बसों के उत्सर्जन निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये। मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुसार वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही का अधिकार परिवहन विभाग को है। बोर्ड द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु परिवहन विभाग को समय-समय पर सुझाव दिये जाते हैं एवं जन मानस में वाहनों से होने वाले प्रदूषण के सम्बन्ध में जन-जागरूकता लाने के प्रयास किये जाते हैं। सम्बन्धित विभाग को दिये गये सुझाव निम्नलिखित हैं :—

1. मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत डीजल तथा पेट्रोल वाहनों की नियमित जॉच।
2. ईंधन में मिलावट को रोकने हेतु पेट्रोल पम्पों तथा वाहनों द्वारा उपयोग किये जा रहे, ईंधन की नियमित जॉच।
3. अत्यधिक व्यस्त मार्गों को एकांकी घोषित किया जाना।
4. शासकीय वाहनों के उत्सर्जन की जॉच किया जाना।
5. वाहनों की जॉच के समय, वाहनों से होने वाले प्रदूषण एवं उनमें सुधार कैसे सम्भव हो, जानकारी दी जाना।
6. पेट्रोल तथा डीजल चलित वाहनों में सी.एन.जी. (कम्प्रेस्ड नेच्यूरल गैस) का उपयोग किया जाना। इत्यादि

वाहन उत्सर्जन मापन (वर्ष 2019–2020)

क्र.	शहर	वार्षिक लक्ष्य (वाहनों संख्या)	उत्सर्जन जॉच किये गये वाहनों की संख्या		
			उत्सर्जन जांच किये गये वाहनों की संख्या	मानक से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये वाहनों की संख्या	मानक से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये वाहनों की संख्या का प्रतिशत
1	भोपाल	1200	1200	19	1.58
2	इन्दौर	1200	1200	70	5.83
3	धार	600	600	0	0
4	ग्वालियर	1200	1329	167	12.56
5	गुना	600	1090	0	0
6	पीथमपुर	600	600	0	0
7	जबलपुर	1200	1808	12	0.66
8	कटनी	600	879	0	0
9	छिंदबाड़ा	600	600	0	0
10	रीवा	1200	1800	7	0.38
11	सागर	1200	1109	6	0.54
12	सतना	1200	1213	40	3.29
13	उज्जैन	1200	1220	12	0.98
14	देवास	600	1500	0	0
15	शहडोल	1200	1453	65	4.47
16	सिंगरौली	1200	0	0	0
कुल		15600	17601	398	2.26

4.11 ध्वनि प्रदूषण सर्वेक्षण—

बोर्ड द्वारा ध्वनि स्तर का सर्वेक्षण व मापन संबंधी कार्य वाणिज्यिक, आवासीय, शांत एवं औद्योगिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से सम्पन्न कराया जाता है। वर्ष 2019–20 में कुल 8928 काउन्ट्स का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके विरुद्ध कुल 16193 काउन्ट्स का ध्वनि स्तर मापन किया गया, जिसमें से 3008 काउन्ट्स अर्थात् 18.51 प्रतिशत काउन्ट्स निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये, जिसका प्रमुख कारण वाहनों का अत्याधिक आवागमन एवं प्रेशर हार्न का उपयोग, वाणिज्य गतिविधियाँ, वैवाहिक तथा धार्मिक आयोजनों के दौरान लाउड स्पीकर / अत्यधिक तेज ध्वनि वाले संगीत प्रणाली का उपयोग करना, जनरेटर सेट का उपयोग एवं दीपावली और अन्य त्यौहारों के दौरान अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग करना है। ध्वनि स्तर मापन रिपोर्ट की जानकारी संबंधित जिला प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय कार्यालयवार ध्वनि उत्सर्जन मापन (वर्ष 2019–20)

क्र.	शहर	वार्षिक लक्ष्य (काउन्ट्स)	ध्वनि स्तर मापन		
			कुल की गई ध्वनि स्तर मापन की संख्या	मानक से अधिक पाये गये ध्वनि स्तर मापन की संख्या	मानक से अधिक पाये गये ध्वनि स्तर मापन का प्रतिशत
1	भोपाल	576	1216	176	14.47
2	इन्दौर	576	885	219	24.74
3	धार	576	290	0	0
4	ग्वालियर	576	1198	788	65.77
5	गुना	576	1810	87	4.8
6	पीथमपुर	288	290	0	0
7	जबलपुर	576	576	214	37.15
8	कटनी	576	1188	28	2.35
9	छिंदबाड़ा	576	576	0	0
10	रीवा	576	1805	335	18.55
11	सागर	576	600	107	0
12	सतना	576	1728	389	22.51
13	उज्जैन	576	685	233	34.01
14	देवास	576	1230	233	18.13
15	शहडोल	576	1606	199	12.39
16	सिंगरौली	576	510	0	0
	कुल योग	8928	16193	3008	18.51


क्षेत्रीय कार्यालयों में किये गये शोर प्रदूषण सर्वेक्षण का विवरण :—




क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा प्रतिमाह ध्वनि स्तर मापन कार्य निर्धारित पैकेज अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक कार्यक्रमों जैसे गणेश/दुर्गा उत्सव एवं दीपावली पर्व के समय ध्वनि प्रदूषण की संभावना होती है। अतः उपरोक्त धार्मिक कार्यक्रमों पर भी ध्वनि स्तर मापन कार्य किया जाता है।



बोर्ड द्वारा किये गये ध्वनि स्तर मापन का विवरण इस प्रकार है :—



क्षेत्रीय कार्यालयवार मानक से अधिक ध्वनि स्तर मापन का प्रतिशत



माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के परिपालन हेतु जन-जागरूकता कार्यक्रम के तहत समाचार पत्र, दूरदर्शन व आकाशवाणी पर परिचर्चा आयोजित की जाती है। वर्ष में कुल **06** परिचर्चाएं की गईं।

5. पर्यावरणीय समस्याएं और इसके नियंत्रण हेतु किये जा रहे उपायों की वर्तमान स्थिति

बोर्ड द्वारा राज्य में जल एवं वायु गुणवत्ता प्रबोधन तंत्र के अन्तर्गत विभिन्न जल स्रोतों, प्रदूषणकारी उद्योगों के निस्सारण बिन्दुओं व परिवेशीय वायु के नमूने एकत्र कर विश्लेषण कार्य किया जाता है। वाहनों से होने वाले उत्सर्जनों तथा ध्वनि प्रदूषण की भी जॉच की जाती है। प्रदेश में स्थापित सभी उद्योगों को उनके द्वारा किये जा रहे उत्सर्जनों/निस्त्रावों की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रखने के लिये निर्देश दिये जाते हैं। इसके अन्तर्गत उद्योगों को सक्षम जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाया जाना आवश्यक है।

5.1 राज्य में प्रदूषणकारी उद्योग तथा इन उद्योगों/संस्थानों/खदानों में स्थापित जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है—

क्र.	विवरण	वृहद, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योग/ संस्थान/खदानें
1	कुल जल प्रदूषणकारी उद्योग	21740
2	(अ) उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापित किये गये हैं।	21740
	(ब) उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा वर्ष के दौरान स्थापित दूषित जल उपचार संयंत्रों में उन्नयन/सुधार/निर्माण कार्य किया गया है।	273



मेसर्स एस.आर.एफ. लि., औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर जिला भिण्ड द्वारा शून्य निस्त्राव हेतु स्थापित आर.ओ. प्लाट, एमईई एवं एटीएफडी की स्थापना



मेसर्स टाटा इंटरनेशनल लि., औद्योगिक क्षेत्र, देवास द्वारा शून्य निस्त्राव हेतु स्थापित एमईई एवं एटीएफडी की स्थापना

5.2 राज्य में प्रदूषणकारी उद्योग तथा इन उद्योगों/संस्थानों/खदानों में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	विवरण	वृहद, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योग/संस्थान/खदाने
1	कुल वायु प्रदूषणकारी उद्योग	21847
2	(अ) उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किये गये हैं।	21847
	(ब) उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा वर्ष के दौरान स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में उन्नयन/ सुधार/ निर्माण कार्य किया गया है।	606

प्रदेश में स्थापित कार्यरत उद्योगों की कुल संख्या 22132 है, जिसमें वृहद श्रेणी के 681, मध्यम श्रेणी के 1534 तथा लघु श्रेणी के 19917 उद्योग शामिल हैं। उद्योगों की श्रेणी वर्गीकरण के अनुसार संख्या लाल श्रेणी में 15504 नारंगी श्रेणी में 2899 एवं हरी श्रेणी में 3729 हैं।

5.3 उद्योगों की स्थापना सम्मति एवं संचालन हेतु जारी सम्मति—

बोर्ड द्वारा उद्योगों के संचालन के पूर्व जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम प्रदूषणकारी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत जारी की जाने वाली सम्मति को दो चरणों में विभक्त किया गया है। नये उद्योगों एवं पूर्व से कार्यरत ऐसे उद्योग जिनके द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि अथवा उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है, को उनकी स्थापना के पूर्व स्थापना सम्मति जारी की जाती है जिसमें उद्योगों को उत्पन्न होने वाले निस्त्राव एवं उत्सर्जन हेतु मानक का निर्धारण कर उक्त मानकों तक उपचार व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिये जाते हैं।

कुल 2867 वृहद, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योगों को ऑनलाईन स्थापना सम्मतियों जारी की गई हैं। जिन उद्योगों द्वारा उद्योग स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनको सशर्त उत्पादन सम्मति प्रदान की जाती है। वर्ष 2019–20 में कुल 8949 वृहद, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योगों को ऑनलाईन उत्पादन सम्मतियों तथा सम्मति नवीनीकरण जारी किये गये हैं।

वर्ष 2019–20 में मुख्यालय द्वारा वृहद/मध्यम एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लघु श्रेणी के उद्योगों को जारी स्थापना समति, उत्पादन समति तथा सम्मति नवीनीकरण का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्थापना समति की संख्या	उत्पादन समति एवं सम्मति नवीनीकरण की संख्या	योग
1	भोपाल	434	884	1318
2	इन्दौर	303	1167	1470
3	धार	161	388	549
4	एसईजेड़ पीथमपुर	11	38	49
5	पीथमपुर	32	263	295
6	उज्जैन	142	753	895
7	देवास	79	339	418
8	गुना	129	383	512
9	ग्वालियर	157	716	873
10	सागर	414	1203	1617
11	सतना	82	203	285
12	रीवा	161	106	267
13	कटरी	94	319	413
14	शहडोल	138	428	566
15	सिंगराँली	66	224	290
16	जबलपुर	356	1186	1542
17	छिंदवाड़ा	108	349	457
महायोग		2867	8949	11816

5.4 उद्योगों का सम्मति नवीनीकरण—

बोर्ड द्वारा उद्योगों को जारी जल एवं वायु सम्मति शर्तों के पालनार्थ उद्योगों द्वारा स्थापित प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं के संचालन एवं की जा रही कार्यवाही के आंकलन हेतु उक्त सम्मतियों का नवीनीकरण किया जाता है। सामान्यतः हरी श्रेणी के उद्योगों की सम्मतियों का नवीनीकरण 15 वर्ष तक, नारंगी श्रेणी के उद्योगों की सम्मतियों का नवीनीकरण 10 वर्ष तक एवं लाल श्रेणी के उद्योगों की सम्मतियों का नवीनीकरण 05 वर्ष तक एक साथ किये जाने का भी प्रावधान है।

5.5 पर्यावरण प्रभाव अध्ययन—

उद्योगों/संस्थानों/खदानों द्वारा पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव के आंकलन हेतु ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं, जिनकी प्रति बोर्ड में जमा कराई जाती है। विचाराधीन वर्ष में जिन उद्योगों/संस्थानों/खदानों द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन बोर्ड में प्रस्तुत किये गये हैं, उनकी कुल संख्या 79 है, विवरण परिशिष्ट-3 अनुसार है।

5.6 वृक्षारोपण—

पर्यावरण उन्नयन की दृष्टि से उद्योग परिसर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण कराये जाने संबंधी शर्त का समावेश किया जाता है। वर्ष 2019–20 में 50 हजार संख्या से अधिक वृक्षों का रोपण कराये जाने वाले 09 उद्योगों की सूची परिशिष्ट–4 अनुसार है।

5.7 पर्यावरण विवरण—

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत उद्योग संचालन में गत वर्ष में उपयोग किये गये संसाधनों जैसे – कच्चे पदार्थों की खपत, जल खपत, प्रति यूनिट उत्पादन विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होता है। जिसके आधार पर उद्योग स्वयं अपना संचालन का पुनरावलोकन कर सकता है कि, गतवर्ष प्रति यूनिट उत्पादन के लिये विभिन्न संसाधनों की कितनी खपत हुई है। इस आधार पर उद्योग स्वप्रेरणा से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु सुरक्षात्मक कदम उठा सकता है। उक्त हेतु विभिन्न उद्योगों द्वारा प्रतिवर्ष पर्यावरण विवरण निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाते हैं।

5.8 जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में उन्नयन—

नई–नई वैज्ञानिक खोज एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में किये जा रहे अनुसंधानों से प्रदूषण नियंत्रण की तकनीकी में सतत उन्नयन होता रहता है। उपरोक्त दृष्टिकोण से वर्ष 2019–20 में जल उपचार संयंत्र में सुधार/उन्नयन/निर्माण करने वाले उद्योगों/संस्थानों की संख्या 273 है, सूची परिशिष्ट–5 अनुसार है।

5.9 वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में उन्नयन—

नई–नई वैज्ञानिक खोज एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में किये जा रहे अनुसंधानों से प्रदूषण नियंत्रण की तकनीकी में सतत उन्नयन होता रहता है। उपरोक्त दृष्टिकोण से वर्ष 2019–20 में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित उपकरणों में उन्नयन/सुधार/निर्माण करने वाले उद्योगों/संस्थाओं की संख्या 606 है। सूची परिशिष्ट–6 अनुसार है।

5.10 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था—

17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी परिशिष्ट–7 अनुसार है।

5.11 परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन—

परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016, अपेल 2016 से लागू हैं। प्रदेश में अभी तक 2713 उद्योगों को प्राधिकार दिये गये हैं। इन नियमों के तहत परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले सभी उद्योगों को उनके द्वारा जनित अपशिष्टों के सुरक्षित अपवहन की व्यवस्था करनी होती है। प्रदेश के कुछ एक उद्योगों ने स्वयं के परिसर में भर्त्ता केप्टिव एस.एल.एफ. लगाकर अपशिष्टों के अपवहन की व्यवस्था की है।

मध्यप्रदेश में स्थापित विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले परिसंकटमय अपशिष्टों के अपवहन हेतु कॉमन ट्रीटमेंट, स्टोरेज व डिस्पोजल फेसेलिटी (सीटीएसडीएफ) का विकास मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा मेसर्स एम.पी. वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, पीथमपुर के माध्यम से किया गया है। यह फेसिलिटी पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के प्लाट कमांक 104, सेक्टर–2, पीथमपुर, जिला–धार में स्थापित है। इस डिस्पोजल साईट पर निम्न सुविधाओं का विकास किया गया है—

- अपशिष्टों के भण्डारण हेतु व्यवस्था।
- अपशिष्टों के सॉलिडीफिकेशन / स्टेबलाईजेशन हेतु व्यवस्था।
- सिक्योर्ड लेण्डफिल सेल।
- लेण्डफिल से उत्पन्न होने वाले लीचेट के उपचार हेतु सोलर एवॉपोरेशन पोँड।
- अपशिष्टों के विश्लेषण कार्यों हेतु प्रयोगशाला।
- अन्य सुविधा जैसे वे ब्रिज, वॉशिंग प्लेटफार्म इत्यादि।
- इंसिनरेटर।

इस सुविधा ने नवम्बर 2006 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया तथा मार्च 2020 तक लगभग निम्नानुसार परिसंकटमय अपशिष्ट का अपवहन किया जा चुका है :-

क्रमांक	विवरण	मात्रा
1	इंसीनरेबल	29,971.89 मैट्रिक टन
2	लेण्डफिल (डायरेक्ट)	67,107.56 मैट्रिक टन
3	लेण्डफिल (आप्टर प्री-ट्रीटमेंट)	2,22,638.09 मैट्रिक टन

संस्था द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय के निर्देशानुसार एस्को एकाउण्ट का संधारण किया जा रहा है जिसमें दिनांक 31 मार्च 2020 तक राशि रु. 1.83 करोड़ जमा किये जा चुके हैं।

उक्त फैसेलिटी का समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा नियमों का सुचारू रूप से पालन सुनिश्चित किया जाता है।

परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन के तहत प्राधिकार प्राप्त उद्योगों की क्षेत्रवार संख्या :

क्रमांक	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	कुल उद्योगों की संख्या
1	भोपाल	462
2	इन्दौर	575
3	धार	51
4	उज्जैन	106
5	गुना	83
6	ग्वालियर	307
7	सागर	39
8	सतना	57
9	रीवा	100
10	कटनी	30
11	शहडोल	122
12	सिंगरौली	55
13	जबलपुर	277
14	छिंदवाड़ा	56

15	देवास	115
16	पीथमपुर	249
17	एसईजेड पीथमपुर	29
महायोग		2713

5.12 जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन—

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998, दिनांक 20 जुलाई 1998 से प्रभावशील हैं एवं 28 मार्च 2016 को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा इसमे संशोधन कर जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 नोटिफाईड किए गए एवं पुनः 16 मार्च 2018 को संशोधित नियम अधिसूचित किये गये हैं। इन नियमों में चिकित्सा संस्थानों से उत्पन्न होने वाले चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रबंधन, उपचार एवं निपटान संबंधी प्रावधान है। वर्ष 2019–2020 तक राज्य में कुल 7677 चिकित्सा संस्थान चिन्हित किये गये, जिसमें से 3817 शैय्यायुक्त चिकित्सा संस्थान तथा 3860 शैय्यारहित अन्य चिकित्सा संस्थान, ब्लड बैंक, पैथालॉजी इत्यादि चिन्हित किये गये हैं। नियमों के प्रावधान अनुसार सभी क्लीनिक, ब्लड बैंक, कैम्प एवं अन्य चिकित्सीय संस्थानों, जहाँ जीव चिकित्सा अपशिष्ट, उपचार के दौरान उत्पन्न होते हैं, उन्हें भी नियम की परिधि में सम्मिलित किया गया है तथा बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक है। तदानुसार मध्यप्रदेश में वर्ष 2019–2020 में 5616 चिकित्सा संस्थानों को प्राधिकार के दायरे में लाया जा चुका है।

केन्द्र शासन द्वारा प्रवर्तित उपरोक्त नियमों के परिपालनार्थ तथा साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा बाबत प्रसारित मार्गदर्शिका अनुसार प्रदेश में अस्पतालों द्वारा पृथक—पृथक उपचार व्यवस्था निर्मित किये जाने के स्थान पर साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाओं की स्थापना हुई है। वर्तमान मे प्रदेश में साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधायें, केप्टिव सुविधायें तथा प्रदेश के बाहर स्थित साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधायें उपयोगित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निपटान सुविधा द्वारा आसपास के क्षेत्रों में स्थित जैव चिकित्सा संस्थानों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का डोर टू डोर कलेक्शन करने के उपरान्त संयत्र में लाकर वैज्ञानिक पद्धति से निपटान किया जाता है। इस कार्य हेतु सुविधा संचालक द्वारा चिकित्सा संस्थानों से शुल्क प्राप्त किया जाता है। निजी अथवा केप्टिव सुविधा एक ही अस्पताल/अस्पताल समूह से उत्पन्न होने वाले कचरे को निपटाता है, जबकि ऐसे क्षेत्र जो अन्य प्रदेशों की सीमा से लगते हैं, वहाँ अन्य प्रदेश में निकटस्थ कोई साझा निपटान सुविधा होने की स्थिती में उसका उपयोग कर अपशिष्ट का निपटान करते हैं। सभी प्रकार के अपशिष्ट निपटान सुविधाओं की सूची संलग्न तालिका अनुसार हैं—

प्रदेश में स्थापित साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निपटान सुविधा

क्र.	स्थान	संचालक संस्था का नाम
1.	ग्वालियर	मेसर्स डेबिस सर्जिको द्वारा स्थापित एवं संचालित।
2.	जबलपुर	मेसर्स एलिट इंजीनियर्स द्वारा स्थापित एवं संचालित।
3.	इन्दौर	मेसर्स हॉस्पिटल इंसीनरेटर प्रा.लि. द्वारा स्थापित एवं संचालित।
4.	भोपाल	मेसर्स भोपाल इंसीनरेटर लि. द्वारा स्थापित एवं संचालित।
5.	सागर	मेसर्स बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर द्वारा स्थापित एवं मेसर्स डेविस सर्जिको द्वारा संचालित।

6.	सतना	मेसर्स इण्डो वाटर मैनेजमेंट एवं पाल्यूशन कन्ट्रोल कार्पोरेशन, सतना, द्वारा स्थापित एवं संचालित।
7.	सिवनी	मेसर्स कृपा वेस्टेज सिवनी द्वारा स्थापित एवं संचालित।
8.	रतलाम	मेसर्स बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, रतलाम द्वारा स्थापित एवं संचालित।
9.	सीहोर	मेसर्स इन्वायरमेण्टल प्रोटेक्शन कार्पोरेशन, सीहोर द्वारा स्थापित एवं संचालित।
10.	उमरिया	मेसर्स एम.पी. बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ग्राम इटौर जिला उमरिया द्वारा स्थापित एवं संचालित।
11.	चंदेरी, जिला अशोक नगर	मेसर्स जे.के. मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा स्थापित एवं संचालित।
12.	बैरसिया, जिला भोपाल	मेसर्स बी.एम.डब्ल्यू. साल्यूशन्स ग्राम रतूआ रतनपुर, बैरसिया, भोपाल द्वारा स्थापित एवं संचालित।
13.	मण्डीदीप, जिला रायसेन	मेसर्स इण्डिया वेस्ट मैनेजमेंट प्रा.लि. मण्डीदीप, रायसेन द्वारा स्थापित एवं संचालित।

प्रदेश में स्थापित निजी (केप्टिव) साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निपटान सुविधायें

क्र.	स्थान	संचालक संस्था का नाम
1.	रीवा	मेसर्स संजय गांधी मेडिकल कॉलेज, रीवा द्वारा स्थापित एवं संचालित।
2.	भोपाल	मेसर्स पीपुल्स मेडिकल कॉलेज, भोपाल द्वारा स्थापित एवं संचालित।

प्रदेश के बाहर स्थापित साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निपटान सुविधायें (केवल जैव चिकित्सा अपशिष्ट परिवहन हेतु)

क्र.	स्थान	संचालक संस्था का नाम
1.	शक्तिनगर (उत्तर प्रदेश)	मेसर्स लेबको इन्स्ट्रुमेन्ट, लखनऊ द्वारा संचालित।
2.	आगरा (उत्तर प्रदेश)	मेसर्स जे.आर.आर.वेस्ट मैनेजमेंट प्रा.लि., आगरा द्वारा संचालित।

प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों द्वारा लगभग 6514 टन/वर्ष वार्षिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट जनरेट हो रहा है, जिसमें से लगभग 6458 टन/वर्ष जैव चिकित्सा अपशिष्टों का डिस्पोजल उपरोक्त साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा के द्वारा किया जा रहा है।

माह मार्च 2020 से कोविड-19 महामारी संक्रमण के दौरान पीड़ित व्यक्तियों से उत्पन्न संक्रमित जैव चिकित्सा अपशिष्टों का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुरूप एकत्रिकरण, परिवहन एवं निष्पादन की प्रक्रिया करायी जा रही है।

प्रशिक्षण एवं सेमिनार—

चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों को जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के उददेश्य से प्रदेश में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, धार, उज्जैन, गुना, रीवा, छिन्दवाडा, सतना, सागर, शहडोल, जबलपुर, देवास सिंगरौली, कटनी, पीथमपुर (म.प्र.) शहरों में सेमीनारों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन बाबत शासन स्तर पर राज्य स्तरीय कमेटी एवं जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है।



जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 पर आयोजित कार्यशाला

5.13 बैटरी प्रबंधन एवं हथालन नियम—

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6,8 एवं 25 के तहत बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001, दिनांक 16 मई 2001 से प्रभावशील है। जिसमें दिनांक 04 मई 2010 को संशोधन किया गया है। नियम बैटरी व्यवसाय के सभी मेन्यूफैक्चर, प्रोसेसिंग, सेल्स, पर्चेस एवं बैटरी या उसके कंपोनेन्ट के उपयोग में सम्मिलित समस्त मेन्यूफैक्चर, इंपोर्टर, री-कंडीशनर, असेम्बलर, डीलर, रीसाईक्लर्स, आक्शनर, कन्ज्यूमर एवं बल्क कन्ज्यूमर पर लागू होता है। नियम-4 में मेन्यूफैक्चरर, इंपोर्टर, असेम्बलर एवं री-कंडीशनर के उत्तरदायित्व, नियम-7 में डीलर के उत्तरदायित्व, नियम-8 में रीसाईक्लर को उत्तरदायित्व, नियम-10 में कन्ज्यूमर/बल्क कन्ज्यूमर के उत्तरदायित्व एवं नियम-11 में आक्शनर के उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। बैटरी डीलर्स को नियम-7 [VII (a)] के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीयन कराना एवं अधिवार्षिकी रिटर्न जमा करना अनिवार्य है। लेड एसिड बैटरी के इम्पोर्टर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराना, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अण्डरटेकिंग देना एवं अर्धवार्षिकी रिटर्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा करना अनिवार्य है। रिसाईक्लर को भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पंजीयन कराना एवं

वार्षिकी रिटर्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा कराना अनिवार्य है। नियमानुसार समस्त मैन्यूफैक्चरर, इम्पोर्टर, असेम्बलर, री—कंडीशनर, डीलर, रीसाइक्लर, कन्ज्यूमर/बल्क कन्ज्यूमर, आक्सनर को निर्धारित प्रपत्रों में रिटर्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा कराना अनिवार्य है। वर्ष 2019–20 की स्थिति में मध्यप्रदेश में मैन्यूफैक्चरर–08 द्वारा 1995213 नग बैटरी बेची गई और 52687 नग पुरानी बैटरी रिसायक्लर को भेजी गई, 03 असेम्बलर द्वारा 1341 नग बैटरी बेची गई और 442 नग पुरानी बैटरी रिसायक्लर को भेजी गई, 02 इम्पोर्टर द्वारा 2093 नग बैटरी बेची गई और 657 नग पुरानी बैटरी रिसायक्लर को भेजी गई, 84 बल्क कन्ज्यूमर द्वारा 117100 नग बैटरी उपयोग की गई और 67017 नग बैटरी रिसायक्लर को भेजी गई, 07 आक्सनर द्वारा 61781 नग बैटरी आक्सन की गई और 20545 नग बैटरी रिसायक्लर को भेजी गई। प्रदेश में 56 बैटरी अपशिष्ट रिसायक्लर स्थापित हैं, जिनके द्वारा 191667.7 मेट्रिक टन बैटरी की रिसायक्लिंग की गई है।

5.14 ई—अपशिष्ट प्रबंधन नियम—

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत वर्ष 2010 में ई—अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2011 प्रकाशित किये गये थे जिन्हें वर्ष 2016 में संशोधित करते हुये ई—अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 दिनांक 01 अक्टूबर 2016 प्रकाशित किये गये हैं जिसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रानिक्स अपशिष्ट का पर्यावरण प्रिय तकनीक से अपवहन किया जाना है। प्रत्येक ई—वेस्ट जनरेटर को ई—वेस्ट केवल केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकृत डिस्मेन्टलर्स/रिसाईक्लर्स के माध्यम से ही निष्पादित किया जाना है।

ई—वेस्ट के अंतर्गत अनुपयोगी इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे कम्प्यूटर्स, लेपटॉप, टेलीविजन, डीवीडी प्लेयर्स, मोबाइल फोन, एम.पी.3 प्लेयर्स, सी.एफ.एल. आदि को नियमों में अनुसूची—1 में शामिल किया गया है। ई—अपशिष्टों को उपयुक्त व पर्यावरण प्रिय पद्धति से निष्पादित किया जाना आवश्यक है अन्यथा यह पर्यावरण में घरेलू कचरे के साथ मिलकर भूमि एवं जल को प्रदूषित कर मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।



बायोमेडिकल वेस्ट, ई—वेस्ट एवं हेजॉड्स वेस्ट पर आयोजित कार्यशाला

नियम—16 के शेड्यूल—1 में विद्युत एवं इलेक्ट्रानिक्स उपकरण के पार्ट्स, स्पेयर्स एवं कन्जूमेबल के साथ ही सी.एफ.एल./बल्ब्स को भी सम्मिलित किया गया है। नियमों में ई—वेस्ट के प्रबंधन संबंधी प्रावधानों को लागू करने में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारियां मुख्य रूप से प्रदेश में ई—वेस्ट इन्वेन्टराइजेशन के कार्य के साथ—साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मैन्यूफैक्चरर्स व रिफरबिर्शस को प्राधिकार तथा ई—अपशिष्ट को प्रॉसेस करने वाले डिस्मेन्टलर्स एवं रिसाईक्लर्स को प्राधिकार दिया जाना शामिल है।

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा इन नियमों में दिनांक 22 मार्च 2018 को आंशिक संशोधन किये गये हैं जिसमें मुख्य रूप से प्रोड्यूसर, मैनुफैक्चरर, इंपोर्टर, ट्रांसपोर्टर, रिफरबिशर्स, डिस्मेंटलर एवं रिसाईक्लर्स आदि के दायित्वों में संशोधन किये गये हैं।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 1120 “विस्तारित उत्पादक दायित्व (ईपीआर)” – प्राधिकार जारी किये गये हैं जिनके प्रदेश में 270 कलेक्शन सेंटर कार्यरत् हैं।

प्रदेश में अभी तक 01–मैन्यूफैक्चर्स, 01–रिसाईक्लर्स, 01–डिस्मेंटलर्स, 07–रिफरबिशर, डिस्मेंटलर्स एवं रिसाईक्लर के 09 कलेक्शन सेंटर स्थापित होकर कार्यरत् हैं। इन संस्थाओं द्वारा वर्ष 2018–19 में 534.43 मी. टन ई–वेस्ट का निष्पादन हुआ है।

नियमों के प्रचार–प्रसार हेतु जिंगल्स प्रसारित किये जाते हैं तथा प्रदेश में विगत वर्ष भोपाल, इन्दौर, शहडोल, रीवा व पीथमपुर में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

ई–वेस्ट प्रबंधन नियम, 2016 संबंधी विभिन्न जानकारी बोर्ड की वेब–साईट <http://www.mppcb.nic.in/ewasteng.htm> पर उपलब्ध है।

5.15 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन—

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नगरीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 बनाये गये थे। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 को अधिक्रांत करते हुये भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 बनाये गये हैं, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित होकर क्रमशः दिनांक 29 मार्च 2016 तथा 8 अप्रैल 2016 से लागू हो गये हैं।

ये नियम प्रत्येक शहरीय स्थानीय निकाय, जनगणना आयुक्त द्वारा घोषित जनगणना नगरों, भारतीय रेल के अधीन क्षेत्रों, विमानपत्तनों, वायुयान बेस, बन्दरगाह और हारबर, रक्षा स्थापनाओं, विशेष आर्थिक जोन, राज्य और केन्द्रीय सरकारों के संगठनों, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तीर्थ, धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और प्रत्येक घरेलू सांस्थानिक, वाणिज्यिक और किसी भी अन्य गैर–आवासीय ठोस अपशिष्ट जनित्रों पर लागू होंगे। अधिनियम के अंतर्गत घरेलू कचरा संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, प्रोसेसिंग एवं डिस्पोजल आदि का निपटान कराना संबंधित नगरीय निकाय का उत्तरदायित्व है। अपशिष्ट उपचार तथा निपटान सुविधा हेतु भूमि के आंवटन के लिये जिला कलेक्टर का उत्तरदायित्व निहित है।

उक्त नियमों के क्रियान्वयन हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा स्ट्रोत मंत्रालय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी विकास के प्रभारी सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर उपायुक्त, राज्य और संघ क्षेत्र में ग्राम पंचायत या ग्रामीण विभाग के प्रभारी सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति / बोर्ड, स्थानीय निकायों और जनगणना नगरों की ग्राम पंचायत तथा शहरी समूहों के पृथक–पृथक कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व निहित किये गये हैं।

प्रदेश में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन—

प्रदेश में कुल 383 नगरीय निकाय संस्थान हैं जिनमें 16 नगर पालिक निगम, 362 नगर पालिका परिषद्/नगर परिषद् एवं 05 छावनी परिषद् हैं। 05 छावनी परिषद् नगरीय प्रशासन विभाग में समाहित नहीं है। 2019–20 की स्थिति में म0प्र0 में 7980 मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन उत्पन्न होता है, जिसमें से 7193 मैट्रिक टन प्रतिदिन का संग्रहण हो रहा है।

कुल संग्रहित ठोस अपशिष्ट में से 4309.65 मैट्रिक टन/दिन अपशिष्ट, कम्पोस्ट बनाने में तथा 600 मैट्रिक टन/दिन, वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन एवं 2935 मैट्रिक टन मटेरियल रिकवरी हेतु उपयोग किया जा रहा है। जबलपुर में वेस्ट दू एनर्जी प्रोसेसिंग प्लांट 11.5 मेगावाट क्षमता का स्थापित है।

वर्ष 2019–20 की स्थिति में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के 139 नगरीय निकायों को 09 क्लस्टर में विभाजित किया जाकर (06 वेस्ट दू कम्पोस्ट, 03 वेस्ट दू एनर्जी) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की क्लस्टर आधारित योजना बनाई गई है, तथा शेष 239 नगरीय निकायों में विकेन्द्रीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल लागू किया गया है। जबलपुर में वेस्ट दू एनर्जी प्लांट कार्यरत् है तथा ग्वालियर व रीवा में प्लांट स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

प्रदेश के सभी निकायों में आर्गनिक, इनर्ट प्लास्टिक अपशिष्ट, आदि के प्रभावी एकत्रीकरण, परिवहन एवं उपचार पद्धति की नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है। प्रदेश के 372 निकायों में घरों से कचरा संग्रहण की व्यवस्था संचालित की जा रही है। 276 नगरीय निकायों में घरों से निकलने वाले कचरे को उसके स्त्रोत पर ही पृथक्कीकृत करने की प्रक्रिया अपनाई है। प्रदेश के 55 डम्प साईट का चयन कर पुरानी डम्प साईट पर उपस्थित करने का बायो-रेमेडियेशन प्रक्रिया अंतर्गत बायो-माइनिंग कार्य किया जा रहा है। जिसमें से 48 डम्प साईट में यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

343 निकायों में कम्पोस्टिंग सुविधा को जियो टेग किया जा चुका है। सभी 378 निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट से मटेरियल रिकवरी का कार्य किया जा रहा है तथा 136 नगरीय निकायों में 151 स्थायी मटेरियल रिकवरी सुविधा की स्थापना की जा चुकी है।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय—समय पर नगरीय ठोस अपशिष्ट डम्प साईट्स की आसपास जल एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की जाँच की जाती है। वर्ष 2019–2020 में डम्प साईट्स के आसपास के क्षेत्रों के भूमिगत जल गुणवत्ता मापन हेतु 424 एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन हेतु 428 नमूनों की जाँच की गई है।

प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के क्रियान्वयन हेतु व्यापक जनजागरूकता तथा प्रचार प्रसार हेतु बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से वर्कशॉप/इन्टरेक्शन मीट आयोजित की गई हैं, जिसमें प्रदेश के सभी 52 जिले सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नगरीय निकायों में जाकर नियमों के पालन के परिपेक्ष्य में संबंधित नगर पालिका अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी/सफाई अधिकारी से चर्चा कर समझाई दी गयी।

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016—

ये नियम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या संगठन या प्राधिकरण के अपशिष्ट पर लागू हैं, जो किसी सिविल ढांचे के निर्माण, पुनः प्रतिरूपण, मरम्मत और विध्वंस के फलस्वरूप बिल्डिंग मटेरियल, मलबा और रोड़ी वाले अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। इनके पालन की जिम्मेदारी संबंधित नगरीय निकाय की होगी तथा राज्य सरकार का संबंधित विभाग भूमि से संबंधित विभाग संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्टों के प्रबंधन बावत् नीति दस्तावेज तैयार करेगा।

उक्त नियमों के क्रियान्वयन हेतु अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता, सेवा प्रदाता और उनके संविदाकारों, स्थानीय प्राधिकरण, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति/बोर्ड, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन, भारतीय मानक ब्यूरों और भारतीय रोड़ कांग्रेस, केन्द्रीय सरकार के पृथक—पृथक कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व निहित किये गये हैं।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से निरंतर समन्वय रखा जा रहा है तथा इन अपशिष्टों के प्रबंधन की प्रभावी कार्यवाही हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

इस नियम में अलग अलग संस्थानों के निम्नलिखित दायित्व निर्धारित हैं।

अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता—

प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता स्थानीय निकाय द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्टों के संग्रहण, भण्डारण के लिए उत्तरदायी होगा। 20 टन प्रतिदिन से अधिक अथवा 300 टन प्रतिमाह से अधिक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न होता है तो ऐसे व्यक्ति / संस्थान / सेवा प्रदाता अपशिष्टों के उचित प्रबंधन की एक कार्ययोजना तैयार कर स्थानीय निकाय से अनुमति प्राप्त करेगा तथा अपशिष्टों के निपटान के लिये अधिसूचित सुसंगत संदाय का भुगतान करेगा। संदाय की दर का निर्धारण स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

सेवा प्रदाता और उनके संविदाकारों के कर्तव्य—

ऐसे संस्थान जो नगर में जल, सीवेज प्रबंधन, बिजली, टेलीफोन, सड़के, जल निकास आदि सेवायें प्रदान करते हैं और अपने कार्यकलापों के दौरान विध्वंश अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं उन्हें छः माह के भीतर ऐसे अपशिष्टों के उचित प्रबंधन / चक्रीकरण / पुर्नउपयोग हेतु एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करना है। सेवा प्रदाता ऐसे सभी अपशिष्टों को हटायेंगे एवं कार्य स्थल आवश्यकतानुसार प्रत्येक दिन साफ करेंगे।

स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य—

संनिर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी करना, अपशिष्टों के प्रबंधन के पश्चात् अंतिम सफाई की रूपरेखा तैयार करना, परिसंकटमय, विषैले या नाभिकीय अपशिष्ट से संदूषित अपशिष्टों का सुरक्षित निस्सारण, प्रसंस्करण, पुर्नचक्रण हेतु प्रोत्साहन, अपशिष्ट प्रबंधन योजना का परीक्षण एवं मंजूरी, अपशिष्टों के उत्पादन संबंधी डाटा बेस तैयार करना, विशेषज्ञों से परामर्श कर प्रसंस्करण सुविधा और सर्वोत्तम संभावित रीति से पुर्नचक्रण हेतु योजना बनाना, अपशिष्टों के भण्डारण, प्रसंस्करण, पुर्नचक्रण, पुर्नउपयोग इत्यादि गतिविधियाँ प्रोत्साहित करना, विशेषज्ञ संस्थानों और सिविल सोसाईटीज के माध्यम से शिक्षा एवं संचार को दीर्घकालिक प्रणाली तैयार कर प्रचार-प्रसार करना सम्मिलित है ताकि विध्वंश अपशिष्टों से बनी सामग्री के प्रयोग हेतु पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिल सके।

राज्य बोर्ड के कर्तव्य—

नियमों के पालन की स्थानीय निकायों के साथ मॉनिटरिंग, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा हेतु प्राधिकार देना एवं 31 जुलाई तक वार्षिक प्रतिवेदन / ऑकड़े एकत्र कर राज्य सरकार द्वारा नियत नोडल अधिकरण तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित करना है। उक्त अधिनियमों के तहत नगरीय निकायों को बोर्ड से प्राधिकार लेना है तथा संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा क्रियान्वयन कराने की मॉनिटरिंग करना तथा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर भेजना हैं। वर्ष 2018–19 का निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम 2016 का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र क्रमांक 660 दिनांक 27/07/2019 द्वारा प्रेषित किया गया।

प्रदेश में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की वर्तमान स्थिति –

नगर पालिक निगम, इंदौर द्वारा 100 टन प्रतिदिन क्षमता का निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्टों के प्रोसेसिंग हेतु संयंत्र/सुविधा स्थापित की गई है, जिसमें प्रतिदिन 60 टन अपशिष्ट प्रोसेस किया जा रहा है। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 333 नगरीय निकायों में हेल्पलाईन शुरू की गई है। अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन हेतु 338 नगरीय निकायों में विशेष वाहन उपलब्ध है एवं 318 नगरीय निकायों में स्थल चिन्हित कर अपशिष्ट के संग्रहण एवं भण्डारण की व्यवस्था की गई है। उज्जैन में 100 टी.पी.डी. तथा जबलपुर में 50 टी.पी.डी. का प्लांट स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलन में है, भोपाल में 100 टी.पी.डी. का प्लांट प्रस्तावित है।

5.16 घरेलू दूषित जल (सीवेज) प्रबंधन—

मध्य प्रदेश में लगभग 6000 एमएलडी घरेलू दूषित जल (सीवेज) उत्पन्न होता है, जिसमें से लगभग 2183 एमएलडी सीवेज नगरीय निकायों से उत्पन्न होता है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार 09 शहरों में 668.26 एमएलडी क्षमता के 19 एसटीपी कार्यरत् है। प्रदेश में 16.06 एमएलडी सीवेज को 26 एफएसटीपी के माध्यम से उपचारित किया जा है। इस प्रकार वर्तमान में सीवेज उपचार की कुल क्षमता 684.32 एमएलडी है जो कि नगरीय निकायों से उत्पन्न हो रहे सीवेज का करीब 31 प्रतिशत है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत 1218.68 एमएलडी सीवेज उपचार हेतु 97 एसटीपी निर्माणाधीन है तथा 03 अन्य एसटीपी कुल क्षमता 22.50 सीवेज नेटवर्क अपूर्ण होने के कारण संचालित नहीं है। उपरोक्तानुसार समस्त 145 एसटीपी कियाशील होने की दशा में प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता 1925.50 एमएलडी हो जायेगी, जो कि नगरीय निकायों से उत्पन्न हो रहे सीवेज का लगभग 88 प्रतिशत होगा।

विभिन्न उद्योगों, माइन्स, कॉलोनी, मॉल्स हॉटल्स, मैरिज गार्डन, अस्पतालों आदि द्वारा 154 एसटीपी बनाये गये हैं; जिनकी क्षमता लगभग 64 एमएलडी है। इसी प्रकार ग्रामों में भी सीवेज का निस्सारण सेटिक टैंक तथा सोकपिट्स के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश में घरेलू दूषित जल (सीवेज) के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन हेतु प्रत्येक नगर व ग्राम में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किये जाने की आवश्यकता है, ताकि उपचारित सीवेज का उपयोग वृक्षारोपण/सिंचाई इत्यादि में होकर शुद्ध जल संरक्षित किया जा सके।

5.17 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन—

1. पॉलिथीन की थैलियों/पन्नियों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध—

मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा मध्य प्रदेश जैव अनाशय अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 में संशोधन हेतु 22 मई, 2017 को संशोधन अध्यादेश 2017 लाया गया है। उपरोक्त अध्यादेश के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना कमांक एफ 5-2/2015/18-5 भोपाल, दिनांक 24 मई, 2017 के माध्यम से मध्य प्रदेश जैव अनाशय अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम 2004 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लोकहित में सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पर दिनांक 24/05/2017 से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है।

2. प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण एवं उपयोग को हतोत्साहित करने की दृष्टि से प्रदेश में संचालित सभी 21 कैरी बैग निर्माण इकाईयों को वर्ष 2017-18 के दौरान बन्द किया जा चुका है। आम-जनता में जन-जागृति हेतु नगरीय निकायों के साथ बोर्ड द्वारा वर्ष के दौरान 1,302 जन-जागृति के कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।
3. प्रदेश की नगरीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर 15,540 औचक निरीक्षण/छापामार/कैरी बैग जप्ती की कार्यवाहियाँ प्रदेश भर में की गई हैं। कार्यवाही के दौरान उल्लंघनकर्ताओं से लगभग 72.12 मीट्रिक टन प्लास्टिक कैरी बैग जप्त करते हुए रु. 52.36 लाख जुर्माना लगाया गया है।
4. प्लॉस्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत् प्रोड्यूसर्स/ब्रॉण्डओनर्स पर लागू ई.पी.आर. (एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी) की पूर्ति हेतु प्रदेश में 206 P/I/BOs चिह्नित किये गये हैं। प्रदेश में कन्यूमर प्लास्टिक वेस्ट एकत्रण एवं निपटान हेतु पी.आर.ओ. (प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्गनाइजेशन) के रूप में कार्य करने की इच्छा जाहिर करने हेतु सूचीकरण बावत् सूचना का प्रकाशन दिनांक 19/02/2020 को कराया गया। पी.आर.ओ. से आवेदन की निर्धारित तिथि 15/03/2020 तक कुल 25 आवेदन प्राप्त हुये हैं तथा 01 आवेदन निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुआ है।

5. प्लॉस्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत ई.पी.आर. (एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी) प्रावधान को लागू करने के संबंध में प्रदेश में व्यवसाय करने वाले प्रमुख प्रोड्यूसर्स एवं ब्रॉण्डओनर्स के प्रतिनिधियों की समीक्षा बैठक दिनांक 08/04/2020 को आयोजित की गयी एवं यह अवगत कराया गया कि सभी प्रोड्यूसर्स/ब्रॉण्डओनर्स को नियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया जाना आवश्यक है तथा यदि कोई संस्थान दो से अधिक प्रदेशों में कार्यरत है तो वह केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एकजाई रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकता है। सभी संस्थानों द्वारा चर्चा उपरान्त कार्य योजना प्रस्तुत करने एवं उपयोगित मल्टीलेयर पैकेजिंग के संबंध में बोर्ड द्वारा चाही गयी जानकारी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। सभी संस्थानों को वर्ष 2019–20 के दौरान कम से कम 40 प्रतिशत प्लॉस्टिक वेस्ट संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

इसी तारतम्य में प्रोड्यूसर्स/ब्रॉण्डओनर्स की समन्वय संस्था “ही केयर” के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 26/04/2019 को अध्यक्ष म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बैठक की गयी। “ही केयर” देश में कार्यरत 35 से अधिक प्रोड्यूसर्स/ब्रॉण्डओनर्स का संयुक्त उपक्रम है, जो कि ई.पी.आर. (एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी) के प्रावधानों को लागू करने हेतु पूरे देश में क्रियाशील है। P/I/BOs को बोर्ड से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु सभी सदस्य संस्थानों को ऑनलाईन आवेदन के लिये अवगत कराने का भी अनुरोध किया गया।

प्रदेश में व्यवसाय करने वाले प्रोड्यूसर्स/ब्रॉण्डओनर्स/इन्पोर्टर्स के प्रतिनिधियों की समीक्षा बैठक दिनांक 28/12/2019 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नानुसार समय सीमा निश्चित की गयी :

- पंजीयन, प्लास्टिक वेस्ट की मात्रा एवं कलेक्ट बेक मैकेनिज्म की जानकारी बोर्ड को दिनांक 05/01/2020 तक उपलब्ध कराई जायें।
- पंजीयन प्राप्त करने हेतु दिनांक 12/01/2020 तक आवेदन प्रस्तुत किये जायें।
- पी.आर.ओ. अथवा नगरीय निकायों के साथ अनुबंध 28/01/2020 तक निष्पादित किये जायें।
- व्यवसाय संचालन के कारण मध्यप्रदेश में आने वाले प्लॉस्टिक वेस्ट की वार्षिक मात्रा का 40 प्रतिशत वर्ष 2019–20 हेतु दिनांक 31/03/2020 के पूर्व संग्रहण कर उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाये।
- मध्यप्रदेश में आने वाले प्लास्टिक वेस्ट की वार्षिक मात्रा का वर्ष 2020–21 के दौरान 100 प्रतिशत संग्रहण कर उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्तानुसार पालन सुनिश्चित करने हेतु “वैधानिक सूचना” का प्रकाशन दिनांक 03/01/2020 को कराया गया।

सीमेंट उद्योगों में प्लास्टिक कचरे का सह–दहन—

1. प्रदेश के सभी 13 सीमेंट उद्योगों द्वारा किल्न में प्लास्टिक कचरे के सह–दहन हेतु बोर्ड से सम्मति प्राप्त कर ली गई है, जिसके अनुसार प्रदेश में प्लास्टिक सह–दहन हेतु कुल 1,15,610 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता उपलब्ध है।
2. प्लास्टिक कचरा सह–दहन के संबंध में दिनांक 29/03/2019 को सीमेंट उद्योगों के साथ समीक्षा कर वर्ष 2019–20 में 22,710 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा सह–दहन करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया था। निर्धारित लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के सीमेंट उद्योगों द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान लगभग 40,022 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का उपयोग करते हुए लगभग 80,044 मीट्रिक टन कोयले की बचत की गई है।

3. सीमेंट उद्योगों द्वारा वर्ष 2008–09 से वर्ष 2019–20 तक लगभग 1,05,967 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का सह–दहन किया जा चुका है।

सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग

प्रदेश की ग्रामीण सड़कों में बिटूमिन के साथ प्लास्टिक कचरे का वर्ष 2014–15 से उपयोग प्रारंभ किया गया था। सड़क निर्माण में 3.75 मीटर चौड़ी सड़क में 4.5 मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर तथा 3.0 मीटर चौड़ी सड़क में 3.5 मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण तथा मध्य प्रदेश मार्ग सम्पर्कता योजना द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान 492.861 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का उपयोग कर 1139.415 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त सार्थक सामुदायिक विकास एवं जन कल्याण संस्था, भोपाल द्वारा प्रदेश से लगभग 1736.6 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट एकत्रित कर सड़क निर्माण हेतु विभिन्न संस्थाओं को उपलब्ध कराया गया है। सार्थक सामुदायिक विकास एवं जन कल्याण संस्था, भोपाल द्वारा 142 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट MPRRDC को भी दिया गया है अतः लगभग 1594.60 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट का अन्य संस्थाओं द्वारा सड़क निर्माण में उपयोग किया गया है।

उपरोक्तानुसार वर्ष 2019–20 के दौरान प्रदेश में लगभग **2087.50 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट** का उपयोग सड़क निर्माण में किया गया है।

5.18 फ्लाई ऐश प्रबंधन—

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986(1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) उपधारा (2) के खण्ड (ट) तथा धारा 5 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना सं.का. आ. 763 (अ) तारीख 14 सितम्बर 1999 को फ्लाई ऐश अधिसूचना के नाम से जाना जाता है। इस फ्लाई ऐश अधिसूचना दिनांक 14/09/1999 को क्रमशः 27/08/2003, 2007, 03/11/2009 तथा 25/01/2016 में संशोधित किया गया है। उक्त अधिसूचना का उद्देश्य बहुमूल्य मृदा को बचाना तथा थर्मल पावर इकाईयों से उत्पन्न राखड़ का ईंट निर्माण सहित विभिन्न सिविल निर्माण कार्यों में उपयोग सुनिश्चित करना है। ईंटों के विनिर्माण के लिये ऊपरी मृदा के उत्खनन तथा निर्माण सामग्री के विनिर्माण में फ्लाईऐश के उपयोग का संवर्धन करने तथा बिना फ्लाई ऐश/फ्लाई ऐश आधारित निर्माण सामग्रियों के उपयोग को लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से एक सौ कि.मी. के विनिर्दिष्ट अर्धव्यास के भीतर संनिर्माण कार्यों में निर्बाधित करने के निर्देश जारी किये गये हैं, जिसे अधिसूचना दिनांक 25/01/2016 द्वारा 300 किलोमीटर किया गया है।

तापीय विद्युत संयंत्र जहौं कोयला अथवा लिग्नाईट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, उनमें जनित कोयला या लिग्नाईट की राख (ऐश) तापीय विद्युत संयंत्रों में स्थापित किये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर यथा इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ई.एस.पी.), बैग फिल्टर, बॉयलर के तल (Bottom) में एकत्र होती है जिसका निष्पादन एक राष्ट्रव्यापी समस्या है। इस फ्लाई ऐश का निश्चित समय–सीमा में उपयोग सुनिश्चित कर ही इसके निपटान की समस्या को समाप्त किया जा सकता है।

ईंटों, टाईल्स, इत्यादि के विनिर्माण के लिये तथा अन्य संकर्म के लिये, जिसमें ऊपरी मृदा का उपयोग किया जाता है, उस ऊपरी मृदा के उत्खनन को निर्बाधित करने की आवश्यकता है तथा यहाँ मृदा के स्थान पर फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार मृदा के संरक्षण के अंतिम लक्ष्य को अभिप्राप्त करने के लिए तथा फ्लाई ऐश के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण को कम से कम करने तथा फ्लाई ऐश, जिसे एक त्याज्य कचरा समझा जाता है, उसे एक संसाधन के रूप में उपयोग करने एवं प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

सूखी फ्लाई ऐश का एक अन्य उपयोग सीमेंट के निर्माण में भी हो रहा है तथा बाजार में उपलब्ध अधिकांश सीमेंटों में निर्धारित मात्रा में फ्लाई ऐश मिश्रित की जाती है।

25 जनवरी 2016 को प्रकाशित की गयी अधिसूचना में निम्नलिखित प्रावधान हैं –

- कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र से 100 कि.मी. की परिधि के भीतर सड़क संनिर्माण परियोजनाओं या ऐश आधारित उत्पादों के संनिर्माण के लिये या कृषि संबंधित कियाकलापों में मृदा अनुकूलक के रूप में उपयोग के लिए ऐश के परिवहन की लागत ऐसे कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र द्वारा वहन की जाएगी और 100 कि.मी. की परिधि से परे 300 कि.मी. की परिधि के भीतर परिवहन की लागत को उपभोक्ता और कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र के बीच समान रूप से अंश भाजित की जाएगी।
- तापीय विद्युत संयंत्र के 300 कि.मी. की त्रिज्या में किसी भी निचली भूमि के भरण में केवल फ्लाई ऐश का ही उपयोग किया जाना चाहिये। संयंत्र के 50 कि.मी. के दायरे में खुली खदानों के ओवरबर्डन में 25% फ्लाई ऐश मिश्रित की जाना चाहिए तथा भूमिगत खदानों की सुरंगों में स्टोइंग हेतु 25% फ्लाई ऐश का उपयोग होना चाहिए।
- कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों के 300 कि.मी. की परिधि के भीतर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के आधीन सड़क संनिर्माण परियोजनाओं और भवनों, सड़कों, बांधों और तटबंधों के संनिर्माण सहित सरकार के स्थाई निर्माण कार्यक्रमों के स्थल तक ऐश के परिवहन की सम्पूर्ण लागत को तापीय विद्युत संयंत्र वहन करेगा।
- सभी सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त उपबंधों का अनुपालन करने की समयावधि 31 दिसम्बर, 2017 है। कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, उनके द्वारा उत्पादित फ्लाईऐश के 100 प्रतिशत उपयोग की व्यवस्था तथा उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन 31 दिसम्बर, 2017 से पूर्व करेंगे।
- फ्लाई ऐश के पुर्नउपयोग के लिये मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित संबंधित विभागों से अपेक्षा की गई है कि वे फ्लाई ऐश के पुर्नउपयोग के लिये विशेष प्रयास करें। फ्लाई ऐश का जिन विधाओं में उपयोग किया जाना है व जिन विभागों को इसमें हिस्सेदारी दी गई है, उसके अनुसार प्रदेश के ताप विद्युत गृहों से उत्पन्न फ्लाई ऐश का थर्मल पावर प्लांट द्वारा स्वयं के निर्माण कार्यों में, कोयला खदानों में, शासन के सिविल निर्माण कार्यों से संबंधित विभागों जैसे लोक निर्माण विभाग, सड़क निर्माण विभाग, म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, विकास प्राधिकरण संघ, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, इत्यादि के द्वारा उपयोग किया जाना प्रारंभ किया गया है। अधिसूचना में उपयोग को निम्नानुसार वर्णित किया गया है :–

क्र.	भवन निर्माण सामग्री अथवा उत्पाद	फ्लाईऐश के वजन के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत
1	फ्लाईऐश ब्रिक्स, ब्लॉक्स, टाईल्स इत्यादि फ्लाईऐश, चूना, जिप्सम, रेत, पत्थर का चूरा (क्ले के बगैर) आदि द्वारा निर्मित	सामग्री के इनपुट का कुल 50%
2	पेविंग ब्लॉक, पेविंग टाइल्स, चैकर टाइल्स, मोजाइक टाइल्स, रूफिंग शीट, प्री-कास्ट एलीमेंट्स इत्यादि	Usage of PPC (IS-1489, Part-1) or PSC (IS-455) or 15% of OPC (IS-269/8112/12269) content
3	सीमेंट	कुल कच्चे माल का 15%
4	क्ले आधारित भवन सामग्री ईट, टाईल्स ब्लॉक इत्यादि	कुल कच्चे माल का 25%
5	कांकीट मोर्टर, प्लास्टर इत्यादि	Usage of PPC (IS-1489, Part-1) or PSC (IS-455) or 15% of OPC (IS-269/8112/12269) content

उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुये नोटिफिकेशन के अनुसार मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ-19-64/2011/1/4 भोपाल, दिनांक 05/07/2011 के माध्यम से निम्नलिखित सदस्यों की मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है :—

1	प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, म.प्र. शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, म.प्र. शासन	सदस्य
3	सचिव, ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन	सदस्य
4	सचिव, खनिज साधन विभाग, म.प्र. शासन	सदस्य
5	आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल	सदस्य
6	सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	संयोजक

मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा समय—समय पर बैठक आयोजित कर फ्लाई ऐश के उपयोग संबंधी कार्यवाही की समीक्षा कर संभावित कठिनाईयों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2018–19 में समिति की बैठक दिनांक 25/02/2019 को की गई। नियमित समीक्षा के फलस्वरूप फ्लाई ऐश का उपयोग बढ़ाने हेतु थर्मल पावर इकाईयों द्वारा सतत प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके फलस्वरूप विचाराधीन वर्ष में फ्लाईऐश के उपयोग में सार्थक वृद्धि हुई है। बोर्ड के मुख्यालय सहित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा फ्लाई ऐश उपयोगकर्ताओं तथा थर्मल पावर इकाई प्रबंधन के साथ बैठक कर समन्वय किया जाता है।

कार्यशाला आयोजन —

पर्यावरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत गृह परिसर, विन्ध्यनगर, सिंगरौली के ऑडीटोरियम में दिनांक 14 सितम्बर 2019 को माननीय पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री की उपस्थिति में “फ्लाई ऐश का पर्यावरणीय प्रबंधन उपयोग एवं भावी संभावनाएँ” विषयांतर्गत विशाल कार्यशाला का आयोजन किया गया था। जिसमें फ्लाई ऐश से संबंधी संवैधानिक प्रावधानों, दूर-दराज स्थित ताप विद्युत गृहों, मार्झिनिंग क्षेत्र, वानिकी, नर्सरी एवं वृक्षारोपण, आदि में उपयोग की जानकारी प्रतिभागियों को प्रख्यात व्याख्यातायों द्वारा प्रदान की गई। मेसर्स ग्रीनएश फाउंडेशन द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सी.एस.आई.आर एम्प्री से सहभागिता कर दिनांक 13/02/2020 से 15/02/2020 तक भोपाल में “ग्रीन एशकॉन व ग्रीन बिल्डकॉन 2020” विषयक तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसके बेहतर परिणाम प्राप्त हुये हैं।



“फ्लाई ऐश का पर्यावरणीय प्रबंधन” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला



मे. ग्रीनएश फाउंडेशन द्वारा बोर्ड एवं सी.एस.आई.आर एम्प्री से सहभागिता कर
“ग्रीन इशकॉन व ग्रीन बिल्डकॉन 2020” विषयक तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत गृहों से उत्पन्न फलाई ऐश की उपयोग की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	ताप विद्युत गृह	विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	फलाई ऐश उत्पादन (मैट्रिक टन)	फलाई ऐश उपयोग की मात्रा (मैट्रिक टन)	फलाई ऐश उपयोग प्रतिशत (%)
1	एन.टी.पी.सी. लि., विंध्याचल सुपर थर्मल पावर, सिंगरौली	4760	8857823	2840938	32.07%
2	सासन पावर, सिद्धिखुर्द, सिंगरौली	3960	5244592	2746403	52.37%
3	संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, बिरसिंगपुर, जिला उमरिया	4x(210) + (500) (1340)	1749886	1742707	99.59%
4	सतपुड़ा थर्मल पावर, सारणी, बैतूल	1330	1468543	935798	63.72%
5	जे.पी. पावर लि., निगरी, सिंगरौली	2x660 (1320)	1201586	1316590	109.57%
6	श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला खण्डवा	2520	2364186.69	430032.57	18.197%

7	एम.बी. पावर लि., जिला अनूपपुर	2x600 (1200)	1552755	1598765	103%
8	झाबुआ पावर लि., जिला सिवनी	1x600 (600)	832515	692059	83%
9	एस्सार पावर एम.पी. लि., जिला सिंगरौली	2x600 (1200)	687767	541870	78.80%
10	जे.पी. बीना थर्मल पावर प्लांट, बीना, जिला सागर	2x250 (500)	638108	588482	93%
11	अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, चचाई, जिला अनूपपुर	210	314659.95	316396	100.55%
12	बी.एल.ए. पावर लि., निवारी, जिला नरसिंहपुर	2x45 (90)	26239	26859	102.3%
13	हिण्डालको इण्डस्ट्रीज़ लि., महान एल्युमिनियम, बरगावां, जिला सिंगरौली (कैप्टिव ताप विद्युत गृह)	6x150 (900)	1294049	877360	67.79%
14	एन.टी.पी.सी. लि., गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, नरसिंहपुर	1x800	288470	1545	0.536%
15	एन.टी.पी.सी. लि., सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, खरगोन	2x660 (1320)	258000	9800	3.80%
कुल		22050	26779179.64	14665604.57	54.76%

वर्ष 2017–18 में फलाई ऐश उपयोग 41.48% एवं वर्ष 2018–19 में 45.66% रहा।

प्रदेश में स्थापित कैप्टिव थर्मल पावर इकाईयों में फलाई ऐश उपयोग की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है तथा लगभग शतप्रतिशत फलाईऐश का उपयोग हो जाता है।

5.19 खदानों में पर्यावरण प्रबंधन—

राज्य के औद्योगिक विकास के लिए खनिज एक सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। प्रदेश में विभिन्न खनिजों का उत्पादन वर्तमान में किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत हीरा उत्पादन में प्रदेश को राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त होने के साथ-साथ लोह अयस्क, लेटेराईट, मारबल, फर्सी पत्थर, मैग्नीज, डोलोमाइट, बाक्साईट, पायरोफिलाइट, ताम्र अयस्क, पाईराइट, डायस्पोर, ग्रेनाईट, राकफॉस्फेट, क्वार्टज, फायरक्ले, चूनापत्थर, रेड ओकर, क्लेन, कोयला, स्लेट पत्थर, का उत्पादन प्रदेश में हो रहा है।

खदानों को सर्वप्रथम खनिज विभाग से मॉर्झिनिंग लीज प्राप्त करने के पश्चात् ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के प्रावधानों के अनुसार खदान प्रक्रिया हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। तत्पश्चात् खदान संचालन हेतु जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 के प्रावधानों अनुसार जल एवं वायु सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य है। इस हेतु एक्सजीएन साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान है। खदान प्रबंधन मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना सम्मति एवं उत्पादन सम्मति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। “ईज ऑफ डुइंग बिजनेस” के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा रेत खदानों को स्थापना सम्मति की परिधि से मुक्त रखा गया है एवं उत्पादन सम्मति प्रदान करने का प्रावधान है।

खदानों को प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न व्यवस्था करने की शर्त के साथ सम्मति प्रदान की जाती है, जिसमें जल प्रदूषण के अन्तर्गत वर्षा जल के साथ मिट्टी/ मिनरल्स के बहाव को रोकने हेतु ओवर वर्डन डम्प प्रबंधन, गारलेण्ड ड्रेन तथा सिल्टेशन पौण्ड निर्माण, गेवियन वॉल/रिटनिंग वॉल एवं वृक्षारोपण मुख्य हैं।



गेवियन वॉल एवं रिटनिंग वॉल

वायु प्रदूषण नियंत्रण के अन्तर्गत धूल कण उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, रोड पक्कीकरण, कन्वेयर बेल्ट द्वारा मिनरल परिवहन, ट्रांसफर पाइंट पर वायु प्रदूषण उपकरणों के अन्तर्गत बैग फिल्टर आदि स्थापित किये जाते हैं। खनन प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व टॉप स्वाईल (ऊपरी सतह) को चिन्हित स्थान पर संग्रहित कर रखने का प्रावधान किया जाता है एवं टॉप स्वाईल (ऊपरी सतह) का उपयोग माइन क्लोजर उपरांत ग्रीन कवर बनाने हेतु किये जाने का प्रावधान है।

खदानों में सामान्यतः बड़ी चट्टानों को तोड़ने हेतु ब्लास्टिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे कम्पन एवं ध्वनि प्रदूषण की समस्या होती है। इसके नियंत्रण हेतु डिले डिटोनेटर का उपयोग करने का प्रावधान किया जाता है साथ ही ब्लास्टिंग को कार्य दिवस के समय करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं।

कोल परिवहन से होने वाले फ्युजिटिव उत्सर्जन हेतु नियंत्रण सतत वाटर स्प्रिंकिलंग के साथ पक्का सड़क मार्ग व्यवस्था एवं रोड स्वीपर आदि व्यवस्था करने की शर्त दी जाती है। खुली खदानों के पिट में दुर्घटना की रोकथाम हेतु लीज क्षेत्र के चारों ओर फेस्सिंग का प्रावधान भी किया जाता है।

प्रदेश में कोयला खदाने मुख्यतः सिंगरौली, शहडोल, छिन्दवाड़ा एवं बैतूल क्षेत्र में स्थित हैं, जिनमें कोयले का खनन भूमिगत प्रक्रिया एवं ओपन कास्ट प्रक्रिया अनुसार किया जाता है। प्रदेश में लगभग 90 कोयला खदानें स्थापित हैं। जिसमें कोल इंडिया की खदानों के साथ में निजी क्षेत्र की खदानें भी शामिल हैं। सिंगरौली क्षेत्र में नार्दन कोल फील्ड्स की खदानें स्थापित हैं जो उत्पादन क्षमता में प्रदेश में अग्रणीय हैं। बोर्ड के सतत प्रयासों एवं निगरानी से खदानों में पर्यावरण प्रबंधन के अन्तर्गत दूषित जल उपचार व्यवस्था एवं ओवर वर्डन डम्प प्रबंधन के अन्तर्गत सघन वृक्षारोपण का कार्य करवाया गया है।

•••

6. पर्यावरणीय अनुसंधान

पर्यावरण के क्षेत्र में सतत् रूप से अनुसंधान का बहुत महत्व है। उद्योगों के निस्त्रावों एवं उत्सर्जनों पर नियंत्रण तथा उपचार हेतु नई—नई प्रणालियाँ विकसित होती जा रही हैं। इन प्रणालियों की प्रदेश की जल, वायु एवं भौगोलिक परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में उपादेयता परखकर उसे प्रचलित करने के उद्देश्य से मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित केन्द्रीय प्रयोगशाला कार्यरत है। विचाराधीन वर्ष 2019–20 में केन्द्रीय प्रयोगशाला में प्रनिम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य किया गया—

1 मध्यप्रदेश स्थित उज्जैन शहर के क्लोरीनयुक्त पेय जल में ट्रायहैलोमीथेन्स की उपस्थिति का अध्ययन—

ट्रायहैलो मीथेन्स (टी.एच.एम.एस.) चार रसायनों (ट्रायक्लोरो मीथेन, डाई ब्रोमोक्लोरो मीथेन, ब्रोमोडाईक्लोरो मीथेन, ट्रायक्लोरो मीथेन) का एक समूह है जो पीने के पानी में कीटाणुशोधन हेतु क्लोरीन या अन्य डिसइंफेक्टेट की अभिक्रिया के सह उत्पाद होते हैं। क्लोरीकरण जल में स्वाभाविक रूप से होने वाले जैविक और अकार्बनिक पदार्थों के साथ माइक्रोबियल दृष्टिपक्ष पदार्थों को नियंत्रित करते हैं। परन्तु इस अभिक्रिया के सह उत्पाद ट्राय हैलो मीथेन्स स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अतः इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उज्जैन के क्लोरीनयुक्त पेयजल में ट्राय हैलो मीथेन्स की उपस्थिति का आंकलन करना है। केन्द्रीय प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उज्जैन के दो जल निस्पंदन संयंत्रों एवं शहर के आस—पास नगर निगम के 21 यूजर एण्ड एवं 4 उपरली टंकियों को ट्राय हैलो मीथेन्स की मॉनिटरिंग के लिए चुना गया। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि, अपरिष्कृत जल में ट्राय हैलो मीथेन्स अनुपस्थित पाए गए परन्तु जल निस्पंदन संयंत्रों द्वारा उपचारित जल एवं यूजर एण्ड से एकत्र किये हुए नमूनों में ट्राय हैलो मीथेन्स की सान्द्रता आई एस 10500—2012 मानक सीमा में पाई गई।

उज्जैन शहर के क्लोरीनयुक्त पेय जल में ट्रायहैलोमीथेन्स की उपस्थिति का अध्ययन



इन्टेक पॉइंट अम्बोडिआ जल निस्पंदन संयंत्र उज्जैन



इन्टेक पॉइंट गजघाट जल निस्पंदन संयंत्र उज्जैन



उपरली टंकी महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन



क्लोरीन गैस टंक डिसइंफेक्टेट के उपयोग हेतु



यूजर एण्ड से पेय जल नमूना एकत्र करते हुए



फिल्टर बेड कम्बोडिया जल निस्पंदन संयंत्र उज्जैन

2. मध्यप्रदेश स्थित भोपाल शहर के वायु गुणवत्ता मूल्यांकन एवं उत्सर्जन सूची का अध्ययन—

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और आबादी में विकास तेजी से हो रहा है, इसलिए परिवेशीय वायु की मॉनिटरिंग कर यह जानना महत्वपूर्ण है कि शहर की परिवेशीय वायु गुणवत्ता स्वास्थ्य के लिये अनुकूल है या नहीं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भोपाल शहर की विस्तृत वायु गुणवत्ता मूल्यांकन एवं उत्सर्जन सूची तैयार कर प्रदूषण की स्थिति का आंकलन करना है। भोपाल शहर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, शांत क्षेत्र और मिश्रित क्षेत्र में कुल बारह स्थानों को इस अध्ययन के दौरान मॉनिटरिंग के लिए चुना गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि भोपाल शहर में संतोषजनक वायु गुणवत्ता सूचकांक दो स्थान अरेंगा कॉलोनी और वन विहार में पाया गया। मध्यम वायु गुणवत्ता सूचकांक आठ स्थानों में पाया गया और दो स्थान आई.एस.बी.टी. और गोविन्दपुरा में खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक पाया गया। औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा एवं मिश्रित क्षेत्र, आई.एस.बी.टी. की वायु गुणवत्ता खराब पायी गयी। उत्सर्जन सूची हेतु चयनित स्थानों पर पॉइंट सोर्स, एरिया सोर्स एवं लाइन सोर्स का प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया। इस चरण में द्वितीयक सर्वेक्षण के लिए भोपाल शहर की विभिन्न सम्बंधित संस्थानों से डाटा प्राप्त कर उत्सर्जन सूचीवद्वा किया जाना प्रस्तावित है।

मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता मूल्यांकन, उत्सर्जन सूची का अध्ययन



क्रित: पर्यावरणीय वायु मॉनिटरिंग: रूफ टॉप, अनुशी हॉस्पिटल, 10 नंबर मार्केट, भोपाल



क्रित: पर्यावरणीय वायु मॉनिटरिंग: रूफ टॉप, पर्सीवाल हॉस्पिटल, आई.एस.बी.टी., भोपाल



क्रित: पर्यावरणीय वायु मॉनिटरिंग: रूफ टॉप, शिल्प हॉस्पिटल, बैरामपुर, भोपाल



क्रित: पर्यावरणीय वायु मॉनिटरिंग: रूफ टॉप, शिल्प हॉस्पिटल, एम पी नगर, भोपाल



क्रित: पर्यावरणीय वायु मॉनिटरिंग: रूफ टॉप, मनीषा हॉस्पिटल, कोटा सूत्तानालद नगरपालिका



क्रित: पर्यावरणीय वायु मॉनिटरिंग: रूफ टॉप, अस्पा हॉस्पिटल, ठी.टी.नगर, भोपाल

३ मध्यप्रदेश स्थित देवास औद्योगिक क्षेत्र की विस्तृत पर्यावरणीय मॉनिटरिंग—

औद्योगिक प्रदूषण से पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जिसकी वैशिक स्तर पर वृद्धि जारी है। दिन प्रति दिन उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषकों से पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीव, प्रदूषकों की जहरीली प्रकृति के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, इसलिए देवास औद्योगिक क्षेत्र की पर्यावरण निगरानी कर यह जानना महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक क्षेत्र की पर्यावरण गुणवत्ता स्वास्थ्य के अनुकूल है या नहीं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देवास औद्योगिक क्षेत्र की विस्तृत पर्यावरणीय मॉनिटरिंग कर पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति का आंकलन करना है। केंद्रीय प्रयोगशाला, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय घटकों (वायु, भूजल, मृदा एवं ध्वनि) में होने वाले प्रदूषण के आंकलन हेतु देवास के औद्योगिक क्षेत्र के चार कॉरीडोर में ०९ स्थानों पर अध्ययन किया गया। उक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि देवास औद्योगिक क्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक छह स्थानों पर मध्यम (115.56–198.36) और तीन स्थानों पर संतोषजनक (17.60–94.94) पाया गया। कुछ स्थानों पर भूजल में कुल घुलित ठोस पदार्थ, क्लोराइड, फ्लोराइड, नाईट्रोट, सल्फेट, आदि मानक बीआईएस, 10500(2012) की तुलना में अधिक पाए गए। औद्योगिक क्षेत्र की मृदा में भारी धातुओं की उच्च सांद्रता पाई गई जबकि परिवेशीय वायु में ध्वनि का स्तर सभी मॉनिटरिंग स्थानों पर औद्योगिक ध्वनि मानक सीमा में पाया गया।

मध्य प्रदेश के देवास औद्योगिक क्षेत्र की विस्तृत पर्यावरणीय मॉनिटरिंग



क्रिः पर्यावरणीय वायु मॉनिटरिंग: एप्पएस किरलोस्कर ब्लॉक लिमिटेड, देवास



क्रिः पर्यावरणीय वायु मॉनिटरिंग: एप्पएस नवीन फ्लोरीन इंस्ट्रॉन्यूल लिमिटेड, देवास



क्रिः पर्यावरणीय ध्वनि मॉनिटरिंग: एप्पएस सेका, पर्सिएअर इंडस्ट्री, देवास



क्रिः बी टी एस मॉनिटरिंग: एप्पएस बी इ कम्पनील क्लैक्ट (फ्लॉट २) देवास



क्रिः भूजल मॉनिटरिंग : एप्पएस बैंक नेट प्रेस, देवास



क्रिः पृथ्वी मॉनिटरिंग: एप्पएस वाटर सार स्किम मिल्क प्रोडक्शन लिमिटेड, देवास

4 मध्यप्रदेश स्थित चंबल नदी की बायो मॉनिटरिंग—

चंबल नदी मध्य प्रदेश के मध्य से उत्तर-पूर्व में बहती है। इस परियोजना का मुख्य उददेश्य मध्यप्रदेश में चंबल नदी के पूरे नदी खंड में मैकॉन इनवर्टरेट की पहचान के आधार पर जैविक जल गुणवत्ता मानदंड (बी.डब्ल्यू.क्यू.सी.) का उपयोग कर जल गुणवत्ता का आंकलन करना है। बॉयोमॉनिटरिंग का उपयोग बीथेंटीक मैकॉन इनवर्टरेट (बैन्थोस) नस्लों के वर्गीकरण और जोनिंग कर नदी जल की गुणवत्ता स्तर का आंकलन स्वच्छ, मामूली प्रदूषण, मध्यम प्रदूषण और गंभीर प्रदूषण की पारिस्थितिकीय स्तर में किया जाता है। केंद्रीय प्रयोगशाला मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश में पूरे चंबल नदी खंड को तीन क्षेत्रों में विभाजित कर कुल बारह स्थलों पर बॉयोमॉनिटरिंग अध्ययन किया गया। वर्ष 2019–20 के दौरान बॉयोमॉनिटरिंग के अध्ययन से निष्कर्ष निकाला गया कि चंबल नदी के जल का औसत जैविक जल गुणवत्ता मानदंड (बी.डब्ल्यू.क्यू.सी.) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रोटोकॉल अनुसार क्लास “ए” से “सी” के अंतर्गत पाया गया अर्थात् चंबल नदी में जल गुणवत्ता का स्तर स्वच्छ से मध्यम प्रदूषण पारिस्थितिकीय स्थिति को इंगित करता है।



चित्रः चंबल नदी पिपलोदा बगला स्टॉप डैम, नागदा



चित्रः चंबल नदी रोड ब्रिज म.प्र.अंतर्राज्यीय सीमा, धौलपुर



चित्रः आंतरिक गंदे नाले का प्रवाह चंबल नदी में मिश्रित होता हुआ रोड ब्रिज घाटाबिल्लोद



चित्रः चंबल नदी रोड ब्रिज फूप, भिंड



चित्रः अध्ययन स्थान पर माइक्रो इन्वर्टरेट्स का संग्रह करते हुए



चित्रः अध्ययन स्थान पर माइक्रो इन्वर्टरेट्स की पहचान करते हुए

5. उद्योगों द्वारा प्रवाहित दूषित जल में टॉक्सीसिटी का अध्ययन—

पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत टॉक्सीसिटी परीक्षण एक ऐसा प्रचालक है जो प्रदूषण की पुष्टि करता है। इस परिप्रेक्ष्य में यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। मछलियों जलीय भोज्य व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं एवं पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील होती है। अतः केंद्रीय प्रयोगशाला मध्य प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा मछलियों पर देवास औद्योगिक क्षेत्र के कार्बनिक रसायन उद्योगों के दूषित जल के प्रभावों का अध्ययन किया गया। प्राप्त परिणाम के अनुसार उपचारित दूषित जल में टॉक्सीसिटी सम्भावना परिलक्षित हुई अतः इस परिप्रेक्ष्य में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, कि बिना उपचार के दूषित जल का निस्तारण सीधे नदी में किया जाना उचित नहीं है।



चित्र: एस.एस.इ पॉड बरलोचर देवास



चित्र: मौजूदा वृक्षारोपण बारलोचर देवास



चित्र: समीकरण टैंक नवीन फ्लोरीन, देवास



चित्र: वातन टैंक नवीन फ्लोरीन, देवास

मध्य प्रदेश के देवास शहर के कार्बनिक रसायन उत्पादक उद्योगों से निकलने वाले उपचारित जल में विषाक्तता का अध्ययन 2019-20

केन्द्रीय प्रयोगशाला को प्राप्त मान्यताएँ—



केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना राजपत्र अधिसूचना जल (प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 16 (3) के तहत् दिनांक 08 / 02 / 2008 को की गई है। स्थापना के उपरांत प्रयोगशाला ने निम्नलिखित मान्यताओं को प्राप्त किया है—

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत् 2007 से पर्यावरण प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त।
- आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 17025:2017 (अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली) के अंतर्गत जल और अपशिष्ट जल एवं परिवेशीय वायु प्रचालकों के लिये (एन.ए.बी.एल.) (डी.एस.टी., भारत सरकार) से मान्यता प्राप्त।
- व्यावसायिक स्वारक्ष्य और सुरक्षा आंकलन शृंखला 18001:2007 के तहत् 2013 से प्रमाणित।

केन्द्रीय प्रयोगशाला देश की सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रयोगशालाओं में एक प्रयोगशाला है, जिसे एन.ए.बी.एल.—आई.एस.ओ./आई.ई.ई.सी. 17025:2017, ओसास 18001: 2007 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत् मान्यता प्राप्त है।

सुविधाएँ — केन्द्रीय प्रयोगशाला निम्न पर्यावरणीय घटकों की निगरानी के लिये अत्याधिक कुशल वैज्ञानिकों एवं अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला है।

- जल / दूषित जल
- परिवेशीय वायु
- स्त्रोत उत्सर्जन
- मिटटी / ठोस अपशिष्ट
- ध्वनि स्तर
- जीवाणुत्त्व
- जैव निगरानी
- टॉक्सिसीटी
- वाहनों की निगरानी।

नमूने और परीक्षण विशेषज्ञता –

जल / जल अपशिष्ट	मृदा / मृदा अपशिष्ट	परिवेशीय वायु	स्त्रोत उत्सर्जन प्रयोगशाला
रंग	अमोनिया	सल्फर डाय—ऑक्साइड	पर्टिकुलेट मेटर
गंध	बाय कार्बोनेट	नाइट्रोजन	हाइड्रोजन
पी.एच.वैल्यू	बोरॉन	डायऑक्साइड	क्लोराइड
टर्बिडिटी	कैल्शियम	पर्टिकुलेट मैटर	कार्बन
ठोस घुलनशील	कैल्शियम कार्बोनेट	(पी.एम. ₁₀)	मोनोऑक्साइड
अमोनिया	केटायन एक्सचेंज केपे.	पर्टिकुलेट मैटर	धातुयें
बोरॉन	सिटी	(पी.एम. ₂₅)	
कैल्शियम	क्लोराइड	ओजोन	कीटनाशक
क्लोराइड	रंग	कार्बन मोनोऑक्साइड	पॉलीन्यूक्लिर
फ्लोराइड़	विद्युत चालकता	अमोनिया	ऐरोमेटिक
फास्फोरस	विनिमेय सोडियम	बैंजीन	हाइड्रोकार्बन
जैविक ऑक्सीजन मांग (बी.ओ.डी)	प्रतिशत विनिमेय	धातुएं	
रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सी.ओ.डी.)	सोडियम	कीटनाशक	
पौटेशियम	भारी धातुएं	पॉलिन्यूक्लियर	
सोडियम	मैग्नीशियम	ऐरोमेटिक हाइड्रोकार्बन	
कैल्शियम	नाइट्रेट		
ठोस (कुल घुलनशील, निलंबित, वाष्पशील, अवाष्पशील)	नाइट्राइट		
मुक्त क्लोरिन अवशेष	उपस्थित नाइट्रोजन		
मैग्नेशियम	आर्गेनिक कार्बन / मेटर		
नाइट्रेट	कीटनाशक		
फिनॉलिक यौगिक	पी.एच.		
सल्फेट	फास्फोरस		
सल्फाइड	फास्फेट		
कठोरता(कुल, कैल्शियम, मैग्नेशियम)	पोटेशियम		
कुल जेलडाल नाइट्रोजन	मृदा विक्षालन में		
तेल एवं ग्रीस	एस.ए.आर.		
हैक्जावेलेंट कोमियम	सोडियम		
धातुएं	मृदा आर्द्रता		
कीटनाशक	सल्फेट		
पॉली न्यूक्लियर ऐरोमेटिक हाइड्रोकार्बन	सल्फर		
ट्रायहेलोमीथेन	फ्लैश बिन्दु / प्रज्वलनता		
ई-कोलाई	विषाक्तता का मापन		
कुल कोलिफार्म बैक्टीरिया	ऊष्णीय मान (कैलोरीफिक वैल्यू)		
बायो एस.परीक्षण			

उपलब्ध उपकरण सुविधा

उपकरण	उपयोगिता
एटॉमिक एब्जार्पशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	वायु/जल/मृदा/ठोस अपशिष्ट विश्लेषण उपकरण
बी.ओ.डी. इनक्यूबेटर	
बॉम्ब कैलोरीमीटर	
बी.टी.एक्स.एनालाइजर	
सी.एच.एन.एस.एनालाइजर	
सी.ओ.डी.डायजेस्टर	
कन्डकटीविटी मीटर	
डी.ओ.मीटर	
डीप फ्रीजर	
इलेक्ट्रोनिक बैलेन्स	
फ्लैम फोटोमीटर	
गैस कोमेटोग्राफ / मास स्पेक्ट्रोमीटर	
हेवी मेटल डायजेस्टर	
हॉट एयर ओवन्स	
ऑयन कोमेटोग्राफ	
मर्करी एनालाइजर	
मझकोप्रासेसर बेर्स्ड यू. वी.-वी.आई.एस.	
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	
माइक्रोवेव डायजेस्टर	
मिलीपोर वॉटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम	
मफल फरनेन्स	
पी.एच.मीटर	
पी.एम.2.5 सेम्पलर	
रिसपाइरेबल डस्ट सेम्पलर (आर.डी.एस.)	
साक्सलेट अपेरेटस	
स्टेक मॉनिटरिंग किट	
टी.के.एन.असेम्बली	
टॉक्सीसिटी कैरेक्टरिस्टीक लीचिंग प्रोसेड्यूर (टी.सी.एल.पी.) इक्यूपमेंट	
ट्रिपल डिस्टीलेशन यूनिट	
टर्बिडिटी मीटर	
अल्ट्रा सोनीकेटर	

उपकरण	उपयोगिता
यूवी—वीजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	वायु / जल / मृदा / ठोस अपशिष्ट विश्लेषण उपकरण
वीजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	
आई.सी.पी. / मास स्पेक्ट्रोमीटर	
ऑटो क्लेव	बैकटीरियोलॉजिकल टेस्टिंग उपकरण
बैक्टिरियोलॉजीकल इन्क्यूबेटर	
लेमीनार फ्लोर चेम्बर	
इन्वरटरड माइक्रोस्कोप	
स्टेरियो माइक्रोस्कोप	
माइक्रो मेट्रियोलॉजिकल डाटा लोगर	मेट्रियोलॉजिकल डाटा मॉनिटरिंग
साउण्ड लेवल मीटर	घनि मापन

प्रकाशन

1. Report preparation of project Study of Trihalomethans in chlorinated drinking water of Ujjain city.
2. Bioassay Study of Biomedical Liquid Waste (Treated Effluent) of Bhopal City, Madhya Pradesh, India International Journal of ResearchAnd Review Vol.7; Issue: 1; January 2020
3. Study of Ground Water Quality of Mandideep IndustrialArea, Madhya Pradesh, India International Journal of Information ResearchAnd Review Vol. 07, Issue, 01, pp.6668-6674, January, 2020
4. Air Quality Index of Bhopal City, Madhya Pradesh, India International Journal of Environmental MonitoringAnd Protection. 2019; 6(1): 1-7.
5. AmbientAir Quality Index Study of Mandideep IndustrialArea, Madhya Pradesh, IndiaInternational Journal of Research. 2019; 06 (09): 110-120.
6. Recent status ofAmbientAir Quality Index of Mandideep IndustrialArea, Madhya Pradesh, India International Journal of Information ResearchAnd Review .2019;06 (08) :6429-6433.
7. Presence of Contamination in Ground WaterAround Mandideep Industrial Area, Madhya Pradesh, India International Journal ofAdvanced Research. 2019; 7 (8): 1-11.
8. PM10 Bound Heavy Metals inAmbientAirAtmosphereAround Mandideep IndustrialArea, Madhya Pradesh, India International Journal of Current Research.2019; 11 (09): 6998-7002.
9. Bioassay study on treated effluent of basic drug industries of Mandideep industrialArea of Madhya Pradesh, India Biodiversity International Journal.2019; 3(5): 202-207.
10. Study of Ground Water Quality of Bhopal City, Madhya Pradesh, India, International Journal of Current Research.2019; 11(10): 7655-7664.
11. Recent status ofAmbientAir Quality of Bhopal city, Madhya Pradesh, India International Journal of ResearchAnd Review. 2019;6 (11): 365-371.

7. पर्यावरणीय प्रशिक्षण

उद्देश्य—

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17 (1) (ड) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17 (1) (घ) के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है। पता लगाये गये लक्ष्य समूहों के लिये प्रदूषण के निवारण, रोकथाम एवं नियंत्रण जैसे विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण आवश्यक है।

प्रशिक्षण की आवश्यकता :

समय—समय पर नियमों में बदलाव तथा नये नियमों के लागू होने, नई—नई तकनीकों के विकास, मानवन्यायालयों के आदेश पालनार्थ, संरचनात्मक ढाचों में सुधार आदि के कारण प्रशिक्षण एक नियमित प्रक्रिया है। बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों की फीडबैक के आधार पर बोर्ड में निम्नलिखित क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रमुखता से है, ताकि बोर्ड में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को सहमति प्रबंध तथा बहिस्त्राव व उत्सर्जन मानकों के क्रियान्वयन इत्यादि को सरलतापूर्वक संपादन हेतु तैयार किया जाये।

- वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों और बहिस्त्राव शोधन इकाईयों/उपकरणों का प्रचालन एवं अनुरक्षण
- पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के प्रबंध, प्रचालन और अनुरक्षण।
- जल एवं वायु गुणवत्ता प्रबोधन पद्धति।
- प्रयोगशाला विश्लेषणात्मक पद्धति, गुणवत्ता सुनिश्चितता एवं विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण।
- सम्मति पत्र प्रबंध और मानकों का निर्धारण।
- पर्यावरणीय परीक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा पर्यावरणीय प्रबंध पद्धति।
- खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, आंकड़ों का विश्लेषण और कानूनी पहलुओं जैसे विशिष्ट विषयों में प्रशिक्षण।

उक्त के परिपेक्ष्य में बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु समय—समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशाला आदि में भी उन्हें भेजा जाता है। बोर्ड में अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं छात्रों को भी समय—समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा आयोजित प्रशिक्षण

केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा वर्ष 2019–20 में निम्न प्रशिक्षण आयोजित किये गये।

क्रमांक	संस्थान / महाविद्यालय का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण की अवधि
1.	म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवनियुक्त उपयंत्री	8	12–16 अप्रैल 2019
2.	इंस्टिट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल	5	8–12 जुलाई 2019
3.	आर.डी.वि.वि. बायोसाइंस डिपार्टमेंट, जबलपुर	10	6 जनवरी – 16 मार्च 2020
4.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल	19	24–28 फरवरी 2020

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित संगोष्ठी प्रशिक्षण कार्यशाला आदि में नामित बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्रं.	विषय	आयोजक	स्थान	दिनांक	प्रतिभागी
1.	Developing of BAT reference document for Textile sector in india	CPCB	New Delhi	17 June 2019	श्री हेमन्त कुमार शर्मा, डाय.पर्या., मुख्यालय, भोपाल
2.	UrbanAir Quality Management Strategies	CSE	Alwar, Rajasthan	25 से 28 जून 2019	श्री पी.सी.उचारिया, व.वै.अ., क्षेत्रीय कार्या., देवास
3.	पर्यावरण विभाग से सम्बन्धित प्रशिक्षण	आपदा प्रबंधन संस्थान	भोपाल	8 से 11 जुलाई 2019	1. श्री अरविंद कुमार सिंह, क.वै.ज्ञा. क्षे.का., भोपाल 2. श्रीमती किरन शाक्य, क.वै.ज्ञा. मु. भोपाल 3. श्रीमती उषा कीर, क.वै.ज्ञा., ई.आर.सी., भोपाल 5. डॉ. प्रवीण कोठारी, क.वै.ज्ञा., क्षे.का. भोपाल 6. श्री डी.के. शर्मा, क.वै.ज्ञा., क्षे.का., ग्वालियर 7. श्री मनोज जैन, क.वै.ज्ञा., मुख्यालय, भोपाल 8. श्री गणेश कु.वै.गा., क.वै.ज्ञा., क्षे.का. शहडोल 9. श्री दिलीप केशरे, क.वै.ज्ञा., क्षे.का., देवास 10 श्री ए.एस. सिकरवार, क.वै.ज्ञा., क्षे.का., जबलपुर 11.श्री छ्वी.एस. गहरवार, क.वै.ज्ञा., क्षे. का., जबलपुर 12. श्री पी.एस. चौहान, क.वै.ज्ञा., क्षे. का., ग्वालियर 13. श्री सी.एस. पटेल, क.वै.ज्ञा. क्षे.का. सतना 14. श्री महेश पुरैया, क.वै.ज्ञा., क्षे.का., जबलपुर 15. श्री छ्वी.के. श्रीवास्तव, रसा. क्षे.का., सागर 16. श्री एस.के. गुप्ता, रसा., क्षे.का., इन्दौर 17. श्री संजय राजपूत, रसा., क्षे.का., छिन्दवाड़ा 18. श्री शैलेन्द्र कश्यप, सेम्पलर, क्षे.का., भोपाल

4.	Compliance Monitoring & Enforcement	CSE	Delhi	21 मई से 01 जून 2019 तक	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री नितेश चौरसिया, उपयंत्री, मु. भोपाल 2. श्री श्रेयस पान्डेय, उपयंत्री, मु. भोपाल 3. श्री राजेश पाटीदार, उपयंत्री, मु. भोपाल 4. श्री आकाश जैन, उपयंत्री, मु. भोपाल 5. श्री विनय रमईया, उपयंत्री, मु. भोपाल 6. सुश्री आदिति वाडिवे, उपयंत्री, मु. भोपाल 7. सुश्री निकिता बरडे, उपयंत्री, मु. भोपाल 8. श्री सलमान खँॱन, उपयंत्री, मु. भोपाल 9. डॉ. दीपक काले, वैज्ञा., क्षे.का., उज्जैन 10. श्री एच.एस.शर्मा, क.वैज्ञा. 11. श्री अरविन्द सावले, उपयंत्री, मु. भोपाल
5.	Accidental Spill-Emergency Response and Environmental Impact Assessment	CPCB	Neeri, Nagpur	5 से 7 नवम्बर 2019	डॉ. राजेन्द्र चतुर्वेदी, वैज्ञा., इ.आर.सी., भोपाल
6.	Social Return on Investment (SROI) & CSR	IIDM, Bhopal	Bhopal	23 से 25 जुलाई 2019	श्री आकाश जैन, उपयंत्री, मु. भोपाल
7.	Advance Instrumental Analytical Techniques	CPCB, Delhi	Neeri, Nagpur	18 से 20 सितम्बर 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. डॉ. हरीश वानखेड़े, वैज्ञानिक, मु. भोपाल 2. श्री प्रवीण कोठारी, कनि. वैज्ञानिक, मु. भोपाल
8.	Best Practices in Environment Governance	CSE	Delhi & Stockholm Sweeden	13 से 21 सितम्बर 2019	श्री ए. ए. मिश्रा सदस्य सचिव, मुख्या., भोपाल
9.	Analysis of Pesticides & other organic chemicals in Environmental Sample	CPCB, Delhi	CSIR, Lucknow	23 से 27 सितम्बर 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्रीमती किरन बैगा, रसा. मु.भोपाल 2. श्री महेश पुरेया, क. वैज्ञा. क्षे.का., जबलपुर 3. श्री एस.के. गुप्ता, रसायनज्ञ, क्षे.का. इन्दौर
10.	Air Quality Management for Air Pollution Reduction & Sustainable Mobility	CSE	Alwar, Rajasthan	18 से 21 सितम्बर 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री राहुल द्विवेदी, वैज्ञानिक, क्षे.का. सतना 2. श्री ए.यू. बैग, वैज्ञानिक, मु. भोपाल,

11.	Planning Designing Monitoring & Inspection of WWTPS and APCS	CPCB, Delhi	Chennai	23 से 27 सितम्बर 2019	1. श्री संजय जैन, वैज्ञानिक, क्षे. का. सागर, 2. श्री पी.सी. उचारिया, व.वै.अधि., क्षे.का., देवास
12.	Air Quality Monitoring Ambient & Source and Continuous Ambient Air Quality Monitoring (CAAQM)	CPCB, Delhi	Benglore	16 से 20 सितम्बर 2019	1. श्री पी.सी. उचारिया, व.वै.अधि., क्षे.का., देवास 2. श्री धर्मद्र यादव, रसायनज्ञ, क्षे.का., गुना
13.	Noise Pollution Measurement Regulation & Implementation (NPMRI)	CPCB, Delhi	Benglore	25 से 27 सितम्बर 2019	1. श्री दिलीप केशरे, क.वैज्ञा. क्षे.का., देवास, 2. श्री जे.के. राजोरिया, क.वैज्ञा. क्षे.का., गुना
14.	Effective Management of Hazardous Waste Including E-waste-co Processing and Co. Incineration- Hazardous Waste Rules & Field Visit (HWM)	CPCB, Delhi	Benglore	14 से 18 अक्टूबर 2019	1. श्री एच.एस. मालवीय, अधीयंत्री, मुख्यालय, भोपाल 2. श्री मुकेश श्रीवास्तव, कार्य. यंत्री, क्षे.का., देवास
15.	Occupational Health & Safety Management System (OHSMS)- 18001:2007	CPCB, Delhi	Ahemdabad	11 से 15 नवम्बर 2019	1. श्री हरीश वानखेड़े, वैज्ञानिक, मु. भोपाल 2. श्री एन.पी. त्रिपाठी, (ए.ए.) मु. भोपाल
16.	Monitoring of PM _{2.5} & Other Notified Air Pollutants As per revised NAAQS 2009	CPCB, Delhi	CSIR Lucknow	14 से 18 अक्टूबर 2019	श्री एस.के. मिश्रा, क.वैज्ञा., क्षे.का., सतना
17.	ई-दक्ष केन्द्रों (आई.टी. क्षेत्रीय क्षमता संवर्धन केन्द्रों) में प्रशिक्षण कार्यक्रम।	म.प्र. शासन विज्ञान एवं प्रोटिपिकी विभाग, भोपाल	भोपाल	13 / 9 / 19	डिजिटल हस्ताक्षर— 1. श्री पी.आर. देव, व.वैज्ञा.अधि., मु. भोपाल 2. श्री आलोक सरसेना, वैज्ञानिक, मु. भोपाल 3. श्री बृजेश शर्मा, कार्य.यंत्री, मु.भोपाल 4. श्री आर.आर. सेंगर, कार्य.यंत्री, क्षे.का. भोपाल 5. डॉ. निशा उपाध्याय, वैज्ञानिक, मु. भोपाल 6. डॉ. प्रेमकुमार श्रीवास्तव, वैज्ञानिक, मु. भोपाल 7. डॉ. संद्या मोखले, वैज्ञानिक, मु.भोपाल 8. डॉ. सुनील सुधाकरण, वैज्ञानिक, मु. भोपाल 9. श्री आनन्द द्विवेदी, वैज्ञानिक, मु. भोपाल 10. श्री आर.पी. ठाकुर सहा. यंत्री, मु. भोपाल

					साईबर सुरक्षा— 1. श्री अलोक सिंघई अधीयंत्री ई.आर.सी., भोपाल 2. डॉ. राजेन्द्र चतुर्वेदी वैज्ञानिक, ई.आर.सी. भोपाल 3. श्रीमती ऊषा कीर, रसायनज्ञ ई.आर.सी., भोपाल 4. श्री धर्मदास चौरे, प्रोग्रामर, मु. भोपाल 5. श्री विनय केमिया, स्टेनो ई.आर.सी., भोपाल 6. श्री अरविन्द सावले, उपयंत्री मु. भोपाल 7. श्री अंकित बघेल, उपयंत्री मु. भोपाल 8. श्री निकिता वरडे, उपयंत्री मु. भोपाल 9. सुश्री आदिती वाडिवे, उपयंत्री मु. भोपाल 10. श्री मोतीलाल पनिका, नि.श्रे.लि., ई.आर.सी. भोपाल
					यूनिकोड 1. श्री सुरेश यादव, उ.श्रे.लि. मु. भोपाल 2. श्री सौरभ तिवारी, उ.श्रे.लि. मु. भोपाल 3. श्री उदयन नायर, नि.श्रे.लि. क्षे.का., भोपाल 4. श्री अनिल पी.जी., नि.श्रे.लि. मु.भोपाल 5. श्री पवन उर्झे, नि.श्रे.लि. मु. भोपाल 6. श्री अरविन्द पारे, नि.श्रे.लि. मु. भोपाल 7. श्री अशोक सक्सेना, नि.श्रे.लि. मु. भोपाल 8. श्री योगेन्द्र द्विवेदी, नि.श्रे.लि. मु. भोपाल 9. श्री अंशुल चिलबुले, नि.श्रे.लि. मु. भोपाल

					एडवान्स एम.एस. ऑफीस 1. श्री नितेश चौरसिया, उपयंत्री मु. भोपाल 2. श्री राजेश पाटीदार, उपयंत्री मु. भोपाल 3. सुश्री निकिता वरडे, उपयंत्री मु. भोपाल 4. सुश्री अदिति वाडिवे, उपयंत्री. मु. भोपाल 5. श्री विनय रमेया, उपयंत्री, मु. भोपाल 6. श्री आकाश जैन, उपयंत्री मु. भोपाल 7. श्री सलमान खांन, उपयंत्री मु. भोपाल 8. श्री श्रेयस पान्डेय, उपयंत्री मु. भोपाल 9. श्री अंशुल चुलबुले, नि.श्रे.लि. भोपाल
18	Environmental Clearance & Its Compliance	MoEF, Bhopal	Bhopal	04 नवम्बर 2019	1. डॉ. अभय सक्सेना व.वै.अधि., मु. भोपाल 2. श्री पी.के. मगरदे उश्रेलि. मु. भोपाल 3. श्री योगेन्द्र कुद्दिवेदी निश्रेलि. मु. भोपाल 4. श्री अशोक कुमार सक्सेना निश्रेलि. मु. भोपाल
19.	Integrated waste Management Municipal waste, Plastic waste, Bio-Medical waste, Bio-Composting, Landfill gas Management & Control & Waste to Energy with Field	CPCB, Delhi	Hyderabad	18 से 22 नवम्बर 2019	1. डॉ. आरती अग्रवाल वैज्ञानिक मु. भोपाल 2. डॉ. तसनीम सूफी वैज्ञानिक क्षे.का. भोपाल
20.	Sampling and Analysis of Hazardous and other waste Listed under HOWN, 2016	CPCB, Delhi	Nanded	09 से 11 दिसम्बर 2019	1. सुश्री निकिता वरडे, उपयंत्री मु. भोपाल 2. सुश्री अदिति वाडिवे, उपयंत्री मु. भोपाल
21.	PPP and Contract Management	आर.सी.व्ही. पी. नरेन्हा प्रशासन अकादमी	भोपाल	09 से 13 दिसम्बर 2019	श्री अलोक सिंघई, अधी.यंत्री, ई.आर.सी., भोपाल

22.	Sampling and Analysis Methods of PCèFC & Bio-Monitoring	CPCB, Delhi	Bhopal	12 से 13 दिसम्बर 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री ए.यू. बेग, वैज्ञानिक मु. भोपाल 2. श्रीमती किरन वैगा, रसायनज्ञ मु. भोपाल 3. श्री साकेत मिश्रा, (पी.एफ) मु. भोपाल 4. सुश्री स्मृति सेन, (पी.एफ) मु. भोपाल
23.	Restoration of Polluted water Bodies	CPCB, Delhi	Delhi	30 जनवरी 2020	श्री गुटटानी अम्बुलकर, मु. रसा., मु. भोपाल
24.	Contaminated Sites	MoEF	Delhi	17 से 19 फरवरी 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री एच.एस. मालवीय, अधी.यंत्री, मु. भोपाल 2. श्री एच.एस. शर्मा, कनि.वैज्ञानिक, क्षे.का. उज्जैन
25.	Advancing City Climate Action in MP	EPCO	EPCO, Bhopal	20 फरवरी 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री पी.के त्रिवेदी डारेक्टर पर्यावरण, मु. भोपाल 2. डॉ. नीरज वर्मा मु.रसा., मु. भोपाल
26.	Air Quality Monitoring	EPCO	EPCO, Bhopal	27 से 28 फरवरी 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री पी.आर.देव, वरिष्ठ वै. अधिकारी, मु. भोपाल 2. श्रीमती संगीता आर दानी, मु. रसा., क्षे.का. भोपाल 3. डॉ. राजश्री शुक्ला, वैज्ञानिक मु. भोपाल 4. डॉ. तसनीम सूफी, वैज्ञानिक, क्षे.का., भोपाल

8. पर्यावरणीय जागरूकता एवं जन—भागीदारी

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17(1) (ग, ड) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17(1) (ग, घ) के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन—मानस में जागरूकता एवं जन—भागीदारी की भावना उत्पन्न करना एक महत्वपूर्ण कार्य है।

बोर्ड नियमित रूप से विभिन्न कार्यक्रमों, प्रचार एवं जनशिक्षा के माध्यम से पर्यावरण की वर्तमान स्थिति, उनको हानि पहुँचाने वाले तत्वों तथा पर्यावरण सुधार के लिए वांछित जन अपेक्षाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है।

विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम “BeatAir Pollution” के अवसर बोर्ड मुख्यालय एवं बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पर्यावरण संरक्षण जन—जागरूकता के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों जैसे—चित्रकला/निबंध—लेखन/वाद—विवाद/मैराथन प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया।



5 जून 2019 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रम

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन—सामान्य को पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से पूरे प्रदेश में जन—जागृति कार्यक्रम जैसे विद्यालयों में चित्रकला, निबंध एवं स्लोगन प्रतियोगिताओं, नुकड़ नाटक, जन जागरूकता रैली का आयोजन, विभिन्न पर्यावरणीय अधिनियमों पर कार्यशालाएं, वाहन प्रदूषण मापन एवं व्याख्यानों का आयोजन, दूरदर्शन/रेडियो के माध्यम से पर्यावरणीय विषय पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम आयोजित किये गये मुख्य कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

दिनांक	आयोजित कार्यक्रम
01 / 06 / 2019	नुककड़ नाटक एवं अन्य जनजागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
02 / 06 / 2019	भोपाल के बोट क्लब के निकट बड़े तालाब के किनारे अनुपयोगी प्लास्टिक कचरे की सफाई अभियान।
03 / 06 / 2019	टी.टी.नगर स्टेडियम में छात्र-छात्राओं हेतु चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
04 / 06 / 2019	पर्यावरण दिवस के अवसर पर भोपाल के टी.टी.नगर स्टेडियम में एक पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
05 / 06 / 2019	विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण जन-जागृति हेतु मिनी मैराथन भारत भवन से वन विहार मुख्य द्वारा तक आयोजित की गई, जिसमें लगभग 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर तत्कालीन मंत्रीजी, भोपाल महापौर, नर्सिंग होम्स एसोसियेशन के प्रतिनिधि, छात्र-छात्राएं, शहर के गणमान्य नागरिकों, बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों आदि ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग महोदय द्वारा विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किये गये।
06 / 06 / 2019	पर्यावरण दिवस की थीम “BeatAir Pollution” के अवसर पर मिटो हॉल, ओल्ड विधानसभा, भोपाल के परिसर में वायु प्रदूषण के कारण एवं नियंत्रण विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
अगस्त 2019	पॉलीथीन के दुष्प्रभावों तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु जन-जागृति कार्यक्रम।
13–16 / 09 / 2019	बी.एच.ई.एल., भोपाल में विज्ञान मेला एवं प्रदर्शनी
सितम्बर 2019	पॉलीथीन के दुष्प्रभावों तथा पर्यावरण संरक्षण एवं मूर्ति विसर्जन हेतु जन-जागृति कार्यक्रम
अक्टुबर 2019	होशंगाबाद स्थित समस्त घाटों पर सफाई हेतु जन-जागृति कार्यक्रम
21, 22 / 11 / 2019	सेठानी घाट, होशंगाबाद पर जन-जागृति कार्यक्रम

क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर

3 / 6 / 2019	औद्योगिक वायु प्रदूषण की रोकथाम विषय पर परिचर्चा।
4 / 6 / 2019	राजीव गांधी चौराहा इन्दौर में वाहनों में वायु प्रदूषण का निःशुल्क शिविर।
5 / 6 / 2019	जन जागृति कार्यक्रम एवं छात्र-छात्राओं हेतु चित्रकला/स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन।
6 / 6 / 2019	जन जागृति कार्यक्रम पम्पलेट्स का वितरण किया गया।
7 / 6 / 2019	वीट एअर पाल्यूशन विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम।
8 / 6 / 2019	कान्धा नदी के तट पर गणेश मन्दिर, धार में व्यापक सफाई अभियान का आयोजन।
11 / 9 / 2019	गणेश विसर्जन के लिए इन्दौर में बनाए गए 80 जगह सार्वजनिक कुण्ड।

क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर

2/6/2019	जिला भिण्ड में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण
3/6/2019	विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नुककण नाटक का आयोजन
5/6/2019	पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक रैली का आयोजन किया गया
6/6/2019	व्याख्यान माला
6/6/2019	चित्रकला प्रतियोगिता
16/9/2019	ओजोन परत संरक्षण दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन।
23/9/19	सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्यक्रम
15/10/19	दीपावली पर्व पर पटाखों के दुष्प्रभाव से होने वाले प्रदूषण हेतु जनजागृति कार्यक्रम
13/01/2020	जैव विकित्सा अपशिष्ट प्रबधंन नियम 2016 पर कार्यशाला



क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर

3/6/2019	नि: शुल्क वाहन मापन शिविर, चित्रकला प्रतियोगिता, नुककण नाटक एवं शहर के अन्य सम्बन्धित कार्यक्रम।
4/6/2019	पर्यावरणीय जन जागृति रैली का आयोजन
5/6/2019	विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर में विभिन्न स्थानों पर जनजागृति कार्यक्रम
7/6/2019	नर्मदा संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण विषय पर जन जागृति कार्यक्रम।
8/6/2019	पर्यावरणीय जन जागृति रैली का आयोजन एवं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन
5/7/2019	पर्यावरण जन जागरूकता में मिडिया के पत्रकारों से वार्ता।
16/9/2019	ओजोन परत संरक्षण दिवस पर कार्यशाला, इकोफेन्डली मूर्ति निर्माण कार्यशाला का निर्माण।



क्षे.का., जबलपुर द्वारा विश्व ओजोन दिवस पर एक द्विसीय कार्यशाला का आयोजन

24 / 10 / 2019	पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण एवं ग्रीन पटाखों का उपयोग करने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के सम्बन्ध में जन जागृति कार्यक्रम।
24–3 मार्च 2020	नर्मदा गौ कुम्भ के अवसर पर जन जागृति पर कार्यक्रम।
14 / 01 / 2020	मकर संक्रान्ति पर्व पर नर्मदा नदी तट पर जन जागृति कार्यक्रम।
20 / 01 / 2020	प्लास्टिक अपशिष्ट एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्यशाला
29 / 01 / 2020	सिंगल यूज प्लास्टिक को हतोत्साहित करने हेतु कार्यशाला।
30 / 01 / 2020	वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक थाम हेतु जन जागरूकता।
31 / 01 / 2020	सिंगल यूज प्लास्टिक को पर कार्यशाला।
19 / 02 / 2020	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 2016 विषय पर कार्यशाला।
20 / 02 / 2020	नर्मदा गौ कुम्भ संत समागम 2020 पर जन जागृति कार्यक्रम।
27 / 02 / 2020	प्लास्टिक कैरी बैग का प्रचलन रोकने हेतु जन जागृति कार्यक्रम।
29 / 02 / 2020	सिंगल यूज प्लास्टिक को हतोत्साहित करने हेतु कार्यशाला।

पत्रिका PLUS

CITYLIVE

एप्पल की स्कूल में शूर्विकारों के द्वारा प्रतिवाचन, स्कूलटर औंप योरिस की जल्दत नहीं

प्राकृतिक रंगों से चमकीं देव प्रतिमाएं

प्राकृतिक रंगों से चमकीं देव प्रतिमाएं का उत्सव जबलपुर में आयोजित किया गया। इस उत्सव का उद्देश्य वायु प्रदूषण को घटाना और जल्दत को घटाना है। इस उत्सव के द्वारा लोगों ने अपनी जीवन की अद्वितीयता का अनुभव किया।

दीपावली मनाये प्रदूषण रहित
प्रदूषण को बढ़ावना नहीं एवं सम्बय नहीं
Say No to Fire Crackers
Go Green Crackers
Less Chemicals, Less Sound, Less Smoke

Regional Office, M.P. Pollution Control Board, Jabalpur

क्षेत्रीय कार्यालय, छिन्दवाड़ा

3 / 6 / 2019	निःशुल्क वाहन प्रदूषण जॉच मापन किया गया।
5 से 12 जून 19	शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन।
5 / 6 / 2019	स्लोगन बोर्ड एवं अन्य जन-जागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
28–29 / 09 / 19	सिंगल यूज प्लास्टिक एवं वायोमेडिकल पर प्रतिबंध विषय पर एक द्विवर्षीय कार्यशाला।



क्षेत्रीय कार्यालय, देवास

30 / 05 / 2019	चित्रकला प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
02 / 6 / 2019	प्लास्टिक केरी बेग का उपयोग न करने संबंधी अभियान।
03 / 06 / 2019	निःशुल्क वाहन मॉनिटरिंग एवं प्रदर्शनी का आयोजन।
04 / 6 / 2019	वायु प्रदूषण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
04 / 6 / 2019	ई-वेस्ट पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
4 / 6 / 2019	बायो मेडिकल-वेस्ट पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
05 / 06 / 2019	वृक्षारोपण एवं वायु प्रदूषण रोकने हेतु शपथ।
05 / 06 / 2019	वृक्षारोपण एवं वायु प्रदूषण रोकने शपथ।
05 / 06 / 2019	वृक्षारोपण एवं वायु प्रदूषण रोकने हेतु कार्यक्रम।
05 / 06 / 2019	संगोष्ठी एवं ईको पाथ का अनावरण।
05 / 06 / 2019	वृक्षारोपण एवं वायु प्रदूषण रोकने हेतु जनजागृति कार्यक्रम।
05 / 5 / 2019	वायु प्रदूषण रोकने हेतु छात्र-छात्राओं के साथ संगोष्ठी एवं वृक्षारोपण।
06 / 6 / 2019	मॉ चमुन्डा टेकरी देवास में वायु प्रदूषण रोकने हेतु शपथ तथा संगोष्ठी।
06 / 06 / 2019	संगोष्ठी एवं रैली का आयोजन किया गया।
06 / 06 / 2019	वृक्षारोपण एवं वायु प्रदूषण रोकने हेतु जनजागरूकता कार्यक्रम।

ग्रीन गणेश
 पर्यावरण जन जागरूकता कार्यक्रम
 मिट्टी से ईको फ्रेन्डली मूर्ति निर्माण प्रशिक्षण
**आइये मिट्टी के गणेश जी की स्थापना करे,
तथा घर में ही विराजन करें।**
आयोजक - क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देवास (म.प्र.)



क्षेत्रीय कार्यालय, कटनी

27 / 5 / 2019	पॉलीथीन विषय पर जनचेतना रैली।
28 / 5 / 2019	पॉलीथीन पर जन जागृति कार्यक्रम।
29 / 5 / 2019	वृक्षारोपण एवं निबंध प्रतियोगिता एवं जनजागरण रैली।
31 / 5 / 2019	चित्रकला एवं जन जागरूकता कार्यक्रम।
1 / 6 / 2019	वृक्षारोपण एवं पर्यावरण जन जागरण रैली।
3 / 6 / 2019	चित्रकला प्रतियोगिता एवं पुरस्कार वितरण।
4 / 6 / 2019	उद्योग के साथ संयुक्त जनजागरूकता कार्यक्रम।
5 / 6 / 2019	वायु प्रदूषण विषय पर संगोष्ठी एवं अन्य जनजागृति कार्यक्रम।
29 / 8 / 2019	गणेश / दुर्गा मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के संबंध में कार्यशाला।

क्षेत्रीय कार्यालय, सतना

1 / 6 / 2019	वाहनों में वायु प्रदूषण निःशुल्क मापन शिविर एवं जन जागृति कार्यक्रम।
3 / 6 / 2019	ओद्योगिक वायु प्रदूषण की रोक थाम विषय पर परिचर्चा।
4 / 6 / 2019	निःशुल्क वाहन मापन शिविर एवं जन जागृति कार्यक्रम।
5 / 6 / 2019	वायु प्रदूषण पर छात्र-छात्राओं हेतु चित्रकला एवं स्लोगन प्रतियोगिता एवं पुरस्कार वितरण।
1-7 जून 2020	प्लास्टिक कैरी बैग के संबंध में जन जागरूकता।
07 / 06 / 2019	क्षे.का. के परिसर में वृक्षारोपण का कार्य किया गया।
05 / 08 / 2019	पर्यावरण संरक्षण के लिए टास्क फोर्स टीम का गठन।
01 / 8 / 2019	वर्षा ऋतु पर पौधा-रोपण एवं प्रचार-प्रसार।
03 / 08 / 2019	घरेलू खतरनाक कचरे पर सेमिनार।
30 / 08 / 2019	गणेश / दुर्गा / ताजिया के दौरान होने वाले प्रदूषण पर कार्यक्रम।
04 / 09 / 2019	गणेश दुर्गा मूर्ति एवं ताजिया विसर्जन के सम्बंध में कार्यशाला।

20 अक्टु. से 3 नब. 2020	दीवाली उत्सव के समय वायु/ध्वनि प्रदूषण पर मॉनिटरिंग।
26 से 28 अक्टु.	चित्रकूट मेला के दौरान होने वाले जल व वायु प्रदूषण कार्यक्रम।
24 / 10 / 2019	ग्रीन पटाखों के उपयोग हेतु शोक्षणिक संस्थानों को जागरूक करने हेतु अभियान।

क्षेत्रीय कार्यालय, रीवा

1 / 6 / 2019	निःशुल्क वाहन प्रदूषण मापन शिविर।
3 / 6 / 2019	स्वयं सेवी संगठनों की मदद से शहर के विभिन्न स्थलों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम।
5 / 6 / 2019	विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरणीय जन जागृति कार्यक्रमों का आयोजन।
6 / 6 / 2019	पालीथीन एवं प्लास्टिक वेस्ट के कारण से होने वाले वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव संबंधी जागरूकता अभियान।

क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल

29 / 5 / 2010	विश्व पर्यावरण दिवस जन जागरूकता रथ का शुभारम्भ किया गया।
30 / 5 / 2019	शहडोल शहर में विवेकानन्द पाक्र में पालीथीन व प्लास्टिक उपयोग कार्यक्रम।
31 / 5 / 2019	शहडोल शहर में वाहन मानिटरिंग कार्यक्रम का आयोजन।
1 / 6 / 2019	चित्रकला, नुक्कण नाटक एवं पर्यावरण जन जागृति अभियान।
3 / 6 / 2019	कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्य किया गया।
4 / 6 / 2019	पालीथीन एवं प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु जनजागृति कार्यक्रम।
5 / 6 / 2019	पर्यावरण जन जागरूकता रैली का आयोजन एवं पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन।
10 / 6 / 2019	उमरिया एवं अनूपपुर जिले में पालीथीन केरीवैग पर प्रतिबंध एवं कार्यक्रम।
11 / 06 / 2019	वाहन प्रदूषण मापन शिविर एवं अन्य जनजागृति कार्यक्रम।
16 / 9 / 2019	विश्व ओजोन दिवस पर कार्यशाला।
17 / 10 / 19	शा. उत्कृष्ट विद्यालय में पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर जनजागृति कार्यक्रम।
18 / 10 / 19	गुड शेफर्ड कान्चेंट स्कूल में पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर जनजागृति कार्यक्रम।
18–29 / 12 / 19	स्वच्छता ही सेवा जनजागृति/संगोष्ठी कार्यक्रम/सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्यक्रम।
17 / 12 / 19	जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशाला।
18 / 12 / 19	सेंट एलोसियेश हा.से. स्कूल में पर्यावरण विषय पर जनजागृति कार्यक्रम।
8 / 1 / 2020	बुढार के नेहरू महाविद्यालय में जन जागृति कार्यक्रम।
12 / 01 / 2020	पटेल नगर के ज्ञानोदय हा.से.स्कूल में पर्यावरण जनजागृति कार्यक्रम।
15 / 01 / 2020	जैव चिकित्सा प्रबंधन पर अमृता चिकित्सालय में सेमिनार।
22 / 01 / 2020	उमरिया जिले के कृष्णा गार्डन में पर्यावरण जनजागृति कार्यक्रम।
22 / 01 / 2020	उमरिया जिले के ठाकुर रनविजय डिग्री कॉलेज में पर्यावरण जनजागृति कार्यक्रम।

25 / 01 / 2020	जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर देवांता हास्पिटल में समिनार।
31–02 फर. 20	नर्मदा महोत्सव, अमरकंटक जन–जागृति कार्यक्रम किये गये।
19–24 फर. 20	महाशिवरात्रि मेला कार्यक्रम।
23 / 02 / 2020	पर्यावरण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम।

क्षेत्रीय कार्यालय, सिंगरौली

1 / 6 / 2019	चित्रकला निबंध लेखन एवं वाद विवाद प्रतियोगिता।
4 / 6 / 2019	पर्यावरण जनजागृति कार्यक्रम का आयोजन किया।
5 / 6 / 2019	लघु फिल्म एवं जन जागृति का कार्यक्रम किया गया।
5 / 6 / 2019	नौगढ़ स्थित भवन के सभागार में पर्यावरण दिवस की थीम (वीट एअर पालूशन) पर परिचर्चा का आयोजन किया गया।
14 / 9 / 19	फ्लाई ऐश का पर्यावरणीय प्रबंधन उपयोग एवं भावी संभावनाओं पर कार्यशाला।



क्षेत्रीय कार्यालय, सागर

25 / 5 / 2019	पुलिस विभाग द्वारा जल्प मादक पदार्थों का किल्न में कोप्रोसेसिंग के माध्यम से दहन तथा वृक्षारोपण कर कार्यक्रम आयोजित किया गया।
27 / 5 / 2019	वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन।
29 / 5 / 2019	शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जनजागृति कार्यक्रम आयोजित किये।
3 / 6 / 2019	वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन।
5 / 6 / 2019	विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन।

क्षेत्रीय कार्यालय, धार

5 / 6 / 2019	विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न जनजागृति कार्यक्रम।
4 / 6 / 2019	पालीथीन उपयोग नहीं करने एवं जूट, कपड़े के केरीबैग आदि वितरित किये गये हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय, उज्जैन

01 / 6 / 2019	चित्रकला एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
2 / 6 / 2019	अनुपयोगी प्लास्टिक प्रतिबंध करने एवं जूट, कपड़े की थैलियों का वितरण संबंधी कार्य।
3 / 6 / 2019	बोर्ड एवं उद्योगों के साथ चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
4 / 6 / 2019	वित्रकला एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
5 / 6 / 2019	पर्यावरण रैली का आयोजन किया गया।
06 / 06 / 2019	वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन।
27 / 9 / 2019	सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
01 / 6 / 2019	चित्रकला एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, पीथमपुर

1 / 6 / 2019	पर्यावरण दिवस 2019 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम।
2 / 6 / 2019	वृक्षारोपण कार्य किया गया।
03 / 06 / 2019	चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
05 / 06 / 2019	चित्रकला एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
16 / 9 / 19	ओजोन दिवस पर जनजागृति कार्यक्रम

क्षेत्रीय कार्यालय, गुना

1 / 6 / 2019	वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन।
2 / 6 / 2019	विश्व पर्यावरण दिवस की थीम वायु प्रदूषण विषयक पर परिचर्चा।
3 / 6 / 2019	नुकक्ण नाटक का कार्यक्रम किया गया।
4 / 6 / 2019	अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों का सफाई अभियान किया गया।
5 / 6 / 2019	चोपन नदी के संरक्षण हेतु जनजागरूकता कार्यक्रम।
6 / 6 / 2019	पर्यावरण प्रदेशनी का आयोजन किया गया।
7 / 6 / 2019	पर्यावरण जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
8 / 6 / 2019	जल प्रदूषण के कारण एवं नियंत्रण विषय पर परिचर्चा की गई है।
04 / 10 / 19	मूर्ति विसर्जन के पूर्व पम्पलेट्स वितरण।
19 / 10 / 19	दीपावली पूर्व जनजागृति कार्यक्रम।
21 / 10 / 19	हैप्पी डेज हा. से. स्कूल में जनजागृति कार्यक्रम।
23 / 10 / 19	शा. विद्यालय गंज में जनजागृति कार्यक्रम।
09 / 12 / 19	गुनिया नदी सफाई अभियान कार्यक्रम।

9. पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई न्यायालयीन कार्यवाही

विचाराधीन वर्ष 2019–20 में निम्नलिखित उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दायर किये गये :—

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
1	मेसर्स ओशो एसोसियेट्स लि. (हॉट मिक्स प्लांट) शिवपुरी	150 / 2020 25 / 02 / 2020	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39	वायु अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन के कारण।
2	मेसर्स मॉ नर्मदा स्टोन केशर, जबलपुर	268 / 19 4 / 4 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 39	सम्मति शर्तों का पालन न करने के कारण
3	मेसर्स मॉ रेवा स्टोन केशर जबलपुर	2244 / 19 02 / 4 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 39	सम्मति शर्तों का पालन न करने के कारण
4	मेसर्स सीरियस रिनेवेबल रिसोर्सेस, जबलपुर	269 / 2019 02 / 04 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 39 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं 44	सम्मति शर्तों का पालन न करने के कारण
5	मेसर्स विनोद स्टोन केशर जबलपुर	267 / 19 02 / 04 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 39	सम्मति शर्तों का पालन न करने के कारण
6	मेसर्स मेडास हॉस्पिटल एण्डरिसर्च सेन्टर, जबलपुर	289 / 2019 08 / 04 / 2019	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15	बिना प्राधिकार संचालन के कारण
7	मे. स्टार हॉस्पिटल एण्ड न्यू बर्न रिसर्च सेन्टर, जबलपुर	283 / 2019 05 / 04 / 2019	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15	बिना प्राधिकार संचालन के कारण
8	मेसर्स सियाराम स्टोन केशर ग्राम खरहर, जबलपुर	421 / 19 17 / 05 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 39 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं 44	सम्मति शर्तों का पालन न करने के कारण

9	मेसर्स वालिया स्टोन केशर ग्राम मानेगांव, जबलपुर	421 / 19 17 / 05 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 39 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं 44	सम्मति शर्तों का पालन न करने के कारण
10	मेसर्स पंजाब स्टोन केशर ग्राम मानेगांव, जबलपुर	424 / 19 17 / 05 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 39 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं 44	सम्मति शर्तों का पालन न करने के कारण
11	मेसर्स कृष्णा स्टोन केशर ग्राम नारायणपुर जबलपुर	420 / 19 17 / 05 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 39 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं 44	सम्मति शर्तों का पालन न करने के कारण
12	हितकारिणी डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, जबलपुर	282 / 19 16 / 06 / 2019	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम के उल्लंघन करने के कारण।
13	मॉ लंजकारी देवी राईस मिल (ग्रीसराम टेकर) लॉजी बालाघाट	226 / 19 01 / 04 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 39	सम्मति शर्तों का पालन न करने के कारण
14	बालाजी परबायलिंग (राकेश अग्रवाल) उद्योग ग्राम लिंगा जिला बालाघाट	227 / 19 01 / 04 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 39	सम्मति शर्तों का पालन न करने के कारण
15	अग्रवाल राईस मिल एण्ड परबायलिंग उद्योग ग्राम चिंचगांव तहसील कटंगी बालाघाट	228 / 19 08 / 04 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 39	सम्मति शर्तों का पालन न करने के कारण

16	श्री राम राईस मिल ग्राम गोंगलई जिला बालाघाट		वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 39	सम्मति शर्तों का पालन न करने के कारण
17	बालाजी कन्वर्टर उद्योग औद्योगिक क्षेत्र मनेरी जिला मण्डला	176 / 19 24 / 04 / 19	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 39	सम्मति शर्तों का पालन न करने के कारण
18	मेसर्स सिधंई हार्डवेयर स्टोन जनता टाकीज रोड, लक्कडगंज, इटारसी जिला—होशंगाबाद	अंडर रजिस्ट्रेशन 12 / 04 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 एवं 37	वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न करने के कारण।
19	मेसर्स रामेश्वर यादव स्टोन क्रेशर ग्राम सेमरी तह.रेहटी जिला—सीहोर	691 / 2019 20 / 06 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,31क एवं 37	वैध सम्मति के बिना इकाई का संचालन।
20	मेसर्स सतपुडा थर्मल पावर स्टेशन म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी, बैतूल	692 / 2019 22 / 06 / 2019	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	पर्यावरण स्वीकृति के बिना एश पाण्ड का निर्माण।
21	मेसर्स एग्रोएड्स पेस्टीसाइड्स,02 विदिशा	756 / 2019 08 / 07 / 2019	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों का उल्लंघन के कारण।
22	मे. अंकिता कंस्ट्रक्शन (12 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) जुनियावडी गणेश मंदिर रोड, सीहोर	756 / 2019 08 / 07 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47	जल अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन के कारण
23	मेसर्स शिवानी फूड प्रोडक्ट, जिला—इन्दौर	1466 / 19 02 / 04 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं 43	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
24	मेसर्स उमिया गृह उद्योग जिला—इन्दौर	1476 / 19 02 / 04 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं 43	बिना सम्मति इकाई का संचालन।

25	मेसर्स बालक आलू उद्योग, इन्दौर	1467 / 19 02 / 04 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं 43	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
26	मेसर्स गंगा फूड प्रोडक्ट, इन्दौर	1467 / 19 02 / 04 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं 43	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
27	मेसर्स गणेश चिप्स भंडार, ग्राम टिगरिया बादशाह जिला—इन्दौर	1479 / 19 02 / 04 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 43 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 40	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
28	मेसर्स हरिराम उत्तमचंद आशीष उद्योग सांवेर रोड, इन्दौर	1480 / 19 02 / 04 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 41	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
29	मेसर्स आयुष स्पिन टैक्स प्रा.लि. ग्राम—लिम्बोदागिरी, जिला—इन्दौर	1470 / 19 02 / 04 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 41	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
30	मेसर्स एप्पल प्रोडक्ट, ग्राम—कुमेडी, इन्दौर	1473 / 19 02 / 04 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24 एवं 25	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
31	मेसर्स स्टील फेब्रीकेटर्स, इण्डस्ट्रीयल एरिया, इन्दौर	1468 / 19 02 / 04 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 39	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
32	मेसर्स शोभा मेटल इण्ड., औद्योगिक क्षेत्र सांवेर रोड इन्दौर	1471 / 19 02 / 04 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 39	बिना सम्मति इकाई का संचालन।

33	मेसर्स बी.डी.स्टोन क्रशर,ग्राम रंगवासा जिला—इन्दौर	1475 / 19 02 / 04 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21, 37 एवं 39	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
34	मेसर्स वरुण आईसेस एण्ड फूड फैक्री सेक्टर—सी सांवेर रोड, इन्दौर	1452 / 19 02 / 04 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24 एवं 25	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
35	मेसर्स खुमानी स्टील प्रा.लि.,57,58 सेक्टर—सी इण्ड. एरिया, सांवेर रोड, इन्दौर	3751 / 18 10 / 07 / 2018	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 42	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
36	मेसर्स लार्सन एण्ड टुब्रो लि. डोंगलिया तह—पुनासा, खण्डवा	16 / 4 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 43	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
37	मेसर्स पारस न्यूट्रीशन्स,एसडीए कम्पाउण्ड, मूसाखेडी, इन्दौर	4315 / 19 11 / 03 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 44	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
38	मेसर्स स्पाकल क्लीनर, उद्योग नगर, इन्दौर	4325 / 19 11 / 03 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24 एवं 25	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
39	मेसर्स सांवरिया फूड प्रोडक्ट, ग्राम—नावदापंथ, धार रोड इन्दौर	4313 / 19 11 / 03 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 43	बिना सम्मति इकाई का संचालन।

40	मेसर्स श्रीजी फूड प्रोडक्ट, ग्राम—बरदरी सांवेर रोड, इन्दौर	4322 / 19 11 / 3 / 19	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 44	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
41	मेसर्स नाकोडा फूड मार्केटिंग ग्राम—बॉक जवाहर टेकरी धार रोड इन्दौर	4318 / 19 11 / 3 / 19	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 45	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
42	मेसर्स श्री जीन्स सोनी गार्डन परिसर बिजलपुर, इन्दौर	5470 / 19 28 / 3 / 19	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 46	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
43	मेसर्स स्पेश पाक्र प्रिंसेस सेन्टर पलासिया, इन्दौर	3585 / 17 21 / 7 / 17	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24 एवं 45	बिना सम्मति इकाई का संचालन
44	मेसर्स राजशाही फूड 9 बी औद्योगिक क्षेत्र राऊ, इन्दौर	4354 / 19 20 / 03 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31,37 एवं 41	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
45	मेसर्स राजशाही रिसोर्ट, बिचौलीमर्दाना बायपास, इन्दौर	5467 / 19 28 / 03 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 46	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
46	मेसर्स मधुर इंटर प्राइजेज, औद्योगिक क्षेत्र, राऊ, इन्दौर	4355 / 19 20 / 03 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 46	बिना सम्मति इकाई का संचालन।

47	मेसर्स राजशाही फूड प्रा.लि. औद्योगिक क्षेत्र राउ इन्डौर	5537 / 19 01 / 05 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21, 37 एवं 46	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
48	मेसर्स सोलारिश होटल, राजीव गांधी चौराहा इन्डौर	18231 / 19 08 / 04 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24 एवं 45	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
49	मेसर्स लाभगंगा गार्डन, बायपास रोड, इन्डौर	5458 / 19 29 / 04 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 46	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
50	मेसर्स विमल गार्डन, केशरबाग रोड, इन्डौर	18221 / 19 08 / 04 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 46	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
51	मेसर्स सनशाईन ग्रेनाईट, राधिकाकुंज लिंक रोड, इन्डौर	18408 / 19 09 / 04 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31,37 एवं 41	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
52	मे.श्री निकेतन गार्डन उमरिया महू, इन्डौर	4350 / 19 20 / 03 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24 एवं 45	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
53	मेसर्स शांति निकेतन गार्डन,उमरिया महू, इन्डौर	4351 / 19 20 / 03 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24 एवं 45	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
54	मेसर्स संगम प्राइड, ए.बी., रोड, निपानिया, इन्डौर	3253 / 19 15 / 2 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 46	बिना सम्मति इकाई का संचालन।

55	मेसर्स प्रेम बंधन गार्डन, वैभव नगर कनाडिया रोड, इन्दौर	1469 / 19 2 / 4 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 46	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
56	मेसर्स गुरुकृपा मैरिज गार्डन, बिचौली मर्दाना, इन्दौर	1472 / 19 2 / 4 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 46	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
57	मेसर्स रंगून गार्डन, एमआर-10 रोड, इन्दौर	18168 / 19 08 / 04 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 46	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
58	मेसर्स ग्रांड शहनाई, ग्राम— मिर्जापुर ए.बी. रोड, इन्दौर	1474 / 19 02 / 04 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 46	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
59	मेसर्स गुडलक लाईफ इण्डस्ट्रीज रगंवासा राउ, इन्दौर	4356 / 19 02 / 04 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 46	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
60	मेसर्स हरिओम वाटिका मैरिज गार्डन, मोहन टॉकीज रोड, इन्दौर	4349 / 19 02 / 04 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं 45	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
61	मेसर्स सजनप्रभा परिसर, स्कीम न. 54 विजय नगर, इन्दौर	18192 / 19 08 / 04 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 46	बिना सम्मति इकाई का संचालन।

62	मेसर्स सोमईश गार्डन, चंदन नगर, इन्दौर	18201 / 19 08 / 04 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 46	बिना सम्मति इकाई का संचालन।
63	मेसर्स पी.व्हाय. इण्डस्ट्रीज औद्योगिक क्षेत्र क्रमांक-3 ए.बी. रोड, देवास	1654 / 19 19 / 08 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 43 एवं 44 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39	बोर्ड की बगैर सम्मति के उत्पादनरत होने के कारण।
64	मेसर्स वीस्वात्मक ओम गुरुदेव इंजी. प्रा.लि. औद्योगिक क्षेत्र मकसी, शाजापुर	692 / 19 30 / 08 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 41 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 47	बोर्ड की बगैर सम्मति के निर्माण कार्य करने के कारण।
65	मेसर्स जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित डेयरी प्लांट, रीवा	सीएन 1347 / 19 21 / 06 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 43, 44 एवं 47	ई.टी.पी.का निर्माण नहीं करने एवं बिना उपचारित दूषित जल का निस्सारण भूमि में करने के कारण।
66	मेसर्स सम्राट इन्फा स्टोन क्रेशर ग्राम बैजनाथ तह.हुजूर जिला—रीवा	पंजीबद्व नहीं	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा की विभिन्न धाराओं के तहत	सम्मति प्राप्त नहीं करने एवं वायु अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण।
67	मेसर्स जगदीश एग्री एक्सपोर्ट प्रा.लि.प्लाट न.115 सेक्टर-1 औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर जिला—धार	486 / 19 30 / 04 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 41 एवं 44 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39 के तहत	बगैर वैध सम्मति उत्पादन करने, दूषित जल निस्सारण एवं धारा 33—क व 31 के निर्देशों के उल्लंघन के कारण।
68	मेसर्स एशियन ऑटो इण्डस्ट्रीज, प्लाट न. 328 सेक्टर-1 औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, धार	524 / 19 06 / 05 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39 के तहत	वायु अधिनियमों की धारा 31 'क' के निर्देशों के उल्लंघन के कारण

69	मेसर्स गुरुकृष्ण इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. प्लाट न. 18 सेक्टर-1 औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, धार	545 / 19 10 / 05 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं 47	दूषित जल निस्सारण एवं धारा 33—क व 31 क के निर्देशों के उल्लंघन के कारण।
70	मेसर्स एस.ए.हर्बल बायोएकिटव एल.एल. पी. प्लाट न. 101 सेक्टर-1 औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, धार	1307 / 2019 23 / 09 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 43 एवं 44	दूषित जल निस्सारण के कारण।
71	मेसर्स डिजिटल माइक्रो रोटो प्रिंट प्रा. लि. प्लाट न. 11 बी सेक्टर-3 औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, धार	1288 / 2019 19 / 09 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 44 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39 के तहत	बोर्ड की सम्मति नवीनीकरण बिना उत्पादन जारी रखने के कारण।
72	मेसर्स भारत डाइंग उज्जैन	0 / 2019 11 / 5 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44	बगैर सम्मति के उत्पादन किया जाना।
73	मेसर्स भारत डाइंग उज्जैन	0 / 2019 11 / 5 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 व 47	बगैर सम्मति के उत्पादन किया जाना।
74	मेसर्स ए.एन. डाइंग उज्जैन	0 / 2019 11 / 5 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44	बगैर सम्मति के उत्पादन किया जाना।
75	मेसर्स ए.एन.डाइंग उज्जैन	0 / 2019 11 / 5 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 व 47	बगैर सम्मति के उत्पादन किया जाना।
76	मेसर्स राधा मदन मोहन सर्विस स्टेशन नागदा	0 / 2019 30 / 09 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44	बगैर सम्मति के सर्विस सेंटर का सचालन किया जाना।
77	मेसर्स राधा मदन मोहन सर्विस स्टेशन नागदा	0 / 2019 30 / 09 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 व 47	बगैर सम्मति के सर्विस सेंटर का सचालन किया जाना।

78	मेसर्स नेशनल सर्विस सेंटर नागदा	0 / 2019 30 / 09 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44	बगैर सम्मति के सर्विस सेंटर का सचालन किया जाना।
79	मेसर्स नेशनल सर्विस सेंटर नागदा	0 / 2019 30 / 09 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 व 47	बगैर सम्मति के सर्विस सेंटर का सचालन किया जाना।
80	मेसर्स बाबा सर्विस स्टेशन नागदा	0 / 2019 30 / 09 / 2019	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44	बगैर सम्मति के सर्विस सेंटर का सचालन किया जाना।
81	मेसर्स बाबा सर्विस स्टेशन नागदा	0 / 2019 30 / 09 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 व 47	बगैर सम्मति के सर्विस सेंटर का सचालन किया जाना।
82	मेसर्स प्रेमा पैथालॉजी सिविल हास्पिटल मैहर के सामने मैहर, सतना	453 / 19 15 / 04 / 2019	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट	बोर्ड से जीव चिकित्सा नियम के तहत वीहित प्राधिकार नहीं लिया।
83	मेसर्स डुलानी दवाखाना सिन्धी कैम्प सतना	453 / 19 15 / 04 / 2019	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट	बोर्ड से जीव चिकित्सा नियमों के अंतर्गत वीहित प्राधिकार नहीं लिया।
84	मेसर्स महाकालेश्वर स्टोन क्रेशर, ग्राम झिरिया मौहारी कटरा जिला सतना	573 / 19 17 / 05 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 व 39	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 के तहत प्रदत्त सम्मति शर्तों का उल्लंघन करने एवं प्रदूषण फैलाने के संबंध में।
85	मेसर्स सलोनी स्टोन क्रेशर, सतरी सज्जनपुर जिला सतना	574 / 19 17 / 05 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 व 39	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 के तहत प्रदत्त सम्मति शर्तों का उल्लंघन करने एवं प्रदूषण फैलाने के संबंध में।
86	मेसर्स सृजन मेगा बैन्चर्स प्रा.लि.स्टोन क्रेशर, ग्राम देवरा तह. रामपुर बघेलान जिला सतना	575 / 19 17 / 05 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 व 39	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 के तहत प्रदत्त सम्मति शर्तों का उल्लंघन करने एवं प्रदूषण फैलाने के संबंध में।

87	मेसर्स जयदुर्गा स्टोन क्रेशर, ग्राम बिरहुली बाबूपुर रोड, सतना	739 / 19 19 / 06 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 व 39	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 के तहत प्रदत्त सम्मति शर्तों का उल्लंघन करने एवं प्रदूषण फैलाने के संबंध में।
88	मेसर्स कैला स्टोन क्रेशर, ग्राम बिरहुली बाबूपुर रोड, सतना	738 / 19 19 / 06 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 व 39	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 के तहत प्रदत्त सम्मति शर्तों का उल्लंघन करने एवं प्रदूषण फैलाने के संबंध
89	मेसर्स मॉ कालिका मिनिरल्स एण्ड स्टोन क्रेशर ग्राम कोठार तह. अमरपाटन जिला, सतना	786 / 19 24 / 06 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 व 39	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 के तहत प्रदत्त सम्मति शर्तों का उल्लंघन करने एवं प्रदूषण फैलाने के संबंध में।
90	मेसर्स जय बजरंग स्टोन क्रेशर, ग्राम देवरा न.2 तह.रामपुर बघेलान जिला सतना	785 / 19 24 / 06 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 व 39	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 के तहत प्रदत्त सम्मति शर्तों का उल्लंघन करने एवं प्रदूषण फैलाने के संबंध में।
91	मेसर्स अमित स्टोन केशर,ग्राम बिरहुली बाबूपुर रोड, सतना	895 / 19 11 / 07 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 व 39	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 के तहत प्रदत्त सम्मति शर्तों का उल्लंघन करने एवं प्रदूषण फैलाने के संबंध में।
92	मेसर्स आर.एम. ऐसोसियेट स्टोन क्रेशर, ग्राम बिरहुली बाबूपुर रोड, सतना	896 / 19 11 / 07 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 व 39	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 के तहत प्रदत्त सम्मति शर्तों का उल्लंघन करने एवं प्रदूषण फैलाने
93	मेसर्स सलोनी स्टोन क्रेशर,सज्जनपुर प्रोप. हर्ष चौरसिया जिला सतना	949 / 19 19 / 07 / 2019	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 व 39	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 के तहत प्रदत्त सम्मति शर्तों का उल्लंघन करने एवं प्रदूषण फैलाने के संबंध

उद्योगों / संस्थानों के विरुद्ध न्यायालयों में दायर प्रकरणों में दोषी उद्योगों को दिया गया दण्ड

1. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीहोर के न्यायालय में मेसर्स इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कार्पोरेशन, सीहोर के विरुद्ध जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 1998 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा प्राधिकार की शर्तों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दिनांक 28/11/15 को वाद दायर किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22/10/2019 को आदेश पारित कर अभियुक्त को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुये 04 माह के साधारण कारावास एवं 3000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास का निर्णय दिया गया है।
2. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शहडोल के न्यायालय में मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन प्रा.लि. द्वारा संचालित पत्थर खदान के विरुद्ध निर्धारित क्षमता से अधिक उत्खनन किये जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16 के तहत दिनांक 25/02/19 को वाद दायर किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14/02/2020 को आदेश पारित कर अभियुक्तगणों द्वारा अपराध स्वीकार करने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के अपराध में 25–25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की अदायगी में व्यतिक्रम किये जाने की दशा में प्रत्येक अभियुक्त को प्रत्येक व्यतिक्रम के लिये 03–03 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतान किये जाने का निर्णय दिया गया है।
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इन्दौर के न्यायालय में मेसर्स नंदु उर्फ नंदकिशोर चौहान, स्टोन केशर ग्राम सिंदोडा टेकरी रंगबाज मार्ग इन्दौर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के उल्लंघन के कारण दिनांक 02/04/2004 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 40 के तहत वाद दायर किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16/08/19 को निर्णय पारित कर अभियुक्त को एक साल छः माह के सक्षम कारावास और रुपये 3000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदायगी में व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त को एक माह का सक्षम कारावास पृथक से भुगतने की सजा दी गई।
4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्दौर के न्यायालय में मेसर्स श्री अरविन्दो इंस्टीट्युट ऑफ मेडिकल साईंस, इन्दौर के विरुद्ध पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य करने एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दिनांक 14/09/2006 को जारी अधिसूचना के उल्लंघन के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 सहपठित धारा 16 के तहत दिनांक 14/07/2014 को वाद दायर किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23/09/19 को आदेश पारित कर अभियुक्त को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा 16 के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुये 25–25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्तों को एक-एक वर्ष का साधारण कारावास का निर्णय दिया गया है।
5. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इन्दौर के न्यायालय में मेसर्स इनोफेक्स प्रा.लि. यूनिट-02, इन्दौर के विरुद्ध स्थापना सम्मति प्राप्त न करने एवं उत्पादन सम्मति प्राप्त किये बिना उत्पादन कार्य करने के कारण दिनांक 14/11/2017 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 39 के तहत वाद दायर किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22/06/2019 को निर्णय पारित

कर अभियुक्तों को जल अधिनियम की धारा 25,44 में दोषी पाते हुये मौखिक भत्सना एवं 10–10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं वायु अधिनियम की धारा 37 एवं 39 में दोषी पाते हुये मौखिक भत्सना एवं 10–10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि जमा न किये जाने पर तीन–तीन माह का कारावास की सजा दी एवं प्रत्येक अभियुक्त से अर्थदण्ड की राशि 10–10 हजार रुपये प्रत्येक धारा में इस प्रकार प्रत्येक आरोपी पर 20–20 हजार रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इस प्रकार कुल 60,000/- रुपये से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि में से परिवादी बोर्ड को प्रतिकर के रूप में 30,000/- रुपये की राशि दिये जाने का निर्णय पारित किया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 04 माह का कारावास पृथक से भुगताया जावें।

10. बोर्ड के वित्त एवं लेखे

बोर्ड के वर्ष 2019–20 के वित्त एवं लेखा संबंधी जानकारी एवं आकड़े अपरीक्षित लेखों से लिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया है। जल अधिनियम की धारा–40(4) के अनुरूप वैधानिक लेखा परीक्षण हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह से राज्य शासन द्वारा आडिटर नियुक्त किये जाते हैं। आडिट के पश्चात् उपरोक्त जानकारी व आकड़ों में परिवर्तन सम्भावित है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 40 की उपधारा (7) व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन माननीय विधानसभा के पटल पर रखे जाने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधानों अनुसार वर्ष 2018–19 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक–153 / 57 / 2020 / 32–3 दिनांक 02.03.2020 के माध्यम से विधानसभा सचिवालय को प्रस्तुत किया गया है।

बोर्ड की आय व प्राप्तियाँ :

बोर्ड की आय के साधनों में सम्मति, सम्मति नवीनीकरण, प्राधिकार, प्राधिकार का नवीनीकरण, जल विश्लेषण, वायु मापन व वाहन प्रदूषण मापन आय के प्रमुख स्रोत हैं इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संचालन हेतु राज्य शासन व केन्द्र शासन से प्राप्त अनुदान भी आय का एक स्रोत है। वर्ष 2019–20 के अपरीक्षित लेखों के अनुसार विभिन्न स्रोतों से बोर्ड को लगभग रु. 15038.25 लाख की प्राप्तियाँ हुई हैं। उपरोक्त राशि में एकसजीएन ऑनलाईन फीस राशि रु. 11324.20 लाख, राज्य शासन द्वारा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुदान योजना क्रमांक–8049 के तहत राशि रु. 1391.24 लाख सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वर्ष 2019–20 में केन्द्रीय परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम अन्तर्गत रूपये 1236.00 लाख एवं कन्ट्रोल ऑफ पॉल्यूशन प्रोग्राम अन्तर्गत रूपये 251.46 लाख की राशि प्राप्त हुई है।

व्यय एवं भुगतान :

बोर्ड की गतिविधियों को संचालित करने हेतु वर्ष 2019–20 के दौरान लगभग राशि रु 5520.54 लाख अपरीक्षित लेखों के अनुसार व्यय हुआ है जिसमें 90 प्रतिशत प्रशासनिक एवं स्थापना तथा 10 प्रतिशत अन्य व्यय है।

राज्य अनुदान प्रस्ताव वर्ष 2020–21

राज्य शासन द्वारा स्कीम क्रमांक–8049 के अन्तर्गत बोर्ड को वर्ष 2020–21 हेतु रूपये 290.42 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

टीप :— अंकेक्षण उपरांत आय एवं प्राप्तियों तथा व्यय एवं भुगतान राशियों में परिवर्तन सम्भव है।

11. राज्य बोर्ड द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य

11.1 जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1974 के अंतर्गत गठित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि हेतु उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा की जा रही जल खपत पर जल उपकर अधिरोपित किया जाता है। जिसका निर्धारण जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। जल उपकर के रूप में प्राप्त राशि भारत सरकार को भेजी जाती है। जहां से इसका 80 प्रतिशत अंश राज्य बोर्ड में वित्तीय संसाधनों के सुदृढ़िकरण हेतु प्राप्त होता है।

निम्ननिलिखित तालिका में जल उपकर के निर्धारण, वसूली तथा आय का व्यौरा प्रस्तुत किया गया है—

वर्ष	निर्धारित उद्योगों की संख्या	निर्धारित स्थानीय संस्थाओं की संख्या	एकत्रित जल उपकर राशि	भारत सरकार से प्राप्त पत्र क्र. Q-17011/01/2017-CPW Dt. 03/05/2018 के अनुसार केन्द्र शासन को भेजी गई राशि 20 प्रतिशत	केन्द्र शासन से प्राप्त राशि 80 प्रतिशत बोर्ड के खाते में जमा की गई हैं जिसका खाता क्र. 63100001000001550
अप्रैल – 2019 से मार्च – 2020	निल	निल	6.25 लाख	निल	निल

नोट :—

- वस्तु एवं सेवा कर केन्द्रीय अधिनियम 2017 लागू होने के कारणवश 01 जुलाई 2017 से जल उपकर निर्धारण कार्य समाप्त हो गया है।
- वर्तमान में जल उपकर के खाते में राशि 60.97 लाख जमा है।

11.2 बोर्ड में सूचना प्रौद्योगिकी : विकास एवं कियान्वयन

पर्यावरण से संबंधित अधिनियमों, नियमों एवं अधिसूचनाओं के अन्तर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों को आम जन तक पहुँचाने में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। इसी संबंध में कार्यालय से संबंधित जानकारी एवं अन्य कार्यों को बेवसाईट www.mppcb.nic.in पर प्रदर्शित किया जाता है तथा इसे नियमित संधारित किया जाता है। बोर्ड के दैनिक कार्यों के सम्पादन हेतु ऑनलाईन सॉफ्टवेयर संचालित है, जिसके द्वारा संस्थाएँ बोर्ड से सम्मति, प्राधिकार एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं।

एक्सजीएन सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न अधिनियमों, नियमों एंव अधिसूचनाओं जैसे:-

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत,
 - 3.1 परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016
 - 3.2 जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
 - 3.3 अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016
 - 3.4 ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
 - 3.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

आदि के अन्तर्गत सम्मति, प्राधिकार एवं रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु एक्सजीएन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में केवल एक्सजीएन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। आवेदनकर्ता को एसएमएस अलर्ट के माध्यम से सूचित करने का प्रावधान है। सम्मति / प्राधिकार / रजिस्ट्रेशन डिजिटल हस्ताक्षर उपरान्त ऑनलाइन प्रदान किये जाते हैं। जन साधारण से सम्बंधित आवश्यक सूचनाएँ एक्सजीएन सॉफ्टवेयर के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध हैं। मुख्य पृष्ठ पर निरीक्षण प्रक्रिया, सम्मति प्रदान करने की प्रक्रिया एवं आवेदन करने हेतु जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में संचालित उद्योगों एवं अस्पतालों की मासिक एवं दैनिक सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध है, साथ ही कन्सेंट रजिस्टर में सम्मति प्राप्त उद्योगों / संस्थाओं के सम्मति संबंधी जानकारी भी जन

साधारण के लिए उपलब्ध है। सूचना प्रोद्यौगिकी सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु विगत वर्ष में निम्नानुसार कार्य किये गये है :-

1. SSL (Secure Socket Layer) प्रमाणपत्र एक्सजीएन सॉफ्टवेयर में लागू किया गया।
2. एक्सजीएन सॉफ्टवेयर का मेप-आई.टी. से सिक्युरिटी ऑडिट कराया गया एवं सिक्युरिटी ऑडिट सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया।
3. आवेदन के शीघ्र निपटान के लिये फीस के साथ आवेदन स्वीकार करने की व्यवस्था की गई।
4. परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली को एक्सजीएन सॉफ्टवेयर में जोड़ा गया।
5. ई-अपशिष्ट प्राधिकार को एक्सजीएन सॉफ्टवेयर में जोड़ा गया।
6. बायोमेडिकल अपशिष्ट तथा ठोस अपशिष्ट मॉड्यूल को मुख्य मॉड्यूल (जल, वायु, परिसंकटमय प्लास्टिक...) में विलय किया गया।
7. बायोमेडिकल अपशिष्ट के वार्षिक रिटर्न भरने हेतु फॉर्म तैयार किया।
8. पेटकोक खपत (आयातित / स्वदेशी) की जानकारी की लिंक सीपीसीबी को प्रदान की गयी।
9. मेप. आई.टी. द्वारा एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर के वेब पोर्टल तथा डेटाबेस को स्टेट डाटा सेंटर पर रखा गया है। इस हेतु सिक्युरिटी ऑडिट कराया गया।
10. एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतनपत्रक प्राप्त करने की सुविधा दी गई है तथा बोर्ड के टेक्निकल प्रिजेंटेशन, लोक सुनवाई एवं जल तथा वायु मानिटरिंग की जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर संबंधित शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा आई.डी. पार्सवर्ड के माध्यम से अपलोड कर प्रदर्शित की जाने की सुविधा प्रारंभ की गई है।

राज्य बोर्ड के सदस्यों की सूची


1. अधिनियम की धारा 4(2) (ख) के अधीन राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पाँच सदस्य—

1.	प्रमुख सचिव, “आवास एवं पर्यावरण विभाग” या उनके प्रतिनिधि
2.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग या उनके प्रतिनिधि
3.	अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
4.	संचालक, औद्योगिक स्वारक्ष्य एवं सुरक्षा सेवायें या उनके प्रतिनिधि
5.	मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग या प्रतिनिधि
6.	आयुक्त—सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. या उनके प्रतिनिधि
7.	सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।

2. अधिनियम की धारा 4(2) (ड) के अधीन राज्य सरकार के स्वामित्व के निगम/मण्डल के प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य—

1.	कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, मध्यप्रदेश भोपाल या उनके प्रतिनिधि।
2.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल या उनके प्रतिनिधि।

विभागीय संरचना



**वर्ष 2019–20 में पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले
उद्योगों, संस्थानों, खदानों की सूची**

क्र.	उद्योग / संस्थान / खदान का नाम
1.	मेसर्स सिमवायोटेक फार्मा लैब, इन्दौर
2.	मेसर्स गोयल रेज़ीन एण्ड पोलीमर्स, इन्दौर
3.	नगर निगम, बुरहानपुर
4.	मेसर्स दिनेश देवेंद्र अग्रवाल, मैगनीज माईन, खसरा न. 274, ग्राम सोनेगांव तह0 तिरोड़ी, जिला बालाघाट, लीज क्षेत्रफल 4.99 हेक्टेयर उत्खनन क्षमता 4961 टन प्रति वर्ष मैगनीज + 2126 टन प्रति वर्ष रिजेक्ट्स = 7087 टन प्रति वर्ष तथा 4687 टन प्रति वर्ष वेस्ट।
5.	मेसर्स श्री मुकुल खम्परिया, लेटेराईट, आयरन ओर माईनिंग, खसरा न0 1547 ग्राम गांधीग्राम, तह. सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.), लीज क्षेत्रफल 4.47 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 1,16,224 टन प्रति वर्ष।
6.	मेसर्स एस.एल.के. आर्गेनिक्स द्वारा खसरा न. 289/4/2, 289/5/2, 291/19 ग्राम लवादा तह. लालबर्रा, जिला बालाघाट में प्रस्तावित 30 के.एल.डी. अनाज आधारित फ्यूल इथेनाल प्लांट, 500 कि.वा. कोजेनरेशन पॉवर प्लांट एवं 16 टन प्रति दिन कार्बन डाई आक्साईड उत्पादन सहित।
7.	मेसर्स श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, लेटेराईट एवं ओकर माईन, खसरा नं. 1547 ग्राम गांधीग्राम, तह. सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.), लीज क्षेत्रफल 3.237 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता लेटेराईट 52126 टन प्रति वर्ष एवं ओकर 63541 टन प्रति वर्ष।
8.	मेसर्स श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, लेटेराईट, ओकर, आयरन ओर एवं मैगनीज माईन, खसरा न0 1714 ग्राम गांधीग्राम, तह. सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.), लीज क्षेत्रफल 4.0 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता लेटेराईट 17496 टन प्रति वर्ष, ओकर 9849 टन प्रति वर्ष, आयरन ओर 1,31,076 टन प्रति वर्ष एवं मैगनीज 1310 टन प्रति वर्ष।
9.	मेसर्स श्री वीरेंद्र सिंह पटेल, फायरक्ले माईन, खसरा नं. 483/1 ग्राम चिलाचौंद, तहसील व जिला नरसिंहपुर (म.प्र.), लीज क्षेत्रफल 7.4111 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 10485 टन प्रति वर्ष।
10.	मेसर्स स्वास्तिक बिलमैट इंडिया प्रा. लि., आयरन ओर माईन 413 भाग, 423, 473/1, 476/2 ग्राम प्रतापपुर, तह. सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.), लीज क्षेत्रफल 9.02 हेक्टेयर (माईनिंग 5.42 हेक्टेयर एवं एन्सीलरी 3.60 हेक्टेयर), उत्खनन क्षमता 50,000 टन प्रति वर्ष।
11.	मेसर्स डी.पी. राय, मिरगपुर मैगनीज ओर माईन, खसरा नं.135/3, 245 भाग, 136 ग्राम मिरगपुर, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट लीज क्षेत्रफल 4.339 हेक्टेयर उत्खनन क्षमता 120 टन प्रति वर्ष।
12.	मेसर्स डी.पी. राय, पंडरवानी मैगनीज ओर माईन, खसरा नं.1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 डब्ल्यू ओ 136, 137, 138 ग्राम पंडरवानी, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट लीज क्षेत्रफल 14.90 हेक्टेयर का उत्खनन क्षमता विस्तार 10000 टन प्रति वर्ष से 60,000 टन प्रति वर्ष।
13.	मेसर्स डी.पी. राय, मिरगपुर ओपनकास्ट एवं अंडर ग्राउन्ड मैगनीज ओर माईन फिजिकल बेनीफिकेशन सहित, खसरा नं.-113, 114/1 से 114/5, 115/1 से 115/6, 116, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 119, 130/1 से 130/3, 131/1, 131/131/6, 132/1 से 132/5, 133/1 से 133/5, 134/1 से 134/9, 135/1 से 135/3, 247/3 ग्राम मिरगपुर, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट लीज क्षेत्रफल 24.288 हेक्टेयर का उत्खनन क्षमता विस्तार 1300 टन प्रति वर्ष से 1,05,987 टन प्रति वर्ष।

14.	मेसर्स श्री प्रमोद कुमार शुक्ला, मैगनीज ओर माईन, खसरा नं. 171/1, 171/2, 171/3 एवं 172/3 घ ग्राम सीतापठोर तह. तिरोड़ी, जिला बालाघाट, लीज क्षेत्रफल 4.25 हेक्टेयर उत्थनन क्षमता 6854 टन प्रति वर्ष।
15.	मेसर्स बरलोचर एडीटिव इंडिया प्रा.लि., देवास
16.	मेसर्स हरीश खण्डेलवाल, चूना पत्थर खदान —ग्राम— सीतापुरी तहसील—मनावर, जिला—धार
17.	मेसर्स राकेश पाटीदार, पत्थर खदान —ग्राम— डोल तह. धरमपुरी, जिला—धार
18.	मेसर्स जल संसाधन विभाग चंदेरी माइक्रो ऐरीगेशन स्कीम प्रोजेक्ट जिला अशोकनगर
19.	मेसर्स श्रीमति उर्मिला चतुर्वेदी (लाइम स्टोन माइंस) रकवा 2.66 हेक्टे. ग्राम रजरवारा तहसील विजय राधवगढ़ जिला कटनी।
20.	मेसर्स श्री पवन पाण्डे लाइम स्टोन एवं डोलोमाइट माइंस रकवा 2.10 हेक्टे. ग्राम नन्हवारा कटनी।
21.	श्री सुखदेव प्रसाद गोयनका लाइम स्टोन रकवा 7.065 ग्राम हरैया जिला कटनी।
22.	श्री रामनरेश जयसवाल लाइम स्टोन माइंस रकवा 1.732 ग्राम पडरेही जिला कटनी।
23.	मेसर्स श्री लक्ष्मीदास रामजी माइंस रकवा 39.31 हेक्टे. ग्राम टिकुरी जिला कटनी।
24.	श्री एन.एम.दुवास लाइम स्टोन माइंस रकवा 1.518 हेक्टे. ग्राम अमेहटा जिला कटनी।
25.	मेसर्स श्री अंकित भर्सीन लाइम स्टोन माइंस रकवा 2.50 हेक्टे. ग्राम पडरेही जिला कटनी।
26.	मेसर्स श्री नीरज कुमार जैन लेटराइट एंप्ड ओकर माइंस रकवा 15 हेक्टे. ग्राम बुधनवारा कटनी।
27.	मेसर्स प्रियंक अग्रवाल लेटराइट एंप्ड ओकर माइंस रकवा 26 हेक्टे. ग्राम डुण्डी जिला कटनी।
28.	मेसर्स रामचन्द्र ब्रद्रीप्रसाद लाइम स्टोन माइंस रकवा 12.93 हेक्टे. ग्राम अमेहटा जिला कटनी।
29.	मेसर्स त्रिवेणी लाइम स्टोन माइंस रकवा 4.770 हेक्टे. ग्राम पडरेही जिला कटनी।
30.	मेसर्स मॉ शारदा माइंस एण्ड मिनरल्स रकवा 3.50 हेक्टे. जिला कटनी।
31.	मेसर्स ए.सी.सी.सीमेन्ट लि. ग्राम अमेहटा (सीमेन्ट ग्राइडिंग यूनिट)
32.	मेसर्स ग्रेनाइट फील्ड्स एलएलपी ग्राम चटुआ, तहसील एवं जिला—शहडोल
33.	मेसर्स एस.ई.सी.एल.कोल माइन आमाडंड ओपन कास्ट क्षेत्र जमुना कोतमा, जिला— अनूपपुर
34.	मेसर्स एन.सी.एल. दुधिचुआ (क्षमता विस्तार)
35.	मेसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, आई.ओ.सी.एल., पोस्ट जयंत, तहसील एवं जिला सिंगरौली द्वारा अमोनियम नाइट्रोट भंडारण क्षमता वृद्धि हेतु
36.	मेसर्स सुलियारी ओपन कास्ट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, तहसील सरई, जिला सिंगरौली क्षमता 5 मिलियन टन स्थापित करने हेतु
37.	मेसर्स ओ.एन.जी.सी. दमोह, जिला—दमोह
38.	मेसर्स स्प्रिंगवे माईनिंग प्रा.लि. ग्राम—कोलकरहिया, पन्ना
39.	मेसर्स जे.के.सीमेन्ट ग्राम—देवरा, अमानगंज, पन्ना
40.	मेसर्स राहुल सिंह पत्थर खदान, ग्राम—बेदार तहसील—राजनगर, छतरपुर
41.	मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पो. ग्राम—देहरी, बीना, सागर
42.	मेसर्स ईस्टर्न मिनरल्स खेरा माईन्स, टीकमगढ़
43.	मेसर्स डबल फारच्यून प्रा.लि. फर्श्हा पत्थर ग्राम—जॉजेर रैयतवारी, जिला—सागर

44.	मे. गिर्ज सिंह, पत्थर खदान, ग्राम—प्रकाशबम्होरी, छतरपुर
45.	मेसर्स ए.के.चौधरी, पत्थर खदान ग्राम—दिदवारा, तह. लवकुशनगर, छतरपुर
46.	मेसर्स एफ्को इन्फाटेक प्रा.लि. पत्थर खदान, ग्राम—प्रकाश बम्होरी, छतरपुर
47.	मेसर्स रामराजा ग्रेनाईट, ग्राम—दिदवारा, छतरपुर
48.	मेसर्स सुंदरम स्टोन केशर मिल, पत्थर खदान, प्रकाशबम्होरी, छतरपुर
49.	मेसर्स संगम ग्रेनाईट, पत्थर खदान ग्राम—लौंसी, तह. गौरिहार, छतरपुर
50.	मेसर्स आकांक्षा सिंह, पत्थर खदान ग्राम—लौंसी, तह. गौरिहार, छतरपुर
51.	मेसर्स नवीन इन्फाटेक, पत्थर खदान ग्राम—लौंसी, तह. गौरिहार, छतरपुर
52.	मेसर्स अरदाश कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स, पत्थर खदान ग्राम—लौंसी, तह. गौरिहार, छतरपुर
53.	मेसर्स जय अम्बे माईन्स, पत्थर खदान ग्राम—प्रकाश बम्होरी, छतरपुर
54.	मेसर्स जय भद्रकाली, पत्थर खदान ग्राम—बदौराकला, गौरिहार, छतरपुर
55.	मेसर्स भोपाल—इन्डौर 6 लेन एक्सेस कन्ट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे परियोजना (मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.) जिला भोपाल, रायसेन, सीहोर एवं देवास
56.	मेसर्स तवा—३ भूमिगत कोल माईन (क्षेत्रफल 207.47 हेक्टेयर) (उल्लू सी.एल. पाथाखेड़ा क्षेत्र) तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल
57.	मेसर्स कोठा बराज वृहद सिंचाई परियोजना (मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग) जिला विदिशा
58.	मेसर्स नर्मदा मिनरल्स (बोल्डर क्वारी—४.०० हेक्टेयर) ग्राम चांदबड़ कदीम तहसील बैरसिया भोपाल
59.	मेसर्स नितिन विनायक पाटिल, ग्राम लोहानी, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा
60.	मेसर्स जीग्सम एलोय प्रा.लिमि., तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा
61.	मेसर्स रिषी मिश्रा बोल्डर माइन, नवेगांव, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा
62.	मेसर्स शुभांगी अमोल नागपुरे, ग्राम भीलापार, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा
63.	मेसर्स श्री राजीव पाठक, लखनवाह लाइम स्टोन माइन, रामपुर बघेलान सतना रकवा 43.339 हेक्टेयर
64.	श्री ओम प्रकाश राय, बरहिया लाइम स्टोन माइन, ग्राम बरहिया मैहर सतना, रकवा 2.017 हेक्टेयर
65.	श्री संजीव कुमार पाठक, लखनवाह लाइम स्टोन, लेटराइट एवं रिजेक्ट स्टोन माइन, तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना रकवा 4.047 हेक्टेयर
66.	मेसर्स सदा कान्स्ट्रक्शन, नरौरा माइन, तहसील मैहर जिला सतना, रकवा 10.90 हेक्टेयर
67.	श्रीमती निर्मला देवी खेमका, चितगढ़ माइन, तहसील कोटर जिला सतना, रकवा 44.093 हेक्टेयर
68.	श्री उमेश खेमका, निमहा माइन, तहसील कोटर जिला सतना, रकवा 38.518 हेक्टेयर
69.	मेसर्स के.जे.एस. सीमेंट, भठिया माइन, तहसील मैहर जिला सतना, रकवा 7.859 हेक्टेयर
70.	श्री अजय कुमार पाठक, हिनौता लाइम स्टोन माइन, रकवा 16.264 हेक्टेयर
71.	मेसर्स सुरेन्द्र पाल कौर स्टोन माईन बेला जिला रीवा
72.	श्रीमती मंजुला जैन, सर्वे नं. 3619 / ३, रकवा 2.0 हैक्टेयर, ग्राम बिलौआ, ग्वालियर
73.	श्री सरदार सिंह गुर्जर, सर्वे नं. 146, रकवा 0.240 हैक्टेयर, ग्राम रफादपुर, ग्वालियर
74.	नवल किशोर गुप्ता, सर्वे नं. 134, रकवा 2.0 हैक्टेयर, ग्राम रफादपुर, ग्वालियर

75.	महाकाल एण्ड कंपनी, सर्वे नं. 134, रकवा 4.944 हैक्टेयर, ग्राम रफादपुर, ग्वालियर
76.	श्री सरदार सिंह गुर्जर, सर्वे नं. 147 / 2, रकवा 1.0 हैक्टेयर, ग्राम रफादपुर, ग्वालियर
77.	श्री रामनरेश परमार, सर्वे नं. 8, 9, रकवा 3.4 हैक्टेयर, ग्राम लखनपुरा, ग्वालियर
78.	श्री मलखान सिंह, सर्वे नं. 4174, रकवा 2.250 हैक्टेयर, ग्राम पारसेन, ग्वालियर
79.	श्री सुरजीत सिंह, सर्वे नं. 4173, रकवा 2.0 हैक्टेयर, ग्राम पारसेन, ग्वालियर

परिशिष्ट-4

वर्ष 2019–20 में 50 हजार संख्या से अधिक वृक्षों का रोपण कराने वाले उद्योगों / संस्थानों / खदानों की सूची

क्र.	उद्योग / संस्थान / खदान का नाम
1.	मेसर्स एन.टी.पी.सी., सेलदा, जिला—खरगोन
2.	मेसर्स श्री सिंगाजी थर्मल पॉवर स्टेशन, ग्राम—दोंगलिया, जिला—खण्डवा
3.	मेसर्स एस.ई.सी.एल. सोहागपुर एरिया जिला शहडोल
4.	मेसर्स एन.टी.पी.सी. विन्ध्याचल जिला सिंगरौली
5.	मेसर्स जे.पी. निगरी सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, निगरी, जिला सिंगरौली
6.	मेसर्स एन.सी.एल. अमलोरी प्रोजेक्ट, जिला सिंगरौली
7.	मेसर्स जे.पी. पॉवर वेंचर्स लिमिटेड, अमिलिया नार्थ कोल माइन, जिला सिंगरौली
8.	मेसर्स एन.सी.एल. जयंत प्रोजेक्ट, जिला सिंगरौली
9.	मेसर्स एन.सी.एल. प्रोजेक्ट, निगाही, जिला सिंगरौली

**वर्ष 2019–20 में दूषित जल उपचार संयंत्र में सुधार/उन्नयन/निर्माण करने वाले
वृहद, मध्यम, लघु उद्योगों/संस्थानों/खदानों की सूची**

क्र	उद्योग/संस्थान/ खदान का नाम
1.	मेसर्स नाकोडा फूड मॉर्केटिंग, धार रोड, इन्दौर
2.	मेसर्स किंग्स न्यूट्रीफूड, पालदा, इन्दौर
3.	मेसर्स पल्लवी कन्फेक्शनरी, इन्दौर
4.	मेसर्स प्रभा टैक्सटाईल प्रा.लि., बुरहानपुर
5.	मेटल प्रोफाईल (यूनिट-2), इन्दौर
6.	मेसर्स गौरी टैक्सटाईल, बुरहानपुर
7.	मेसर्स एन.के. एडीबल्स, इन्दौर
8.	मेसर्स पारस न्यूट्रीशन, इन्दौर
9.	मेसर्स महाजन ब्लीचिंग, बुरहानपुर
10.	मेसर्स डेयरी प्लांट खरगोन (इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ), खरगोन
11.	मेसर्स न्यूट्राबेला फूड एल.एल.पी., इन्दौर
12.	मेसर्स रिसायकल वेस्ट (सेक्टर-ई), सांवेर रोड, औ.क्षेत्र, इन्दौर
13.	मेसर्स पद्मश्री प्रोसर्स प्रा.लि., बुरहानपुर
14.	मेसर्स जय गृह उद्योग, औ.क्षेत्र, रंगवासा, राउ, इन्दौर
15.	मेसर्स अंकित फूड प्रोडक्ट्स, इन्दौर
16.	मेसर्स कॉउन प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
17.	मेसर्स अजय स्नेक्स प्रा.लि., सांवेर रोड, इन्दौर
18.	मेसर्स मेटल प्रोफाईल (यूनिट-3), ग्राम-बरदरी, इन्दौर
19.	मेसर्स हर्ष हुन्डाई, फूटीकोठी, इन्दौर
20.	मेसर्स ए.व्ही.एम.फूड स्पेसिलिटीज, इन्दौर
21.	मेसर्स मैकेनाईज्ड लॉपट्री, राजकुमार पुल के पास, इन्दौर
22.	मेसर्स अम्बर कन्फेक्शनरी प्रा.लि., इन्दौर
23.	मेसर्स मोन्टी कन्फेक्शनरी, पालदा, इन्दौर
24.	मेसर्स राजशाही फूड प्रा.लि., इन्दौर
25.	मेसर्स वेंकटेश मेटल एण्ड एलॉय प्रा.लि. सेक्टर-सी, सांवेर रोड, औ.क्षेत्र, इन्दौर
26.	मेसर्स टैक्सटाईल प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी, बुरहानपुर
27.	मेसर्स एवरग्रीन स्टील इण्डस्ट्रीज, सेक्टर-सी, सांवेर रोड, औ.क्षेत्र, इन्दौर
28.	मेसर्स बुरहानपुर कलॉथ वर्ल्ड प्रा.लि., बुरहानपुर
29.	मेसर्स परफेक्ट ग्लोबल कन्फेक्शनरी एण्ड ब्रेवरीज, कुम्हेडी, औ.क्षेत्र, इन्दौर

30.	मेसर्स नायक टैक्सटाईल प्रोसेसिंग मिल्स, सांवेर रोड, इन्दौर
31.	मेसर्स लैण्डमॉर्क ऑटोमोबाईल प्रा.लि., लसुडियामोरी, देवास नाका, इन्दौर
32.	मेसर्स पटेल मोटर, कनाडिया रोड, (नेक्सा) इन्दौर
33.	मेसर्स जेनीथ ड्रग प्रा.लि., इन्दौर
34.	मेसर्स श्रीवास्तव फूड कॉर्पोरेशन, सांवेर रोड, इन्दौर
35.	मेसर्स मॉर्क फूड प्रोडक्ट, न्यू अग्रवाल नगर पालदा, इन्दौर
36.	मेसर्स नारायण डेयरी, ग्राम-पनवा, खरगोन
37.	मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, सेल्दा, खरगोन
38.	मेसर्स नायरा चॉकलेट्स प्रा.लि., उद्योग नगर पालदा, इन्दौर
39.	मेसर्स दुध संयंत्र सेंधवा (जामली), जिला-बडवानी
40.	मेसर्स केन्डीलेक न्यूट्रीशन प्रा.लि., कापल्या खेड़ी, नेमावर रोड, इन्दौर
41.	मेसर्स स्वास्तिक प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
42.	मेसर्स पटेल मोटर्स, निरंजनपुर, इन्दौर
43.	मेसर्स रहमानिया टैक्सटाईल, बुरहानपुर
44.	मेसर्स सम्राट प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
45.	मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज, लक्ष्मीबाई नगर, इन्दौर
46.	मेसर्स केण्डोर टैक्सटाईल लिमिटेड, शिवनगर, इन्दौर
47.	मेसर्स बुरहानपुर टैक्सटाईल लिमिटेड, बसाड, रोड, बुरहानपुर
48.	मेसर्स शिखर जी राईस, एलएलजी सिवनी जिला-सिवनी
49.	मेसर्स ऐसिफिक आयरन मैन्यूफेक्चरिंग कपनी, सिहोरा जबलपुर
50.	मेसर्स डेल्डा रियल इन्फा, सागर स्टोन, धमकी सिहोरा जबलपुर
51.	मेसर्स होटल स्वान एलाईजी एन.एम आटोपार्ट्स जबलपुर
52.	मेसर्स बन्द्री ग्रीन एनर्जी प्रा.लि. मनेरी जिला-मण्डला
53.	मेसर्स बालाजी कन्वर्टर मनेरी जिला-मण्डला
54.	मेसर्स श्री साई कृपा इण्डस्ट्रीज
55.	मेसर्स एल.एन.डी फूड्स जिला-जबलपुर
56.	मेसर्स गोपाल संदन धर्मशाला जबलपुर
57.	मेसर्स खण्डेलवाल इण्डस्ट्रीज मनेरी जिला-मण्डला
58.	मेसर्स विभूति मार्ट प्रा.लि. मनेरी जिला-मण्डला
59.	मेसर्स भावनी महिला मैग्नीज प्रोसेसिंग, बालाघाट
60.	मेसर्स जलाराम मैग्नीज प्रोसेसिंग, बालाघाट
61.	मेसर्स श्लोक राईस इण्डस्ट्रीज, बालाघाट
62.	मेसर्स मंगलम फूड्स राईस मिल जिला-जबलपुर
63.	मेसर्स जबलपुर हास्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर, जबलपुर

64.	मेसर्स बाम्बे हास्पिटल, जबलपुर
65.	मेसर्स पी.जी. हास्पिटल, जबलपुर
66.	मेसर्स भारत हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, जबलपुर
67.	मेसर्स रायल हास्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर, जबलपुर
68.	मेसर्स जौहरी हास्पिटल, जबलपुर
69.	मेसर्स हर्षे हास्पिटल एवं हेल्थ केयर, जबलपुर
70.	मेसर्स मेट्रो हास्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर, जबलपुर
71.	मेसर्स गेस्ट्रो एंड लीवर केयर हास्पिटल, अमनपुर
72.	डॉ. अजय भण्डारी हास्पिटल
73.	मेसर्स के.जे. मेमोरियल हास्पिटल, जबलपुर
74.	मेसर्स सिसोदिया नर्सिंग होम, नरसिंहपुर
75.	मेसर्स एरोटेक इंजीनियर्स, देवास
76.	मेसर्स एम.डी.एस. कोटिंग, देवास
77.	मेसर्स ओएस्टर एक्जीम प्रा.लि., देवास
78.	मेसर्स अंवति मेगा फुड पार्क, देवास
79.	मेसर्स नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लि., देवास
80.	मेसर्स संजय मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, देवास
81.	मेसर्स पवन श्री फुड्स लि. मकरी, जिला शाजापुर
82.	मेसर्स विष्णु इण्डस्ट्रीज (बायोटेक डिवीजन) देवास
83.	मेसर्स रिजेंट बीयर, मकरी, जिला शाजापुर
84.	मेसर्स राज पायोनियर, देवास
85.	मेसर्स महालक्ष्मी फूड्स लि., देवास
86.	मेसर्स दीपा इंजीनियरिंग, देवास
87.	मेसर्स एस.एम. इण्डस्ट्रीज, देवास
88.	मेसर्स बालाजी डेयरी, सोनकच्छ, जिला देवास
89.	मेसर्स यादव डेयरी, देवास
90.	मेसर्स देवास टेक्नो प्रा.लि., देवास
91.	मेसर्स मालवा स्ट्रीप्स प्रा.लि., देवास
92.	मेसर्स श्याम हॉस्पिटल, देवास
93.	मेसर्स क्वींस हॉस्पिटल एवं फर्टिलिटी क्लिनिक, देवास
94.	मेसर्स न्यू आध्य हॉस्पिटल, खातेगाँव, देवास
95.	मेसर्स पुष्प दीप हॉस्पिटल, खातेगाँव, देवास
96.	मेसर्स सनिधी मेरिज गार्डन, देवास
97.	मेसर्स अविरत टेक्नों लि., देवास

98.	मेसर्स कलश गार्डन, देवास
99.	मेसर्स चन्द्रकमल मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्ट्स, देवास
100.	मेसर्स टाटा इंटरनेशनल, देवास
101.	मेसर्स वंडर सीमेंट, बदनावर, जिला—धार
102.	मेसर्स ड्रीम बोइलिंग ग्राम—तुगड़िया जिला राजगढ़
103.	मेसर्स पंकज ऑयल मिल्स ग्राम खानपुरा जिला राजगढ़
104.	मेसर्स बैल्यू रीसाइकलर्स एण्ड रीक्लेमर्स लिमि. पीलूखेड़ी जिला राजगढ़
105.	मेसर्स गुरुकृपा नर्सिंग होम, कटनी
106.	मेसर्स मॉ दुर्गा हॉस्पिटल, कटनी
107.	मेसर्स ओम शान्ति ओम हॉस्पिटल, कटनी
108.	मेसर्स लालवानी नर्सिंग होम, कटनी
109.	मेसर्स जीवन ज्योति हॉस्पिटल, कटनी
110.	मेसर्स पुष्पांजली नर्सिंग होम, कटनी
111.	मेसर्स बजाज हॉस्पिटल, कटनी
112.	मेसर्स रिवोल्टेक ऑटो, पीथमपुर
113.	मेसर्स जगदीश एक्सपोर्ट लि., पीथमपुर
114.	मेसर्स महले इंजन कोम्पोनेंट, पीथमपुर
115.	मेसर्स सिमरन न्यूट्रीफुड प्रा.लि., पीथमपुर
116.	मेसर्स शक्ति पंप इंडिया प्रा.लि., पीथमपुर
117.	मेसर्स जय हिन्द इंडस्ट्रीज लि., पीथमपुर
118.	मेसर्स आरती इंडस्ट्रीज लि., पीथमपुर
119.	मेसर्स पिनेकल इंडस्ट्रीज लि., पीथमपुर
120.	मेसर्स पेनासोनिक एनर्जी इं. कं. लि., पीथमपुर
121.	मेसर्स फोर्स मोटर्स लि., पीथमपुर
122.	मेसर्स मान एल्युमिनियम लि., पीथमपुर
123.	मेसर्स म.प्र. वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, पीथमपुर
124.	मेसर्स केच मोटर प्रा.लि., पीथमपुर
125.	मेसर्स श्रीपति फॉर्मास्युटिकल्स प्रा.लि., पीथमपुर
126.	मेसर्स एम एण्ड डी इन्वायरो सोल्युशन्स प्रा.लि., पीथमपुर
127.	मेसर्स किसान इरीगेशन प्रा.लि. (युनिट 3), पीथमपुर
128.	मेसर्स ब्रिजस्टोन (इंडिया) प्रा.लि., पीथमपुर
129.	मेसर्स पी.एस.ए. केमिकल्स एण्ड फॉर्मा प्रा.लि., एस.ई.जेड., फेस-2, पीथमपुर
130.	मेसर्स अजन्ता फॉर्मास्युटिकल्स, एस.ई.जेड, पीथमपुर
131.	मेसर्स मैकलाईड फॉर्मास्युटिकल्स लिमिटेड, एस.ई.जेड, पीथमपुर

132.	मेसर्स पार फॉर्मूलेशन प्रा.लि., एस.ई.जे.ड, पीथमपुर
133.	मेसर्स जीपैक इन्टरनेशनल, एस.ई.जे.ड, पीथमपुर
134.	मेसर्स जश इन्जीनियरिंग लिमिटेड, (एस.ई.जे.ड. यूनिट-2) फेस-2, पीथमपुर
135.	मेसर्स अमादण्ड ओ.सी. माइन जमुना कोतमा एरिया, जिला—अनूपपुर
136.	मेसर्स भरतराई यू.जी. माइन जमुना कोतमा एरिया, जिला—अनूपपुर
137.	मेसर्स गोविन्दा यू.जी. माइन, जमुना कोतमा एरिया, जिला—अनूपपुर
138.	मेसर्स विंद्या यू.जी. माइन, एस.ई.सी.एल. जोहिला एरिया, जिला—उमरिया
139.	मेसर्स पिनौरा यू.जी. माइन, एस.ई.सी.एल. जोहिला एरिया, जिला—उमरिया
140.	मेसर्स कंचन ओ.सी. माइन, एस.ई.सी.एल. जोहिला एरिया, जिला—उमरिया
141.	मेसर्स केल्टेक एनर्जी, ग्राम—जमुड़ी, तह. एवं जिला—अनूपपुर
142.	मेसर्स अमरकंटक थर्मल पावर प्लान्ट चचाई, जिला—अनूपपुर
143.	मेसर्स ओरियंट पेपर मिल, अमलाई, जिला—शहडोल
144.	मेसर्स संजय गांधी थर्मल पावर, बिरसिंहपुर (पाली), जिला—उमरिया
145.	मेसर्स बांधव विलास रिसोर्ट, ग्राम कुछवाही, तह.—मानपुर, जिला—उमरिया
146.	मेसर्स मोगली जंगल, ग्राम—ताला, तह.—मानपुर, जिला—उमरिया
147.	मेसर्स विलास इंटरनेशनल होटल, बुढार, जिला शहडोल
148.	मेसर्स हुण्डई सर्विस स्टेशन (गुप्ता आटो मोबाइल), बुढार रोड शहडोल, जिला— शहडोल
149.	मेसर्स शुभ मोटर्स, बुढार रोड शहडोल, जिला—शहडोल
150.	मेसर्स टाटा कार्मिशियल सर्विस सेन्टर, ग्राम हर्षी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल
151.	मेसर्स भगवती आटो मोबाइल, सर्विस सेटर ग्राम जमुई, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल
152.	मेसर्स विभोर मोटर्स, जिला चिकित्सालय के पास, शहडोल
153.	मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, विन्ध्याचल सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, सिंगरौली
154.	मेसर्स एन.सी.एल. ब्लॉक बी प्रोजेक्ट, जिला सिंगरौली
155.	मेसर्स राजाराम एंड ब्रदर्स, मंदसौर
156.	मेसर्स अमृत रिफायनरी, मंदसौर
157.	मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि. (स्टेपल फाईबर डिवीजन) नागदा
158.	मेसर्स अग्रवाल सोया, नीमच
159.	मेसर्स लक्ष्मी सेल्स कार्पोरेशन, नीमच
160.	मेसर्स रॉकड्यूड प्रा.लि., नागदा
161.	मेसर्स सरीता इंडस्ट्रीज, रतलाम
162.	मेसर्स श्री इंटरप्राईजेस, मंदसौर
163.	मेसर्स इको केयर संधारा जिला, मंदसौर
164.	मेसर्स आर.के.एग्रो फ्यूल्स, मंदसौर
165.	मेसर्स चेतना फ्यूल्स, मंदसौर

166.	मेसर्स सिद्धचक इंडस्ट्रीज, मंदसौर
167.	मेसर्स ॲसमेड फार्मूलेशन, उज्जैन
168.	मेसर्स अलीशा फूड, उज्जैन
169.	मेसर्स होटल हिंगराज गांधी सागर, उज्जैन
170.	मेसर्स होटल इम्पीरियर, उज्जैन
171.	मेसर्स होटल रुद्राक्ष, उज्जैन
172.	मेसर्स होटल अर्थव, उज्जैन
173.	मेसर्स हुण्डई शोरुम, उज्जैन
174.	मेसर्स मालवा ॲक्सीजन, रतलाम
175.	मेसर्स संजीवनी हॉस्पीटल, उज्जैन
176.	मेसर्स शिन्दे नर्सिंग होम, उज्जैन
177.	मेसर्स पाटीदार नर्सिंग होम, उज्जैन
178.	मेसर्स आर्शिवाद नर्सिंग होम, रतलाम
179.	नगरपालिक निगम, उज्जैन
180.	मेसर्स सोनिक बायोकेम, मंदसौर
181.	मेसर्स भोपाल दुग्ध संघ सहकारी मर्या. सिरोंजा, सागर
182.	मेसर्स होटल ओम सॉई, पन्ना नाका, छतरपुर
183.	मेसर्स मिशन हॉस्पिटल, दमोह
184.	मेसर्स एयर पोर्ट अथारिटी, खजुराहो, छतरपुर
185.	मेसर्स आदिनाथ मोटर्स, छतरपुर
186.	मेसर्स आदिनाथ मोटर्स, सागर
187.	मेसर्स आदिनाथ मोटर्स (नेक्सा) सागर
188.	मेसर्स सीमा आनंद ॲटो सेल्स प्रा.लि., छतरपुर
189.	मेसर्स वर्धमान यार्न (यूनिट 7) औ.क्षे. मण्डीदीप, जिला रायसेन
190.	मेसर्स वेल्सपन कार्पोरेशन लिमिटेड, जिला रायसेन
191.	मेसर्स मानकसिया कोटेड मेटल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जिला रायसेन
192.	मेसर्स बीना फेब्रीकेशन इण्डस्ट्रीज यूनिट -2, औ.क्षे. मण्डीदीप, जिला रायसेन
193.	मेसर्स श्रीधी मिल्क एण्ड फूड प्रोडक्ट्स प्रा.लि., जिला रायसेन
194.	मेसर्स यंजन न्यू मटेरियल इण्डिया प्रा.लि. औ.क्षे. मण्डीदीप, जिला रायसेन
195.	मेसर्स नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड (यूनिट 3), जिला रायसेन
196.	मेसर्स इंडियन रेल्वे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड, जिला रायसेन
197.	मेसर्स वर्धमान यार्न (यूनिट 6) औ.क्षे. मण्डीदीप, जिला रायसेन
198.	मेसर्स इण्डिया वेस्ट मैनेजमेंट प्रा.लि. (सीबीडब्ल्यूटीएफ) औ. क्षे. मण्डीदीप, जिला रायसेन
199.	मेसर्स विन्ध्या सेरियल्स प्रा.लि., जिला रायसेन

200.	मेसर्स संगम मर्केन्टाईल, मण्डीदीप जिला रायसेन
201.	मेसर्स सागर ईडन गार्डन फेज-2, (मेसर्स अग्रवाल कंसट्रक्शन कंपनी) भोपाल
202.	मेसर्स सागर पर्ल (मेसर्स अग्रवाल कंसट्रक्शन्स) भोपाल
203.	मेसर्स आरती लॉण्ड्री एण्ड ड्राय क्लीनर्स, भोपाल
204.	मेसर्स इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च (इंस्टीट्यूट वर्कर्स डिपार्टमेंट), भोपाल
205.	मेसर्स नेशनल इस्टीट्यूट फार रिसर्च इन इनवायरमेंटल हेल्थ (निरेह) भोपाल
206.	मेसर्स आम्रवैली रेसीडेन्सीयल प्रोजेक्ट (उज्जवला हाउसिंग एण्ड फाईनेंस प्रा.लि.) भोपाल
207.	मेसर्स स्टेण्डर्ड इण्डिया डेयरी फार्म, भोपाल
208.	मेसर्स लक्ष्मी हॉट बेकर्स, औ.क्षे. गोविंदपुरा, भोपाल
209.	मेसर्स आलीशान संगम मैरिज गार्डन जिला भोपाल
210.	मेसर्स फैरीलेण्ड होटल्स एण्ड रिसोर्ट प्रा.लि. जिला भोपाल
211.	मेसर्स गीतान्जली मैरिज गार्डन भैसाखेडी, जिला भोपाल
212.	मेसर्स पी.एस. सेलिब्रेशन मैरिज गार्डन, भोपाल
213.	मेसर्स शीतल पैराडाईज (मल्टीस्टोरी) मेसर्स शीतलनाथ बिल्डर्स प्रा.लि. भोपाल
214.	मेसर्स सिल्वर इस्टेट वर्ट्का, भोपाल
215.	मेसर्स के.एल. शर्मा (रीगल टाऊन) भोपाल
216.	मेसर्स सेटर्न आटो लिंक प्रा.लि. भोपाल
217.	मेसर्स ज़ेन नेक्स्ट इंटरटेनमेंट (मैरिज गार्डन, होटल एण्ड रेस्टोरेंट), होशंगाबाद
218.	मेसर्स आनंद भूमि मैरिज गार्डन, होशंगाबाद
219.	गोठी इन्फा (मैरिज गार्डन, होटल एण्ड रेस्टोरेंट) जिला होशंगाबाद
220.	मेसर्स संजीवनी हास्पिटल जिला होशंगाबाद
221.	मेसर्स जेन नेक्स्ट इंटरटेनमेंट (होटल एण्ड रेस्टोरेंट) होशंगाबाद
222.	मेसर्स न्यू साहू हार्टकेयर जिला होशंगाबाद
223.	मेसर्स ग्लेक्सी मैरिज गार्डन, होशंगाबाद
224.	मेसर्स ग्रीन सिटी गार्डन (मैरिज गार्डन) होशंगाबाद
225.	मेसर्स होटल प्लेटिनम रिसोर्ट एण्ड गार्डन, होशंगाबाद
226.	मेसर्स माँ नर्मदा महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संघ मर्यादित जिला होशंगाबाद
227.	मेसर्स जुनियावाड़ी एसटीपी (क्षमता 12 एमएलडी) सीहोर
228.	मेसर्स ए टू फूड्स, सीहोर
229.	मेसर्स हम्बल काउज प्रा.लि. जिला सीहोर
230.	मेसर्स वर्धमान फेब्रिक्स (स्पिनिंग यूनिट-03) ए यूनिट ऑफ वर्धमान टेक्सटाईल लिमि.सीहोर
231.	मेसर्स भोपाल दुध संघ सहकारी मर्यादित (बैतूल डेयरी प्लांट), बैतूल
232.	मेसर्स हनुमन्त शुगर्स प्रा.लि. जिला बैतूल
233.	मेसर्स आर्शीवाद रिसोर्ट (मैरिज गार्डन) जिला विदिशा

234.	मेसर्स जलौरी गार्डन (मैरिज गार्डन) जिला विदिशा
235.	मेसर्स कपूर गार्डन (मैरिज गार्डन) जिला विदिशा
236.	मेसर्स लेंडमार्क गार्डन (मैरिज गार्डन) जिला विदिशा
237.	मेसर्स आशीष मंगल विथिका (मैरिज गार्डन) जिला विदिशा
238.	मेसर्स शहनाई गार्डन (मैरिज गार्डन) जिला विदिशा
239.	मेसर्स तुलसी गार्डन (मैरिज गार्डन) जिला विदिशा
240.	मेसर्स विद्रावन गार्डन (मैरिज गार्डन) जिला विदिशा
241.	मेसर्स विनायक वैंकट हॉल (मैरिज गार्डन) जिला विदिशा
242.	मेसर्स प्रियंका नर्सिंग होम जिला हरदा
243.	मेसर्स आर्चिड हास्पिटल एण्ड डायग्नोटिक सेंटर जिला हरदा
244.	मेसर्स सी.जे. जिलेटिन प्रोडक्ट्स लिमिटेड, औ. क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
245.	मेसर्स भास्कर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (स्पिनिंग एण्ड वीविंग यूनिट) औ. क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
246.	मेसर्स रेनबो लेबोरेटरीज औ. क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
247.	मेसर्स कांति बेवरेजेस प्रा.लि. औ. क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
248.	मेसर्स इन्सुलेटर एण्ड इलेक्ट्रीकल कंपनी न्यू औ. क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
249.	मेसर्स एल.एम. बेकर्स प्रा.लि. औ. क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
250.	मेसर्स संजीवनी हास्पिटल, बस स्टैण्ड सतना
251.	मेसर्स चन्द्र नर्सिंग होम, सिन्धी कैम्प सतना
252.	मेसर्स रसेन्द्र मेमोरियल हास्पिटल भरहुत नगर, सतना
253.	मेसर्स कीर्ति आर्थोपेडिक, (डॉ. मानिक चन्द गुप्ता) नवरंग पार्क, सतना
254.	मेसर्स मेसर्स दसमेश पैलेस, रीवा रोड, सतना
255.	मेसर्स पार्क श्री, चाणक्यपुरी कालोनी, सतना
256.	मेसर्स पार्क होटल, रीवा रोड, सतना
257.	मेसर्स वैकीज इंडिया लिमि. ग्राम खबराकला तह. त्यौथर, जिला रीवा
258.	मेसर्स एन.ए.बी.एल. उद्योग विहार चोरहटा, रीवा
259.	मेसर्स डेविस सर्जिको (सीबीडब्ल्यूटीएफ), आंतरी, ग्वालियर
260.	मेसर्स कृष्णमल फूड्स प्राय. लिमि., ग्राम मगरौरा, डबरा, ग्वालियर
261.	मेसर्स बंसलजी बायो फ्यूल्स, औद्यो. क्षेत्र, जड़ेरुआ, मुरैना
262.	मेसर्स आर. व्ही. ग्रीन टेक, औद्यो. क्षेत्र, जड़ेरुआ, मुरैना
263.	मेसर्स ईको इनवायरो सोल्यूशन, औद्यो. क्षेत्र, जड़ेरुआ, मुरैना
264.	मेसर्स श्री सिद्धविनायक बायो फ्यूल्स, औद्यो. क्षेत्र, जड़ेरुआ, मुरैना
265.	मेसर्स पीताम्बरा बायो फ्यूल्स, औद्यो. क्षेत्र, जड़ेरुआ, मुरैना
266.	मेसर्स विनायक बायो फ्यूल्स इण्डस्ट्री, औद्यो. क्षेत्र, जड़ेरुआ, मुरैना
267.	मेसर्स जय मां शीतला बायो इनर्जी, औद्यो. क्षेत्र, जड़ेरुआ, मुरैना

268.	मेसर्स अंजली बायोफ्यूल्स, औद्यो. क्षेत्र, जड़ेरुआ, मुरैना
269.	मेसर्स गनेशी बायो केयर एलएलपी, औद्यो. क्षेत्र, जड़ेरुआ, मुरैना
270.	मेसर्स क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स, औद्यो. क्षेत्र, महाराजपुरा, ग्वालियर
271.	मेसर्स कपूर स्ट्रिप, औद्यो. क्षेत्र, बाराघाटा, ग्वालियर
272.	मेसर्स के.पी. फूड इण्डस्ट्रीज, औद्यो. क्षेत्र, महाराजपुरा, ग्वालियर
273.	मेसर्स एसआरएफ लिमि., औद्यो. क्षेत्र, मालनपुर, भिण्ड

वर्ष 2019–20 में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में सुधार/उन्नयन/निर्माण करने वाले वृहद, मध्यम, लघु उद्योगों/संस्थानों/खदानों की सूची

क्र.	उद्योग/संस्थान/खदान का नाम
1.	मेसर्स नाकोडा फूड मॉर्केटिंग, धार रोड, इन्दौर
2.	मेसर्स किंग्स न्यूट्रीफूड, पालदा, इन्दौर
3.	मेसर्स पल्लवी कन्फेक्शनरी, इन्दौर
4.	मेसर्स प्रभा टैक्सटाईल प्रा.लि., बुरहानपुर
5.	मेसर्स गौरी टैक्सटाईल, बुरहानपुर
6.	मेसर्स पारस न्यूट्रीशन, इन्दौर
7.	मेसर्स न्यूट्राबेला फूड एल.एल.पी., इन्दौर
8.	मेसर्स नरोली स्टील, सांवेर रोड, इन्दौर
9.	मेसर्स पदमश्री प्रोसेसर्स प्रा.लि., बुरहानपुर
10.	मेसर्स कॉउन प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
11.	मेसर्स अजय स्नेक्स प्रा.लि., सांवेर रोड, इन्दौर
12.	मेसर्स राजशाही फूड प्रा.लि., इन्दौर
13.	मेसर्स टैक्सटाईल प्रोसेसिंग को—ऑपरेटिव सोसायटी, बुरहानपुर
14.	मेसर्स बुरहानपुर क्लॉथ वर्ल्ड प्रा.लि., बुरहानपुर
15.	मेसर्स नायक टैक्सटाईल प्रोसेसिंग मिल्स, सांवेर रोड, इन्दौर
16.	मेसर्स जेनीथ ड्रग प्रा.लि., इन्दौर
17.	मेसर्स श्रीवास्तव फूड कॉर्पोरेशन, सांवेर रोड, इन्दौर
18.	मेसर्स नारायण डेयरी, ग्राम—पनवा, खरगोन
19.	मेसर्स अक्षत टैक्सटाईल, सेक्टर—ई, औ.क्षेत्र, सांवेर रोड, इन्दौर
20.	मेसर्स नोबल एलकेम, ग्राम—नरवर, इन्दौर
21.	मेसर्स गणपत प्लॉयकेम प्रा.लि., नावदापंथ, इन्दौर
22.	मेसर्स नेशनल फॉम इण्डस्ट्रीज, देवास नाका, इन्दौर
23.	मेसर्स आदित्य सोयाटेक (पूर्व नाम—शंकर केमिकल), सेक्टर—बी, औ.क्षेत्र, सांवेर रोड, इन्दौर
24.	मेसर्स पारुल ट्रेडिंग कंपनी पालदा, इन्दौर
25.	मेसर्स एवन फलश डोर, धरनावत, धार रोड, इन्दौर
26.	मेसर्स षॉलोम सेल्स, सेक्टर—ई, औ.क्षेत्र, सांवेर रोड, इन्दौर
27.	मेसर्स श्री राम उद्योग, सेक्टर—सी, औद्योगिक क्षेत्र, सांवेर रोड, इन्दौर
28.	मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, सेल्दा, खरगोन
29.	मेसर्स केन्डीलेक न्यूट्रीशन प्रा.लि., कापल्या खेड़ी, नेमावर रोड, इन्दौर

30.	मेसर्स जे.एस. स्टील इण्डस्ट्रीज, औ.क्षेत्र, सांवेर रोड, इन्दौर
31.	मेसर्स देव स्टील इण्डस्ट्रीज, औ.क्षेत्र, सांवेर रोड, इन्दौर
32.	मेसर्स नवकार ऑयरन एवं स्टील प्रा.लि, यूनिट-2, अरविन्दो कॉलेज के पीछे, इन्दौर
33.	मेसर्स रिलायबल स्टील इण्डस्ट्रीज, औ.क्षेत्र, सांवेर रोड, इन्दौर
34.	मेसर्स संघवी इस्पात इण्डस्ट्रीज, औ.क्षेत्र, सांवेर रोड, इन्दौर
35.	मेसर्स षॉफ्ट इण्डस्ट्रीज, औ.क्षेत्र, सांवेर रोड, इन्दौर
36.	मेसर्स सुप्रीम इस्पात इण्डस्ट्रीज, औ.क्षेत्र, सांवेर रोड, इन्दौर
37.	मेसर्स तर्मल इण्डस्ट्रीज, औ.क्षेत्र, सांवेर रोड, इन्दौर
38.	मेसर्स पैथर टॉयर प्रा.लि., सेक्टर-ई, औ.क्षेत्र, सांवेर रोड, इन्दौर
39.	मेसर्स लेसी इम्पेक्स, आर.आर. औ.क्षेत्र, इन्दौर
40.	मेसर्स कामख्या इण्डस्ट्रीज, देवास नाका, इन्दौर
41.	मेसर्स अग्रवाल डिस्टलरी लिमिटेड, बडवाह, जिला—खरगोन
42.	मेसर्स नर्मदा शुगर मिल सालीचौका नरसिंहपुर
43.	मेसर्स महाकौशल शुगर मिल बचई जिला—नरसिंहपुर
44.	मेसर्स रमनीक पावर एण्ड फेरो एलायज बालाघाट
45.	मेसर्स एन.टी.पी.सी. गाडरवाडा नरसिंहपुर
46.	मेसर्स एन.टी.पी.सी. गाडरवाडा रेलवे साईडिंग नरसिंहपुर
47.	मेसर्स भूमिजा इस्पात एलएल एल पी मनेरी मण्डला
48.	मेसर्स आर.एम.जी सुपर माईन्स प्रा०लि० सिहोरा जिला—जबलपुर
49.	मेसर्स सालासार मिनरल डोलोमाईट माईन्स भटियाटोला जिला—मण्डला
50.	मेसर्स महावीर मिनरल डोलोमाईट माईन्स भटियाटोला जिला—मण्डला
51.	मेसर्स राजकुमार अग्रवाल डोलोमाईट माईन्स भटियाटोला जिला—मण्डला
52.	मेसर्स नेक्टर माईनिंग कंपनी सिहोरा जिला—जबलपुर
53.	मेसर्स जबलपुर मार्बल माईन्स सिहोरा जबलपुर
54.	मेसर्स सुमेद्धा मिनरल डोलोमाईट माईन भटियाटोला जिला—मण्डला
55.	मेसर्स अजंन हरलालका डोलोमाईट माईन भटियाटोला जिला—मण्डला
56.	मेसर्स शिखर जी राईस एलएलपी, सिवनी
57.	मेसर्स ए.पी.त्रिवेदी एण्ड सन्स मैग्नीज माईन्स रकवा 4.30 हेक्टेयर
58.	मेसर्स ए.पी.त्रिवेदी एण्ड सन्स मैग्नीज माईन्स रकवा 2.450 हेक्टेयर
59.	मेसर्स स्टार माईन्स एण्ड मिनरल सिहोरा जबलपुर
60.	मेसर्स हुकुम चन्द्र लाईम स्टोन कंपनी जबलपुर
61.	मेसर्स विधि एलॉय प्रा०लि० मैग्नीज माईन्स कटंगझारी जिला—बालाघाट
62.	मेसर्स ग्रीन इंडिया राईस उद्योग नरसिंहपुर
63.	मेसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज मण्डला

64.	मेसर्स भावनी महिला मैंगनीज प्रोसेसिंग बालाघाट
65.	मेसर्स जलाराम मैंगनीज प्रोसेसिंग बालाघाट
66.	मेसर्स श्लोक राईस इण्डस्ट्रीज बालाघाट जिला—बालाघाट
67.	मेसर्स एम.एस. स्टोन क्रशर मानेगाव जिला—जबलपुर
68.	मेसर्स आयुशी स्टोन क्रशर मानेगाव जिला—जबलपुर
69.	मेसर्स ऐ.के.स्टोन क्रशर ग्राम—महगंवा जिला—जबलपुर
70.	मेसर्स साक्षी स्टोन क्रशर यूनिट-1 ग्राम—अमझर जिला—जबलपुर
71.	मेसर्स पूजा स्टोन क्रशर ग्राम—अमझर जिला—जबलपुर
72.	मेसर्स मंलगम फूडस राईस मिल पाटन जिला—जबलपुर
73.	मेसर्स जय भगवान जी फूड प्रोडक्ट्स (राईस मिल) जबलपुर
74.	मेसर्स हरि ओम राईस मिल मझौली जिला—जबलपुर
75.	मेसर्स भारती टेक्नो एक्वा प्रोजेक्टर, स्टोन क्रशर कुण्डम जिला—जबलपुर
76.	मेसर्स नर्मदा राईस मिल मण्डला
77.	मेसर्स आर.एन.आर. डोलोमाईट स्टोन क्रशर भटियाटोला मण्डला जिला—मण्डला
78.	मेसर्स खण्डलवाल इण्डस्ट्रीज मनेरी
79.	मेसर्स बद्री ग्रीन एनर्जी प्राप्तिलि० मनेरी जिला—मण्डला
80.	मेसर्स मॉ कात्यानी स्टोन क्रशर, बन्डोल जिला सिवनी
81.	मेसर्स गजानन स्टोन क्रशर, राहीवाड़ा जिला सिवनी
82.	मेसर्स भगवती स्टोन क्रशर, बिनैकीकला, जिला सिवनी
83.	मेसर्स अग्रवाल स्टोन क्रशर पुरवामाल, जिला सिवनी
84.	मेसर्स पाल स्टोन क्रशर, गंगेरुआ, जिला सिवनी
85.	मेसर्स हेमन्त स्टोन क्रशर, गंगेरुआ, जिला सिवनी
86.	मेसर्स भीतल मिनरल्स गंगेरुआ, जिला सिवनी
87.	मेसर्स कोठिया मेटल, ग्राम कोठिया जिला सिवनी
88.	मेसर्स जायसवाल स्टोन क्रशर बिछुआमाल, जिला सिवनी
89.	मेसर्स ख्याति स्टोन क्रशर, गोरखपुरकला जिला सिवनी
90.	मेसर्स मॉ योगमाया स्टोन क्रशर, बन्डोल जिला सिवनी
91.	मेसर्स सृष्टि स्टोन क्रशर, ग्राम गंगेरुआ, जिला सिवनी
92.	मेसर्स वर्धमान स्टोन क्रशर, बंडोल, जिला सिवनी
93.	मेसर्स ओम साईं स्टोन क्रशर थावरी, जिला सिवनी
94.	मेसर्स पवन स्टोन क्रशर अलोनिया, जिला सिवनी
95.	मेसर्स बंसल स्टोन क्रशर ग्राम बेलखेडी, जिला—सिवनी
96.	मेसर्स फरीद स्टोन क्रशर ग्राम—अलोनिया, जिला—सिवनी
97.	मेसर्स अध्या स्टोन क्रशर ग्राम—गंगेरुआ, जिला—सिवनी

98.	मेसर्स बघेल स्टोन क्रशर ग्राम—बंडोल जिला—सिवनी
99.	मेसर्स समर्थ इन्टप्राईजेश ग्राम—सिहोरा तहसील लखनादौन जिला—जबलपुर
100.	मेसर्स पटेल स्टोन क्रशर ग्राम सुखतरा तहसील केवलारी जिला—सिवनी
101.	मेसर्स रंजीत स्टोन क्रशर ग्राम—राघादेही जिला—सिवनी
102.	मेसर्स अरफा स्टोन क्रशर ग्राम—राघादेही जिला—सिवनी
103.	मेसर्स प्रेरस्टीज सोया लि., देवास
104.	मेसर्स पॉलीबोंड इण्डस्ट्रीज लि., देवास
105.	मेसर्स इस्थुमस इण्डस्ट्रीज, देवास
106.	मेसर्स प्रीमीयर न्यूट्रिशन, देवास
107.	मेसर्स महिला अजीविका औद्योगिक सरकारी संरचना, देवास
108.	मेसर्स मां चामुण्डा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, देवास
109.	मेसर्स दीपक बूलन मिल, देवास
110.	मेसर्स पूजा डेयरी, देवास
111.	मेसर्स यशराज फुड्स, देवास
112.	मेसर्स विष्णी इण्डस्ट्रीज (बायोटेक डिवीजन), देवास
113.	मेसर्स ओएस्टर एक्जीम प्रा.लि., देवास
114.	मेसर्स अंवति मेगा फुड पार्क, देवास
115.	मेसर्स नवीन फलोरीन इंटरनेशनल लि. देवास
116.	मेसर्स संजय मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, देवास
117.	मेसर्स बरलोचर इण्डस्ट्रीज, देवास
118.	मेसर्स रिझेंट बीयर, मकरी, जिला शाजापुर
119.	मेसर्स फास्टकॉन बिल्डिंग सोल्यूशन, देवास
120.	मेसर्स नमोकार स्पेशलिटी, देवास
121.	मेसर्स बैंक नोट प्रेस, देवास
122.	मेसर्स केशव इण्डस्ट्रीज, देवास
123.	मेसर्स चन्द्रकमल मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्ट्स, देवास
124.	मेसर्स वंडर सीमेंट, बदनावर, जिला—धार (म.प्र.)
125.	मेसर्स विनी इण्डस्ट्रीज, मेघनगर, जिला—झाबुआ
126.	मेसर्स एस आर फैरो अलाय, मेघनगर, झाबुआ
127.	मेसर्स फखरी मिनरल एण्ड ग्राइन्डिंग जिला—अलीराजपुर
128.	मेसर्स लाखनसिंह सोलंकी स्टोन क्रशर, जिला—झाबुआ
129.	मेसर्स सतीश कुमार शर्मा स्टोन क्रशर, जिला—धार
130.	मेसर्स मां उमिया स्टोन क्रशर, जिला—धार
131.	मेसर्स अग्रवाल स्टोन स्टोन क्रशर, जिला—धार

132.	मेसर्स धर्मेन्द्र ठाकुर स्टोन स्टोन क्रशर, जिला—धार
133.	मेसर्स बी आर स्टोन क्रशर, जिला—धार
134.	मेसर्स ड्रीम बोइलिंग ग्राम—तुगड़िया, जिला राजगढ़
135.	मेसर्स पंकज ऑयल मिल्स ग्राम खानपुरा, जिला राजगढ़
136.	मेसर्स बैल्यू रीसाइकलर्स एण्ड रीक्लेमर्स लिमि. पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़
137.	मेसर्स के.पी.अवस्थी स्टोन क्रेशर बिचपुरा, कटनी
138.	मेसर्स सुमित्रा ग्रोवर स्टोन क्रेशर, कटनी
139.	मेसर्स सत्येन्द्र रबर प्रा. लि., पीथमपुर
140.	मेसर्स म.प्र. वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, पीथमपुर
141.	मेसर्स आज्ञा ऑटो लि. (युनिट 1), पीथमपुर
142.	मेसर्स केसर अलॉय एण्ड मेटल प्रा.लि., पीथमपुर
143.	मेसर्स सिमरन न्युट्रीफुड प्रा.लि., पीथमपुर
144.	मेसर्स सोनिक बायेकेम एक्सट्रेक्शन लि., पीथमपुर
145.	मेसर्स केसर स्पात लि., पीथमपुर
146.	मेसर्स लखानी रबर प्रा.लि., पीथमपुर
147.	मेसर्स शिवांगी रोलिंग मील प्रा.लि., पीथमपुर
148.	मेसर्स मित्तल पैकेजिंग, पीथमपुर
149.	मेसर्स रानेका इण्डस्ट्रीज, पीथमपुर
150.	मेसर्स जीपैक इन्टरनेशनल, एस.ई.जेड, पीथमपुर
151.	मेसर्स पी.एस.ए. केमिकल्स एण्ड फॉर्मा प्रा.लि., एस.ई.जेड., फेस-2, पीथमपुर
152.	मेसर्स अजन्ता फॉर्मास्युटिकल्स, एस.ई.जेड, पीथमपुर
153.	मेसर्स मैक्लाईड फॉर्मास्युटिकल्स लिमिटेड, एस.ई.जेड, पीथमपुर
154.	मेसर्स पार फॉर्मूलेशन प्रा.लि., एस.ई.जेड, पीथमपुर
155.	मेसर्स जश इन्जीनियरिंग लिमिटेड, (एस.ई.जेड. यूनिट-2) फेस-2, पीथमपुर
156.	मेसर्स अमादण्ड ओसी माइन, एस.ई.सी.एल. जमुना कोतमा एरिया, जिला— अनूपपुर
157.	मेसर्स अमादण्ड भरतराई, युजी माइन, एस.ई.सी.एल. जमुना कोतमा एरिया, जिला—अनूपपुर
158.	मेसर्स बहेराबांध यु.जी. माइन, एस.ई.सी.एल. हसदेव एरिया, जिला—अनूपपुर
159.	मेसर्स कुर्जा कपिलधारा यु.जी. माइन, एस.ई.सी.एल. हसदेव एरिया, जिला—अनूपपुर
160.	मेसर्स बिजुरी यु.जी. माइन, एस.ई.सी.एल. हसदेव एरिया, जिला—अनूपपुर
161.	मेसर्स राजनगर आर.ओ. यु.जी. माइन, एस.ई.सी.एल. हसदेव एरिया, जिला—अनूपपुर
162.	मेसर्स धनपुरी ओ.सी. माइन एस.ई.सी.एल. सोहागपुर एरिया, जिला—शहडोल
163.	मेसर्स अमलाई ओ.सी. माइन एस.ई.सी.एल. सोहागपुर एरिया, जिला—शहडोल
164.	मेसर्स दामनी यु.जी. माइन एस.ई.सी.एल. सोहागपुर एरिया, जिला—शहडोल
165.	मेसर्स खेरहा यु.जी. माइन एस.ई.सी.एल. सोहागपुर एरिया, जिला—शहडोल

166.	मेसर्स बंगवार यु.जी. माइन एस.ई.सी.एल. सोहागपुर एरिया, जिला—शहडोल
167.	मेसर्स बुढ़ार रेल्वे साइंडिंग जिला—शहडोल
168.	मेसर्स कंचन ओ.सी. माइन एस.ई.सी.एल. जोहिला एरिया, जिला—उमरिया
169.	मेसर्स महावीर कोल वेनीफिकेशन, धिरौल, जिला—अनूपपुर
170.	मेसर्स रेडीयेन्ट कोल वेनीफिकेशन, ग्राम—मेन टोला, जिला—अनूपपुर
171.	मेसर्स शारदा ओ.सी. माइन एस.ई.सी.एल. सोहागपुर एरिया, जिला—शहडोल
172.	मेसर्स गौर कन्सट्रक्शन, स्टोन क्रशर, ग्राम—विचारपुर, जिला—अनूपपुर
173.	मेसर्स बग्गा कन्सट्रक्शन, स्टेन क्रशर, ग्राम—ओदरी, जिला—उमरिया
174.	मेसर्स मनीषा स्टोन क्रशर, ग्राम—लालपुर पोड़की, जिला—अनूपपुर
175.	मेसर्स शिव, स्टोन क्रशर, ग्राम—बांधामार, जिला—अनूपपुर
176.	मेसर्स अतुल स्टोन क्रशर, ग्राम—कोलार, जिला—उमरिया
177.	मेसर्स केशरवानी स्टोन क्रशर, ग्राम—अमझोर, जिला—शहडोल
178.	मेसर्स गणेश स्टोन क्रशर, ग्राम—दोनिया, जिला—अनूपपुर
179.	मेसर्स गुप्ता स्टोन क्रशर, जिला—उमरिया
180.	मेसर्स श्रीराम कन्सट्रक्शन स्टोन क्रशर, ग्राम—मझकी, जिला—शहडोल
181.	मेसर्स श्रीराम स्टोन क्रशर, ग्राम—पिराड़ी, जिला—उमरिया
182.	मेसर्स साई स्टोन क्रशर, ग्राम—दियापीपर, जिला—शहडोल
183.	मेसर्स बांधवगढ़ स्टोन क्रशर, ग्राम—उमरार, जिला—उमरिया
184.	मेसर्स हुकुमचंद कन्सट्रक्शन, स्टोन क्रशर, ग्राम—उजानिया, जिला—उमरिया
185.	मेसर्स बंसल स्टोन क्रशर, ग्राम—उजानिया, जिला—उमरिया
186.	मेसर्स अग्रवाल स्टोन क्रशर, ग्राम—डोगरियाखुर्द, जिला—अनूपपुर
187.	मेसर्स आदेश स्टोन क्रशर, जिला—शहडोल
188.	मेसर्स श्रीराम कन्सट्रक्शन स्टोन क्रशर, ग्राम—मझकी, जिला—शहडोल
189.	मेसर्स साई स्टोन क्रशर, ग्राम—दियापीपर, जिला—शहडोल
190.	मेसर्स अरुण कुमार गुप्ता स्टोन क्रशर, ग्राम—शहपुरा, जिला—डिंडौरी
191.	मेसर्स तिरुपति मिनरल्स स्टोन क्रशर, ग्राम—सेमरा, जिला—शहडोल
192.	मेसर्स श्रीसाई स्टोन क्रशर, कम्पनी, ग्राम—प्रिपरेड़ी, जिला—शहडोल
193.	मेसर्स दीपक चतुर्वेदी, स्टोन क्रशर, जिला—उमरिया
194.	मेसर्स श्री स्टोन क्रशर, जिला—शहडोल
195.	मेसर्स मिश्रा स्टोन क्रशर, जिला—शहडोल
196.	मेसर्स एस.के. मारबल, स्टोन क्रशर, जिला—उमरिया
197.	मेसर्स जी.के. मिनिरल्स स्टोन क्रशर, ग्राम—धिरोल, जिला—अनूपपुर
198.	मेसर्स मॉ भवानी स्टोन क्रशर, ग्राम—डोगरिया, जिला—अनूपपुर
199.	मेसर्स नीलम स्टोन क्रशर, जिला—अनूपपुर

200.	मेसर्स बारा बारा स्टोन क्रशर, ग्राम—अमझोर, जिला—शहडोल
201.	मेसर्स पुरुषोत्तम नायक स्टोन क्रशर, जिला—शहडोल
202.	मेसर्स चाचा भतीजा इन्टरप्राइजेज स्टोन क्रशर, ग्राम—मोहतरा, जिला—डिंडौरी
203.	मेसर्स सरस्वती स्टोन क्रशर ग्राम—मोहतरा, जिला—डिंडौरी
204.	मेसर्स बजरंग स्टोन क्रशर, ग्राम—बरटोला, जिला—अनूपपुर
205.	मेसर्स ताज स्टोन क्रशर, ग्राम—मौहरी बड़ी, जिला—अनूपपुर
206.	मेसर्स पायल स्टोन क्रशर, ग्राम—सस्तरा, जिला—उमरिया
207.	मेसर्स मॉ भवानी स्टोन क्रशर, ग्राम—छतरपुर, जिला—शहडोल
208.	मेसर्स कैलास ट्रेडर्स, स्टोन क्रशर, ग्राम—चांका, जिला—शहडोल
209.	मेसर्स कमला स्टोन क्रशर, जिला—अनूपपुर
210.	मेसर्स साईनाथ कन्सट्रक्शन स्टोन क्रशर, ग्राम—कटहरी, जिला—शहडोल
211.	मेसर्स अजीतनाथ डेवलपर्स, स्टोन क्रशर, जिला—शहडोल
212.	मेसर्स जैनिर्मल मिनिरल्स, स्टोन क्रशर, ग्राम—सोनियामाल, जिला—अनूपपुर
213.	मेसर्स आर.आई.एस., स्टोन क्रशर, ग्राम—शहडोल
214.	मेसर्स प्रमोद कुमार साहू स्टोन क्रशर, जिला—डिंडौरी
215.	मेसर्स आशीष तिवारी, स्टोन क्रशर, ग्राम—देवगढ़, जिला—शहडोल
216.	मेसर्स त्रिमूर्ति, स्टोन क्रशर, ग्राम—कारीमाटी, जिला—उमरिया
217.	मेसर्स अनुपम चतुर्वेदी, स्टोन क्रशर, ग्राम—बांका, जिला—उमरिया
218.	मेसर्स प्रताप कन्सट्रक्शन, स्टोन क्रशर, ग्राम—पकरिया, जिला—शहडोल
219.	मेसर्स नेशनल, स्टोन क्रशर, ग्राम—करौदा, जिला—उमरिया
220.	मेसर्स सिद्ध विनायक स्टोन क्रशर, ग्राम—जल्दीटोला, जिला—शहडोल
221.	मेसर्स जी.एस. मिनरल्स, स्टोन क्रशर, ग्राम—धिरौल, जिला—अनूपपुर
222.	मेसर्स कपिल, स्टोन क्रशर, जिला—उमरिया
223.	मेसर्स अग्रवाल स्टोन क्रशर, ग्राम—गिरवी, जिला—उमरिया
224.	मेसर्स बालाजी, स्टोन क्रशर, जिला—अनूपपुर
225.	मेसर्स आदेश, स्टोन क्रशर, ग्राम—ढोलर युनिट-2, जिला—शहडोल
226.	मेसर्स संदीप राय, स्टोन क्रशर, ग्राम—शहपुरा, जिला—डिंडौरी,
227.	मेसर्स अवधिया, स्टोन क्रशर, ग्राम—गणेशपुर, जिला—डिंडौरी,
228.	मेसर्स श्री त्रिलोक, स्टोन क्रशर, ग्राम—घानाघाट, जिला—डिंडौरी
229.	मेसर्स कम्बाइन, स्टोन क्रशर, ग्राम—करौंधा, जिला—उमरिया
230.	मेसर्स शुक्ला, स्टोन क्रशर, ग्राम—डोगरिया कला, जिला—अनूपपुर
231.	मेसर्स पाइक स्टोन क्रशर, जिला—डिंडौरी,
232.	मेसर्स बजरंग स्टोन वर्क्स, स्टोन क्रशर, ग्राम—जमुड़ी, जिला—अनूपपुर
233.	मेसर्स भारत, स्टोन क्रशर, जिला—उमरिया

234.	मेसर्स अर्पित नायक, स्टोन क्रशर, जिला—डिंडौरी
235.	मेसर्स धुर्वे स्टोन क्रशर, जिला—डिंडौरी
236.	मेसर्स मॉ नर्मदा स्टोन क्रशर, जिला—डिंडौरी
237.	मेसर्स बिलागर स्टोन क्रशर, जिला—डिंडौरी
238.	मेसर्स खनूजा स्टोन क्रशर, युनिट-1, जिला—डिंडौरी
239.	मेसर्स खनूजा ट्रेडर्स, स्टोन क्रशर, जिला—डिंडौरी
240.	मेसर्स गुप्ता स्टोन क्रशर, ग्राम—धनगवा, जिला—अनूपपुर
241.	मेसर्स मीरा स्टोन क्रशर, जिला—शहडोल
242.	मेसर्स मॉ भवानी स्टोन क्रशर, जिला—डिंडौरी
243.	मेसर्स मुन्ना सिंह स्टोन क्रशर, जिला—डिंडौरी
244.	मेसर्स श्री ट्रेडर्स, स्टोन क्रशर, जिला—अनूपपुर
245.	मेसर्स अमोल स्टोन क्रशर, ग्राम—बिलापानी, जिला—उमरिया
246.	मेसर्स प्राची स्टोन क्रशर, जिला—शहडोल
247.	मेसर्स ध्रुव कंसट्रक्शन, स्टोन क्रशर, जिला—शहडोल
248.	मेसर्स संजुलता जैन स्टोन क्रशर, झिंगुरदा, तहसील व जिला सिंगरौली
249.	मेसर्स बी. अग्रवाल एंड कंपनी स्टोन क्रशर यूनिट बड़कुड़, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली
250.	मेसर्स हिमालया स्टोन क्रशर, झारा, सिंगरौली
251.	मेसर्स जायसवाल स्टोन क्रशर, सरई, सिंगरौली
252.	मेसर्स राज स्टोन क्रशर, गडेरिया, सिंगरौली
253.	मेसर्स जय मॉ ज्वालामुखी स्टोन क्रशर, सिंगरौली
254.	मेसर्स अमृत रिफायनरी, मंदसौर
255.	मेसर्स लक्ष्मी सेल्स कार्पोरेशन, नीमच
256.	मेसर्स मेसर्स रॉकड्यूड प्रा.लि., नागदा
257.	मेसर्स श्री इंटरप्राईजेस, मंदसौर
258.	मेसर्स सरिता इंडस्ट्रीज, रतलाम
259.	मेसर्स ॲसमेड फार्मूलेशन, उज्जैन
260.	मेसर्स अलिशा फूड, उज्जैन
261.	मेसर्स जय श्रीराम स्टोन केशर, प्रतापपुरा, टीकमगढ़
262.	मेसर्स प्रगति स्टोन केशर, सागर
263.	मेसर्स वेदिका कंसट्रक्शन, ग्राम—कटंगी, देवरी, सागर
264.	मेसर्स जय सीताराम स्टोन केशर, छेवला, सागर
265.	मेसर्स ओम स्टोन केशर, रमन्ना देवरी, सागर
266.	मेसर्स श्री बालाजी स्टोन केशर, आपचंद, सागर
267.	मेसर्स बालाजी स्टोन मिल, दिदवारा, छतरपुर

268.	मेसर्स त्रिपाठी केशर उद्योग, पुरा छतरपुर
269.	मेसर्स मॉ वैष्णो केशर एवं कॅक्टीट उद्योग, दिदवारा, छतरपुर
270.	मेसर्स अलखनंदा स्टोन केशर, प्रकाश बम्होरी, छतरपुर
271.	मेसर्स न्यू भाऊ स्टोन केशर, प्रकाश बम्होरी, छतरपुर
272.	मेसर्स शिव सिंह चौहान स्टोन क्रशर, जिला सीहोर
273.	मेसर्स शिव सिंह चौहान बोल्डर माईन, जिला सीहोर
274.	मेसर्स रांझा राय स्टोन क्रशर, जिला सीहोर
275.	मेसर्स रांझा राय (बोल्डर माईन – 3.00 हेक्टेयर), जिला सीहोर
276.	मेसर्स दिव्या शुक्ला (बोल्डर माईन – 1.681 हेक्टेयर), जिला सीहोर
277.	मेसर्स ए टू फूड्स, सीहोर
278.	मेसर्स अर्जुन शर्मा स्टोन क्रशर, जिला सीहोर
279.	मेसर्स अर्जुन शर्मा (बोल्डर माईन – 2.63 हेक्टेयर), जिला सीहोर
280.	मेसर्स अनिल मीना (मुरम माईन – 2.00 हेक्टेयर), जिला सीहोर
281.	मेसर्स एम.एम. स्टोन क्रशर (बोल्डर माईन – 4.00 हेक्टेयर), जिला सीहोर
282.	मेसर्स एम.एम. स्टोन क्रशर, जिला सीहोर
283.	मेसर्स वीर सिंह (बोल्डर माईन – 4.00 हेक्टेयर), जिला सीहोर
284.	मेसर्स वीर सिंह स्टोन क्रशर, जिला सीहोर
285.	मेसर्स राहुल मालवीय स्टोन क्रशर, जिला सीहोर
286.	मेसर्स राहुल मालवीय (बोल्डर माईन – 2.00 हेक्टेयर), जिला सीहोर
287.	मेसर्स पूरनचंद तिवारी (बोल्डर माईन – 2.835 हेक्टेयर), जिला सीहोर
288.	मेसर्स प्रदीप विश्वकर्मा (मुरम माईन – 2.00 हेक्टेयर), जिला सीहोर
289.	मेसर्स दिनेश नागर (बोल्डर माईन – 2.00 हेक्टेयर), जिला सीहोर
290.	मेसर्स निलय जैन (बोल्डर माईन – 1.493 हेक्टेयर), जिला सीहोर
291.	मेसर्स निलय जैन स्टोन क्रशर, जिला सीहोर
292.	मेसर्स बाबा स्टोन एण्ड अर्थ मूवर्स (बोल्डर माईन – 1.028 हेक्टेयर) जिला सीहोर
293.	मेसर्स बाबा स्टोन एण्ड अर्थ मूवर्स (स्टोन क्रशर) जिला सीहोर
294.	मेसर्स दिनेश नागर स्टोन क्रशर जिला सीहोर
295.	मेसर्स श्री हरि सेरीयल्स जिला सीहोर
296.	मेसर्स हरिओम स्टोन क्रशर (बोल्डर माईन – 2.00 हेक्टेयर) जिला सीहोर
297.	मेसर्स एल एण्ड टी कंसट्रक्शन पाईप मैन्युफेक्चरिंग यूनिट जिला सीहोर
298.	मेसर्स रघुनाथ सिंह स्टोन क्रशर जिला सीहोर
299.	मेसर्स रघुनाथ सिंह (बोल्डर माईन – 2.00 हेक्टेयर) जिला सीहोर
300.	मेसर्स दिनेश ठाकुर (बोल्डर माईन – 1.00 हेक्टेयर) जिला सीहोर
301.	मेसर्स अक्षय रघुवंशी (बोल्डर माईन – 4.00 हेक्टेयर) जिला सीहोर

302.	मेसर्स अनिल कुमार जैन (बोल्डर माईन – 2.00 हेक्टेयर) जिला सीहोर
303.	मेसर्स अनिल कुमार जैन स्टोन क्रशर जिला सीहोर
304.	मेसर्स भूपेन्द्र सिंह (बोल्डर माईन – 4.00 हेक्टेयर) जिला सीहोर
305.	मेसर्स देवास भोपाल कॉरीडोर प्रा.लि.अम्लाह टोल प्लाजा, सीहोर
306.	मेसर्स ईपीसी, सीहोर
307.	मेसर्स गौरव कुमार जैन (बोल्डर माईन – 4.00 हेक्टेयर) जिला सीहोर
308.	मेसर्स राम वर्मा (बोल्डर माईन – 2.00 हेक्टेयर) जिला सीहोर
309.	मेसर्स राम वर्मा स्टोन क्रशर जिला सीहोर
310.	मेसर्स हम्बल काउज प्रा.लि. जिला सीहोर
311.	मेसर्स रामराजा मिनरल्स स्टोन क्रशर, सीहोर
312.	मेसर्स वर्धमान फेब्रिक्स (स्पिनिंग यूनिट-03) ए यूनिट ॲफ वर्धमान टेक्सटाईल लिमि.सीहोर
313.	मेसर्स वर्धमान यार्न (यूनिट 7), औ.क्षे. मण्डीदीप, जिला रायसेन
314.	मेसर्स रोहित जैन स्टोन क्रशर, जिला रायसेन
315.	मेसर्स रोहित जैन (बोल्डर माईन-1.84 हेक्टेयर), जिला रायसेन
316.	मेसर्स टैक्नो इन्फोटेक लिमिटेड, औ.क्षे. मण्डीदीप, जिला रायसेन
317.	मेसर्स नीलेश चौहान (बोल्डर माईन-3.00 हेक्टेयर), जिला रायसेन
318.	मेसर्स नीलेश चौहान स्टोन क्रशर, जिला रायसेन
319.	मेसर्स वेल्सपन कार्पोरेशन लिमिटेड, जिला रायसेन
320.	मेसर्स बृजगोपाल कंसट्रक्शन कंपनी प्रा.लि. (बोल्डर माईन), जिला रायसेन
321.	मेसर्स बृजगोपाल कंसट्रक्शन कंपनी प्रा.लि. (स्टोन क्रशर), जिला रायसेन
322.	मेसर्स श्रीधी मिल्क एण्ड फूड प्रोडक्ट्स प्रा.लि. जिला रायसेन
323.	मेसर्स नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड (यूनिट 3), जिला रायसेन
324.	मेसर्स वर्धमान यार्न (यूनिट 6) औ.क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
325.	मेसर्स दुर्गेश प्रताप सिंह राजपूत स्टोन क्रशर, जिला रायसेन
326.	मेसर्स संजेश रघुवंशी स्टोन क्रशर जिला रायसेन
327.	मेसर्स संजेश रघुवंशी (बोल्डर माईन – 2.834 हेक्टेयर) जिला रायसेन
328.	मेसर्स इण्डिया वेस्ट मैनेजमेंट प्रा.लि. (सीबीडब्ल्यूटीएफ) औ. क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
329.	मेसर्स सी.के. फूड्स इण्डस्ट्रीज औ.क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
330.	मेसर्स तृप्तेश अग्रवाल स्टोन क्रशर जिला रायसेन
331.	मेसर्स तृप्तेश अग्रवाल (बोल्डर माईन) जिला रायसेन
332.	मेसर्स ए.एम.पी. स्पेशिलिटी प्रोडक्ट्स प्रा.लि. जिला रायसेन
333.	मेसर्स आरिफ जहांन स्टोन क्रशर यूनिट, जिला रायसेन
334.	मेसर्स आरिफ जहांन माईनिंग यूनिट, जिला रायसेन
335.	मेसर्स बालाजी इण्डिया प्रा.लि. सतलापुर, मण्डीदीप जिला रायसेन

336.	मेसर्स भंवरदीप कापर स्ट्रीप्स प्रा.लि.यूनिट-2, मण्डीदीप
337.	मेसर्स ब्लिस डिस्ट्रीब्यूटर्स, मण्डीदीप जिला रायसेन
338.	मेसर्स ब्रिज कंसट्रक्शन कंपनी प्रा.लि. स्टोन क्रशर जिला रायसेन
339.	मेसर्स ब्रिज कंसट्रक्शन कंपनी प्रा.लि. (बोल्डर माईन – 2.915 हेक्टेयर) जिला रायसेन
340.	मेसर्स देवेन्ड्र रघुवंशी (बोल्डर माईन – 3.00 हेक्टेयर) जिला रायसेन
341.	मेसर्स दुर्गेश प्रताप सिंह स्टोन क्रशर जिला रायसेन
342.	मेसर्स हिमांशु प्लॉर मिल्स प्रा.लि. जिला रायसेन
343.	मेसर्स कैलाश कुमार पाल (बोल्डर माईन – 1.72 हेक्टेयर) जिला रायसेन
344.	मेसर्स कैलाश कुमार पाल स्टोन क्रशर जिला रायसेन
345.	मेसर्स राजलक्ष्मी देवबिल्ट इण्डिया प्रा.लि. स्टोन क्रशर जिला रायसेन
346.	मेसर्स राजलक्ष्मी देवबिल्ट इण्डिया प्रा.लि. (बोल्डर माईन – 1.00 हेक्टेयर) जिला रायसेन
347.	मेसर्स रिया स्पाईश, जिला रायसेन
348.	मेसर्स उमाशंकर शर्मा (बोल्डर माईन – 2.00 हेक्टेयर) जिला रायसेन
349.	मेसर्स उमाशंकर शर्मा (बोल्डर माईन – 2.00 हेक्टेयर) जिला रायसेन
350.	मेसर्स श्रीचन्द्रा तकतानी आर्डीनरी क्ले माईन 2.63 हेक्टेयर जिला रायसेन
351.	मेसर्स वंदना चौकसे (बोल्डर माईन – 1.862 हेक्टेयर) जिला रायसेन
352.	मेसर्स विद्या सेरीयल्स प्रा.लि. जिला रायसेन
353.	मेसर्स विशाल ब्रिक्स (माईनिंग यूनिट) जिला रायसेन
354.	मेसर्स विशाल ब्रिक्स यूनिट जिला रायसेन
355.	मेसर्स इंडियन रेल्वे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड, जिला रायसेन
356.	मेसर्स मानकसिया कोटेड मेटल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड जिला रायसेन
357.	मेसर्स नीतिराज सिंह (बोल्डर माईन– 4.00 हेक्टेयर) जिला रायसेन
358.	मेसर्स नीतिराज सिंह स्टोन क्रशर जिला रायसेन
359.	मेसर्स पायोनियर इंफास्ट्रक्चर (स्टोन क्रशर यूनिट) जिला रायसेन
360.	मेसर्स संगम मर्केन्टाईल, मण्डीदीप जिला रायसेन
361.	मेसर्स शैलेन्ड्र सिंह दांगी स्टोन क्रशर, जिला विदिशा
362.	मेसर्स शैलेन्ड्र सिंह दांगी (बोल्डर माईन–1.00 हेक्टेयर), जिला विदिशा
363.	मेसर्स वर्षा अहिरवार स्टोन क्रशर, जिला विदिशा
364.	मेसर्स वर्षा अहिरवार (बोल्डर माईन–2.00 हेक्टेयर), जिला विदिशा
365.	मेसर्स राधव स्टोन (स्टोन क्रशर) जिला विदिशा
366.	मेसर्स राधव स्टोन (बोल्डर माईन – 1.70 हेक्टेयर), जिला विदिशा
367.	मेसर्स श्रीमती सावित्री अहिरवार (बोल्डर माईन – 2.00 हेक्टेयर), जिला विदिशा
368.	मेसर्स श्रीमती सावित्री अहिरवार स्टोन क्रशर, जिला विदिशा
369.	मेसर्स मंगल सिंह राजपूत रनवे इंफास्ट्रक्चर (जेव्ही) (स्टोन क्रशर यूनिट) जिला विदिशा

370.	मेसर्स माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड (आरएमसी प्लांट), जिला विदिशा
371.	मेसर्स माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड (आरएमसी प्लांट), ग्राम बरोदा, जिला विदिशा
372.	मेसर्स महेन्द्र सिंह किरार (बोल्डर माईन – 1.00 हेक्टेयर), जिला विदिशा
373.	मेसर्स जगदीश दांगी स्टोन क्रशर जिला विदिशा
374.	मेसर्स जगदीश दांगी (बोल्डर माईन – 1.045 हेक्टेयर) जिला विदिशा
375.	मेसर्स वीरेन्द्र कुमार आलिया (बोल्डर माईन – 2.00 हेक्टेयर) जिला विदिशा
376.	मेसर्स योगेन्द्र यादव (बोल्डर माईन – 1.00 हेक्टेयर) जिला विदिशा
377.	मेसर्स योगेन्द्र यादव स्टोन क्रशर जिला विदिशा
378.	मेसर्स हाईटेक पेस्टीसाइड्स जिला विदिशा
379.	मेसर्स राहुल रघुवंशी (बोल्डर माईन – 3.70 हेक्टेयर) जिला विदिशा
380.	मेसर्स राहुल रघुवंशी स्टोन क्रशर जिला विदिशा
381.	मेसर्स रमेश चंद राय (बोल्डर माईन – 2.00 हेक्टेयर) जिला विदिशा
382.	मेसर्स सौरभ राय (बोल्डर माईन – 1.74 हेक्टेयर) जिला विदिशा
383.	मेसर्स सुमित देवलिया (बोल्डर माईन – 1.4 हेक्टेयर) जिला विदिशा
384.	मेसर्स सुमित देवलिया स्टोन क्रशर जिला विदिशा
385.	मेसर्स हिमांशी इण्डस्ट्री, विदिशा
386.	मेसर्स मानसिंह जादौन (बोल्डर माईन – 1.60 हेक्टेयर) जिला विदिशा
387.	मेसर्स मानसिंह जादौन (स्टोन क्रशर यूनिट) जिला विदिशा
388.	मेसर्स पुरुषोत्तम दास महेश्वरी (बोल्डर माईन – 1.056 हेक्टेयर) जिला विदिशा
389.	मेसर्स संतोष पटेल स्टोन क्रशर, जिला विदिशा
390.	मेसर्स संतोष पटेल (बोल्डर माईन – 1.00 हेक्टेयर), जिला विदिशा
391.	मेसर्स सिद्धार्थ फूड प्रोडक्ट्स विदिशा
392.	मेसर्स चन्द्रा प्रीतमानी (बोल्डर माईन – 1.00 हेक्टेयर), जिला भोपाल
393.	मेसर्स इन्द्रानी साहू (बोल्डर माईन – 2.00 हेक्टेयर), जिला भोपाल
394.	मेसर्स निखिल कुमार सिंह (बोल्डर माईन – 4.00 हेक्टेयर), जिला भोपाल
395.	मेसर्स पूर्वांचल माईन्स स्टोन क्रशर यूनिट, जिला भोपाल
396.	मेसर्स खुशबू सिंह (बोल्डर माईन – 9.00 हेक्टेयर) जिला भोपाल
397.	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (आरएमसी प्लांट) जिला भोपाल
398.	मेसर्स विशाल चौकसे स्टोन क्रशर, जिला भोपाल
399.	मेसर्स विशाल चौकसे (बोल्डर माईन – 2.404 हेक्टेयर), जिला भोपाल
400.	मेसर्स शंताराम फूड्स, जिला भोपाल
401.	मेसर्स राजेन्द्र गर्ग (बोल्डर माईन – 1.89 हेक्टेयर), जिला भोपाल
402.	मेसर्स फेन्डस एसोसियेट स्टोन क्रशर, जिला भोपाल
403.	मेसर्स सोमनाथ शाह (बोल्डर माईन – 3.00 हेक्टेयर), जिला भोपाल

404.	मेसर्स सोमनाथ शाह स्टोन क्रशर, जिला भोपाल
405.	मेसर्स विनीता शर्मा (बोल्डर माईन – 2.76 हेक्टेयर), जिला भोपाल
406.	मेसर्स विनीता शर्मा स्टोन क्रशर, जिला भोपाल
407.	मेसर्स सुमन नरवानी (बोल्डर माईन – 1.20 हेक्टेयर), जिला भोपाल
408.	मेसर्स सोहन सिंह यादव स्टोन क्रशर, जिला भोपाल
409.	मेसर्स वैष्णव स्टोन क्रशर, जिला भोपाल
410.	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (स्टोन क्रशर यूनिट) जिला भोपाल
411.	मेसर्स रिषभ पचौरी (मुरम माईन – 4.00 हेक्टेयर), जिला भोपाल
412.	मेसर्स शकील मियां (मुरम माईन – 2.00 हेक्टेयर), जिला भोपाल
413.	मेसर्स ललित मोहन अरनेजा (बोल्डर माईन – 3.00 हेक्टेयर), जिला भोपाल
414.	मेसर्स न्यू भारत इंजीनियरिंग वर्क्स औ.क्षे. गोविंदपुरा भोपाल
415.	मेसर्स डी.के. इलेक्ट्रोमेक कार्पोरेशन औ.क्षे. गोविंदपुरा भोपाल
416.	मेसर्स स्टेण्डर्ड इण्डिया डेयरी फार्म, भोपाल
417.	मेसर्स हरी सिंह विश्वकर्मा (बोल्डर माईन – 2.00 हेक्टेयर), जिला भोपाल
418.	मेसर्स श्री हरि स्टोन क्रशर, जिला भोपाल
419.	मेसर्स लक्ष्मी हॉट बेकर्स, औ.क्षे., गोविंदपुरा, भोपाल
420.	मेसर्स अजीत कुमार मिश्रा (मुरम माईन – 1.00 हेक्टेयर) जिला भोपाल
421.	मेसर्स ज्ञानदेव मिश्रा (बोल्डर माईन – 3.95 हेक्टेयर) जिला भोपाल
422.	मेसर्स अल्फा स्टोन क्रशर (प्रो. आवेज खान) जिला भोपाल
423.	मेसर्स अमन स्टोन क्रशर (प्रो. बब्लू खान) जिला भोपाल
424.	मेसर्स आनंद स्टोन क्रशर (बोल्डर माईन–3.870 हेक्टेयर), जिला भोपाल
425.	मेसर्स अयोध्या सेल्स एण्ड सर्विस (इंडियन पेट्रोल पम्प) जिला भोपाल
426.	मेसर्स बाबर खान (बोल्डर माईन–2.900 हेक्टेयर), जिला भोपाल
427.	मेसर्स बब्लू खान (बोल्डर माईन–2.00 हेक्टेयर), जिला भोपाल
428.	मेसर्स देबास भोपाल कोरीडोर प्रा.लि. फंदा टोल प्लाजा जिला भोपाल
429.	मेसर्स फैरीलेण्ड होटल्स एण्ड रिसोर्ट प्रा.लि. जिला भोपाल
430.	मेसर्स गजेन्द्र सिंह गौर (बोल्डर माईन–1.800 हेक्टेयर), जिला भोपाल
431.	मेसर्स गजेन्द्र सिंह गौर स्टोन क्रशर, जिला भोपाल
432.	मेसर्स हरीश मालवीय (बोल्डर माईन–1.800 हेक्टेयर), जिला भोपाल
433.	मेसर्स साईनाथ स्टोन क्रशर (श्री हरीश मालवीय) जिला भोपाल
434.	मेसर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साईस एजुकेशन एण्ड रिसर्च (इंस्टीयूट वर्क डिपार्टमेंट) भोपाल
435.	मेसर्स ललित उर्फ लालाराम मारन पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) भोपाल
436.	मेसर्स एम.पी. मिनरल (बोल्डर माईन–3.600 हेक्टेयर), जिला भोपाल
437.	मेसर्स संध्या गर्ग (बोल्डर माईन–3.53 हेक्टेयर), जिला भोपाल

438.	मेसर्स संगीता शर्मा (बोल्डर माईन—2.00 हेक्टेयर), जिला भोपाल
439.	मेसर्स सरोज गुप्ता (बोल्डर माईन—4.00 हेक्टेयर), जिला भोपाल
440.	मेसर्स सरोज गुप्ता स्टोन क्रशर, जिला भोपाल
441.	मेसर्स सेटर्न आटो लिंक प्रा.लि. जिला भोपाल
442.	मेसर्स आप्रवैली रेसीडेन्सीयल प्रोजेक्ट (उज्जवला हाउसिंग एण्ड फाईनेंस प्रा.लि.) भोपाल
443.	मेसर्स के.एल. शर्मा (रीगल टाऊन) भोपाल
444.	मेसर्स मोहम्मद मकसूद (मुरम माईन — 1.88 हेक्टेयर), जिला भोपाल
445.	मेसर्स नेशनल इंस्टीट्यूट फार रिसर्च इन इनवायरमेंटल हेल्थ (निरेह) भोपाल
446.	मेसर्स रिचा सिंह (बोल्डर माईन—2.00 हेक्टेयर), जिला भोपाल
447.	मेसर्स शीलत पैराडाईज (मल्टीस्टोरी) मेसर्स शीतलनाथ बिल्डर्स प्रा.लि. भोपाल
448.	मेसर्स सिल्वर इस्टेट वर्टिका, भोपाल
449.	मेसर्स लांगजियान जितेन्द्र सिंह (जेही) (बोल्डर माईन—1.00 हेक्टेयर) जिला बैतूल
450.	मेसर्स लांगजियान जितेन्द्र सिंह (जेही) (कोयलबुड़डी स्टोन क्रशर प्लांट) जिला बैतूल
451.	मेसर्स कृष्णा राईस मिल जिला बैतूल
452.	मेसर्स श्रीजी इंफास्ट्रक्चर इण्डिया प्रा.लि. (एचएमपी) जिला बैतूल
453.	मेसर्स श्रीजी इंफास्ट्रक्चर इण्डिया प्रा.लि. (स्टोन क्रशर) जिला बैतूल
454.	मेसर्स श्रीजी इंफास्ट्रक्चर इण्डिया प्रा.लि. (बोल्डर माईन — 1.00 हेक्टेयर) जिला बैतूल
455.	मेसर्स राजेन्द्र सिंह किलेदार (राबड़या बोल्डर माईन — 1.50 हेक्टेयर) जिला बैतूल
456.	मेसर्स राजेन्द्र सिंह किलेदार कंसट्रक्शन्स प्रा.लि.(जूनापानी बोल्डर माईन — 3.50 हेक्टेयर) बैतूल
457.	मेसर्स राजेन्द्र सिंह किलेदार कंसट्रक्शन्स प्रा.लि. (पिपरिया बोल्डर माईन— 2.90 हेक्टेयर) जिला बैतूल
458.	मेसर्स अडभूते स्टोन क्रशर जिला बैतूल
459.	मेसर्स मीना अडभूते (बोल्डर माईन — 2.00 हेक्टेयर) जिला बैतूल
460.	मेसर्स भीमा बारसकर (बोल्डर माईन — 1.00 हेक्टेयर) जिला बैतूल
461.	मेसर्स कुलवंत सिंह खनूजा स्टोन क्रशर जिला बैतूल
462.	मेसर्स कुलवंत सिंह खनूजा (बोल्डर माईन — 1.00 हेक्टेयर) जिला बैतूल
463.	मेसर्स भोपाल दुग्ध संघ सहकारी मर्यादित (बैतूल डेयरी प्लांट), बैतूल
464.	मेसर्स हनुमन्त शुगर्स प्रा.लि. जिला बैतूल
465.	मेसर्स संतोष कुमार जैन स्टोन क्रशर जिला बैतूल
466.	मेसर्स संतोष कुमार जैन (बोल्डर माईन — 0.90 हेक्टेयर), जिला बैतूल
467.	मेसर्स शिवम् स्टोन क्रशर जिला बैतूल
468.	मेसर्स अमृत स्टोन क्रशर जिला बैतूल
469.	मेसर्स राजेन्द्र सिंह किलेदार स्टोन क्रशर, राबड़या, जिला बैतूल
470.	मेसर्स उमेश साहू (बोल्डर माईन — 1.00 हेक्टेयर), जिला बैतूल
471.	मेसर्स जैन स्टोन क्रशर (बोल्डर माईन — 1.062 हेक्टेयर), जिला होशंगाबाद

472.	मेसर्स सुरेन्द्र गौर बोल्डर माईन, जिला होशंगाबाद
473.	मेसर्स जैन स्टोन क्रशर जिला होशंगाबाद
474.	मेसर्स मां नर्मदा महिला आजीवीका औद्योगिक सहकारी संघ मर्यादित जिला होशंगाबाद
475.	मेसर्स राजेन्द्र सिंह राजपूत (मुरम माईन – 2.00 हेक्टेयर), जिला होशंगाबाद
476.	मेसर्स जैन स्टोन क्रशर (बोल्डर माईन – 1.619 हेक्टेयर) जिला होशंगाबाद
477.	मेसर्स एनकेसी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. (आरएमसी) जिला होशंगाबाद
478.	मेसर्स एनकेसी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. (आरएमसी) जिला होशंगाबाद
479.	मेसर्स महावीर एसोसियेट (बोल्डर माईन – 2.023 हेक्टेयर) जिला होशंगाबाद
480.	मेसर्स जैन स्टोन क्रशर (बोल्डर माईन – 1.68 हेक्टेयर) ग्राम सोताचिखली जिला होशंगाबाद
481.	मेसर्स जैन स्टोन क्रशर ग्राम सोताचिखली जिला होशंगाबाद
482.	मेसर्स राजकुमार मेहतो, (मुरम क्वारी–2.74 हेक्टेयर) जिला होशंगाबाद
483.	मेसर्स जेन नेक्स्ट इंटरटेनमेंट (होटल एण्ड रेस्टोरेंट) होशंगाबाद
484.	मेसर्स न्यू साहू हार्टकेयर जिला होशंगाबाद
485.	मेसर्स रिशी चिल्ड्रन हास्पिटल जिला होशंगाबाद
486.	मेसर्स पवन मिश्रा (बोल्डर माईन – 2.654 हेक्टेयर) जिला हरदा
487.	मेसर्स सोना स्टोन क्रशर जिला हरदा
488.	मेसर्स रितेश शर्मा (मुरम माईन) जिला हरदा
489.	मेसर्स दिलीप कौशल (बोल्डर माईन – 1.58 हेक्टेयर) जिला हरदा
490.	मेसर्स प्रियंका नर्सिंग होम जिला हरदा
491.	मेसर्स आर्चिड हास्पिटल एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर जिला हरदा
492.	मेसर्स हरि ओम स्टोन क्रशर, जिला भोपाल
493.	मेसर्स भारत शुक्ला स्टोन क्रशर, जिला भोपाल
494.	मेसर्स आनंद स्टोन क्रशर, जिला भोपाल
495.	मेसर्स प्रशांत तिवारी स्टोन क्रशर, जिला बैतूल
496.	मेसर्स राजेन्द्र सिंह किलेदर स्टोन क्रशर, ग्राम राबड़ा, जिला बैतूल
497.	मेसर्स राजेन्द्र सिंह किलेदर कंसट्रक्शन प्रा. लि. स्टोन क्रशर, ग्राम नगरकोट, जिला बैतूल
498.	मेसर्स श्री बालाजी एसोसियेट्स (स्टोन क्रशर यूनिट) जिला बैतूल
499.	मेसर्स जहान्नी इस्पात प्रा.लि. औ. क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
500.	मेसर्स सौरभ मेंटल प्रा.लि. (फाउण्ड्री यूनिट) न्यू औ. क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
501.	मेसर्स सौरभ मेंटल प्रा.लि. (फोर्जिंग यूनिट) न्यू औ. क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
502.	मेसर्स के.जी. आयरन एण्ड स्टील कारस्टिंग प्रा.लि. औ. क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
503.	मेसर्स एस.डी. बंसल स्टील एण्ड आयरन प्रा.लि. न्यू औ. क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
504.	मेसर्स एम.पी. एग्रो फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, औ. क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
505.	मेसर्स प्रभाकर पेपर मिल्स प्रा.लि. औ. क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन

506.	मेसर्स बायो न्यूट्रीयेन्ट (इण्डिया) प्रा.लि. औ. क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
507.	मेसर्स एम.पी. स्पेशिलिटी प्रोडक्ट्स औ. क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
508.	मेसर्स सुरेन्द्र कम्पोसाईट प्रा.लि. औ. क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
509.	मेसर्स नर्मदा सेरीयल्स प्रा.लि. औ. क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
510.	मेसर्स ओरियेंट कागज कन्वर्टर प्रा.लि. औ. क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
511.	मेसर्स विजय एण्ड कम्पनी, पहाड़ी मैहर जिला सतना
512.	मेसर्स राय स्टोन क्रेशर, पहाड़ी मैहर जिला सतना
513.	मेसर्स नेहा स्टोन क्रेशर, ग्राम बठिया, तहसील मैहर जिला सतना
514.	मेसर्स बंसल खनिज उद्योग, जैतवारा जिला सतना
515.	मेसर्स बंसल एण्ड कम्पनी, जैतवारा, जिला सतना
516.	मेसर्स विष्णु स्टोन क्रेशर, ग्राम बीरादेई, तहसील हनुमना, जिला रीवा
517.	मेसर्स मॉ विन्ध्य वासिनी स्टोन क्रेशर, ग्राम हर्रहा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा
518.	मेसर्स शिव महिमा स्टोन क्रेशर, ग्राम भोलगढ़, तहसील हुजूर, जिला रीवा
519.	मेसर्स भगवती स्टोन क्रेशर, ग्राम बैजनाथ, तहसील हुजूर, जिला रीवा
520.	मेसर्स शारदा स्टोन क्रेशर, ग्राम बैजनाथ, तहसील हुजूर, जिला रीवा
521.	मेसर्स शिवशक्ति स्टोन क्रेशर, ग्राम बनकुईया, तहसील हुजूर, जिला रीवा
522.	मेसर्स ओपल मिनरल्स स्टोन क्रेशर, हर्रई गुजरान, तहसील मऊगंज, जिला रीवा
523.	मेसर्स सम्राट इन्फा कम्पनी, ग्राम बैजनाथ, तहसील हुजूर, जिला रीवा
524.	मेसर्स शारदा स्टोन क्रेशर, ग्राम डाढ़ी, तहसील हुजूर, जिला रीवा
525.	मेसर्स बोलबम स्टोन क्रेशर, ग्राम डाढ़ी, तहसील हुजूर, जिला रीवा
526.	मेसर्स मॉ वैष्णो देवी स्टोन क्रेशर, ग्राम जोन्ही, तहसील हुजूर, जिला रीवा
527.	मेसर्स दिव्य ज्योति स्टोन क्रेशर, ग्राम हर्रहा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा
528.	मेसर्स रीवा वेस्ट 2 एनर्जी प्रोजेक्ट लिमि., ग्राम पहडिया, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा
529.	मेसर्स देव स्टोन क्रेशर, ग्राम डाढ़ी, तहसील हुजूर, जिला रीवा
530.	मेसर्स पुरुषोत्तम बहादुर सिंह स्टोन क्रेशर, ग्राम डडिया, तहसील बहरी, जिला सीधी
531.	मेसर्स विध्यांचल एक्सप्रेस प्रा.लि., मऊगंज, जिला रीवा
532.	मेसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर, ग्राम सुमेदा, तहसील हुजूर, जिला रीवा
533.	मेसर्स जय महाकाल माइंस एण्ड मिनरल्स स्टोन क्रेशर, ग्राम सरदमन, तहसील हनुमना, जिला रीवा
534.	मेसर्स पुष्पेन्द्र सिंह स्टोन क्रेशर, ग्राम कौआढ़ान, तहसील हुजूर, जिला रीवा
535.	मेसर्स आरुष इन्टरप्राइजेज स्टोन क्रेशर, ग्राम खमरिया, तहसील हुजूर, जिला रीवा
536.	मेसर्स त्रिमूर्ति स्टोन क्रेशर, ग्राम बैजनाथ, तहसील हुजूर, जिला रीवा
537.	मेसर्स ब्रह्म शक्ति स्टोन क्रेशर, ग्राम हिनौती, तहसील हुजूर, जिला रीवा
538.	मेसर्स ग्रीन इण्डिया स्टोन क्रेशर, ग्राम मध्येपुर, तहसील हुजूर, जिला रीवा
539.	मेसर्स अदयपुर सप्लायर एण्ड कान्ट्रेक्टर स्टोन क्रेशर, ग्राम हर्रहा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा

540.	मेसर्स त्रिमूर्ति एसोसियेट स्टोन क्रेशर, ग्राम डंडिया, तहसील बहरी, जिला सीधी
541.	मेसर्स श्री शारदा माता मिनरल्स एण्ड कान्स्ट्रक्शन स्टोन क्रेशर, ग्राम हर्रहा, तहसील मऊगंज, रीवा
542.	मेसर्स एस.आर. माइंस एण्ड मिनरल्स कम्पनी, ग्राम धूमा, तहसील त्यौथर, जिला रीवा
543.	मेसर्स कुमकुम स्टोन क्रेशर, ग्राम दुअरा खुर्द, तहसील बहारी, जिला सीधी
544.	मेसर्स अभय स्टोन क्रेशर, ग्राम नरोरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा
545.	मेसर्स मॉ भद्रकाली स्टोन क्रेशर, ग्राम सकरवट, तहसील हुजूर, जिला रीवा
546.	मेसर्स महालक्ष्मी माइंस एण्ड स्टोन क्रेशर, ग्राम सुमेदा, तहसील हुजूर, जिला रीवा
547.	मेसर्स श्री गोविन्द स्टोन क्रेशर, ग्राम हिनौती, तहसील हुजूर, जिला रीवा
548.	मेसर्स एम.आर. स्टोन प्रोडक्ट एण्ड माइंस (स्टोन क्रेशर), ग्राम बैजनाथ, तहसील हुजूर, जिला रीवा
549.	मेसर्स राजेन्द्र तिवारी स्टोन क्रेशर, ग्राम डाढ़ी, तहसील हुजूर, जिला रीवा
550.	मेसर्स दुर्गा स्टोन क्रेशर, ग्राम बैजनाथ, तहसील हुजूर, जिला रीवा
551.	मेसर्स सिद्ध विनायक इन्टरप्राइजेज स्टोन क्रेशर, ग्राम हर्दी, तहसील शिहावल, जिला सीधी
552.	मेसर्स आर.बी. एण्ड एसोसियेट, ग्राम तिलौ, तहसील त्यौथर, जिला रीवा
553.	मेसर्स श्री गोविन्द स्टोन क्रेशर, ग्राम सकरवट, तहसील हुजूर, जिला रीवा
554.	मेसर्स सहारा स्टोन प्रोडक्ट, ग्राम बैजनाथ, तहसील हुजूर, जिला रीवा
555.	मेसर्स श्री सिद्ध विनायक स्टोन क्रेशर, ग्राम हिनौती, तहसील हुजूर, जिला रीवा
556.	मेसर्स प्रकाश स्ट्रक्चलर इन्टरप्राइजेज स्टोन क्रेशर, ग्राम मरहा, तहसील हुजूर, जिला रीवा
557.	मेसर्स मॉ शक्ति इन्फ्रा कम्पनी, ग्राम कौआढान, तहसील हुजूर, जिला रीवा
558.	मेसर्स गुरुजी कंस्ट्रक्शन एण्ड स्टोन क्रेशर, ग्राम डाढ़ी, तहसील हुजूर, जिला रीवा
559.	मेसर्स श्री सॉई बिल्डर्स स्टोन क्रेशर, ग्राम पैपखरा, तहसील मझौली, जिला सीधी
560.	मेसर्स शुभम स्टोन क्रेशर, ग्राम पथरगढ़ी, तहसील हुजूर, जिला रीवा
561.	मेसर्स आरजू स्टोन क्रेशर, ग्राम बैजनाथ, तहसील हुजूर, जिला रीवा
562.	मेसर्स अमित क्रसिंग प्लांट, ग्राम डाढ़ी, तहसील हुजूर, जिला रीवा
563.	मेसर्स डेविस सर्जिको (सीबीडब्ल्यूटीएफ), आंतरी, ग्वालियर
564.	मेसर्स कृष्णमल फूड्स प्राय. लिमि., ग्राम मगरौरा, डबरा, ग्वालियर
565.	मेसर्स जय मां काली स्टोन क्रेशर, ग्राम अर्रहट, कैलारस, मुरैना
566.	मेसर्स डायमंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, दतिया
567.	मेसर्स हैपनिंग इन्फ्राटेक प्राय. लिमि., ग्राम रफादपुर, ग्वालियर
568.	मेसर्स डीडीए स्टोन क्रेशर, ग्राम बिलौआ, डबरा, ग्वालियर
569.	मेसर्स मुरारीलाल शर्मा स्टोन क्रेशर, ग्राम बिलौआ, डबरा, ग्वालियर
570.	मेसर्स श्री राम शर्मा स्टोन क्रेशर (यूनिट-1), ग्राम बिलौआ, डबरा, ग्वालियर
571.	मेसर्स मां वैष्णोदेवी स्टोन क्रेशर, ग्राम तुरकपुरा, ग्वालियर
572.	मेसर्स मां पीताम्बरा स्टोन क्रेशर, ग्राम सलैया पमार, दतिया
573.	मेसर्स गौरव ग्रेनाईट स्टोन क्रेशर, ग्राम तुरकपुरा, ग्वालियर

574.	मेसर्स मां पीताम्बरादेवी स्टोन क्रेशर एलएलपी, ग्राम बिल्हारी कलां, दतिया
575.	मेसर्स बी.सी.सी. प्रोजेक्ट्स प्राय. लिमि., ग्राम जिगनिया, मुरार, ग्वालियर
576.	मेसर्स जितेन्द्र सिंह सिकरवार स्टोन क्रेशर, ग्राम बुरावली, जौरा, मुरैना
577.	मेसर्स इमराल्ड स्टोन इण्डस्ट्रीज, संजय जी भंसाली (सैण्ड प्लांट) ग्राम सुमेरपाड़ा, जगगापुरा, ग्वालियर
578.	मेसर्स सिद्धीविनायक स्टोन एग्रीगेट, ग्राम दिरमनपाली, गोहद, भिण्ड
579.	मेसर्स बंसलजी बायो फ्यूल्स, औद्यो. क्षेत्र, जड़ेरुआ, मुरैना
580.	मेसर्स आर. ढ्वी. ग्रीन टेक, औद्यो. क्षेत्र, जड़ेरुआ, मुरैना
581.	मेसर्स ईको इनवायरो सोल्यूशन, औद्यो. क्षेत्र, जड़ेरुआ, मुरैना
582.	मेसर्स श्री सिद्धविनायक बायो फ्यूल्स, औद्यो. क्षेत्र, जड़ेरुआ, मुरैना
583.	मेसर्स पीताम्बरा बायो फ्यूल्स, औद्यो. क्षेत्र, जड़ेरुआ, मुरैना
584.	मेसर्स विनायक बायो फ्यूल्स इण्डस्ट्री, औद्यो. क्षेत्र, जड़ेरुआ, मुरैना
585.	मेसर्स जय मां शीतला बायो इनर्जी, औद्यो. क्षेत्र, जड़ेरुआ, मुरैना
586.	मेसर्स अंजली बायोफ्यूल्स, औद्यो. क्षेत्र, जड़ेरुआ, मुरैना
587.	मेसर्स गनेशी बायो केयर एलएलपी, औद्यो. क्षेत्र, जड़ेरुआ, मुरैना
588.	मेसर्स इलाईट स्टोन क्रेशर, ग्राम मखोरी, गोहद, भिण्ड
589.	मेसर्स आर. जी. ईट उद्योग, ग्राम धमकन, जौरा, मुरैना
590.	मेसर्स दर्श स्टार स्टोन्स प्राय. लिमि., क्रेशर, ग्राम दिरमन पाली, गोहद, भिण्ड
591.	मेसर्स सिंघल स्टोन क्रेशर, ग्राम किलगांवडी, श्योपुर
592.	मेसर्स मां वैष्णोदेवी पत्थर क्रेशर उद्योग, ग्राम भटपुरा ब्राह्मण, मुरार, ग्वालियर
593.	मेसर्स मां शारदा स्टोन क्रेशर, ग्राम पाली दिरमन, गोहद, भिण्ड
594.	मेसर्स श्री राम स्टोन क्रेशर, ग्राम नागदा, श्योपुर
595.	मेसर्स श्री श्याम सरकार स्टोन क्रेशर, ग्राम बिलौआ, डबरा, ग्वालियर
596.	मेसर्स मां सरस्वती स्टोन क्रेशर, ग्राम बडवारी, मुरैना
597.	मेसर्स ग्वालियर एल्कोब्रेउ प्रा.लि., रायरु. ग्वालियर
598.	मेसर्स कुसुम फाण्डी, औद्यो. क्षेत्र, महाराजपुरा, ग्वालियर
599.	मेसर्स एस. के. इन्टरप्राईजेज, औद्यो. क्षेत्र, बिरला नगर, ग्वालियर
600.	मेसर्स गुप्ता रिफेक्ट्रीज, औद्यो. क्षेत्र, महाराजपुरा, ग्वालियर
601.	मेसर्स माडर्न फाउण्डी, बिरला नगर, ग्वालियर
602.	मेसर्स अग्रवाल सुपर टिम्बर, औद्यो. क्षेत्र, बाराघाटा, ग्वालियर
603.	मेसर्स अंकित इण्डस्ट्री, बिरला नगर, ग्वालियर
604.	मेसर्स अग्रवाल मेटल इण्डस्ट्री, बिरला नगर, ग्वालियर
605.	मेसर्स बीईडब्ल्यू ऑटो पार्ट्स, बिरला नगर, ग्वालियर
606.	मेसर्स ग्वालियर दुग्ध संघ मर्यादित लिमि., औद्यो. क्षेत्र, बामौर, मुरैना

**वृहद एवं मध्यम श्रेणी के 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं
वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था**

क्र.	उद्योग का नाम	सेक्टर	जल प्रदूषण नियंत्रण यवस्था	वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था
1.	मेसर्स हिन्डालको इण्डस्ट्रीज लि. (महान एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट), बरगां, जिला सिंगरौली	एल्युमिनियम स्मेल्टर	एस.टी.पी., ई.टी.पी.	ई.एस.पी., साइक्लोन, बैग फिल्टर
2.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. (विक्रम सीमेंट), खौर, तहसील जावद, जिला नीमच	सीमेंट	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	बैग हाउस, ई.एस.पी.
3.	मेसर्स डायमंड सीमेंट (किलंकर उत्पादन इकाई), नरसिंहगढ़, जिला दमोह	सीमेंट	एस.टी.पी.	हाईब्रिड फिल्टर, डस्ट कलेक्टर, ई.एस.पी., हाईब्रिड ई.एस.पी., हाईब्रिड फिल्टर, बैग हाउस, बैग फिल्टर
4.	मेसर्स डायमंड सीमेंट (किलंकर ग्राइंडिंग इकाई), इमलाई, जिला दमोह	सीमेंट	एस.टी.पी.	हाईब्रिड फिल्टर, डस्ट कलेक्टर, ई.एस.पी., हाईब्रिड ई.एस.पी., हाईब्रिड फिल्टर, बैग हाउस, बैग फिल्टर
5.	मेसर्स जे.पी. रीवा सीमेंट प्लांट, जे.पी. नगर, जिला रीवा	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., बैग फिल्टर
6.	मेसर्स बेला सीमेंट वर्क्स (यूनिट— अल्ट्राटेक सीमेंट लि., जे.पी.पुरम, रीवा	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., बैग फिल्टर
7.	मेसर्स सीधी सीमेंट वर्क्स (यूनिट—अल्ट्राटेक सीमेंट लि., ग्राम मझगांवा, जिला सीधी	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., बैग फिल्टर
8.	मेसर्स ए.सी.सी. लि. (कैमोर सीमेंट वर्क्स), कैमोर, जिला, कटनी	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग फिल्टर, सायक्लोन, मल्टी सायक्लोन, बैग हाउस
9.	मेसर्स जय प्रकाश पॉवर वैंचर्स लि. (सीमेन्ट ग्राइंडिंग युनिट), जे. पी. निगरी, जिला सिंगरौली	सीमेंट	एस.टी.पी., ई.टी.पी.	ई.एस.पी., साइक्लोन, बैग फिल्टर
10.	मेसर्स बिरला कार्पो. लि. (सीमेंट डिवीजन), बिरला विकास सतना	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि
11.	मेसर्स प्रिज्म सीमेंट लि., मनकहरी, जिला सतना	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि

12.	मेसर्स मैहर सीमेंट, सरलानगर, मैहर, जिला सतना	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि
13.	मेसर्स रिलायन्स सीमेंट प्रा.लि., भरौली, तहसील मैहर, जिला सतना	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि
14.	मेसर्स के.जे.एस. सीमेंट लि., राजनगर, तहसील मैहर, जिला, सतना	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि
15.	मेसर्स बिलाई जे.पी. सीमेंट, बाबूपुर, जिला सतना	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि
16.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. (धार सीमेंट प्रोजेक्ट), ग्राम टोंकी, मनावर, जिला धार	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि
17.	मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि. (मेम्ब्रेन सेल यूनिट-1 एवं 2), नागदा, जिला, उज्जैन	क्लोर अल्कली	फिजिको केमीकल ट्रीटमेंट	स्क्रबर
18.	मेसर्स ओरियन्ट पेपर मिल कास्टिक सोडा यूनिट, जिला अनूपपुर	क्लोर अल्कली	ई.टी.पी., एस.टी. पी	क्लोरिन लाइम स्क्रबर
19.	मेसर्स सोम डिस्टीलरीज प्रा. लि., सेहतगंज, जिला रायसेन	डिस्टीलरी	ई.टी.पी., इव्होपोरेशन, इंसीनरेटर	ईएसपी, साइक्लोन एवं बैग फिल्टर,
20.	मेसर्स जगपिन ब्रेवरीज लिमि. (पूर्व नाम— कॉक्स इंडिया लि.), डिस्टीलरी यूनिट, नौगाँव, जिला छतरपुर	डिस्टीलरी	ई.टी.पी., एम.ई.ई., झायर	बैग डस्ट कलेक्टर
21.	मेसर्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्रा.लि., रायरू., जिला ग्वालियर	डिस्टीलरी	मल्टी इफेक्ट एवोपरेटर, सीपीयू स्लज डिकेन्टर एवं आर.ओ.	डस्ट कलेक्टर, ई.एस.पी., मल्टीसाइक्लोन
22.	मेसर्स ग्वालियर डिस्टलरीज लि., ग्राम डिडी, इटावा रोड, जिला भिण्ड	डिस्टीलरी	एमईई, सीपीयू झायर, आर.ओ.	साइक्लोन, बैग फिल्टर

23.	मेसर्स अग्रवाल डिस्टीलरी प्रा. लि., सबलपुरा, बडवाह, जिला खरगोन	डिस्टीलरी	सी.पी.यू., ड्रायर	मल्टी साइक्लोन, डस्ट कलेक्टर
24.	मेसर्स एसोसिएटेड एल्कोहल एंड ब्रेवरीज लि., खोडी, बडवाह, खरगोन	डिस्टीलरी	मल्टी इफेक्ट एवोपरेटर, ड्रायर	मल्टी साइक्लोन, डस्ट कलेक्टर, बैग फिल्टर
25.	मेसर्स ग्रेट गैलियन लि., सेजवाया लेबड़, जिला धार	डिस्टीलरी	मल्टी इफेक्ट एवोपरेटर, ड्रायर	ई.एस.पी.
26.	मेसर्स ओएसिस डिस्टलरी लि., ग्राम बोराली, तहसील बदनावर, जिला धार	डिस्टीलरी	ई.टी.पी., मल्टी इफेक्ट एवोपरेटर, ड्रायर	पल्स जेट, बैग हाउस
27.	मेसर्स गुलशन पोलियॉल्स, प्लाट नं. 9–11, एमपीएकेछीएन, इण्डस्ट्रीयल एरिया बोरगाँव, जिला छिन्दवाड़ा	डिस्टीलरी	ई.टी.पी., एम.ई.ई., ड्रायर	ई.एस.पी.
28.	मेसर्स विन्ध्याचल डिस्टीलरीज प्रा. लि., पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़	डिस्टीलरी	ई.टी.पी., एम.ई.ई., ड्रायर, एस.टी.पी.	ई.एस.पी.
29.	मेसर्स डी.सी.आर.डिस्टलरी, ग्राम मेहर, जिला सागर	डिस्टीलरी	ई.टी.पी., एम.ई.ई., ड्रायर	सायक्लोन, बैग फिल्टर्स
30.	मेसर्स ल्यूपिन लेबोरेट्रीज लि., औ. क्षे. मण्डीदीप, जिला रायसेन	फार्मा—स्यूटिकल	ई.टी.पी., आर ओ, एम.ई.ई.	इंसीनिरेटर, स्क्रबर
31.	मेसर्स इफ्का लेबोरेटरीज लि., ग्राम सेजवाता, जिला रतलाम	फार्मा—स्यूटिकल	प्रायमरी, सेकेण्ड्री एवं टर्शरी ट्रीटमेंट, एम.ई.ई., ए.टी.एफ.डी.	बैग फिल्टर एवं स्क्रबर
32.	मेसर्स गवर्हनमेंट ओपियम अल्केलाईड वर्क्स, जिला नीमच	फार्मा—स्यूटिकल	फिजीको केमीकल एवं बॉयोलॉजिकल ट्रीटमेंट	बैग फिल्टर एवं स्क्रबर
33.	मेसर्स सन फार्मा लि. (मेसर्स रेनबेकसी लि.) मालनपुर, भिण्ड	फार्मा—स्यूटिकल	ईटीपी, एमईई, ड्रायर, आरओ	स्क्रबर
34.	मेसर्स टेवा ए.पी.आई. इण्डिया लि., मालनपुर, जिला भिण्ड	फार्मा—स्यूटिकल	ईटीपी, एमईई, ड्रायर, आर.ओ.	स्क्रबर

35.	मेसर्स सिमबायोटेक फार्मा, एस.ई.झे.ड. पीथमपुर, जिला धार	फार्मा— 2 स्यूटिकल	ई.टी.पी, कार्बन फिल्टर, एमईई	बैग फिल्टर
36.	मेसर्स ल्यूपिन फॉर्मासिटिकल्स, एस.ई.झे.ड. पीथमपुर, जिला धार	फार्मा— स्यूटिकल	प्राइमरी ट्रीटमेंट, बायोलाजिकल ट्रीटमेंट, रीवर्स—ओस्मोसिस, मल्टी इफेक्ट इवोपरेटर	स्क्रबर
37.	मेसर्स इप्का लेबोरेटरीज लि., पोलोग्राउण्ड, जिला इंदौर	फार्मा— स्यूटिकल	ईटीपी, एमईई, ड्रायर, एमबीबीआर, आर.ओ.	बैग फिल्टर
38.	मेसर्स सिमबायोटेक फार्मा, राउ, इंदौर	फार्मा— स्यूटिकल	ईटीपी, एमईई, ड्रायर, एमबीबीआर, आर.ओ.	बैग फिल्टर
39.	मेसर्स सन फार्मास्यूटिकल्स (फार्मूलेशन एवं बल्क ड्रग प्लांट) लि., देवास	फार्मा— स्यूटिकल	ई.टी.पी., आर.ओ., एम.ई.ई., ड्रायर	बैग फिल्टर
40.	मेसर्स यूनिकेम लबोरेटरीज लि., प्लॉट नं. 197, सेक्टर-1, पीथमपुर, धार	फार्मा-स्यूटिकल	ई.टी.पी., आर. ओ. प्लांट, रिवर्स ओस्मोसिस	स्क्रबर व 35 मीटर चिमनी
41.	मेसर्स थिंक फार्मा कं. लि., इंडर्स्ट्रीयल एरिया, पीथमपुर, धार	फार्मा— स्यूटिकल	ई.टी.पी.	बैग फिल्टर, स्क्रबर, सायक्लोन
42.	मेसर्स एनालटेक लेब प्रा.लि. इंडर्स्ट्रीयल एरिया, पीथमपुर, धार	फार्मा— स्यूटिकल	ई.टी.पी., एम.ई.ई., आर.ओ. प्लांट	बैग फिल्टर, स्क्रबर, सायक्लोन
43.	मेसर्स मेडिलक्स लेबोरेटरीज प्रा.लि., प्लॉट नं. 98-99, सेक्टर 1, पीथमपुर, जिला धार	फार्मा— स्यूटिकल	ई.टी.पी., आर.ओ., एम.ई.ई., ड्रायर	बैग फिल्टर
44.	मेसर्स बालाजी स्टेराइड एण्ड होर्मोस प्रा. लि. एसईजेड, पीथमपुर, धार	फार्मा— स्यूटिकल	ई.टी.पी. आर.ओ., एम.ई.ई., ड्रायर	स्क्रबर, सायक्लोन
45.	मेसर्स नेपा लिमिटेड, नेपानगर, जिला बुरहानपुर (बंद)	पल्प एण्ड पेपर	ई.टी.पी.	उद्योग लम्बे समय से बंद है।
46.	मेसर्स ओरियन्ट पेपर मिल, मेन प्लांट, अमलाई, जिला शहडोल	पल्प एण्ड पेपर	ई.टी.पी.	ई.एस.पी, वेट स्क्रबर
47.	मेसर्स सेक्युरिटी पेपर मिल, जिला होशंगाबाद	पल्प एण्ड पेपर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रवर, मल्टी सायक्लोन, डस्ट क्लोक्टर

48.	मेसर्स रामदेव शुगर प्रा.लि., बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद	शुगर	ई.टी.पी.	मल्टी साइक्लोन, वेन्चुरी स्क्रबर, चिमनी
49.	मेसर्स श्रीजी शुगर एण्ड पावर प्रा.लि., जिला बैतूल	शुगर	ई.टी.पी.	मल्टी साइक्लोन, वेन्चुरी स्क्रबर
50.	मेसर्स पार्वती स्वीटनर्स एण्ड पावर लि.ग्राम—साखरी, भितरवार, ग्वालियर	शुगर	ई.टी.पी.	वेन्चुरी स्क्रबर, मल्टीसाइक्लोन
51.	मेसर्स ओलम एग्रो इंडिया लि., घटवा, जिला बडवानी	शुगर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रबर
52.	मेसर्स नवलसिंग सहकारी शक्कर कारखाना, जिला बुरहानपुर	शुगर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रबर
53.	मेसर्स दुर्गा खांडसारी शुगर, पानसेमल, जिला बडवानी	शुगर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रबर, ई.एस.पी.
54.	मेसर्स जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग सोसायटी लि., कसरावद, जिला— खरगोन	शुगर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रबर
55.	मेसर्स मॉ रेवा शुगर प्रा. लि., नर्मदा नगर, तहसील कुक्षी, जिला धार	शुगर	ई.टी.पी.	डस्ट कलेक्टर, मल्टी सायक्लोन तथा स्क्रबर
56.	मेसर्स करेली शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड, करेली, जिला नरसिंहपुर	शुगर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रबर, ऐश हैण्डलिंग सिस्टम,
57.	मेसर्स महाकौशल शुगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम बचई, तहसील गाडरवाडा, जिला नरसिंहपुर	शुगर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रबर,
58.	मेसर्स नर्मदा शुगर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम पोडार, तहसील गाडरवाडा, जिला नरसिंहपुर	शुगर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रबर, ईएसपी
59.	मेसर्स वंशिका शुगर एण्ड पावर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम बिलगुआ, जिला नरसिंहपुर	शुगर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रबर,
60.	मेसर्स रेवा कृपा शुगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, भिटौनी शहपुरा, जबलपुर	शुगर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रबर,
61.	मेसर्स शक्ति शुगर एण्ड पावर इण्डस्ट्रीज, गाडरवारा, नरसिंहपुर	शुगर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रबर,

62.	मेसर्स आकृति शुगर मिल प्रा.लि. ग्राम तुमडा, जिला नरसिंहपुर	शुगर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रबर,
63.	मेसर्स राज राजेश्वरी शुगर प्रा. लि., ग्राम मोहपानी, तहसील गाडरवाडा, जिला नरसिंहपुर	शुगर	ई.टी.पी.	बेग फिल्टर
64.	मेसर्स एन. पंजाब शुगर, ग्राम हिरनाखेड़ी, तहसील चौरई, छिन्दवाडा	शुगर	ई.टी.पी.	स्क्रबर
65.	मेसर्स कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नारायणपुरा, गुना	शुगर	ई.टी.पी.	वेंचुरी स्क्रबर
66.	मेसर्स सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन, यूनिट-6, 7, 8, 9 एवं 10, 11, सारणी, जिला बैतूल	थर्मल पावर	ई.टी.पी. ऐश पोण्ड इफ्ल्यूएन्ट — रियूज इन ऐश स्लरी प्रिपरेशन, एस.टी.पी.	बॉयलर्स, ई.एस.पी., साइक्लोन, बेग फिल्टर, डस्ट सप्रेशन सिस्टम, वाटर स्प्रे सिस्टम, विंड ब्रेकिंग शेड्स
67.	मेसर्स हिन्डालको इण्डस्ट्रीज लि. (महान एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट) वरगवा, जिला सिंगरौली	थर्मल पावर	ऐश पोण्ड इफ्ल्यूएन्ट— वाटर रिसाईकिलिंग प्लांट, ई.टी.पी.	ई.एस.पी.
68.	मेसर्स एचईजी लिमिटेड (सीटीपीपी 30 एवं 32 मेगावाट), औ.क्षे. मण्डीदीप, जिला रायसेन	थर्मल पावर	ऐश पोण्ड इफ्ल्यूएन्ट वाटर रिसाईकिलिंग प्लांट, ई.टी.पी., प्रायमरी सेटलिंग टैंक	बायलर—ईएसपी कोल हेडलिंग प्लांट— साइक्लोन, बेग फिल्टर, डस्ट सप्रेशन सिस्टम, वाटर स्प्रे सिस्टम, विन्ड ब्रेकिंग शेड्स
69.	मेसर्स वर्धमान फेब्रिक्स (सीटीपीपी 30 मेगावाट), औ.क्षे. सतलापुर, मण्डीदीप, जिला रायसेन	थर्मल पावर	प्रायमरी सेटलिंग टैंक	बायलर—ईएसपी कोल हेडलिंग प्लांट— साइक्लोन, बेग फिल्टर, डस्ट सप्रेशन सिस्टम, वाटर स्प्रे सिस्टम, विन्ड ब्रेकिंग शेड्स
70.	मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि. (25 एवं 40 मेगावॉट), नागदा, उज्जैन	थर्मल पावर	प्राथमिक उपचारव्यवस्था	ई.एस.पी.
71.	मेसर्स जे.पी. बीना थर्मल पावर प्लांट, ग्राम सिरचोपी, बीना, जिला सागर	थर्मल पावर	ई.टी.पी.	ई.एस.पी.

72.	मेसर्स सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट, ग्राम डोंगलीया, जिला खंडवा	थर्मल पावर	ई.टी.पी.	ई.एस.पी.
73.	मेसर्स बी.एल.ए. पावर लि., ग्राम निवारी, तहसील गाडरवाडा, नरसिंहपुर	थर्मल पावर	ई.टी.पी.	ई.एस.पी., बैग हाउस, तथा जल छिड़काव
74.	मेसर्स झाबुआ पावर लि., ग्राम बरेला, तहसील घंसौर, जिला सिवनी	थर्मल पावर	ई.टी.पी., एस.टी.पी.	ई.एस.पी., बैग हाउस, तथा जल छिड़काव
75.	मेसर्स अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, यूनिट-5 (1X210 मेगावाट), चचाई, जिला अनूपपुर	थर्मल पावर	ई.टी.पी., एस.टी.पी	ई.एस.पी., साइक्लोन, बैग फिल्टर
76.	मेसर्स संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन, यूनिट-1, यूनिट-2 (4X210 मेगावाट) यूनिट-3 (500 मेगावाट) बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया	थर्मल पावर	ई.टी.पी., एस.टी.पी	ई.एस.पी., साइक्लोन, बैग फिल्टर
77.	मेसर्स एम.बी.पावर (म.प्र.) प्रा.लि. जैतहरी, जिला अनूपपुर	थर्मल पावर	ई.टी.पी., एस.टी.पी	ई.एस.पी., साइक्लोन, बैग फिल्टर
78.	मेसर्स सासन पावर लिमिटेड, 3960 मेगावाट, सिद्धिखुर्द, तहसील व जिला सिंगरौली	थर्मल पावर	ई.टी.पी., एस.टी.पी	ई.एस.पी., साइक्लोन, बैग फिल्टर
79.	मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, 4760 मेगावाट, विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला सिंगरौली,	थर्मल पावर	ई.टी.पी., एस.टी.पी	ई.एस.पी., साइक्लोन, बैग फिल्टर
80.	मेसर्स जे.पी. निगरी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, 1320 मेगावाट, निगरी, तह. सरई, जिला सिंगरौली	थर्मल पावर	ई.टी.पी., एस.टी.पी	ई.एस.पी., साइक्लोन, बैग फिल्टर
81.	मेसर्स एस्सार पावर लि., 1200 मेगावाट, बधौरा, तह. माडा, सिंगरौली	थर्मल पावर	ई.टी.पी., एस.टी.पी	ई.एस.पी., बैग फिल्टर
82.	मेसर्स मध्यभारत एग्रो प्रोडक्ट, यूनिट नं.-1, ग्राम-रजौआ, जिला सागर	फर्टिलाइजर	सेटलिंग टैंक व चक्रीकरण व्यवस्था	डस्ट सप्रेशन सिस्टम, 03 स्टेज वेंचुरी स्क्रबर

83.	मेसर्स मध्यभारत एग्रो प्रोडक्ट, यूनिट नं. 3 (एस.एस.पी. प्लांट), ग्राम सोरई, जिला सागर	फर्टिलाईजर	सेटलिंग टैंक व चक्रीकरण व्यवस्था	बैग फिल्टर्स, सायक्लोन, 03 स्टेज वेंचुरी स्क्रबर
84.	मेसर्स रामा फार्सफेट लि., एसएसपी डिवीजन, इंदौर	फर्टिलाईजर	न्यूट्रोलाईजेशन टैंक, सेटलिंग टैंक, फिल्टर बैड, उपचारित दूषित जल का उत्पादन प्रक्रिया में पुर्नचक्रण	सल्पयूरिक एसिड प्लान्ट में डबल कन्वर्शन एवं डबल एब्जोर्श्प्सन कंटेक्ट प्रोसेस, एस.एस.पी. हेतु-03 स्टेज बैंचुरी स्क्रबर
85.	मेसर्स खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, निमरानी, जिला खरगोन	फर्टिलाईजर	न्यूट्रोलाईजेशन टैंक, सेटलिंग टैंक, फिल्टर बैड, उपचारित दूषित जल का उत्पादन प्रक्रिया में पुर्नचक्रण	सल्पयूरिक एसिड प्लान्ट में डबल कन्वर्शन एवं डबल एब्जोर्श्प्सन कंटेक्ट प्रोसेस, एस.एस.पी. हेतु-03 स्टेज बैंचुरी स्क्रबर
86.	मेसर्स कोरोमण्डल इंटरनेशनल लि., निमरानी, जिला खरगोन	फर्टिलाईजर	न्यूट्रोलाईजेशन टैंक, सेटलिंग टैंक, उत्पाद प्रक्रिया में पुर्नचक्रण	एस.एस.पी. प्लान्ट में 04 स्टेज बैंचुरी स्क्रबर
87.	मे. मध्यभारत फॉस्फेट प्रा.लि.ए.के. व्ही.एन औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर, झाबुआ	फर्टिलाईजर	सेटलिंग टैंक व चक्रीकरण व्यवस्था	सायक्लोन, पल्सजेट बैग फिल्टर, थ्री स्टेज वेंचुरी स्क्रबर
88.	मेसर्स कृष्णा फास्केम लि. (युनिट-1 एस.एस.पी.प्लांट) ए.के. व्ही.एन औद्योगिक क्षेत्र, मेघनगर, झाबुआ	फर्टिलाईजर	सेटलिंग टैंक व चक्रीकरण व्यवस्था, सेप्टिक टैंक, सोकपिट	सायक्लोन, पल्सजेट बैग फिल्टर, थ्री स्टेज वेंचुरी स्क्रबर
89.	मेसर्स इन्द्रा इण्डस्ट्रीज लिमि. बदनावर, सांदला, जिला धार	फर्टिलाईजर	सेटलिंग टैंक व चक्रीकरण व्यवस्था	थ्री स्टेज वेंचुरी स्क्रबर
90.	मेसर्स एन.एफ.एल. विजयपुर, जिला गुना	फर्टिलाईजर	ई.टी.पी., एस.टी.पी	अमोनिया एवं यूरिया 1 एवं 2 हेतु प्रिलिंग टावर, हीट रिकवरी यूनिट, प्रायमरी रीफार्मर, फ्लू गैस रीफार्मर

91.	मेसर्स ट्रेन्ट केमिकल इण्डस्ट्रीज, प्लांट नं. 184, ए.के.झी.एन औद्योगिक क्षेत्र, मेघनगर, जिला झाबुआ	डाई एण्ड डाई इंटरमीडिएट	कलेक्शन टैंक, न्यूट्रलाईजेशन टैंक, फिल्टर प्रेस, एजीटेटेड थर्मल फिल्म एवोपरेटर, स्प्रे ड्रायर मल्टी इफेक्टएवोपरेटर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	सायक्लोन, बैग फिल्टर्स, स्क्रबर्स,
92.	मेसर्स कृष्णा फास्केम लि., (युनिट-2) (एच एसिड), ए.के.झी.एन. औद्योगिक क्षेत्र, मेघनगर, जिला झाबुआ	डाई एण्ड डाई इंटरमीडिएट	क्रिस्टलाईराईजर, फिल्टर प्रेस, स्ट्रिपर, मल्टी इफेक्ट एवोपरेटर एवं स्प्रे ड्रायर	डस्ट कलेक्टर, अलकली स्क्रबर, नाईट्रिक एसिड स्क्रबर, वेसल स्क्रबर
93.	मेसर्स त्रिमुला इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., 700 टीपीए एवं 365 टन/दिन एस.एम.एस, गोदवाली, जिला सिंगरौली	इंट्रीग्रेटेड स्टील प्लांट	एस.टी.पी.	ई.एस.पी., बैग फिल्टर
94.	मेसर्स कमल स्पंज स्टील एण्ड पावर लि., सगमा, जिला सतना	स्पंज आयरन	सेप्टिक टैंक सोकपिट	ई.एस.पी.
95.	मेसर्स भारत ओमान रिफाइनरी लिमि., आगासोद, बीना, जिला सागर	रिफाइनरी	ई.टी.पी.	लो नॉक्स बर्नर, केप्टिव पावर प्लांट में ई.एस.पी.
96.	मेसर्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमि., पो.आ. गेल काम्पलेक्स, विजयपुर, जिला गुना	पेट्रो केमीकल	ई.टी.पी.	फ्लेअर स्टेक



नोट्स :

नोट्स :



सेठानी घाट, होशंगाबाद



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016